Friday, 06th May, 1994

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

10th Lok Sabha
(Ninth Session)

(खण्ड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

शुक्रवार, 6 मई, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद
के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	10	196-214	195-214
विषय सूची (i)	11	214	215
विषय सूची (i)	12	214-219	215-219
विषय सूची (ii)	11	भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता	भारतीय दंड संहिता
विषय सूची (ii)	15	रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक के पश्चात विधेयक पढ़िए ।	
10	13	मनमोहन सिंह से पहले "श्री" पढ़िए ।	
59	नीचे से 11	"6520"	"6502"
80 और 121	7 और नीचे से 9	श्री तेल नारायण सिंह	श्री तेज नारायण सिंह
116	नीचे से 7	(श्री एम.बी.चन्द्रशेखर)	(श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति)
119	5	श्रम राज्य मंत्री	श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री
133	12	डा० अमृतलाल कालिदास के बाद पटेल पढ़िए ।	
154 और 162	नीचे से 4 और ऊपर से 2	श्री मनोनंजन भक्त	श्री मनोरंजन भक्त
166	नीचे से 13	ध	(घ)
166	नीचे से 12	(क)	(क) से (घ)
171	7	श्री एम.वी.एस.चन्द्रशेखर मूर्ति	श्री एम.वी.वी.एस.चन्द्रशेखर मूर्ति
178	3	व्याधान	व्यवधान
181	पाद टिप्पण में * कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया पढ़िए ।		
198	अंतिम	गिरधारी लाल भार्गव से पहले "श्री" पढ़िए ।	
212	नीचे से 8	राम सिंह, श्री के पश्चात राजेश्वरी श्रीमती वासवा का लोप किया जाए ।	
212	नीचे से 9	राम बदन, श्री से पहले राजेश्वरी, श्रीमती वासवा पढ़िए ।	
213	12	श्री एम.बी. सिंह	श्री एस.बी.सिंह

....2/-

विषय-सूची

दशम माला, खंड 31, नवां सत्र, 1994 /1995-1916 (शाक)
अंक 33, शुक्रवार, 6 मई, 1994/16 वैशाख, 1916 (शाक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों का मौखिक उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	581 - 584 और 586	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	585 और 587-600	25-37
अतारांकित प्रश्न संख्या :	6469-6590 और 6592 - 6646	37-173
वित्त विधेयक, 1994		184
विचार करने के लिए **प्रस्ताव**		
श्री मनमोहन सिंह		184-196
खण्ड 2 से 99 और ।		196-214
यथा संशोधित रूप में, पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री मनमोहन सिंह		214
सभा पटल पर रखे गये पत्र		214-219
राज्य सभा से संदेश		219,257-259
सभा का कार्य		219

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

222	नीचे से 4	श्री जार्ज फर्नान्डीज के पश्चात (मुजफ्फरपुर) पढ़िए ।	
223	8	अध्यक्ष माहदेय	अध्यक्ष महोदय
231	1 से पहले	3·41½ म·प· पढ़िए ।	
250	19	सभापति महोदय के पश्चात श्री नीतीश कुमार का लोप किया जाए ।	
337	1	6·6½ म·प·	6·06½ म·प· पढ़िए ।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 31, नवां सत्र, 1994 /1995-1916 (शक)
अंक 33, शुक्रवार, 6 मई, 1994/16 वैशाख, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों का मौखिक उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	581 - 584 और 586	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	585 और 587-600	25-37
अतारांकित प्रश्न संख्या :	6469-6590 और 6592 - 6646	37-173
वित्त विधेयक, 1994		184
विचार करने के लिए **प्रस्ताव**		
श्री मनमोहन सिंह		184-196
खण्ड 2 से 99 और ।		196-214
यथा संशोधित रूप में, पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री मनमोहन सिंह		214
सभा पटल पर रखे गये पत्र		214-219
राज्य सभा से संदेश		219,257-259
सभा का कार्य		219

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

कार्य मंत्रणा समिति

चालीसवां प्रतिवेदन-स्वीकृत 222

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दक्षिण-मध्य रेलवे पर बिना चौकीदारी वाले फाटक पर हुई तुंगभद्रा एक्सप्रेस की दुर्घटना 223

श्री सी.के. जाफर शरीफ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इकतीसवां प्रतिवेदन - **स्वीकृत** 226

विधेयक - पुर: स्थापित 226

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कल्याण विधेयक

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम 227

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 354 में संशोधन) 227

श्रीमती सरोज दुबे 430

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 125 में संशोधन) 228

श्रीमती सरोज दुबे

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधयक के पूरे नाम के स्थान पर विधेयक के नये पूरे नाम का प्रति स्थापन आदि) 228

श्री आर. अन्बारासु

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक, (धारा 2, आदि मे संशोधन) 229

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, (धारा 2, आदि मे संशोधन) 229

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति

अनिवार्य शिक्षा विधेयक 230

श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति

फसल बीमा स्कीम विधेयक 230

श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 मे संशोधन) 231

श्री आर. अन्बारासु

असैनिक कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक 231

श्री के. राममूर्ति

संविधान सभा विधेयक 231

श्री के. रामसूर्ति

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 मे संशोधन) 232

श्री के. राममूर्ति

परिवार नियोजन विधेयक 247

श्री अंकुशराव टोपे

उधार सीमा नियतन विधेयक

श्री जार्ज फर्नान्डीज 232

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जार्ज फर्नान्डीज 232

कुमारी ममता बनर्जी 247

श्री गुमान मल लोढा 252

श्री के.टी. वान्डायार 259

श्री सैयद शहाबुद्दीन 261

श्री संतोष कुमार गंगवार 265

लोक सभा

शुक्रवार, 6 मई 1994/16 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

X श्री सी.के. कुप्पुस्वामी (कोयम्बतूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार तमिल दैनिक "दिनाकरण" के सम्पादक श्री मुथुपाण्डियन को तमिलनाडु में गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे अब बात बिगड़ गई है। तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से अनुरोध करता हूं कि तमिल दैनिक "दिनाकरण" के सम्पादक श्री मुथुपाण्डियन की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करें आप उनकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करें। इस पत्रकार को तुरन्त छोड़ा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को बाद में उठा सकते हैं। कृपया इसे बाद में उठाइए।

प्रश्न संख्या 581, डा. पुरूषोत्तम गंगवार।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

***581. डा. +परशुराम गंगवार :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को भारतीय रिजर्व बैंक/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार पर्याप्त धनराशि/सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कौन–कौन से बैंक/वित्तीय संस्थाएं इन निर्देशों का उल्लघंन करने के दोषी पाए गए हैं ; और

---

x मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(ग) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 (एस आई सी ए) के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों को उपचारात्मक और अन्य उपायों का निर्धारण, जिनका इन कंपनियों के संदर्भ में किये जाने की आवश्यकता है, करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुमर्निर्माण बोर्ड के पास भेजे जाने की आवश्यकता है। जहां बी आई एफ आर द्वारा एस आई सी ए की धारा 17 (2) और 18 (4) के अंतर्गत किसी कंपनी के पुनर्वास के लिए कोई योजना मंजूर की जाती है, वहां सरकारी क्षेत्र बैंक/वित्तीय संस्थायें मंजूर योजना के अनुक्रम में सुविधाऐं प्रदान करते हैं। अन्य मामलों में बैंक/वित्तीय संस्थायें आवश्यकता पर आधारित समर्थन प्रदान करते हैं और अलग–अलग मामले के आधार पर "यथा स्थिति" (होल्डिंग ऑन) को बनाये रखने की अनुमति प्रदान करते हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ परिचालन में बचत करने के लिये प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा वित्तीय और प्रबंधकीय आधार का पुर्नगठन के प्रयास किय गये पुनरूज्जीवन उपायों के मद्देनजर उद्यमों के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा करने के लिये आवधिक कार्यनिष्पादन पुनरीक्षा बैठकें निदेशक मंडल में व्यावसायिक दृष्टिकोण लाने के लिये प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा किये जा रहे प्रयास, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाओं के माध्यम से अधिशेष मानवशक्ति की कमी, शोध और विकास के माध्यम से तकनीकी का उन्नयन, उत्पाद मिश्र का विविधीकरण और उन्नत रख–रखाव प्रबंधन प्रथायें शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों से संबंधित सरकार नीति 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति के एक भाग के रूप में घोषित की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बी आई एफ आर के पास भेजे गये सार्वजनिक क्षेत्र के काफी समय से बीमार पड़े उद्यम शामिल थे। तदनुसार, बी आई एफ आर के क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों को लाने के लिए दिसम्बर, 1991 में एस आई सी ए को संशोधित किया गया था।

सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, खासकर रुग्ण उद्यमों के कार्य–निष्पादन की आवधिक पुनरीक्षा करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है।

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने लम्बे समय से चले आ रहे सरकारी उद्यमों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल को सौंपने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इस समय कितने

रुग्ण उद्यम हैं और उनमें से कितने उद्यमों को सौंपा गया है ?

मैं यह पूछना चाहता हूं कि उल्लघंन करने वाली कौन सी संस्थाएं व बैंक हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और रुग्ण उद्यमों में प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है और इस कोष से किस सीमा तक आर्थिक सहायता दी जाएगी?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार कम्पनियों के बारे में निवारक और अन्य उपाय निर्धारित करने के हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को लिखा जाना अपेक्षित है।

31-3-94 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण कम्पनियों के लगभग 111 मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के पास थे जिनमें से 49 कम्पनियां केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 62 राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। अभी तक दो मामलों में पुनर्वास स्कीम मंजूर की गई है और चार मामलों में कम्पनियां बंद करने की सिफारिश की गई हैं। 22 मामलों को यह कह कर खारिज कर दिया गया है कि उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। 14 कम्पनियों के मामले में कम्पनियों को बन्द करने के नोटिस जारी किए गए हैं। पांच मामलों में एक योजना का मसौदा परिचालित किया गया है।

यद्यपि योजना औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड ने तैयार की थी, उन इकाइयों के पुनर्वास की योजनाओं की शिकायतों के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियमित हिदायतें हमने जारी की हैं।

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल ने नेशनल बाईसिकल कौपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, साईकिल कौपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और बेबर्ड इंडिया लिमिटेड – इन तीनों रुग्ण सरकारी उद्यमों को बन्द करने की सिफारिस की है? क्या सरकार इन सरकारी उद्यमों के सामान्य शेयरों का एक भाग इन उद्यमों को देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कब घोषणा करेगी ?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, राष्ट्रीय बाइसाइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया था। राष्ट्रीय बाइसाइकिल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड से संबंधित मामला धारा 21 (क) के अन्तर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष है। सात मामलों में कम्पनियां बंद करने के नोटिस जारी कर दिए गये हैं। बेबर्ड इंडिया लिमिटेड के मामले में उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को बीमार घोषित किए जाने के कई कारण हैं। सरकार की नीति इन अच्छे–भले उपक्रमों को बीमार बना रही है। क्या सरकार की यह नीति है कि पहले कुछ उपक्रमों को बीमार बना दो और बाद में उनको बंद करा दो इस समय मैं इसकी तह में नहीं जा सकता हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत सारे उपक्रम सरकारी आर्डर न मिलने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। वैगन निर्माताओं के बारे में हम सब अच्छी तरह से जाने हैं। रेलवे वैगन निर्माताओं के बारे में यहां सैकड़ों बार प्रश्न उठ चुका है। रेल मंत्रालय उनको और आर्डर देने से मना कर रहा है। उनको बीमार घोषित कर औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड में जाने के लिए कहा जाएगा और बंद करने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? वे बहुत अच्छी हालत में हैं। कानपुर की टैफफो को ही लीजिए जो सेना सशस्त्र बलों के लिए बूट बनाती है। यह निर्णय लिया गया था कि उसके उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत सरकार द्वारा सेना के लिए खरीदा जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं ? उसे आर्डर नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार खुले बाजार से खरीदना ज्यादा पसंद कर रही है। आई.डी.पी.एल. को ही लीजिए। आपको सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में आई.डी.पी.ए. द्वारा निर्मित औषधियां व औषध नहीं मिलेंगी। वे निजी औषधि विर्निमाताओं से औषधि खरीदना पंसद करने हैं। अतः मेरा प्रश्न यह है कि यह कुछ अन्य कारणों से कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रश्न नहीं है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उपक्रम ऐसे हैं जिन्हें जानबूझ कर बीमार किया जा रहा है, मेरा आरोप है कि उन्हें सरकार की नीति के कारण जानबूझ कर बीमार घोषित किया जा रहा है ताकि उन्हें बंद करने के उद्‌देश्य से उनका मामला औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा जा सके।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से संबंध रखता है। मुझे प्रसन्नता है कि दोनों मंत्री यहां पर मौजूद हैं, पुनरूद्धार के इस मुद्‌दे पर उन्हें एक ही नीति के अनुसार काम करना चाहिए। महोदय हमारा अनुभव यह है कि श्रम मंत्रालय कुल मिलाकर उन पुनरूद्धार योजनाओं को बढ़ावा दे रहा है, जिन्हें प्रबंधकों और कामगार यूनियनों ने मिलकर तैयार किया है। वास्तव में मंत्री महोदय हम से कई बार कह चुके हैं कि यदि हम ऐसी कोई पुनरूद्धार योजना, जिसे प्रबंधक और कामगार यूनियनों ने मिलकर तैयार किया हो, प्रस्तुत करे, तो वह उस पर अनुकूल ढंग से विचार करेंगे। लेकिन जहां तक वित्त मंत्रालय का संबंध है, वह प्रचालन एजेंसियों अर्थात आई.डी.बी.आई. आई.एफ.सी.आई. जो कि वित्तीय संस्थाएं हैं, की विकास योजनाओं पर अधिक बल दे रहे हैं। और जहां तक उनकी विषयवस्तु का सवाल है दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। एक तो केवल पैसे का रोना रो रहा है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि इकाईयों के अर्थक्षम होने पर उनको चलने नहीं देता, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों के पुनरूद्धार के प्रश्न पर दोनों संबंधित मंत्रालय एक ही नीति अपनाएंगे ? इनमें से बहुतों का पुनरूद्धार हो सकता है। लेकिन नीति में इस विरोधाभास के चलते उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा रहा है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति संभावित अर्थक्षम के पुनरूद्धार में बाधा डालने की नहीं हैं माननीय सदस्य ने आर्डरों की कमी का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में जब कि रेलवे की जरूरतें कई तरह की हैं, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी इस बात की गांरटी दे सकता हे कि रेलवे हमेशा आर्डर देती रहेगी और उस स्थिति में भी आर्डर देगी जब कि उसके पास पैसा नहीं हो या उन्हें किसी वस्तु विशेष की जरूरत न हो।

जहां तक आई.डी.पी.एल. का संबंध है, मैं इस मामले से पिछले दो वर्ष से परिचित हूं। मैंने और मेरे अन्य सहयोगियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए हैं कि आई.डी.पी.एल. का पुनरूद्धार हो और इसको सभी संभव प्रोत्साहन दिया जाए तथा इसका पुनर्गठन हो। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारी सरकार की नीति बीमार इकाईयों के पुनरूद्धार के मार्ग में बाधक बन रही है।

श्रम मंत्रालय और सरकार के अन्य अंगों के बीच समन्वय के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि हम इन समस्याओं के समाधान के लिए आपसी सहयोग से काम करने को अधिक महत्व देते हैं। हम इस समस्या के मानवीय पहलुओं को भी समझते हैं। प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीमार उद्योगों के बारे में हम चाहे जो कुछ करें, हम कामगारों के हितों की रक्षा करेंगे। छंटनी हमारी नीति का हिस्सा नहीं है। लेकिन यह बात माननी होगी कि जब पैकेज तैयार किए जाते हैं तो इन पैकेजों से उन संस्थाओं को अवगत कराना होता है। जिन्हें अन्ततः इन पैकेजों के कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था करनी है। नियोक्ताओं और कामगारों का मिलकर यह कहना कोई मायने नहीं रखता है कि अमुक परियोजना अर्थक्षम है। क्योंकि जब धन उपलब्ध करवाने की बात आती है तो वित्तीय संस्थाएं उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती अतः मैं समझता हूं कि हमें विभिन्न तंत्रों का इस्तेमाल करना होगा अर्थात वित्तीय संस्थाओं को इसमें शामिल करना होगा, प्रचालन एजेंसियों को इसमें शामिल करना होगा। लेकिन हमारा भरसक प्रयास है कि इन समस्याओं का हल आपसी सहयोग से निकाला जाए। इस प्रश्न पर श्रम मंत्रालय और सरकार के अन्य अंगों के बीच कोई मतभेद नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने टैफको के बारे में भी विशेष रूप से पूछा था जिसका वित्त मंत्री जी ने जबाव नहीं दिया है। महोदय दूसरी बात यह है कि मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इन में से बहुत से उपक्रम अर्थक्षम हो सकते हैं बशर्ते उन्हें कुछ कार्यचालन पूंजी उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन उन्हें यह कार्यचालन पूंजी भी नहीं दी जा रही है। वे अपना काम कैसे जारी रख सकते हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : मेरे पास टैफको के बारे में ब्यौरा नहीं है। मैं इसके ब्यौरे एकत्र कर माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कहा है मैं उसकी सराहना करती हूं। यह सही है कि सरकार की ओर से कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपक्रम बंद किए जा रहे हैं, विशेष रूप से बर्न स्टैण्डर्ड, जेसौप और ब्रैथ कम्पनी। इससे पूर्व रेल मंत्रालय ने उसे वैगनों के आर्डर दिए थे। अब उसने कह दिया है कि 'अपने वैगन रखिए'। इसके परिणामस्वरूप बड़े औद्योगिक घराने इन वैगनों को खरीद रहे हैं। लेकिन अब छोटे और मझोले उद्योग इस प्रतिस्पर्धा में वैगन नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए ये बंद होने वाले हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध कर सकता हूं कि इन इकाईयों को बंद करने के बजाय क्या आप इन उद्योगों के लिए पुनरूद्धारा कार्यक्रम बनाएंगे ताकि उद्योगों और कामगारों के हितों की रक्षा की जा सके ?

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैगन निर्माताओं की समस्याओं के संबंध में प्रश्न उचित रूप से रेल मंत्री महोदय से पूछा जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं समझती हूं कि इसका कारण सरकार द्वारा आर्डर न देना है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : वैगन ब्रेकर आप ही के साथ चला गया।

कुमारी ममता बनर्जी : वैगन ब्रेकर की बात नहीं है, वैगन आर्डर की बात है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, हम बहुत लम्बे समय से दोनों पक्षों से यह सुनते आ रहे हैं कि कामगारों की सहकारी समितियां अर्थक्षम और औचित्यपूर्ण विकल्प के रूप में बीमार मिलों को लेने की पेशकश कर रही है। मैं इस संदर्भ में वित्त मंत्री महोदय द्वारा अभी–अभी दिए गए भाषण का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं उस बीमार मिल के बारे में जानना चाहता हूं , जिसका मामला औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया है, कि क्या इसे एक विशेष प्रस्ताव के साथ उक्त बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है कि कामगारों की सहकारी समितियां स्वयं या अपने प्रबंध मण्डल के परामर्श से उस बीमार मिल को अपने हाथ में लेगी।

मैं यह भी जाना चाहता हूं कि इस संबंध में वित्तीय संस्थाओं का दृष्टिकोण क्या रहा है। क्या इसे आवश्यक पूंजी की पेशकश की गई है या नहीं, या ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है ?

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, 1991 में हमारी सरकार के सत्ता में आने के तत्काल बाद त्रिपक्षीय समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें मैं और श्रम मंत्री दोनों उपस्थित थे, उसमें एक स्थाई पेशकश की गई थी कि जहां तक अनेक बीमार इकाइयों का संबंध है, यदि कामगार या उनके प्रतिनिधि आगे आएं और उन्होंने कोई उद्यम चलाया तो सरकार ऋणों कौ माफ करने सहित उन्हें सभी संभव सहायता देगी। मैंने देखा है कि बहुत थोड़े कामगार या मजदूर संघों की वास्तव में इसमें रूचि होती है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : यह एक अस्पष्ट उत्तर है। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री मनमोहन सिंह : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या आप इन्हें एकत्र करके हमें भेज सकते हैं ?

[अनुवाद]

मुद्रा स्फीति की दर

***582. डा. के.वी.आर.एस. मूर्ति :**

श्री एम.बी.बी.एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुद्रास्फीति की दर दो अंकों में पहुंचने संबंधी उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1994 के "स्टैट्समैन" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) 31 मार्च, 1992 को और 31 मार्च, 1993 को मुद्रास्फीति की दर क्या-क्या थीं ;

(ग) मुद्रास्फीति की दर के 74 सप्ताह में दो अंकों में बढ़कर उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) मुद्रास्फीति की बढ़ी हुई दर का आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की दर को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) मार्च, 1992 के अन्त में मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर 13.56 प्रतिशत और मार्च, 1993 के अन्त में 7.02 प्रतिशत थी।

(ग) यद्यपि मुद्रा-स्फीति में वृद्धि के लिए निहित कारणों के सापेक्षिक योगदान के बारे में सुनिश्चित रूप से कहना कठिन है, तथापि इसके लिए निम्नलिखित घटक सक्रिय रहे हैं :-

(i) 1993-94 में उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रा-स्फीतिकारी संभावनाओं के लिए भागीदार है।

(ii) धन की आपूर्ति में वृद्धि, जिसका आंशिक कारण विदेशी मुद्रा भण्डार में अत्यधिक वृद्धि होना था, भी ज्यादा थी।

(iii) आपूर्ति संबंधी घटक जैसे कि कपास, जूट और मूंगफली की फसलों का अंशतः खराब हो जाना और चीनी के उत्पादन में गिरावट आना।

(iv) पिछले तीन वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि से प्राथमिक उत्पाद मूल्य अपेक्षाकृत बढ़े हैं। जारी किए जाने वाले मूल्यों में अनुवर्ती परिवर्तनों के कारण जो जनवरी के अन्त में प्रभावी हुए थे, फरवरी-मार्च, 1994 में नए सिरे से मूल्यों में तेजी आ गई।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान, आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में मार्च, 1993 की तुलना में जनवरी, 1994 तक 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि खुदरा मूल्यों में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(ङ) सरकार हाल में हुई मूल्यों में वृद्धि के बारे में चिंतित है। मुद्रा-स्फीतिकारी संभावनाओं विशेषकर चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तओं में इसे कम करने के लिए अभी हाल ही में बहुत से उपाय किए गए हैं। चीनी और कपास को शून्य शुल्क के साथ खुला सामान्य लाइसेंस (ओ.पी.एल.) के अन्तर्गत रख दिया गया है। पामोलिन के आयात को 65 प्रतिशत शुल्क के साथ ओ.पी.एल. में रख दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री जारी है ताकि खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि को कम किया जा सके। राजकोषीय घाटे और

धन–आपूर्ति की वृद्धि पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है।

डा. के.वी.आर. चौधरी : अध्यक्ष महोदय मुद्रास्फीति की मौजूदा दर बहुत अधिक है और पिछले कुछ ही सप्ताहों में यह 10.62 के अंक को पार कर गया है। विनिर्मित वस्तुओं के लिए जो कि 52 प्रतिशत है, यह 7.4 प्रतिशत के आस पास है, प्राथमिक वस्तुओं के लिए, जो कि 27 प्रतिशत है, यह 6.5 प्रतिशत के आस–पास है। ईंधन की कीमतें 16 प्रतिशत बढ़ गई है, कृषि के लिए बिजली की दर 50 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, रसोई गैस की लागत 20 प्रतिशत बढ़ गई है। हमें प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री मुद्रास्फीति की दर पहले कम कर के एक अंक तक ले आये थे, लेकिन आज सरकार केवल घड़ियाली आंसू बहा रही है और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए विशेष कुछ नहीं कर रही है। मुद्रास्फीति की उच्च दर को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे एक अंक तक ही सीमित रखने के लिए और कोई कदम उठा रही है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुद्रास्फीति की वर्तमान दर से माननीय सदस्य की चिंता से मैं सहमत हूं। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। यह आंशिक रूप से उन मूल्यों जिन्हें बहुत पहले समायोजित कर लिया जाना चाहिए था, के समायोजन में विलम्ब के कारण है। ये आवश्यक और अपेक्षित थे, यद्यपि पहले इनका मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है लेकिन तेल उद्योग जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए ये बहुत आवश्यक है। इस वर्ष भी इसमें कुछ घटकों का योगदान रहा है। उदाहरण के लिए कपास की फसल की कमी है। कच्चे कपास की कीमतें 80 प्रतिशत बढ़ गई है। यह एक विश्वव्यापी घटना है। यद्यपि आज हमारे कपास को ओपन जनरल लाइसेंस में शून्य शुल्क दर में रखा गया है, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भारतीय मूल्य से बहुत अधिक है इसलिए इससे मुद्रास्फीति की दर प्रभावित हुई है। कुछ अन्य वस्तुओं के बारे में भी यही समस्या रही है। कपास के अलावा चीनी की कमी है। पटसन की फसल के संबंध में भी समस्या रही है। मैं समझता हूं कि ये मौसमी दबाव हैं। यह संभव है कि अगले दो–तीन महीनों तक मूल्य सूचकांक अधिक रहे लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसके बाद मुद्रास्फीति की दर घट जाएगी। हम अपनी ओर से वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे और हम वित्तीय घाटे के मुद्रीकरण को सीमित करने की कोशिश करेंगे। सरकार के पास खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डार हैं और चीनी की कोई कमी नहीं है। हमारे पास खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भण्डार है। पामोलीन जैसे वनस्पति तेलों को अब ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत रख दिया गया है और इससे वनस्पति तेलों के मूल्यों में वृद्धि रूक जानी चाहिए। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि हमें दो या तीन महीने इसी हालत में रहना होगा। मैं समझता हूं कि उसके बाद कीमतें कम होनी शुरू हो जाएंगी।

डा. के.वी.आर. चौधरी : महोदय, मुद्रास्फीति के आंकड़ों में बहुत अन्तर रहा है। यह राजस्थान में 28.4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 28.6 प्रतिशत और पंजाब में 28.4 प्रतिशत रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या खाद्यानों की अधिक खरीद के कारण ऐसा हुआ है ? खेतिहर मजदूर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि असंगठित क्षेत्र में प्रति मजदूर 075 प्रतिशत से अधिक है... वे दिहाड़ी तटस्थीकरण के अन्तर्गत भी नहीं आते हैं। अध्यापक जैसे कुछ ग्रामीण लोग कुछ स्कूलों में 100 रुपए प्रतिमाह पर काम कर रहे हैं। वे कैसे रह सकते हैं? अतः वित्त मंत्री महोदय उच्च मुद्रास्फीति की दर से इन ग्रामीण लोगों को कैसे बचाने जा रहे हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, जहां तक संगठित क्षेत्र का संबंध है, मेरा माननीय सदस्य से विनम्र निवेदन है कि उन्हें उनके मंहगाई भत्ते में परिवर्तन करके मुद्रास्फीति से बेहत्तर ढ़ंग संरक्षण किया जा रहा है। वास्तव में 3,500/. रुपए के सबसे निचले स्लैब में शत प्रतिशत से अधिक तटस्थीकरण है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र सहित असंगठित क्षेत्र में, वास्तव में एक समस्या है और इस समस्या को सुलझाने का हमारे पास एक ही तरीका है और वह तरीका यह है कि हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करें। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह सुनिश्चित करना हमारा सच्चा प्रयास होगा कि मुद्रास्फीति की दर को कम किया जाए और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ महीनों में कीमतें गिरने लगेंगी क्योंकि कुछ मौसमी दबावों, जो इस वर्ष रहे, को दूर कर लिया जायेगा। साथ ही 1,750 खण्डों जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी है उनमें हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया है। अतः इन अनेक नीतियों का गरीबों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993-94 मूलरूप से नियोजित वित्तीय घाटा 4.6 प्रतिशत था, लेकिन यह बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया और इस वर्ष की योजना में वित्तीय घाटा 6 प्रतिशत रखा गया है। 15 प्रतिशत की वृद्धि को इसी साम्यानुमान को यदि हम ध्यान में रखे, तो यह घाटा 9 प्रतिशत तक पहुचेगा। यही कारण है कि वित्तीय घाटे के कारण मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है और जब तक मंत्री महोदय द्वारा कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो वह आज चाहे जो कुछ भी कहें, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर पाना बहुत ही कठिन होगा। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने सभी मंत्रालयों के व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती लागू की है। लेकिन कैसी विडंबना है कि इस वर्ष मंत्री महोदय द्वारा ऐसा कोई प्रयास अभी तक शुरू नहीं किया गया है। अतः वे निर्धन वर्ग के लोग ही इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए है जिनकी आय को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ की गई है, किन्तु खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण हेतु उपलब्ध ही नहीं है। अतः मैं विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि वे इन निर्धन वर्ग के लोगों का किस प्रकार ध्यान रखेंगे तथा क्या उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मात्रा में पाम ऑयल और चीनी उपलब्ध कैसे कराई जाएगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या व्यय में कोई कटौती की जा रही है अथवा नहीं।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, वित्तीय घाटे के बारे में इस सम्मानित सदन में अनेक बार चर्चा की गई है और मैंने अपनी सरकार के इस संकल्प को दोहराया है कि वित्तीय घाटे को इस वर्ष 6 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा। मेरा विश्वास है कि इसे प्राप्त करने में हम सफल होंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय एक गलत प्रकार के राजनीतिज्ञ बनते चले जा रहे हैं। उत्तर की गुणवता तो देखें। 1992-93 के अन्त में मुद्रास्फीति की दर बताई गई है। यह आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों से एक भिन्न प्रकार का विवरण है। वर्ष 1993-94 के लिए, उन्होंने थोक मूल्यों के रूप में 12.2 प्रतिशत का आंकड़ा हमें दिया है जो वास्तविक मुद्रा–स्फीति दर नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि 12.2 प्रतिशत है तो मुद्रा स्फीति दर थोड़ी अधिक हो सकती है। और यह जो 13.56 प्रतिशत के आंकड़ों का अनुमान लगाया गया है, इसे एक अनन्तिम आंकड़ा माना जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि यह एक अनन्तिम आंकड़ा है अथवा नहीं। अब आंकड़ों के बारे में या तो वह मुझे सही करें या स्वयं को सही करें। एक भाग यह है। इसका दूसरा भाग, जो

विस्मयकारी भी है वह यह है कि इस वर्ष के अंत में मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। इस महीने, अप्रैल और मई में भी इसका बढ़ना जारी है। मार्च के महीने में भारी व्यापार घाटे की पृष्ठभूमि के कारण ऐसा हुआ है। यह बहुत आश्चर्य की बात है।

एक ओर, वह व्यापार–संतुलन में घाटे को सीमित करने को एक प्रकार से उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक पुराना अर्थशास्त्र का सिद्धांत है।

यह जो अभी हाल में मुद्रा–स्फीति की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हुई है, उसे सीमित करने के लिए क्या वह व्यापार संतुलन में बढ़ते घाटे को सीमित करने के लिए इस पथ का अनुसरण करेंगे ?

श्री मनमोहन सिंह : जहां तक आकड़ों का संबंध है, भाग (ख) में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे वास्तविक आंकड़े हैं। मेरे पास कोई और आंकड़े नहीं हैं। इसका हिसाब इसी प्रकार रखा जाता है। मेरे पास यही आंकड़े हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपके पास यही आंकड़े हैं। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं कि मुद्रा–स्फीति दर का प्रतिशत और थोक मूल्य सूचकांक का प्रतिशत, दोनों भिन्न–भिन्न प्रतिशत हैं ?

मनमोहन सिंह : यह थोक मूल्य सूचकांक है। **(व्यवधान)**

निर्मल कान्ति चटर्जी : वह वह बात नहीं कर रहे हैं। जो कुछ उन्हें कहनी चाहिए थी क्या मुद्रास्फीति दर और थोक मूल्य दरें समान हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : हम मुद्रास्फीति की दर को इसी प्रकार मापते हैं। मुझे याद नहीं है कि आपके प्रश्न का दूसरा भाग क्या था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप यह भी भूल गए हैं कि मुद्रा–स्फीति दर सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक से भिन्न है।

श्री मनमोहन सिंह : आप गलत कह रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सकल घरेलू उत्पाद के रूप में है। सकल घरेलू उत्पाद में मुद्रास्फीति दर, थोक मूल्य सूचकांक से भिन्न है। उन्होंने मुझे दूसरे भाग के बारे में याद दिलाने को कहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें याद दिला दें और बैठ जाएं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उन्हें किसी निराशाजनक स्थिति में नहीं डालना चाहता। वह मेरे एक अच्छे मित्र हैं।

दूसरा भाग यह है कि आप आयात तथा व्यापार घाटे को बढ़ाकर मुद्रास्फीति दर पर प्रभाव डाल सकते हैं। मार्च में, इसे कर दिया गया है। फिर भी, परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। प्रश्न यह है कि क्या आप आगामी वर्ष अपने व्यापार घाटे को कम कर पाएंगे जिससे मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सके ?

श्री मनमोहन सिंह : प्रश्न के प्रथम भाग के संबंध में मुझे यह कहना है कि प्रो. निर्मल एक लब्धप्रतिष्ठ सांख्यिकीविद् हैं। किन्तु, मुद्रा–स्फीति को मापने के अनेक तरीके हैं। थोक मूल्य सूचकांक, उंपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हमारे पास उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनेक प्रकार हैं। कुछ देशों में, सफल घरेलू उत्पाद अपस्फायक का उपयोग किया जाता है। अनेक तरीके हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े हैं।

मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। मैं अपने तथ्यों को अच्छी तरह जानता हूं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, यह सच है कि व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है। आयात भी बढ़ गया है। मुझे जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, उसके अनुसार आयात में जो वृद्धि हुई है, वह मुख्य रूप से विमान आयात के कारण हुई है जिस पर लगभग 40 करोड़ डालर खर्च आता है और मेरे विचार से इसी कारण घाटे में वृद्धि हुई है।

लेकिन, मैंने कई बार कहा है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का प्रचुर भंडार है। यदि मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए इस विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, तो हम इसका उपयोग अवश्य करेंगे। हम उसका उपयोग कर सकते हैं और हमारे पास अभी इतना विदेशी मुद्रा भंडार है जिससे हम अपनी मुद्रा में विश्वास को बनाएं रख सकते हैं।

पूंजी पर्याप्तता मानदंड

***583. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाह समिति तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने वित्तीय क्षेत्र में मध्यवर्ती कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में गैर–बैंकिग वित्तीय कंपनियों के विनियामक संगठनों से विचार–विमर्श किया है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ङ) वित्तीय क्षेत्र की मध्यवर्ती कंपनियों में पूंजी पर्याप्तता मानदंड कब से लागू किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) एक वितरण पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वित्तीय कंपनियों पर कार्यकारी दल (शाह समिति) ने अपनी रिपोर्ट में गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों की सिफारिश की थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने शेयरों दलालों, मर्चेंट बैंकरों, हामीदारों, पोर्टफालियो प्रबंधकों, निर्गम रजिस्टार/शेयर अंतरण एजेंटों और परिसम्पत्ति प्रबंध कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड की सिफारिश की है।

(ख) शाह समिति ने सिफारिश की है कि 50 लाख रुपए और इससे अधिक की निवल स्वामित्व निधियों वाली गैर–बैंककरी वित्तीय कंपनियों को 31 मार्च 1995 तक जोखिम भारित आस्तियों का 8 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करना चाहिए।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने विभिन्न विचौलियों के लिए न्यूनतम शुद्ध मालियत के संदर्भ में निम्नानुसार पूंजी पर्याप्तता मानदडों की सिफारिश की है :–

(1) **शेयर दलाल (व्यक्तिगत सदस्य)** : स्टाक एक्सचेंज के आधार पर 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की जमाराशि।

शेयर दलाल (कार्पोरेट सदस्य) : स्टाक एक्सचेंज के आधार पर चुकता पूंजी 10 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक होनी चाहिए।

(2) **मर्चेन्ट बैंकर** : मर्चेन्ट बैंकर की श्रेणी के आधार पर 20 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक।

(3) **हामीदार** : 20 लाख रुपए।

(4) **पोर्टफोलियो प्रबंधक** : 50 लाख रुपए।

(5) **निर्गम या शेयर अंतरण एजेंट के रजिस्ट्रार** : 8 लाख रु.। निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट के रजिस्ट्रार 6 लाख रु.।

(6) **परिसम्पत्ति प्रबंध कंपनी** : 5 करोड़ रु.।

(ग, घ और ङ) भारतीय रिजर्व बैंक गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों के लिए नियामक प्राधि ाकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 50 लाख रु. और उससे अधिक की निधियों के निवल स्वामित्व वाली बड़ी गैर–बैंककारी कंपनियों की पूंजी पर्याप्तता के लिये प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किये हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्था और वित्तीय कंपनी संघ से परामर्श के पश्चात इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाऐगा।

शेयर दलालों के मामलों में एस इ बी आई निर्धारित किया है कि दिनांक 1.12.93 और 1.12.94 के बीच पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को लागू किया जाना है। इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अन्य पूंजी बाजार बिचौलियों के मामले में इन मानदंडों को पहले ही लागू किया जा चुका है।

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : पूंजी पर्याप्तता मानदंडों की सकल्पना को सर्वप्रथम दो वर्ष पहले वाणिज्यिक बैंकों में शुरू किया गया था तथा इसे हाल ही में देश की वित्तीय संस्थाओं में भी लागू किया गया है। यह एक स्वागत योग्य प्रयास है और हमें माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस कार्य के लिए बधाई देनी चाहिए।

लेकिन सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सर्वाधिक चिन्ता की बात और प्रयास यह होनी चाहिए कि उन सामान्य निवेशकों को संरक्षण प्रदान किया जाए जिन्हें गैर–बैंकिग वित्तीय कम्पनियों तथा शेयर बाजारों के अन्तःकार्यकरण के बारे में प्रायः पर्याप्त जानकारी नहीं होती।

मेरा प्रश्न है, क्या वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए यथा निर्धारित आठ प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता मानदंड वित्तीय संस्थाओं की इन मध्यवर्ती कम्पनियों, विशेषरूप से गैर–बैंकिग वित्तीय कम्पनियों के मामले में उपयुक्त तथा पर्याप्त होगा जिन्होंने 50 प्रतिशत से भी अधिक धन–राशि जनता द्वारा जमा–राशि से प्राप्त की है। क्या इन कम्पनियों के लिए अधिक पूंजी पर्याप्तता का अनुपात निर्धारित करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विनियंत्रक संगठनों तथा इन गैर–बैंकिग वित्तीय कम्पनियों के साथ इस विषय पर बात करने का विचार है ? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि दिशानिर्देश को अन्तिम रूप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा वित्तीय कम्पनियों की एसोसिएशनों के साथ परामर्श करने के पश्चात दिया जाएगा। पहले ही विलंब हो चुका है। मानदंडों को अन्तिम रूप देने में और कितना समय लगेगा ?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मई, 1992 में शाह समिति गठित की गई जो वित्तीय कम्पनियों से संबंधित कार्यदल था और सितम्बर, 1992 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कम्पनियों की संख्या अधिक होने के कारण, लगभग 35,000 गैर–बैंकिग वित्तीय संस्थाएं होने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक भी इन संस्थाओं के कार्यकलापों पर कारगर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रख पाने की स्थिति में नहीं हैं। समिति का सुझाव है कि भारतीय रिजर्व बैंक को 50 लाख तथा उससे अधिक धन–राशि वाली कम्पनियों तक ही सीमित रहना चाहिए।

अभी तक केवल 850 कम्पनियों ने ही अपने नाम भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत कराए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं जिनके बारे में पूंजी पर्याप्तता मानदंड को अन्तिम रूप देने से पहले गैर–बैंकिग वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार–विमर्श किया जाएगा।

यहां तक कि भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड ने भी पूंजी बाजार में विभिन्न श्रेणी की मध्यवर्ती कम्पनियों जैसे स्टॉक ब्रेकर, मर्चेंट बैंकर, अन्डर रायटर और पोर्ट फोलियो मैनेजर के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड निर्धारित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में कार्यवाही कर रहा है।

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य वित्त पोषण संस्थाओं जैसे राज्य वित्तीय निगमों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। मैं समझता हूं कि इस समय इन संस्थाओं के घाटे को पूरा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों के मामले में किया गया था और पिछले दो बजट में इनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया था।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वित्तीय संस्थाओं को अच्छी स्थिति में रखने के लिए आय मान्यता मानदंड तथा वित्तीय संस्थाओं के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान सहित समान प्रज्ञा लेखा प्रणाली लागू करने का विचार है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, राज्य वित्तीय निगमों की वित्तीय स्थिति, मेरे लिए अत्यंत ही चिंता का विषय है। मैंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ दो बैठकें की हैं। तब से, वित्त सचिव ने भी राज्य वित्तीय निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर के इस विषय पर बातचीत की है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अब राज्य वित्तीय निगमों के

कार्यकरण में सुधार करने के लिए एक मुश्त सहायता कार्यक्रम तैयार कर रहा है। आस्तियों का बहुत सारा अंश ऐसा है जो मात्र निष्क्रिय आस्तियां हैं और इन निगमों को बहुत–कुछ वाणिज्यिक तरीके से चलाना होगा जैसा कि पहले हुआ है। हमने एक–एक करके राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श किया है ताकि हम राज्य वित्त निगम की सामान्य स्थिति पैदा करने के लिए एक मुश्त अर्थक्षम कार्यक्रम तैयार कर सकें।

[हिन्दी]

किसानों के लिए योजनाएं

***584. श्रीमती शीला गौतम :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसे कुछ योजनाएं शुरू की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा किन–किन राज्यों में ये योजनाएं शुरू की गई हैं/शुरू की जायेगी ; और

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत किसानों को क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारत द्वारा अप्रैल, 1988 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिये गये सुझाव पर सरकारी क्षेत्र के 20 बैंकों ने कई राज्यों के चुने हुए जिलों में किसानों के लिए कृषि ऋण कार्ड जारी करने की योजनाएं शुरू की हैं। ये कार्ड उन किसानों को जारी किये जाते हैं जिनका ऋण संबंधी रिकार्ड अच्छा है और ये बिना अलग से कोई आवेदन किये प्रत्येक उधारकर्ता के लिए कुछ पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्हें समर्थ बनाते हैं। उन राज्यों के नाम तत्काल उपलब्ध नहीं है जहां सरकारी क्षेत्र के 20 बैंकों द्वारा यह योजना लागू की गई है। यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि 1988 में क्रेडिट कोर्ड योजना किसानों के हितों के लिये लागू की गयी थी, उस योजना के तहत अब तक कितने किसानों को लाभ हुआ है ? क्या उस योजना को व्यापाक रूप से लागू करने के

लिये परेशानियां आ रही हैं, यदि हां तो इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह सही है कि अप्रैल 1988 में सार्वजनिक क्षेत्र में 20 बैंकों ने अनेक राज्यों के चुनिन्दा जिलों में किसानों के लिए कृषि क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बीस बैंकों ने यह काम शुरू किया है और किसानों में इसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है।

मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है कि इस योजना से कितने किसानों को लाभ हुआ है। मैं इस संबंध में जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया है कि बहुत से किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। यह बात सही है कि कुछ किसानों को उससे लाभ भी प्राप्त हुआ है लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं कि जब ऋण लेने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और कभी-कभी अधिकारी लोग 50% तक सुविधा शुल्क मांग लेते हैं और इतने चक्कर लगवाते हैं कि उन लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। क्या सरकार के ज्ञान में यह चीज है और यदि है तो उनको राहत देने के लिए वह क्या उपाय कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह किसानों के लिए उपलब्ध एक विशेष योजना है ताकि वे फसलों की खेती के विस्तार और कृषि आदानों की खरीद के लिए और मजदूरों को भुगतान करने के लिए इन क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठा सकें। जिन राज्यों में सिंचाई की सुविधाएं हैं, उनमें किसानों ने इस योजना के प्रति काफी उत्साह दिखाया है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे हिन्दुस्तान के किसानों की हालत बहुत दयनीय है यह उसकी कमनसीबी है क्योंकि सभी चीजों का उत्पादन मूल्य पहले से मालूम होता है लेकिन किसान को कभी भी मालूम नहीं होता है कि किसान जो उत्पादन करने जा रहा है उसका मूल्य क्या होगा और उसको उत्पादन के आधार पर समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर हिन्दुस्तान को हमें आबाद करना है तो पहले गांवों को आबाद करना पड़ेगा और वह तभी आबाद हो सकते हैं जब किसान आबाद होगा। किसान के लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि पूरे हिन्दुस्तान के किसान बहुत ही दुखी हैं। मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब भी ठीक से नहीं आया है। हमें बताया गया है कि इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है। उसमें एक वाक्य में जवाब दिया

है कि इसका ब्यौरा इतना ही है कि जो ऋण दिया जाएगा उसका अगर अगला रिकॉर्ड क्या है ? हमारी खेती वर्षा पर आधारित है। कहीं वर्षा ज्यादा होती है और कही कम होती है और कहीं बिल्कुल नहीं होती है। जो बड़े किसान हें उसके पास थोड़ी सिंचाई की सुविधा हैं उसके कारण वह अपना रिकॉर्ड ठीक कर लेता है लेकिन जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वह अपना रिकॉर्ड किस तरह से ठीक करेंगे ? इस आधार पर मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं जिनकी फसल बेकार हो गई है उसके लिए आप और क्या सुविधा देने जा रहे हैं इस योजना से लाभान्वित करने के लिए ?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जिन किसानों का क्रेडिट रिर्काड अच्छा रहा है, यदि उन पर किसी अन्य वित्तीय संस्थान का ऋण नहीं तो उन्हें ये कार्ड जारी किए जाने चाहिए। ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं।

जहां तक किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य उपलब्ध कराने का संबंध है, इस प्रश्न को कृषि मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा कमजोर वर्गों को उचित ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने के अनेक कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। बैंकिग प्रणाली इन कमजोर वर्गों को कम से कम 40 प्रतिशत ऋण उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य है। कृषि के लिए 18 प्रतिशत तक की सीमा है। इसी तरह से इस 40 प्रतिशत में से कुल ऋण का 25 प्रतिशत तक कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराया जाता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि 1500/- रुपए के ऋण तक तीसरी पक्ष की किसी गांरटी या द्विपक्षीय प्रतिभूति पर कोई बल नहीं दिया जाता है। ताकि छोटे किसानों का इस क्रेडिट कार्ड योजना के अतिरिक्त किसी भिन्न व्यवस्था के माध्यम से ध्यान रखा जा सके।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान क्रैडिट कार्ड की मांग अधिक होने और आपके बैंकों में क्रैडिट कार्ड न रहने की वजह से बैंक पदाधिकारी उसमे मनमानी करते हैं। क्या इस स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार कोई विशेष व्यवस्था करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यदि कोई विशेष सुझाव हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे।

[हिन्दी]

डा. छत्रपाल सिंह : मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसान क्रैडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आप इस वित्तीय वर्ष में कितने नये जिलों को लेने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : वर्तमान में यह योजना देश के केवल 20 बैंकों द्वारा ही आरम्भ की गई है।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि जो किसान क्रैडिट कार्ड योजना है क्या वह भूमि के निजी मालिकों के लिये ही है या जो काश्तकारी करते हैं या ठेके पर जमीन लेकर बोते हैं, उनके लिये भी है। दूसरी बात है कि यह योजना क्या क्रॉप लोन के लिये ही है या मीडियम टर्म लोन और लांग टर्म लोन के लिये भी है ?

अध्यक्ष महोदय : आप पूरी स्कीम को ही मंगा लीजिये, वे आपको सब कुछ दे देगें।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : वे यह सुविधा कृषि कार्यों के लिए लगातार तीन वर्षों तक ले सकते हैं। वे फसल ऋण भी ले सकते हैं। 15,000/- रुपए तक किसी द्विपक्षीय जमानत की आवश्यकता नहीं है, और इस राशि पर अधिकतम 12 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है।

डा. मुमताज अंसारी : यह प्रसन्नता की बात है कि क्रैडिट कार्ड योजना किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई है। साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1989 और 1991 में जितना भी ऋण माफ किया गया था, उन सभी किसानों का क्या हुआ क्योंकि बैंक कर्मचारी इन सभी किसानों को बहुत सी परेशानियों में डाल रहे हैं। मैं इस संबंध में वित्त मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाह . हूं। स्थिति और इन किसानों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

डा. मुमताज अंसारी : मैं ऋण माफी योजना के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री मनमोहन सिंह : जहां तक ऋण माफी योजना का संबंध है, यद्यपि पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी घोषणा की थी, हमें इस संबंध में अभी विधेयक लाना है। हम लगातार तीसरे वर्ष बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं, पिछले वर्ष भी यह प्रावधान किया गया था। मैं यह बात नहीं मानता हूं कि इसके परिणामस्वरूप किसानों को लाभ हो रहा है। इससे भुगतान की स्थिति खराब हो गई है क्योंकि किसानों को यह विश्वास दिलाया गया है कि अगली बार जब चुनाव होने पर ऋण फिर माफ किए जाएंगे। बैंकिग प्रणाली और किसानों को कठिनाई हुई है। मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों का यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि ऋण माफी जैसे उपाय न अपनाए जाए।

[हिन्दी]

ऋणों का वापस लौटाया जाना

***586. श्री xगुमान मल लोढा :**

श्री नीतिश कुमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गये ऋणों को समय पर वापस नहीं लौटाया जाता ;

(ख) यदि हां, तो 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गये ऋणों की कितने प्रतिशत धनराशि को निर्धारित अवधि में वापस लौटा दिया गया ;

(ग) उक्त तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने मामलों में बड़ी धनराशि अर्थात एक करोड़ अथवा इससे अधिक रुपयों के ऋणों को समय पर वापस नहीं लौटाया गया ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) औद्योगिक संस्थाएं वित्तीय संस्थानों को ऋणों की वापसी आदायगी, ऋण दस्तावेज में शामिल किए गए वापसी अदायगी अनुसूची और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार करती हैं। वित्तीय संस्थानों अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि०,. भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक को देय राशियों की वसूली का प्रतिशत 1990-91, 1991-92 और 1992-93 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान निम्नलिखित रहा :–

(प्रतिशत) *

	1990-91	1991-92	1992-93
आई डी बी आई	84	84	90
आई एफ सी आई	80	80	80
आई सी आई सी आई	81	77	78
आई आर बी आई	54	50	46

*आंकडे पूर्णांकों में

(ग) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान ऐसे मामलों की संख्या जिनमें बकाया ऋण राशि एक करोड़ रुपए या अधिक है और जिनकी वापसी अदायगी नहीं की गई है, को नीचे दर्शाया गया है :-

(संख्या)

	1990-91	1991-92	1992-93
आई डी बी आई	340	404	304
आई एफ सी आई	242	262	271
आई सी आई सी आई	116	265	216
आई आर बी आई	102	110	117

(संख्याओं का योग नहीं किया गया है क्योंकि एक ही कंपनी का नाम हो सकता है एक से अधिक संस्थानों के मामले में आया हो)

(घ) देय राशियों की वसूली के लिए इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा उठाए गए कदमों के अतिरिक्त, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय राशियों के शीघ्र निर्णयन और वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 को अधिनियमित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के चूककर्ता उधार लेने वालों के संबंध में जानकरी देने के लिए दिनांक 23 अप्रैल 1994 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के नाम मार्गनिर्दश जारी किया है। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं एक करोड़ रु. और अधिक की कुल बकाया (निधिबद्ध और गैर निधिबद्ध दोनों) वाली संदिग्ध, हानि और मुकदमा–दायर वर्गों में वर्गीकृत सभी उधार खातों के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराएं और भारतीय रिजर्व बैंक इस जानकारी को सभी बैकों और वित्तीय संस्थाानों में परिचालित करें तथा बैंक और वित्तीय संस्थान विद्यमान और नए संघटकों की नई या अतिरिक्त ऋण सीमाएं के अनुरोध पर गुण–दोषों के आधार पर विचार करते समय इनका सदुपयोग करें। इस प्रकार एकत्रित सूचना के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक एक पुस्तिका के रूप में मुकदमा–दायर मामलों की सूची प्रकाशित करेगा और छमाही आधार पर उसे अद्यतन करेगा।

श्री गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है उससे स्पष्ट होता है कि 54 प्रतिशत जो उदार रकम पब्लिक सैक्टर फायनेश्यल इंस्टीट्यूशंस की दी हुई है इंडस्ट्रीज को वह इर्रिकवरेबल डैट, यानी वापस वसूल नहीं हो सकते हैं, उसमें शुमार किया जा रहा है और इसके बाद 1991-92, 1992-93 में एक करोड़ से ज्यादा रकम जिनको दी गई है और जो नहीं दे रहे हैं वह हर साल लगभग 800 या 800 से अधिक इंडस्ट्रीयस हाउसेस हैं। मैं इसके साथ में मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1994 को एक प्रस्ताव यह पारित किया है कि एक "हू इज हू" निकाली जाएगी "हमारो दिवालिया उद्योग" के नाम से। जो एक करोड़ रुपए से ऊपर की रकम नहीं दे रहे हैं उनके बारे में जनता को पूर्ण रूप से डिस्क्लोजर किया जाएगा और यह सारे फायनेश्यल इंस्टीट्यूशंस व पब्लिक सैक्टर के बैंक रिजर्व बैंक को भेजेंगे

और रिजर्व बैंक इन दिवालिया उद्योगों के बारे में हूं इज हू की हर 6 महीने के बाद तक पुस्तक निकालेगी। ऐसी डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं–मेरा पहला प्रश्न यह है कि ये जो 54 प्रतिशत दिवालिया रकम हुई है 1992-93 में, इसमें अधिक तो नहीं कम से कम पहले 5 उद्योगों के नाम बताएं जिनके नाम इन 54 में है और रकम बताएं कि कितनी–कितनी रकम बकाया है ? मेरे प्रश्न का भाग "ख" यह है कि यह बताएं कि 1990-91, 1991-92, 1992-93 में ये थे जो 800 करोड़ से ज्यादा बताए हैं इन उद्योगों में जिनके एक करोड़ रुपए से ज्यादा बैड डैट हो चुके हैं, इर्रीकवरेबल डैट हो रहे हैं, उनमें से कई लोगों को आप प्राइवेट बैंक के लाइसेंस या परमीशन देने वाले हैं ? इन दो प्रश्नों "क" और "ख" का उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी देने की कृपा करें ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, अपेक्षित जानकारी पहले ही प्रश्न के भाग (ख) में दी गई है। रिजर्व बैंक के इस नई योजना के बारे में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 23 अप्रैल, 1994 को मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं। इस नई योजना को भविष्य में लागू किया जाएगा। इसको भूतलली प्रभाव से लागू करने का प्रश्न ही नहीं है। इसके बाद जब भी कोई दोषी पाया जाएगा इस बारे में सूचना नियमित रूप से रिजर्व बैंक को भेजी जाएगी। रिजर्व बैंक द्वारा यह जानकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दी जाएगी जहां चूक से मामले सामने आयेंगे उनकी जानकारी की जाएगी। अतः यह प्रणाली भविष्य में आरम्भ की जाएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप यह जानकारी संसद को उपलब्ध क्यों नहीं करवाते ?

श्री मनमोहन सिंह : यदि यह सार्वजनिक हो जाती है तो इसे संसद को भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि 5 टाप इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेस कौन से हैं जिनके ऊपर 1 करोड़ से अधिक ऋण की रकम बकाया है, जो आपने इसमें फीगर्स दी हैं, उनके अनुसार।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 40-42 वर्ष तक लगातार हमारे सारे प्राइवेट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर के बैंक जितने भी थे वे रिजर्व बैंक से यह बात छिपाते रहे कि कौन–कौन से ऐसे बड़े–बड़े उद्योग हैं जो दिवालिए हो चुके हैं, जो बैड डैट हो चुके हैं, जिनके इर्रिकवरेबल डैट है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गुमराह करते रहे, मिस गाइड

करते रहे, उनसे कंसील करते रहे ? आपके हिसाब से प्रॉस्पैक्टिव होगा, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इनको नहीं बताया ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी कृपाया अपनी बात संक्षिप्त रखिए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पिछले 40-42 साल से क्या अब तक नहीं बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और क्या अब तक आपके नालेज में नहीं है कि कौन से ऐसे इंडस्ट्रीयल हाउसेस हैं जिनके क्रैडिट 8 हजार करोड़ रुपए के करीब हैं जैसा कि आपके बैंक के अकांउट्स में है और जो इर्रिकवरेबल हैं उनमें से 5 टाप इंडस्ट्रीयल हाउसेस के नाम बताने का निवेदन मैंने आपसे किया है ?

अध्यक्ष महोदय : नही लोढा जी, उन्होंने कह दिया है कि उनके पास अभी वह जानकारी नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटैक्शन चाहूंगा। यदि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास उन 5 इंडस्ट्रीयल हाउसेस के नाम नहीं हैं, या वे जनता को नहीं बताना चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय : प्लीज नहीं, ऐसा नहीं।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह होगा कि वे भारत की जनता से इस बात को छिपाना चाहते है कि वे कौन से ऐस व्यक्ति हैं। जब हमारे यहां पर इतने बड़े डैट हर साल होते जा रहे हैं, तो उनको कम से कम बताना तो चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय, मेरी सैकिंड सप्लीमेंट्री यह है कि यह जो "द रिकवरी ऑफ डैट ड्यू टु बैकंस एण्ड फानेंसियल इनस्टीट्यूशन एक्ट, 1993" यह आपने लागू किया है, तो इस एक्ट को लागू करने के बाद इन सिमबल्स के अंदर आपकी कितनी रिकवरी हुई है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुल मिला कर बात सही नहीं है कि हमारे वित्तीय संस्थाओं के पास अनिष्पादन संपतियों की अत्यधिक लम्बी सूची है। उदाहरण के लिए 31 मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार संपति वर्गीकरण के आंकड़े से पता चलता है कि आई.सी.आई.बी.आई. के मामले में मानक परिसंपतियां 92.5 प्रतिशत, आई.सी.आई.सी.आई. के मामले में 91.2 प्रतिशत, और आई.आर.बी.आई. के मामले में 70.3 प्रतिशत है। आई.आर.बी.आई. के मामले में समस्या है ऋण का एक बड़ा भाग रुग्ण इकाइयों को दिया गया है, अतः इसका अनुपात 34.5 प्रतिशत है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो तस्वीर प्रस्तुत की है वह वर्तमान स्थिति के अनुरूप तथ्यों पर आधारित नहीं है।

ऋण वसूली के संबंध में पहला अधिकरण गठित कर दिया गया है, इसने इसी माह से काम करना शुरू किया है और यह जल्दबाजी होगी कि वसूली के कितने मामलों को कारगर ढ़ंग से निपटाया गया है।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी थी आर.बी.आई. टू रिलीज लिस्ट ऑफ डिफौल्टर्स। इसी से मुझे सवाल पूछने की प्रेरणा मिली। मुझे आश्चर्य हुआ कि लोढा जी के सवाल के उत्तर में ये बता नहीं सके। जिस सरकार के पास यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कौन–कौन से बड़े लोग हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का धन ऋण के रूप में लेकर पचा गए हैं, उस सरकार का मालिक भगवान है, उसके मालिक डा. मनमोहन सिंह नहीं हो सकते।

छोटे–छोटे उद्यम और छोटे–छोटे लोग, जो बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है, यह हम समाज में रोज देखते हैं। एक लाख या पचास हजार रुपया ऋण ले लिया तो उसके पूरे घर की चल, अचल सम्पत्ति को नीलाम कर दिया जाता है। लेकिन एक करोड़ से ऊपर ऋण लेने वाले लोगों पर अभी नैतिक दबाव डालने के लिए उनका नाम रिजर्व बैंक पब्लिश करेगी। अब यह आया है कि 23 अप्रैल को निर्णय हुआ है कि सरकार उनके नाम एक बुकलैट में प्रकाशित करेगी। पता नहीं ऐसे अनैतिक लोगों पर नैतिक रास्ते का क्या असर पड़ने वाला है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि वह कौन से दंडात्मक व्यवस्था करेगी ? क्या उसी प्रकार का ट्रीटमैंट उन बड़े लोगों के साथ किया जाएगा जिस प्रकार का ट्रीटमैंट बैंक और फाईनैंशल इंसटीट्यूशन्स छोटे–छोटे उद्यमों पर करते हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : मैंने पहले ही कहा है कि हम ऋण वसूली के लिए इस कानून को विशेष रूप से इस दृष्टि से लाए हैं ताकि ऋणों की वसूली के लिए हमारी बैंकिंग प्रणाली को पप्रर्याप्त अधिकार मिल सकें। मैं समझता हूं कि यह कानून लाने के लिए हमें कुछ श्रेय मिलना चाहिए। इसके बाद 10 लाख से अधिक के सभी बैंक ऋण अधिकरण के विचारार्थ मामले होंगे, उन्हें अधिकरण को भेजा जाएगा, ये वसूली अधिकरण इन ऋणों की शीघ्र वसूली करेंगे यद्यपि इसमें अपील करने का भी प्रावधान होगा। लेकिन हमने पहली बार ऐसी व्यवस्था की है जो इन ऋणों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करेगा।

श्री लोक नाथ चौधरी : उत्तर में चूककर्ताओं की संख्या देते समय यह कहा गया है कि :

"संख्याओं का योग नहीं किया गया है क्योंकि एक ही कम्पनी का नाम हो सकता है एक से अधिक संस्थाओं के मामले में आया हो।"

अतः मैं जानना चाहता हूं कि कितनी कम्पनियों ने एक संस्थान के नाम पर ऋण लिया है और फिर उसी कम्पनी के दूसरे संस्थान के नाम पर ऋण लिया है। इस तरह से उन्होंने ऋण अदायगी से बचने की परंपरा बना ली है। मैं जानना चाहता हूं कि इन कारणों को पुस्तिका में प्रकाशित किया जाएगा या नहीं ?

श्री मनमोहन सिंह : यह बात सच है कि बहुत से बड़े ऋण संस्थानों द्वारा निजी तौर पर नहीं दिए गए हैं बल्कि वे संकाय ऋण होते हैं। अतः यदि कोई इकाई रुग्ण हो जाती है तो संभव है कि वह संकाय में सभी घटक सदस्यों की अदायगी में चूक कर रहा हो।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, रिकवरी ऑफ डैट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनैंशल इंस्टीयूशन्स ऐक्ट 1993 को सरकार आर्डिनैन्स के तौर पर लायी। यह आर्डिनैन्स पिछले साल की जून को आया था और 19 अगस्त को पास हुआ। दूसरे सदन में 17 अगस्त को पास हुआ और 27 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने इसको स्वीकृति दी। आज यहां पर मंत्री जी ने दो बातें कहीं। केवल कलकत्ता में एक ट्रिब्यूनल पिछले महीने की 27 तारीख को, यह प्रश्न पेश होने के बाद बैठाया है। आपकी योजना है कि 10 शहरों में यह नियुक्त होना है लेकिन अभी तक उनको नियुक्त नहीं किया गया है। क्या यह सही नहीं है कि आपने निजी बैंकों के जिन लोगों को लाइसेंस दिये हैं, उनमें से कई ऐसे घराने है जिन पर बैंकों का बकाया पैसा 8 हजार करोड़ रुपये का है ? वह आर्डिनैन्स आने के बाद आपके ऊपर या सरकार के ऊपर किसी भी स्तर पर जो बातें हो गई, जो दबाव डाला गया, इसलिये आर्डिन्स लाकर पास किये गये विधेयक को पिछले वर्ष 24 जून से लागू माना गया है। ट्रिब्यूनल बनाने से रोक दिया। दूसरा अभी जो कहा कि भविष्य के लिये यह ट्रिब्यूनल्स हैं। भविष्य में लोन्स को वसूल करने की बात होगी, तो फिर 24 जून 1993 का कानून लागू मान करके बताया है। क्या पिछली राशि को वसूल करने का इरादा नहीं है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : जी नहीं। यह सच नहीं है। वे सभी बकाया-राशि की वसूली करेंगे, चाहे वह राशि किसी भी समय से बकाया हो। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि न्यायधिकरणों की स्थापना में थोड़ा विलम्ब हुआ है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं अध्यादेश की बात कर रहा हूं। इस विधेयक को एक अध्यादेश के द्वारा लाया गया था जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत मान लिया गया है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं मानता हूं कि थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन यह समयाभाव के कारण नहीं हुआ है। हम अपेक्षित योग्यताओं वाले लोगों को पर्याप्त संख्या में पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। अनेक लोगों ने इस नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया है। यही कारण है कि विलम्ब हुआ है। किन्तु, मुझे आशा है कि आगामी कुछेक महीनों में ये सभी न्यायाधिकरण स्थापित हो जाएंगे।

जहां तक किसी कोने से दबाव का संबंध है, तो मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न है कि 8,000 करोड़ रुपए उन औद्योगिक घरानों के नाम बकाया पड़े हैं जिन्हें अपने निजी बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है, क्या यह सच है अथवा नहीं ? यदि आपके पास अन्य नाम नहीं हैं तो क्या आप कम से कम इन लोगों के नाम तो बताएंगे ?

श्री मनमोहन सिंह : किन लोगों को बैंक स्थापित करने की अनुमति दी गई है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह तो आप बताएंगे।

श्री मनमोहन सिंह : आप बताइए।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य एक आरोप लगा रहे हैं, अतः उन्हें कोई ठोस सबूत पेश करना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तब आप कह सकते हैं कि यह सच नहीं है।

श्री मनमोहन सिंह : अनुमति नहीं दी गई है। मुझे नहीं मालूम कि वह क्या कह रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा प्रश्न बिल्कुल साधारण सा है। मंत्री जी महोदय कह सकते हैं कि यह सच नहीं है कि किसी पार्टी को, जिसको पैसे देने हैं अथवा जिसके नाम धन–राशि बकाया है, प्राइवेट बैंक स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस दिया गया है। वे तो केवल यही कहेंगे कि मेरे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर इस मुद्दे को उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप वह जानकारी उन्हें दें। वह इसकी पुष्टि करेंगे अथवा इसका खंडन करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्हें पुष्टि अथवा खंडन करने दें।

अध्यक्ष महोदय : जी हां। वे आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रायः विभिन्न वित्तीय संस्थायें औद्योगिक क्षेत्र के लिये दिये गये ऋण को नहीं लौटती है या समय पर नहीं लौटती है। परिणामस्वरूप आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई. और आई. आर.बी.आई. का अरबों रुपया हुआ है। देश के कुछ ऐसे किसान और छोटे उद्यमी हैं जिन के ऊपर 25-30 हजार रुपये का ऋण है और वे उसे चुकाना चाहते हैं लेकिन उनका सूद काफी बढ़ गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश के उन लोगों का सूद माफ करके ऋण चुकाने की आप कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे पता है, मैं अपनी याद से बोल रहा हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे किसानों तथा अन्य ऋण लेने वालों के ऋणों पर विचार करने के लिए ऐसे दिशानिर्देश जारी किए हैं कि जहां कुल धन–राशि ब्याज सहित वापस कर दी गई है और यदि ब्याज की राशि मूलधन के बराबर हैं, तो बैंकों को इसके न्यायालय बाह्य शीघ्र निपटारे का प्रयास करना चाहिए ऐसे दिशानिर्देश पहले से विद्यमान हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

वायुदूत

***585. श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वायुदूत के कितने विमान किन–किन मार्गों पर चल रहे हैं ;

(ख) वायुदूत को उसके कुछ विमानों को जनवरी, 1994 से मार्च, 1994 तक न चलाए जाने के कारण प्रतिमाह कितना घाटा हुआ है ;

(ग) वायुदूत में कुल कितने पायलट सेवारत हैं तथा उनमें से इस समय कितने पायलटों की सेवाओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ; और

(घ) उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) एक विवरण–पत्र सदन–पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) इस समय वायुदूत के विमान–बेड़े में दो विमान प्रचालन कर रहे हैं।

(ख) वायुदूत द्वारा प्रचालित किसी भी मार्ग पर प्रचालन लागत पूरी नहीं होती है ; इसलिये यदि कम्पनी अपने प्रचालनों में कमी करती है तो इसे कम हानी होती है।

(ग) वायुदूत में 80 विमान चालक हैं जिनमें से 70 एयरलाइन विंग में और 10 कृषि विमानन विंग में कार्यरत हैं। प्रचालनों में कमी करने के कारण विमान चालकों की उड़ानों में कमी आई है।

(घ) वायु दूत के विमानचालकों को नागर विमानन विभाग के अधीन विभिन्न संगठनों में ख पाये जाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

***587. श्री रवि राय :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें भारत

सरकार से अपने आर्थिक सुधारों को नया रूप देते समय मानवीय पहलू को ध्यान में रखने के प्रति सचेत किया गया है जैसा कि 4 अप्रैल, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ग) "तकनीकी अनुसमर्थन सेवाओं के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के अंतर्गत तैयार भारत :– रोजगार, गरीबी तथा आर्थिक नीतियां" शीर्षक वाली रिपोर्ट में प्रेक्षण किया गया है कि सुदृढ़ीकरण उपायों से औद्योगिक मंदी आई है तथा गरीबी–रोधी कार्यक्रमों में सार्वजनिक व्यय में कटौती अंतर्ग्रस्त हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्प रोजगार तथा गरीबी के विस्तार–दोनों के स्तर में सम्भवतः 1991 से वृद्धि हुई है यद्यपि इस की अनुभविक पुष्टि नहीं हो सकती है। "सरकार भावी आर्थिक सुधारों के किन्हीं सम्भावित प्रतिकूल परिणामों से अवगत है तथा इसलिए उसने सुधारों की सामाजिक लागतों को न्यूनतम करने की सचेष्ट नीति अपनाई है। समग्र आर्थिक संशोधन के माध्यम से प्राप्त युक्ति चालन का अनुसरण करते हुए। 1993-94 के दौरान सामाजिक क्षेत्रों के लिए आवेदनों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई। 1994-95 के बजट में सामाजिक क्षेत्रों ग्रामीण विकास तथा गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के लिए उच्चतर आवंटनों की इस प्रक्रिया को आगे ले जाया गया है। 1991 से मुद्रास्फीति की दर को कम करने में सरकार की सफलता गरीबों के लिए लाभप्रद हो सकती है।

[अनुवाद]

कानपुर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम बी आई सी की मिलें

***588. श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम बी आई सी की कानपुर स्थित मिलों में 1973 से वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में न्याय करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) कानपुर में एन टी सी बी आई सी की मिलों में वेतनों में 1973 के पश्चात राज्य सरकार के तत्वाधान में प्रबन्ध मण्डल तथा कामगारों के बीच समझौता वार्ता के आधार पर समय–समय पर वृद्धि की गई है। सरकारी क्षेत्र

के उपक्रमों के स्टाफ के वेतन में समानता का मामला उच्चतम न्यायालय के निर्देशनों पर राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिबयूनल में न्यायाधीन है।

सरकारी कताई मिलें

***589. श्री शातांराम पोतदुखे :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पचंवषीय योजना के दौरान देश में नई सहकारी कताई मिलें स्थापित करने का हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार ऐसी कितनी मिलें कहां–कहां स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता देने का वर्तमान तरीका क्या है ?

वस्त्र मंत्रालयल के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में 40 सहकारी कताई मिलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। राज्य–वार अनन्तिम ब्यौरे निम्न प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश-4, महाराष्ट्र-8, हरियाणा-2, राजस्थान-2, कर्नाटक-4, तमिलनाडु-2, उत्तर प्रदेश-1, केरल-2, असम-2, उड़ीसा-2, बिहार-1, त्रिपुरा-1, मध्य प्रदेश-4, पंजाब-2, प.बंगाल-1, गुजरात-2 ।

(ग) सहकारी कताई मिलों के लिए एन सी डी सी योजना के अन्तर्गत सहायता पद्धति निम्न प्रकार है :

		(परियोजना लागत का प्रतिशत)					
		हथकरघा बुनकर सहकारिता, कताई मिलें	मिलें		उपजकर्ता सहकारिता कताई मिल		
		नई मिलें	व्यय	पद्धति	नई मिलें	व्यय	पद्धति
सामान्य राज्य							
इक्विटी							
(1)	शेयर पूंजी के रूप में सदस्यों का अशंदान	5.00	5.00	-	10.00	10.00	5.00
(2)	राज्य सरकार की शेयर पूंजी						
	(क) अपने स्रोत	22.50	17.50	10.00	20.00	15.00	7.50
	(ख) एन सी डी सी की ऋण सहायता	22.50	17.50	10.00	20.00	15.00	7.50
	उप–जोड़ (2)	45.00	35.00	20.00	40.00	30.00	15.00

	ऋण						
(3)	अवधि ऋण	50	60	80	50	60	80
	कुल	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	सहकारी रूप से अविकसित राज्य						
	इक्विटी						
(1)	शेयर पूंजी के रूप में सदस्यों का अशदान	5.00	5.00	-	7.50	7.50	5.00
(2)	राज्य सरकार की शेयर पूंजी						
(क)	अपना स्रोत	11.25	8.75	10.00	12.50	9.75	7.50
(ख)	एन सी डी सी की ऋण सहायता	33.75	26.25	10.00	30.00	22.75	7.50
	उप–जोड़	45.00	35.00	20.00	42.50	32.50	15.00
	ऋण						
(3)	अवधि ऋण	50	60	80	50	60	80
	कुल	100	100	100	100	100	100

ऋण वसूली संबंधी न्यायाधिकरण

***590. श्री मोहन रावले :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा देय ऋणों की वसूली के लिए दस न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये न्यायाधिकरण कब तक और कहां–कहां स्थापित किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) बैंक तथा

वित्तीय संस्थान को शोध्य वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 5) के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों कों देय ऋणों की वसूली एवं उनसे संबंधित मामलों अथवा उनके प्रासंगिक मामलों का शीघ्र न्यायनिर्णयन करने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर 10 ऋण वसूली संबंधी अधिकरणों तथा एक ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया गया है :

1. दिल्ली
2. बंबई
3. कलकत्ता
4. मद्रास
5. अहमदाबाद
6. बंगलौर
7. गुवाहाटी
8. जबलपुर
9. जयपुर
10. पटना

पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पर अधिकार क्षेत्र वाले ऋण वसूली अधिकरण, कलकत्ता का गठन 27 अप्रैल, 1994 से कर दिया गया है और शेष अधिकरणों की स्थापना पर कार्रवाई चल रही है।

सूती कपड़ा मिलें

*591. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

श्री सत्य नारायण जटिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र में इस समय राज्य–वार कितनी सूती–कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं ;

(ख) उनके बन्द होने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) उनके बन्द होने से कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए ; और

(घ) सरकार ने इन श्रमिकों के पुनर्वास तथा उन मिलों में फिर से उत्पादन शुरू करवाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 29 सूती मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें सरकारी परिसमापन के अंतर्गत बंद पड़ी बताई गई हैं। इन मिलों के बन्द होने से प्रभावित कामगारों की संख्या 61,000 (लगभग) है। 31.1.1994 की स्थिति के अनुसार कुल मिलाकर 127 सूती। मानव निर्मित फाइबर मिलें वित्तीय कठिनाईयों, श्रमिक समस्याओं तथा तालाबन्दी के कारण बन्द पड़ी हुई थी। इन मिलों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न है।

(घ) सरकार ने रुग्ण बन्द पड़ी अर्थक्षम मिलों के संबंध में पुनर्वासन पैकेज तैयार करने तथा उसका प्रबन्धन करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड स्थापित किया है।

विवरण

31-1-1994 की स्थिति के अनुसार बन्द पड़ी हुई सूती। मानव निर्मित फाइबर मिलों के राज्य–वार ब्यौरे।

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	बन्द पड़ी मिलें
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	बिहार	3
3.	गुजरात	35
4.	हरियाणा	1
5.	कर्नाटक	7
6.	केरल	3
7.	मध्य प्रदेश	7
8.	महाराष्ट्र	16
9.	उड़ीसा	2
10.	राजस्थान	5
11.	तमिलनाडु	21
12.	उत्तर प्रदेश	10
13.	प. बंगाल	7
	कुल :	127

"ब्रिज-लोन"

***592. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कंपनियों को "ब्रिज–लोन" मंजूर किये जाने के संबंध में क्या दिशा–निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन बैंकों ने कंपनियों को निर्धारित सीमाओं के अतिरिक्त कुल कितना "ब्रिज–लोन" दिया ;

(घ) क्या सरकार ने बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किए जाने के कारणों की कोई जांच करायी है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ; और

(च) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) ब्रिज–लोन की मंजूरी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ ये भी सम्मिलित है कि ब्रिज–लोन की सीमा सार्वजनिक निगम के प्रत्येक अवसर पर किसी कंपनी द्वारा मांगी गई वास्तविक राशि के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसके लिए सार्वजनिक निर्गम में नियत किया गया है और इन निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि न तो उनके नोटिस में ऐसे उदाहरण लाये गये हैं और न ही ऐसा कोई उदाहरण उनकी जानकारी में आया है कि जब ब्रिज लोन/अन्तरिम वित्त के मंजूर करने में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन हुआ हो।

(ग) से (च) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

विद्युतकरघा श्रमिक

***593. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से विद्युतकरघा श्रमिकों के कल्याण हेतु बनायी गई योजनाओं को कार्यान्वित करने और उन्हें बीमा–सुविधा का लाभ भी देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का पालन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी सहायता देने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से विद्युतकरघा कामगार बीमा योजना का कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया है।

1993-94 में 6 राज्य सरकारों ने विद्युतकरघा कामगार बीमा योजना का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया था। अन्य राज्य सरकारें इसको अपनाने पर सक्रियता से विचार कर रही है।

इस योजना के अन्तर्गत 10,000 रु. के बीमे के लिए 120 रु. वार्षिक प्रीमियम के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा विद्युतकरघा कामगारों को बराबर–बराबर अंशदान करना होगा। इस लिए केन्द्र सरकार बीमाकृत प्रति कामगार को 40 रु. सहायता देगी।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

***594. प्रो० पेम धूमल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य इस समय ओवरड्राफ्ट की समस्या का सामना कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनके खाते में कितनी–कितनी राशि के ओवरड्राफ्ट हैं ; और

(ग) इस समस्या से निबटने के लिए इन राज्यों को कुछ राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य के लेनदेनों की मात्रा के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक राज्य के लिए अर्थोपाय की सीमा अलग–अलग नियत की है। राज्यों को अर्थोपाय सीमा तक अपने खातों से अधिक रुपये निकालने की अनुमति दी जाती है। जब राज्य लगातार 10 कार्य दिवसों से अधिक के लिए अर्थोपाय सीमा से अधिक पैसा निकालते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान रोक देता है।

अधिक धन निकालने की स्थिति दिनों–दिन और राज्य दर राज्य बदलती रहती है। चूंकि यह मामला एक बैंकर और ग्राहक के बीच के संबंधों (भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच) का है अतः भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने खातों से अधिक पैसा निकालने वाले राज्यों के बारे में भारत सरकार द्वारा प्रचार नहीं किया जाता है। यही सुझाव एक राज्य विशेष के ओवरड्राफ्ट के बारे में हाल ही में हुई चर्चा के दौरान संसद द्वारा भी दिया गया था।

(ग) यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने खातों में अपने ओवरड्रफ्ट क्लीयर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली नवम्बर, 1993 से अधिकृत अर्थोपाय ऋणों की सीमा 50% तक बढ़ा दी है। इसके अलावा राज्यों की संसाधन स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से केन्द्र ने उन्हें पहली बार में ही 4511.45 करोड़ रुपये के बाजार ऋण उठाने की अनुमति दे दी थी। अर्थात जो सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए बाजार उधारों के कुल नियतनों का 91.3% है। 4511.45 करोड़ रुपये की राशि जिसे पहली बार में ही उठाने के लिए राज्यों को अनुमति दी गई है, 2644.00 करोड़ रुपये की मूलतः अपेक्षित राशि की तुलना में 1867.45 करोड़ रुपये ज्यादा हैं।

गैर-सरकारी विमान कंपनियां

***595. श्री मनोरंजन भक्त :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर–सरकारी विमान कम्पनियां नागर–विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित नियमों का विशेष रूप से पांच विभिन्न क्षेत्रों में वैध लाइसेंसों वाले इंजीनियरों के न्यूनतम कर्मीदल की व्यवस्था करने के संबंध में पालन कर रही है ,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो दोषी विमान कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या विभिन्न हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाएं गैर–सरकारी विमान कम्पनियों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है ;

(ङ) क्या जनशक्ति और उपकरण दोनों ही अपर्याप्त हैं ; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) निजी प्रचालक यथा अपेक्षा 15,000 कि.ग्रा. और इससे अधिक ऑल अप वेट वाले विमान के मामले में, पांच विभिन्न क्षेत्रों में वैध लाइसेंसशुदा इंजीनियरों की न्यूनतम संख्या बनाए रखने सहित नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित नियमों का सामान्यतः पालन करते रहे हैं। तथापि, जब भी पता चलता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो गलती करने वाले कार्मिकों और प्रचालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

(घ) पत्तन की तरफ, धावनपथ, टैक्सीपथ, एप्रन आदि जैसी भू–सुविधाएं पर्याप्त समझी गयी है। निजी टैक्सी प्रचालकों द्वारा उद्‌भूत यातायात से निपटने के लिए, नगर की तरफ की सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है।

(ङ) और (च) कतिपय हवाई अड्डों पर उपस्कर और जनशक्ति की कमी महसूस की गयी है। किफायत बरतने और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही के लिए, जहां कहीं आवश्यक होता है, सामूहिक प्रयोक्ता टर्मिनल उपस्कर की व्यवस्था की जा रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

***596. श्री फूल चंद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेवाएं समाप्त कर दिये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप करोड़ों ग्रामीण किसान, मजदूर और छोटे दस्तकार जो ऋण लेकर अपनी जीविका चलाते थे, अब इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशी संस्थागत निवेशक

***597. प्रो० उम्मारेडिड् वेंकटेस्वरलु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को विशिष्ट क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है तथा स्टाक और शेयरों में पूंजी निवेश हेतु स्वदेशी और विदेशी निवेशकों के लिए कर संबंधी क्या नियम निर्धारित किए गए हैं ; और

(ग) स्वदेशी और विदेशी निवेशकों के लिए दो अलग–अलग तरह के नियम निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। भारतीय पूंजी बाजारों में निवेश करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) को कोई क्षेत्र–विशिष्ट प्रोत्साहन नहीं दिए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बैंक जमा

***598. श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जमा प्राप्त करने संबंधी क्या मूल लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) क्या बाद में इस लक्ष्य में संशोधन किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 की प्रथम छमाही के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल, 1993 में घोषित की गयी मुद्रा तथा ऋण नीति में उक्त अवधि के दौरान 12% तक अनुमानित मुद्रा प्रसार को मद्देनजर रखते हुए, वर्ष 1993-94 के लिये कुल बैंक जमाराशि वृद्धि का प्रारंभिक अनुमान, 34750 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। अलबत्ता, वर्ष 1993-94 की पहली छमाही में मुद्रा प्रसार और बैंक जमाराशियों में वृद्धि की स्थिति को देखने के पश्चात अक्तूबर 1993 में उक्त प्रारंभिक अनुमान, 34750 करोड़ रुपये से संशोधित करके 39000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह महसूस किया गया कि वर्ष की पहली छमाही में प्रारम्भिक मुद्रा प्रसार काफी अधिक हुआ था और उसका कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये निवल ऋण में भारी वृद्धि और निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में सुधार था। वर्ष की पहली छमाही में प्राथमिक नकदी में मजबूत वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, यह अनुमान लगाया गया था कि अप्रैल 1993 में अनुमानित 12% की वृद्धि की तुलना में 1993-94 के पूरे वर्ष में मुद्रा प्रसार तकरीबन 14% होगा। मुद्रा प्रसार में वृद्धि में संशोधन के समनुरूप वर्ष 1993-94 के लिये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में वृद्धि का प्रारंभिक अनुमान भी ऊपर उल्लिखित के अनुसार संशोधित कर दिया गया था।

भारतीय पटसन निगम

*599. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उत्पादकों से सीधे ही अपरिष्कृत पटसन की खरीद करने हेतु भारतीय पटसन निगम को कुल कितनी धनराशि दी गई और गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय पटसन निगम ने कुल कितने पटसन की वास्तविक खरीद की ;

(ख) उक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार ने पटसन का कितना–कितना समर्थन मूल्य घोषित किया;

(ग) क्या 1991-92 से पश्चिम बंगाल में भारतीय पटसन निगम के खरीद केन्द्रों की संख्या में निरन्तर कमी आयी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पटसन निगम को दी गई धनराशि तथा वास्तविक खरीद की मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	दी गई धनराशि की मात्रा (करोड़ रु. में)	की गई खरीद	
		पश्चिम बंगाल	सम्पूर्ण भारत
1991-92	12.00	355.3	618.1
1992-93	32.00	626.5	916.7
1993-94	24.00	4.9	7.0

(ख) अपरिष्कृत पटसन की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा केवल टी डी–5 किस्म (एक्स–असम) के लिए की जाती है। अन्य किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इसी आधार पर परिकल्पित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान घोषित की गई कीमतें निम्न प्रकार है :

वर्ष	टी डी-5 (एक्स असम) का न्यूनतम मूल्य
1991-92	375 रु.
1992-93	400 रु.
1994-95	450 रु.

(ग) और (घ) 1991-92 में पश्चिम बंगाल में भारतीय पटसन निगम के 116 खरीद केन्द्र थे। इन केन्द्रों में से किसी को भी बन्द नहीं किया गया है।

इलायची

*600. **प्रो० पी.जे. कुरियन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और ग्वाटेमाला में इलायची का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना–कितना है ;

(ख) इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ;

(ग) क्या भारत में वैज्ञानिकों द्वारा इलायची की अधिक पैदावार देने वाली नई किस्में विकसित की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) भारत और ग्वाटेमाला में प्रति हेक्टेयर इलायची का उत्पादन नीचे दिया जा रहा है :

भारत : वर्ष 1993-94 में 110 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर।

ग्वाटेमाला : हाल ही के वर्षों में लगभग 200 कि.ग्रा प्रति हेक्टेयर।

(ख) प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड ने लघु एवं दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू किए हैं, जैसे—उत्तम क्वालिटी की पौंध सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, पुराने/जरासूचक बागानों में पुनः पौधरोपण, सिंचाई संवर्धन एवं फसल—बाद बेहतरी के उपाय तथा फील्ड ऑफिसरों के जरिये कृषिकों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना।

(ग) जी, हां।

(घ) मसाला बोर्ड के भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान ने केरल के लिए इलायची की अधिक पैदावार देने वाली दो किस्में जारी की हैं जिनके नाम हैं आई.सी.आर.आई-1 और आई.सी. आई -21 मसाला बोर्ड के आई.सी.आर.आई के सबलेस्पुर क्षेत्रीय केन्द्र में विकसित एस.के.पी.-14 नामक एक अन्य किस्म कर्नाटक के लिए जारी की गई है।

[हिन्दी]

कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करना

6469. श्री सुरेन्द्र पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे एककों को कहां—कहां स्थापित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने उत्तर प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों को लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न हीं नहीं उठते।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम

6470. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम ने राज्य में काष्टशिल्प, कांस्य शिल्प, हस्त छपाई, कालीन बुनाई, मृष्टमूर्ति शिल्प, बांस शिल्प जैसे कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, भोपाल से प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित स्थिति तथा उन पर की गई कार्यवाई निम्नोक्त प्रकार है :

(1) 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, भोपाल से हस्तशिल्प की प्रदर्शनी–सह–बिक्री संबंधित 14 प्रस्तावों से सम्बन्धित व्यय का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, जो 10.69 लाख रुपये बैठता है।

(2) निगम से 1993-94 के दौरान किसी भी शिल्प में प्रशिक्षण के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तथापि जरी, चिकन शिल्प, बांस शिल्प, वस्त्रों पर छपाई तथा घंटा–धातु के लिए 1992-93 में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि निगम अपने पहले के कार्यक्रमों के लिए प्राप्त अनुदान सम्बन्धी लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

(3) 1993-94 के दौरान शिल्प विकास केन्द्र के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए, इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि निगम द्वारा धातु और काष्ठ नक्काशी शिल्प के लिए पूर्व–स्वीकृत शिल्प विकास केन्द्र, जगदलपुर और ग्वालियर में कालीन विनिर्माण केन्द्र को संतोषजनक रूप से स्थापित करने में विलम्ब हुआ।

(4) 1993-94 के दौरान भोपाल में शिल्प बाजार और गोहर महल, भोपाल में शिल्पी हाट बाजार आयोजित करने संबंधी निगम के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई और क्रमशः 6.30 लाख रुपये और 15.50 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

(5) 1993-94 के दौरान नई दिल्ली में एम्पोरियम के नवीकरण से संबंधित निगम के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई और 4.50 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की उद्यम पूंजी कोष योजना

6471. श्री बी. देवराजन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा प्रौद्योगिकियों और नये आविष्कारों के समावेशन और इन्हें अपनाने संबंधी अपनी उद्यम पूंजी कोष योजना के विस्तार–क्षेत्र के संबंध में अपनी नीति को उदार बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उसने अपने उद्यम पूंजी निधि योजना (बी.सी.एफ.) को उदार बना दिया है। उदार वी.सी.एफ. योजना उन उद्यमों को प्रोन्नत बनाएगी, जो देशी अनुसंधान और विकास तथा आयातित प्रौद्योगिकियों एवं नवोत्पादों के अनुकूलन पर आधारित होंगे। तथापि, वी.सी.एफ. योजना के प्रसार क्षेत्र में विस्तार किया गया है, जिस में नवीन प्रकार के नवोत्पादों एवं सेवाओं को शामिल किया गया है, जो अपने जीवन–चक्र के प्रारम्भिक स्तर पर है और जिनमें विकास और जोखिम के लिए पर्याप्त वृद्धि की संभावना है। प्रत्येक परियोजना की लागत की अधिकतम सीमा भी 150 लाख रुपए से बढ़ाकर 500 लाख रुपए कर दी गयी है। जिन उद्यमों की लागत 500 लाख रुपए से अधिक है, उन पर भी गुण–दोषों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, वी.सी.एफ. योजना के तहत सहायता अब केवल स्थिर आस्तियों के सृजन, विकास व्ययों तथा कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन राशि के लिए ही उपलब्ध नहीं होगी, जैसाकि अब तक होता रहा है, बल्कि वाणिज्यिक परिचालनों के दौरान कोर चालू परिसम्पत्तियों के लिए भी चयनात्मक रूप में उपलब्ध होगी। वी.सी.एफ. योजना के तहत अब तक, आई.डी.बी.आई. की सहायता, मुख्य रूप से सावधि ऋणों, सशर्त ऋणों आदि जैसी लिखितों के रूप में थी। उदारीकृत वी.सी.एफ. योजना में ईक्विटी, परिवर्तनीय ऋणों तथा कार्यशील पूंजी सावधि ऋणों जैसी अन्य सहायता के रूप में भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में धांधली

6472. श्री एन.जे. राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में व्याप्त अनियमितताओं/धांधली के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ–साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सूचना प्रणाली से सामान्यतः देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अथवा उनकी शाखाओं के कार्यकरण से संबंधित शिकायतों की संख्या प्राप्त नहीं होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने निदेशक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और मार्गनिर्देशों के तहत और नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक के साथ–साथ सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। सरकार सहित विभिन्न स्तरों पर जब कभी शिकायतें प्राप्त होती है, तो सम्बद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन अथवा प्रायोजक बैंक अथवा नाबार्ड द्वारा यथास्थिति अनुसार जांच की जाती है। ऐसी जांचों के पूरा होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

खेप के आधार पर निर्यात

6473. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि राष्ट्र कुल देशों और पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात हेतु धन वसूली की समय सीमा बढ़ाने के अलग–अलग अनुरोधों पर उसके माल की खेप के गुण–दोष के आधार पर विचार किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उन खेप निर्यातों के संबंध में समय सीमा संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है, जिन पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम–1973 लागू होता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) खेप के आधार पर निर्यात नीति जिसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, केवल इस स्थिति में खेप के आधार पर निर्यात की अनुमति देता है, जहां निर्यात प्रक्रियाओं को छह महीनों के अन्तर्गत पूरा किया गया हों छह महीनों की समय सीमा 15 महीनों के लिए बढ़ायी जा सकती है यदि विदेशों में स्थापित भारतीय स्वामित्व के भांडागार भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से निर्यात करते हैं। सी.आई.एस. और पूर्व यूरोपीय देशों को भारत के निर्यात के पुनरूत्थान और वृद्धि को प्रोत्साहन दिए जाने के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वसूली के लिए छह महीनों की निर्धारित अवधि से अधिक 12 महीनों की अवधि तक बढ़ाए जाने के लिए खेप पर आधारित निर्यात माल के इच्छुक भारतीय निर्यातकों के निवेदन पर विचार किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय को बढ़ाए जाने के ऐसे निवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब निर्यात के विषय में मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा हो।

विद्युतकरघा के श्रमिक

6474. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश के विद्युत करघा श्रमिकों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ज्ञापन में उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं ; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश के वारगंल जिले के थोरूर में स्थित ककटिया वस्त्र बुनकर सहकारी समिति लि०, से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) ककटिया वस्त्र बुनकर सहकारी समिति लि., थोरूर, जिला वारगंल, आन्ध्र प्रदेश ने कहा है कि उनके पास 4,64,40,000 रु. के कुल परिव्यय से 100 विद्युतकरघों का काम्पलैक्स स्थापित करने की एक योजना है और यह कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, थोरूर, आन्ध्र प्रदेश, आई.डी.बी. नई दिल्ली, एस.ई.टी.डब्ल्यू.ए.आर, वारगंल, आन्ध्र प्रदेश और आई.आर.डी.पी. से अनुरोध किया है। भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता लेने का विचार नहीं है।

(ग) यह संस्थान अपने मानदण्डों के अनुसार प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक

6475. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो एक ही क्षेत्र को ऋण देने से रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर सरकारी क्षेत्र के ये बैंक शीर्षस्थ बैंक द्वारा निर्धारित प्राथमिकता और सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों का कड़ाई से पालन करें, क्या सुरक्षोपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण केन्द्रीकरण सीमायें निर्धारित की हैं जिसके अनुसार गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित बैंक, किसी एक ऋणकर्ता के संबंध में स्वामित्व वाली निधियों के 25% से अनाधिक और किसी समूह के संबंध में 50% से अनधिक एक्सपोजर नहीं ले सकते हैं। बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होता है जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक नजदीकी आधार पर निगरानी रखता है।

निर्यात लक्ष्य

6476. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) यह लक्ष्य कितना पूरा हो गया है ;

(ग) निर्यात में धीमी वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या नीति अपनायी गयी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के निर्यात लक्ष्य–निष्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	करोड़ रुपये		मिलियन अमरीकी डालर	
	लक्ष्य	निष्पादन	लक्ष्य	निष्पादन
1992-93	57850	53688	20132	18537
1993-94	70842	72806*	22138	22173*

* अनन्तिम आकड़े

वर्ष 1993-94 का निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। किन्तु, वर्ष 1992-93 में निर्यात निष्पादन उस वर्ष के लक्ष्य की तुलना में कम था। इसके कारण थे विश्व व्यापार में धीमी वृद्धि, औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में मन्दी तथा सी आर एस और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार में तेजी से गिरावट, आदि।

(घ) आठवीं योजना अवधि में निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने व्यापार के उदारीकरण के लिए बड़े–बड़े कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं निर्यात सम्बद्ध आयात की सुविधा, निर्यात प्रोत्साहनों को मजबूत करना तथा नीतियों और क्रियाविधियों को सरल बनाकर क्रियाविधि विषयक कठिनाइयों को दूर करना एवं प्रशुल्क दरों के स्तर और विस्तार दोनों में धीरे–धीरे कटौती करना। निर्यात के लिए विशेष रूप से उत्पादन बढ़ाने और प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने के लिए गुणवत्ता में सुधार करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में बैंक शाखाएं बन्द करना

6477. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कई बैंक बंद करने और निजी क्षेत्र बैकों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र के बैंक आंरभ करने हेतु यह बैंक बंद करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जायेंगे ;

(ग) राजस्थान में कौन–कौन से बैंक और उनकी कौन–कौन सी शाखाएं बंद किए जाने का विचार है और इन बैंकों/शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को किस प्रकार समायोजित किया जायेगा ; और

(घ) इन बैंकों में हुई धोखाधड़ी की घटनाओं और बकाया ऋण राशि की वसूली के मामले में तथा बंद किये जाने वाली इन बैंकों के भवनों के भविष्य में इस्तेमाल करने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) इस समय किसी बैंक को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता, वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (नरसिंहम समिति) की सिफारिशों के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने नए गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश

के संबंध में जनवरी, 1993 में विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। अब तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने नए गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत दो लाइसेंस जारी किए हैं।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास

6478. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बनाते की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी धनराशि स्वीकृति की गई ;

(ख) इन परियोजनाओं को किन–किन स्थानों पर लागू किया जाना था ;

(ग) इनमें से कौन–कौन सी परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं ;

(घ) इनमें से प्रत्येक परियोजनाओं पर अब तक कितनी–कितनी धनराशि खर्च की गयी है ;

(ङ) शेष परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए 203.76 लाख रु. की उन्नीस परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की। परियोजनाओं के नाम और स्थान, स्वीकृत राशि और अवमुक्त राशि और परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(लाख रु. में)

क्रम. स.	परियोजना का नाम	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत वर्ष	रिलिज की गई राशि	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	सांची में जलपान–गृह	1985-86	8.32	7.82	पूरी हो गयी
2.	केसकल, (बस्तर जिला) में मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	–वही–	4.90	2:00	पूरी हो गयी
3.	जगदलपुर (बस्तर) में पर्यटक परिसर का निर्माण	–वही–	31.86	17.00	कार्य चल रहा है

1	2	3	4	5	6
4.	मान मन्दिर, ग्वालियर में ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन	–वही–	28.83	28.83	पूरी हो गई
5.	सांची, खजुराहो (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से)	–वही–	3.00	2.00	पूरी हो गई
6.	बांदवगढ़ के लिए मिनी बसें	–वही–	4.06	4.06	खरीद ली गई हैं।
7.	शिवपूरी के लिए जीपें	–वही–	2.02	2.02	खरीद ली गई हैं।
8.	कान्हा के लिए मिनी बसें	–वही–	4.06	4.06	खरीद ली गई हैं।
9.	व्यावरा (राजगढ़) में मार्गस्थ सुख–सुविधाओं (मोटल) का निर्माण	वही–	18.36	15.00	कार्य चल रहा है।
10.	कंकर (दंतेवाड़ा से स्थानान्तरित) में जल पान गृह व शोचालय की सुविधाओं का निर्माण	1988-89	12.54	6.00	कार्य चल रहा है।
11.	कावरधा(राजनन्दगांव) में मार्गस्थ सुख–सुविधाए	1988-89	18.36	13.00	कार्य चल रहा है।
12.	चित्रकूट (बस्तर) में जलपान गृह व शौचालय सुविधाओं का निर्माण	1988-89	12.54	10.00	कार्य चल रहा है।
13.	चन्देरी में गार्गस्थ सुख–सुविधाएं	–वही–	9.05	4.00	कार्य चल रहा है।
14.	कटेरा (मोराना) में मार्गस्थ सुख–सुविधाएं	–वही–	8.05	7.55	कार्य चल रहा है।
15.	बीर सिंह देव पैलेस, दतिया की प्रकाश पुंज व्यवस्था	–वही–	2.12	2.12	शुरू हो गया है।
16.	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए मिनी बसों की खरीद	1989-90	7.03	6.30	खरीद ली गयी है।

1	2	3	4	5	6
17.	खलघाट (धार) में मार्गस्थ सुख–सुविधाएं	–वही–	14.87	10.00	कार्य चल रहा है।
18.	ओरछा (टीकमगढ़) के समीप फिशिंग हट्स	–वही–	6.44	4.00	पूरी हो गई है।
19.	दतियां में मार्गस्थ सुख–सुविधाएं	–वही–	8.35	7.00	कार्य चल रहा है।
		जोड़	203.76	152.76	

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भण्डार

6479. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) 1 अप्रैल, 1994 तथा 1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में एस.डी.आर. डालर और रुपए में विदेशी मुद्रा का कितना भण्डार था ;

(ख) 1993-94 के दौरान कुल कितना अतिरिक्त विदेशी ऋण था ;

(ग) 1993-94 के दौरान कुल कितना अतिरिक्त विदेशी अनुदान था ; और

(घ) ताजा अनुमान के अनुसार 1994-95 के दौरान किये जाने वाले मूल धन के पुनर्भुगतान सहित वर्तमान ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च, 1993 और मार्च, 1994 के अंत में देश के विदेशी मुद्रा भंडारों (सोने और एस.डी.आर. सहित) का स्तर निम्नप्रकार है :

	मिलियन एस डी आर में	मिलियन अमेरिकी डालर में	करोड़ रुपए में
मार्च 1993 के अंत में	7043	9832	30745
मार्च 1994 के अंत में	13630	19254	60420

(ख) 1993-94 के दौरान अतिरिक्त विदेशी ऋणों का अनुमान लगभग कुल 6 बिलियन अमेरिकी डालर गया है जिसमें सरकारी और गैर–सरकारी खाते, विदेशी वाणिज्यिक उधारों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण शामिल हैं।

(ग) 1993-94 के दौरान अतिरिक्त विदेशी अनुदान लगभग कुल 250 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के होंगे।

(घ) 1994-95 के दौरान मूलधन की वापसी अदायगी सहित विद्यमान ऋणों के परिशोधन पर भुगतान की जाने वाली राशि विविध ऋण परिशोधन अनुसूचियों, वर्ष के दौरान अनुवर्ती निकासियों के संदर्भ में भुगतान किए जाने वाले ब्याज और वर्ष के दौरान यदि कोई पहले भुगतान किया जाना हो तो उन पूर्व–भुगतानों जैसे अन्य घटकों पर निर्भर करेगी। इसलिए, भविष्य की ऋण शोधन आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। तथापि, अनन्तिम नवीनतम अनुमान प्रकट करते हैं कि 1994-95 के दौरान मूलधन की वापसी अदायगी सहित विद्यमान ऋणों को चुकाने में लगभग 10.5 बिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया जाएगा।

मसालों के निर्यात के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता

6480. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मसालों के उत्पादन और अच्छी किस्म के मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सहायता दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से कितनी सहायता प्राप्त की है अथवा मांगी है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी) तीन वर्षों की अवधि के लिए "प्रोमोटिंग क्वालिटी ऐंड एक्सपोर्ट आफ इंडियन स्पाइसेज" नामक परियोजना कार्यान्वित करने के लिए सहायता दे रहा है। परियोजना का उद्देश्य है गुणवत्ता को बढ़ाकर अद्यतम करना, भारत से मूल्य वर्धित मसालों का निर्यात बढ़ाना तथा मसाला–उत्पादक ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर सृजित करना। यू.एन.डी.पी. सहायता 968500 सं. रा. अमरीकी डालर की होगी।

ट्रांसजेनिक बिनौलों को पेटेन्ट करना

6481. डा. रवि मल्लू : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा भारत और अमरीका दोनों ही देशों में ट्रांसजेनिक बिनौलों को पेटेन्ट करने की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) क्या इस पेटेन्ट को समाप्त कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में पेटेन्ट कार्यालय को उचित ढंग से सचेत करेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण

6482. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कर्नाटक में कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों ने अपना उद्योग/व्यवसाय शुरू करने के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण के लिए आवेदन किया ;

(ख) उक्त बैंकों द्वारा कितनी ऋण राशि मंजूर की गई और वितरित की गई ;

(ग) कितने आवेदन लम्बित हैं ; और

(घ) शेष आवेदनों को कब तक निपटाया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उद्योग, सेवा और कारबार के कार्यों को करने के लिए एस.ई.ई. यू.वाई. योजना के अंतर्गत कर्नाटक में ऋण के लिए बैंकों को वर्ष 1992-93 के दौरान 7241 आवेदन प्राप्त हुए थे और इनमें से 3894 आवेदकों को 778.00 लाख रुपए (अंनतिम) की ऋण राशि मंजूर की गई थी। वर्ष 1993-94 से संबंधित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) एस.ई.ई.यू.वाई. के अंतर्गत कार्यक्रम वर्ष के लिए जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और 31 मार्च तक वे मंजूर नहीं किए गए हैं तो वे उस कार्यक्रम वर्ष के लिए स्वतः व्यपगत हो जाएंगे।

रोमानिया की राष्ट्रीय एयरलाइन्स

6483. श्री उदयसिंह राव गायकवाड : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोमानिया की राष्ट्रीय एयरलाइन्स ने विगत में भारत में अपनी विमान सेवाएं बन्द कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रोमानिया की राष्ट्रीय एयरलाइन्स को कलकत्ता और बुखारेस्ट के बीच अपनी उड़ान शुरू करने की अनुमति दी गयी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या एयरलाइन्स द्वारा अपनी उड़ानें शुरू करने से एयर इंडिया पर इसका प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पड़ेगा ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) रोमानिया की राष्ट्रीय एयरलाइन्स को यह अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : क) जी, हां।

(ख) रोमानिया की एयरलाइन्स ने स्वयं ही अपने प्रचालन बन्द कर दिए थे। एयरलाइनें वाणिज्यिक महत्व के आधार पर अपनी सेवाएं शुरू/बन्द करती हैं।

(ग) और (घ) अनुमति वापस नहीं ली गयी थी। दिसम्बर, 1993 में रोमानिया एयरलाइन्स को एक ही उड़ान द्वारा कलकत्ता और दिल्ली के लिए सेवा प्रचालित करने की अनुमति दी गयी थी। इसके परिणामस्वरूप, उक्त एयरलाइन ने 7-4-1994 से ए–310 विमान द्वारा एक ही उड़ान से दिल्ली और कलकत्ता होकर बुखारेस्ट और भारत के बीच सप्ताह में दो सेवाएं शुरू कर दी।

(ङ) और (च) एयर इंडिया भारत–रोमानिया मार्ग पर प्रचालन नहीं करती। रोमानिया की एयरलाइन्स द्वारा एक पक्षीय प्रचालनों के लिए एयर इंडिया और रोमानिया की एयरलाइन्स के बीच एक वाणिज्यिक समझौता किया गया है।

(छ) कलकत्ता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें आकर्षित करने और पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत में हवाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक में कंप्यूटरीकरण

6484. श्री पालस बर्मन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता के किन–किन विभागों में 31 मार्च, 1994 तक कंप्यूटरीकरण कार्य आंरभ किया गया है और किन–किन विभागों में कंप्यूटरीकरण कार्य शुरू किया जाना है ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता के सभी विभागों में कंप्यूटरीकरण कार्य कब तक आंरभ कर दिया जाएगा ;

(ग) क्या बैंक प्राधिकारियों ने ऐसे कंप्यूटरीकरण हेतु बैंक अधिकारियों को उनके सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण दिलाया था ;

(घ) यदि हां, तो 31 मार्च, 1994 तक कितने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था ; और

(ङ) सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को किस प्रकार उपयोग में लाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार कलकत्ता में स्थित निम्नलिखित विभागों को पर्सनल कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं :

I. समाशोधन गृह (मेन फ्रेम)

II. विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग

III. सांख्यिकीय विश्लेषण एवं कंप्यूटर सेवा विभाग

IV. लोक ऋण कार्यालय

V. आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग

VI. आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र

इसके अतिरिक्त, शहरी बैंक विभाग और बैंकिग परिचालन एवं विकास विभाग को सामान्य शब्द संसाधन प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित विभागों में अलग–अलग चरणों में कंप्यूटर लगाने का प्रस्ताव है :

I. निर्गम विभागः करेंसी चेस्ट लेखा।

II. वित्तीय कंपनी विभाग

III. प्रबंधक अनुभाग

IV. स्थापना अनुभाग

V जमा लेखा विभाग

VI. लोक लेखा विभाग

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अपने प्रशिक्षण संस्थान हैं जहां अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, अधिकारियों को कार्य करते हुए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्नत पाठ्यक्रमों के लिए, अधिकारियों को बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नामित किया जाता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जैसे–जैसे और अधिक विभाग कंप्यूटरीकृत होते जाएंगे, कंप्यूटरों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता में वृद्धि होगी और बैंक ये सुनिश्चित करेगा कि कंप्यूटर में प्रशिक्षित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को उन क्षेत्रों में विनियोजित किया जाए, जहां कंप्यूटर लगा दिए गए हैं।

गोवा में हवाई अड्डे का निर्माण

6485. श्री सुधीर सावंत :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की गोवा में एक पृथक नागरिक हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार गोवा से जाने और गोवा से आने वाली राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय चार्टर्ड उड़ानों में हो रही वृद्धि तथा अपार पर्यटन क्षमता उपयोग के अवसरों को ध्यान में रखते हुए गोवा स्थित हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन/अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विचाराधीन अथवा प्राधिकरण द्वारा अन्तिम रूप दिए गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) गोवा में हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाने के पक्ष में मुख्य कारक क्या हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए अन्तिम रूप दी गयी समयबद्ध कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गोवा हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सुविधाओं के उन्नयन के लिए योजनाएं आरंभ की हैं :–

(1) टर्मिनल भवन विस्तार और परिवर्धन जिससे आने वाले 350 तथा जाने वाले 350 अंतर्देशीय यात्रियों और 250 आने वाले तथा 250 जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की साथ–साथ आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

(2) अतिरिक्त विमानों को खड़ा करने के लिए एप्रन का 500 फुटx300 फुट तक विस्तार।

(3) अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास के स्थान पर डाप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास लगाना, दिक्चालन सुविधाएं।

(ङ) गोवा हवाई अड्डे पर सुविधाओं का उन्नयन इस प्रकार किया जा रहा है कि मौजूदा यातायात और पर्यटन यातायात में प्रत्याशित वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से कार्यन्वित की जा रही परियोजनाएं अक्तूबर, 1995 तक पूरी हो जाने की आशा है।

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं का जब्त किया जाना

6486. श्री सोमजीभाई डामोर :

श्री छीतुभाई गामीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा विमानपत्तन विलगन कार्यालय, नई दिल्ली से प्रति वर्ष कितनी निषिद्ध इलेक्ट्रानिक वस्तुएं जब्त की गयी ;

(ख) क्या सरकार को सीमाशुल्क निपटान भंडारों से इन वस्तुओं की अवैध बिक्री के कुछ मामलों की जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करायी है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा विमानपत्तन विलगन कार्यालय, नई दिल्ली से ऐसे कोई अभिग्रहण नहीं किये गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाना

6487. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) इंजिनियरिंग उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति की 4-2-94 और 14-2-94 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित 15 केन्द्रीय सार्वजनिक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) के मामलों पर विचार किया गया था :

1. हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन (एच.ई.सी.)
2. खनन एवं संबद्ध मशीनरी निगम (एम.ए.एम.सी.)
3. भारतीय साइकिल निगम लि. (सी सी आई एल)
4. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कार्पोरेशन (एन.पी.पी.सी.)
5. मांड्या नेशनल पेपर मिल्स (एम.एन.पी.एम.)
6. स्कूटर इंडिया लि. (एस.आई.एल)
7. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. (टी.एस.एल.)
8. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लि. (बी.पी.एम.ई.एल.)
9. भारत औप्थाल्मिक ग्लास लि. (बी.ओ.जी.एल.)
10. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व लि. (बी.बी.वी.एल.)
11. टेनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन लि. (टी.एफ.सी.एल.)
12. नेशनल इंस्ट्रमेन्ट लि. (एन.आई.एल.)

13. वेवर्ट इंडिया लि. (डब्ल्यू.आई.एल.)

14. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि. (बी.सी.एल.)

15. टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (टी.सी.आई.एल.)

15 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 9 पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। उक्त बैठक में व्यवसाय संघों ने लिए गए निर्णय के आधार पर अभी तक 15 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 14 उपक्रमों मे पुनरूज्जीवन से संबंधित अपने समेकित प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तावों का सार संलग्न विवरण पर है। इन प्रस्तावों को प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने से संबंधित मंत्रिमंडल के लिए उनकी टिप्पणी में शामिल किए जाने के लिए भारी उद्योग विभाग को भेज दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर इंजीनीयरी उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति द्वारा किये गए विचार-विमर्श का सारांश।

1. के.सा.क्षे. उपक्रमों के प्रर्वतक के रूप में सरकार को अपना दायित्व निभाते रहना चाहिए।

2. के.सा.क्षे. उपक्रमों की वित्तीय पुनसंरंचना पर सरकार को विचार करना चाहिए।

3. रुग्ण एककों को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

4. उत्पाद शुल्क में राहत प्रदान की जानी चाहिए।

5. राज्य सरकारों द्वारा बिक्री कर में राहत प्रदान की जानी चाहिए।

6. क्षमता के इस्तेमाल और उत्पाद लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विपणन सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

7. अंतरमंत्रालयीन सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

8. संघों और प्रबंधनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए पुनर्जीवन प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए।

9. सरकार को रुग्ण एककों को पुनरूज्जीवित करने हेतु विलयन/सभा के की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।

10. पुनःनियोजन/पुनः प्रशिक्षण हेतु एन.आर.एफ. का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

11. त्रिपक्षीय विचार विमर्शों में राज्य सरकारों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

12. किसी भी एकक को बंद या समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

13. रुग्ण एककों को आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान करना जारी रखा जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना

6488. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक शहरी क्षेत्रों में प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत चुने गये लाभभोगियों का वित्तपोषण करने के विरूद्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत चुने गये लाभभोगियों को धन उपलब्ध कराने के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) पी.एम.आर.वाई. के कार्यान्वयन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को 28 सितंबर, 1993 को जारी किये गये मार्गनिर्देश, संक्षेप में निम्नानुसार हैं :–

(I) उन परिवारों के 18 और 35 वर्ष के बीच के वे सभी शिक्षित बेरोजगार युवक, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय कुल 24000/- रुपए से कम हो, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(II) इन सभी शिक्षित बेरोजगार उद्यामियों को माइक्रों उद्यम आरम्भ करने के लिए प्रत्येक को 7500/- रुपए की सीमा के अध्यधीन 15% की सब्सिडी दी जाएगी।

(III) उन्हें मार्जिन राशि के रूप में परियोजना लागत का 5% प्रस्तुत करना होगा।

(IV) प्रत्येक उद्यमी एक लाख रुपए की सीमा तक ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा और इस ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

(V) जिन उद्यमियों को इस योजना के अंतर्गत चुना जाएगा, उन्हें ऋण संवितरित किए जाने से पहले प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(VI) मैट्रिक (उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण) विद्यार्थी, आई.टी.आई. उत्तीर्ण युवक और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने कम से कम छः महीने तक सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी पाठ्यक्रम में भाग लिया है, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(VII) इस योजना के कार्यान्वयन मे ख्याति प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को भी शामिल किया जाएगा।

(VIII) इस योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% और दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

बीमा योजना

6489. श्रीमती सरोज दुबे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक आपदाओं तथा साम्प्रदायिक दंगों के कारण जन–धन की क्षति को पूरा करने की दृष्टि से कोई बीमा योजना शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) बीमा स्कीमों के बाढ़ और सम्बद्ध जोखिमों अर्थात आंधी, चक्रवात, प्रचंड तूफान, झंझावात, अंधड़, बवण्डर, बाढ़ तथा आप्लावन (इनून्डेशन), धसकन तथा भू–स्खलन, जिसमें चट्टान–स्खलन संबंधी नुकसान, भूचाल, अग्नि तथा दहशत और दंगे, हड़ताल, विद्वेश और आतंकवादी जैसे उपद्रवों संबंधी हानियां शामिल हैं, जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण जीवन और सम्पत्ति संबंधी हानियां शामिल हैं और ये स्कीमें भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों अर्थात्

(i) नेशनल इंशोरेंस कम्पनी लि.,

(ii) न्यू इंडिया एशोरेंस कम्पनी लि.,

(iii) ओरियन्टल इंशोरेंस कम्पनी लि., और

(iv) यूनाइटिड इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि. के पास पहले से ही उपलब्ध हैं। अपेक्षित प्रीमियम अदा करके उक्त कम्पनियों से ये कवच प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयर इंडिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारी

6490. श्री उद्धव वर्मन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों के कर्मचारियों को बड़ी संख्या में सेवा निवृत्त/सेवा से हटा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1988 से श्रेणीवार कितने कर्मचारियों को सेवा निवृत्त किया गया या हटाया गया ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

हाट फूड एण्ड क्राफ्ट बाजार

6491. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाट फूड एण्ड क्राफ्ट बाजार का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है ;

(ग) इस बाजार के निर्माण पर कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) इस बाजार में बेची जा रही मदों के मूल्य पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) जी, हां। वस्त्र और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तथा नई दिल्ली नगर पालिका के सहयोग से दिल्ली पर्यटन द्वारा आई.एन.ए. मार्किट के सामने अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली पर एक स्थायी खाद्य एवं शिल्प बाजार का निर्माण किया गया है, जिसे "दिल्ली हाट" भी कहा जाता है। इस संयुक्त परियोजना का उद्देश्य विभिन्न राज्यों की प्रान्तीय खाद्य सामग्री प्रदान करने के अलावा समूचे देश में बारी–बारी से हस्तशिल्प व हथकरघा क्षेत्र के वास्तविक शिल्पकारों को सीधे विपणन दुकानें प्रदान करना है।

(ग) दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार कुल 3.14 करोड़ रु. का व्यय हुआ।

(घ) इस बाजार में वास्तविक शिल्पकारों द्वारा बिक्री की जा रही मदों की कलात्मक किस्म को ध्यान में रखते हुए विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों की मदों की कीमते बाजार–मांग व सप्लाई के आधार पर तय की जाती है। तथापि, शिल्पकारों को समय–समय पर यह सलाह दी जाती है कि अपनी कीमते उचित और प्रतियोगी रखना उनके लिए लाभकारी होगा।

बासमती चावल का निर्यात

6492. श्री आर. जीवरत्नम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान बासमती चावल का कितना निर्यात किया गया ;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ग) देश से विभिन्न प्रकार के चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) वर्ष 1993-94 (अप्रैल, 1993=जनवरी, 1994) के दौरान 879.46 करोड़ रुपये मूल्य का 4,55,786 टन बासमती चावल का निर्यात किया गया।

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस, कलकत्ता)

(ग) भारतीय चावल की निर्यात प्रतियोगिता–क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है।

(I) चावल के आवागमन पर अंतर–राज्य प्रतिबन्धों को हटाना तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्यात उद्देश्यों के लिए सुपरफाइन किस्म के गैर–बासमती चावल पर लेवी समाप्त करना,

(II) न्यूनतम निर्यात कीमतों को युक्ति संगत बनाना,

(III) निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान स्कीम के अन्तर्गत रियायती दर पर मिलिंग उपस्कर का आयात करने के लिए निर्यातकों को अनुमति देना,

(IV) चावल निर्यातक भी 100% निर्यातोनमुख–इकाई स्कीम के अन्तर्गत लाभ पाने के पात्र हैं।

फ्रांस के साथ आर्थिक सहयोग

6493. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में गहरी रूचि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जिनमें सहयोग की संभावना है ; और

(ग) भारत–फ्रांस सहयोग से देश के निर्यात में कितनी वृद्धि होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी आशा है कि द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में पारस्परिक हित के व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और जिसमें आधारभूत विकास जैसे मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(ग) फ्रांसिसी टेक्नौलाजी के प्रवेश और उससे निकटता से सम्बद्ध होने के कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन में वृद्धि होगी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उद्योग की प्रतिस्प्रर्धा में भी वृद्धि होगी एवं इस प्रकार अतिरिक्त निर्यात के अवसर पैदा होंगे।

बैंक को लाभ

6494. श्री गुरूदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमूल्यन के नए मानदण्डों के कारण बैंक के लाभ प्रभावित होंगे,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने निर्णय किया है कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्था के परामर्श से भारतीय बैंक

संघ को सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए एक पद्धति तैयार करनी चाहिए जिसे 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखे को अंतिम रूप देते समय बैंक द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए तुलन पत्रों को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही बैंकों के लाभों पर होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, को जाना जा सकेगा।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

भारत और म्यानमार के बीच सीमा व्यापार

6495. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार द्विपक्षीय हित में भारत और म्यानमार के बीच मणिपुर और मीजोरम सेक्टरों में सड़क के रास्ते सीमा व्यापार खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और म्यांमार ने 21.1.1994 को एक सीमा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। सीमा व्यापार समझौते में, प्रारम्भ में स्थल व्यापार को मणीपुर में मोरेह तथा मिजोरम में चम्पाई की सीमा–शुल्क चोवियों द्वारा किए जाने की व्यवस्था है, अतिरिक्त सीमा शुल्क चौवियों के द्वारा व्यापार के बारे में बाद में दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से विचार किया जाना है। समझौते में यह प्रावधान है कि स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का सीमा के आर–पार परम्परागत आदान–प्रदान जारी रखा जाए। इस समझौते के अन्तर्गत व्यापार मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में या प्रति व्यापार व्यवस्थाओं सहित उन मुद्राओं में किया जा सकता है जिनके बारे में दोनों देशों में आपसी सहमति हो जाए।

कोयले के निर्यात में करापवंचन

6496. श्री सुल्तान सुलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश से लगी डाबकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, जहां जयंती हिल कोयला खान से बंगलादेश को कोयले का निर्यात किया जाता है पर करापवंचन के रूप में सरकार को भारी घाटा हो रहा है जैसा कि दिनांक 11 मार्च, 1994 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला ; और

(ङ) सरकार इस सीमा पर ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर) : (क) कोयले के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। अतः डाबकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बंगलादेश को कोयले के निर्यात से न तो कर की कोई हानि हुई है और न ही कर का कोई अपवंचन ही हुआ है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

(ग) उपयुर्क्त पैरा (क) के उत्तर को देखते हुए कोई जांच नहीं कराई गई है।

(घ) तथा (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

महिलाओं के लिए रोजगार

6497. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाली महिलाओं के सहायतार्थ कोई कृतिक बल गठित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में नई परियोजनाएं

6498. श्री खेलन राम जांगडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कुछ ऐसी नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई है जिनका निष्पादन निकट भविष्य में विदेशी सहायता से होगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) बिहार में पिछले दो वर्षों में स्वीकृत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

	परियोजना का नाम	दाता एजेन्सी	राशि (मिलियन)
1.	बिहार पठास विकास	आई.डी.ए.	117.0 मिलियन अमेरिकी डालर
2.	छपरा में यू.एस.एस.बी. प्लांट	नीदरलैंड	0.4 डी.एफ.एल

बिहार में निम्नलिखित पाइपलाइन परियोजनाएं हैं :

	परियोजना का नाम	दाता एजेन्सी
1.	बिहार वानिकी	विश्व बैंक
2.	विद्युत परियोजना का पुनर्निमाण	विश्व बैंक
3.	सोन कमांड क्षेत्र विकास	जर्मनी
4.	दरमोह शाखा नहर कमांड क्षेत्र विकास	जर्मनी

गया हवाई अड्डा

6499. **श्री प्रेमचन्द राम :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गया हवाई अड्डे का कुल क्षेत्र–फल क्या है ;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे को बन्द करने का कोई विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) बिहार में गया हवाई अड्डे को कुल क्षेत्रफल 1298.7 एकड़ है।

(ख) और (ग) हवाई प्रचालकों की मांग में कमी के कारण, इस समय गया हवाई अड्डा गैर–प्रचालनात्मक है।

[अनुवाद]

मूल वेतन के साथ मंहगाई भत्ते को मिलाना

6500. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री मूल वेतन के साथ मंहगाई भत्ता को मिलाने के बारे में 18 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3391 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन और उपदान के लिए वर्तमान मूल वेतन में मंहगाई भत्ता को नहीं मिलाने के क्या कारण हैं ;

(ख) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए मूल वेतन में मंहगाई भत्ता का मात्र २० प्रतिशत मिलाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा पेंशन और उपदान के लिए मूल वेतन के साथ मंहगाई भत्ता को मिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने की मांग समेत राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के कर्मचारी पक्ष की मुख्य मांगों पर राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति की सितम्बर, 1993 में हुई बैठक में विचार किया गया था तथा सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष दोनों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर अन्य बातों के साथ–साथ यह तय किया गया था कि 16.9.93 को अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में अकेले मृत्यु–व–निवृत्ति उपदान की गणना के प्रयोजन के लिए मूल वेतन के 20% के बराबर महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन माना जाए। इस संबंध में और कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में कर्मचारी राज्य बीमा की योजना

6501. श्री शिवलाल नागजी वेकारिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जाने वाली खराब सेवाओं के संबंध में राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में किसी वैकल्पिक योजना को कार्यान्वित करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी नहीं, तथापि गुजरात सरकार के माध्यम से अंकलेश्वर इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन से अंकलेश्वर क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक योजना के सुझाव का प्रस्ताव कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विचाराधीन है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तस्करी की रोकथाम

6520. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी की रोकथाम विशेषतः पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु पर्याप्त प्रबंध किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) इस बात पर विचार करते हुए कि उत्तर–पूर्वी क्षेत्र तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्र है, 1993 में एक विशेष सीमाशुल्क निवारक समाहर्तालय की स्थापना की गयी हैं इस क्षेत्र में तस्करी की रोकथाम के लिए इस समाहर्तालय के अन्तर्गत इम्फाल, दीमापुर, ऐजवाल, अगरतला, शिलांग, करीमगंज, और गुवाहटी में सात सीमाशुल्क प्रभाग हैं। इसके अलावा, तस्करी रोधी एजेन्सियों को तस्करी की रोकथाम के लिए बेहत्तर साधनों से सुसज्जित करके सुदृढ़ किया जा रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारों की तस्करी रोधी एजेंसियां संगठित रूप से काम कर रही है और तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है।

भारत और नार्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार

6503. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे ने भारत और नार्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के संबंध में अपनी रूचि दर्शाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस बारे में सरकारी स्तर पर विचार–विमर्श 2 मई, 1994 को नई दिल्ली में हुआ था जिसका उद्देश्य व्यापार सहित आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था।

डी.जी.एस. एण्ड डी. द्वारा प्लाईवुड की निविदाएं आमंत्रित किया जाना

6504. श्री छीतू भाई गामीत : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.जी.एस. एण्ड डी. ने वर्ष 1993-94 के लिए प्लाईवुड हेतु निविदाएं आमंत्रित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) विज्ञापित की गई निविदा पूछताछ के माध्यम से दिनांक 9-3-1993 को वर्ष 1993-94 के लिये प्लाईवुड हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी। इसके प्रत्युत्तर में, 16 प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इन प्रस्तावों को 21-5-1993 को खोला गया था। पांच फर्मों के साथ दर/परीक्षण दर संविदायें तय की गई हैं। शेष फर्मों के प्रस्ताव, निविदा पूछताछ के अनुसार नहीं पाये जाने और इन फर्मों द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डी.जी.एस. एंड डी.) द्वारा प्रत्युत्तर में पेश किये गये प्रस्ताव को स्वीकार न करने के कारण, उनके प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया।

इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के विमानों की सर्विस कराना

6505. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के विमानों को अनेक प्रकार की जांच–पड़ताल तथा सर्विस करने के लिये देश से बाहर भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इन विमानों के रख–रखाव और सर्विस कराने पर औसतन कितनी धनराशि

प्रतिवर्ष खर्च की जा रही है ; और

(ग) रख–रखाव और सर्विस करने की ऐसी सुविधाओं का देश के अन्दर ही विकास करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के केवल उन्हीं विमानों को विशेष मरम्मत/सुधार कार्यों के लिए विदेशों में भेजा जाता है जो देश के अन्दर न किये जा सकते हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान एयर इंडिया ने अपना ए-300 विमान प्रमुख जांच के लिए विदेश भेजा और इस संबंध में इस पर किया गया खर्च 3.30 मिलियन अमरीकी डालर था। यह आवती वार्षिक व्यय नहीं है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स में विद्यमान सुविधाएं, ए-320 विमानों को छोड़कर, इसके विमान बेड़े में उपलब्ध विमानों के रख–रखाव के लिए पर्याप्त हैं। ए-320 विमान के लिए अनुरक्षण सुविधाएं चरणबद्ध रूप से जुटाई जा रही हैं। एयर इंडिया के पास अपने विमान–बेड़े में बी-747-200/300 और ए. 310-300 प्रकार विमानों के रख–रखाव के लिए पूर्ण सामर्थ्य है। यह अपने तीन ए–300 विमानों के मुख्य अनुरक्षण के लिए इंडियन एयरलाइन्स और विदेशी एजेंसियों पर निर्भर रहता है।

निगम कर का बंटवारा

6506. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारिया आयोग ने राज्य और केन्द्रीय सरकार के बीच निगम कर बांटने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठायें हैं ; और

(ग) राज्यों को, राज्य के विकास में अपने वित्तीय दायित्वों के निर्वहन के लिए उनका समुचित भाग कब तक मिल जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 (4) (क) के अनुसार निगम कर भागीदारी योग्य नहीं है। केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंध पर सरकारिया आयोग की सिफारिशें, जो आयोग की रिपोर्ट के अध्याय x में विहित हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर ठोस सुझाव देने के लिए उन पर विचार करने हेतु एक उप–समिति गठित करने का निर्णय लिया। अध्याय -x में विहित सिफारिशों पर प्रारंभिक विचार–विमर्श अंतर्राज्यीय परिषद की उप–समिति की पांचवीं बैठक में हुआ। उप–समिति की उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसारण में रिपोर्ट के अध्याय -x में विहित सिफारिशों पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक, जिसे संघ और राज्य सरकारों के बजट सत्र के बाद बुलाया जा रहा है, में विचार किया जाना है। प्रस्तावित बैठक के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

हथकरघा बुनकर

6507. श्री धर्मण्णा मोंडयृया सादुल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों को नौकरी देने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ 1994-95 के दौरान कितना धन नियत किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार हथकरघा बुनकरों को अधिक रोजगार के अवसर देने और उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कई योजनाऐं कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना, प्रोजैक्ट पैकेज योजना और जनता कपड़ा योजना शामिल हैं। विपणन विकास सहायता योजना भी हथकरघा कपड़े की बिक्री में योगदान देता है और इससे बुनकरों को निरन्तर रोजगार मिलता है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 1994-95 के बजट के अन्तर्गत 317.04 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

विशेष अन्वेषण प्रकोष्ठ

6508. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जालसाजी के कथित मामलों की जांच और छान–बीन के लिए विशेष अन्वेषण प्रकोष्ठ बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1993-94 के दौरान इस प्रकोष्ठ को किस सीमा तक उपलब्धि मिली ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बड़ी धोखाधड़ियों के दर्ज किए गए मामलों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा कार्यपालक निदेशकों के विरूद्ध की गई शिकायतों की जांच और छानबीन करने के लिए उसने विशेष जांच कक्ष की स्थापना की है। यह कक्ष प्रेसरिपोर्टों या विशिष्ट शिकायतों आदि जैसे सूचना के स्रोत के आधार पर मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में बैंक अधिकारियों के विरूद्ध की गई शिकायतों की भी जांच करता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1993-94 के दौरान कक्ष को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/कार्यपालक निदेशकों/दूसरे वरिष्ठ कार्यपालकों के विरूद्ध 21 शिकायतें या तो प्राप्त हुई थी या उसने जांच की थी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर जहां कहीं

आवश्यक हुआ वहां भारतीय रिजर्व बैंक ने उन मामलों पर आगे कार्यवाही करने और कर्मचारियों की जिम्मेवारी के दृष्टिकोण से उचित कार्यवाई करने के लिए उन्हें संबद्ध बैंकों के साथ उठाया था। कुछ मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को चेतावनी दी जिसमें उन्हें सलाह दी गई थी कि उन पार्टियों को ऋण मंजूर करने पर विचार करते समय, जो भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गए धोखाधड़ी के मामलों में अंतर्ग्रस्त हों, वे सतर्क रहें।

निर्यात में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हिस्सा

6509. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कुल निर्यात में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कुल कितना हिस्सा है ; और

(ख) बहुराष्ट्रीय और स्वदेशी कम्पनियों द्वारा निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कुल निर्यात में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शेयर के आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) निर्यात संवर्धन एक सतत और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और व्यापारी वर्ग तथा उद्योग से परामर्श करके निर्यात को बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं। निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने व्यापार के उदारीकरण के लिए जो प्रमुख कदम उठाए हैं उनमें शामिल हैं : निर्यात–सम्बद्ध आयात को बढ़ावा देना, आयात लाइसेंसिंग में कमी करना, निर्यात प्रोत्साहनों को मजबूत करना, नीति तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर प्रक्रिया संबंधी रूकावटों को दूर करना तथा निर्यात की निषेधात्मक सूची में कांट–छांट करना। वर्ष 1994-95 के बजट में, अनेक और उपाय लागू करके इन उपायों पर और अधिक बल दिया गया है यथा–निर्यातकों को अधिक मात्रा में अपनी आय अपने पास रखने की अनुमति देना, चालू खाते में रुपये की परिवर्तनीयता, सीमाशुल्कों तथा उत्पाद शुल्कों में कटौती और उनके ढांचे को युक्तिसंगत बनाना आदि। 30.3.94 को यथा संशोधन निर्यात–आयात नीति में और अधिक उदारीकरण किया गया है। निर्यात–आयात नीति के प्रक्रिया संबंधी पहलुओं को सरल और सुकर बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, छोटे उद्योग के हितों की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए ध्यान दिया दिया गया है, विशेष आयात लाइसेंस के अन्तर्गत आयातों की सूची में और वृद्धि की गई है और सुपर स्टार व्यापारिक घराने की एक नई श्रेणी बनाई गई है।

दिहाड़ी श्रमिक

6510. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिहाड़ी श्रमिकों के दैनिक वेतन के संबंध में माध्यम आधार पर किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार ने इन निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बीड़ी मजदूर

6511. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कहां–कहां पर बीड़ी का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) सरकार ने बुंदेलखण्ड क्षेत्र के बीड़ी मजदूरों को एक हजार बीड़ियों का निर्माण करने के लिए कितना पारिश्रमिक निर्धारित किया है ;

(ग) क्या सरकार को विश्वास है कि बीड़ी मजदूरों को न्यायोचित मजदूरी दी जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या बुंदेलखण्ड क्षेत्र के बीड़ी निर्माता/उप–निर्माता/ठेकेदार शर्तों को थोपकर और कम मजदूरी देकर बीड़ी मजदूरों का शोषण कर रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो बीड़ी मजदूरों की स्थिति में सुधार करने और उन्हें हर प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कौन–कौन सी विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं ; और

(च) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) उत्तर प्रदेश स्थित बीड़ी विनिर्माण के प्रमुख क्षेत्र गुरसहायगंज, फर्रूखाबाद, मुरादाबाद, अमरोहा, इलाहाबाद, झांसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश स्थित कुछ अन्य क्षेत्र हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने 3.1.1994 से प्रति एक हजार बीड़ी के निर्माण के लिए 35/-रु. का पारिश्रमिक निर्धारित किया है जो कि प्रति सप्ताह 210/- रु. की न्यूनतम राशि तक होगा।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में उन्हें सूचना प्राप्त होने पर वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करती हैं।

(ङ) और (च) उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम
स्वास्थ्य	
1.	बीड़ी कर्मकारों के लिए स्थिर एवं सचल/स्थिर ऐलोपेथिक तथा स्थिर आयुर्वेदिक औषधालय।
2.	बीड़ी कर्मकारों के लिए टी.बी. अस्पतालों में पलंगों के आरक्षण की योजना।
3.	बीड़ी कर्मकारों के घरेलू उपचार के लिए योजना।
4.	कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार के लिए योजना।
5.	मानसिक रोगों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार के लिए योजना।

6. कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों (इसमें घरखाता कर्मकार शामिल हैं) के उपचार के लिए योजना।

7. बीड़ी कर्मकारों को चश्मे खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।

8. महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रसूति लाभ संबंधी योजना।

9. बीड़ी कर्मकारों को नसबन्दी करवाने के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए योजना।

10. ह्दय रोगों के संबंध में बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

11. बीड़ी कर्मकारों को गुर्दा प्रत्यारोपण के संबंध में वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

सामाजिक सुरक्षा योजना

1. बीड़ी कर्मकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना।

आवास

1. बीड़ी कर्मकारों के लिए अपना मकान स्वयं बनाओं योजना।

2. बीड़ी कर्मकारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना।

3. वर्कशडों तथा गोदामों का निर्माण करने के लिए बीड़ी उद्योग की सहकारी समितियों को आर्थिक अनुदान दिया जाना।

4. बीड़ी कर्मकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना।

शिक्षा

1. बीड़ी कर्मकारों (घर खाताबीड़ी कर्मकारों सहित) के बच्चों कों छात्रवृत्ति प्रदान करना।

2. बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक सेट वर्दी की आपूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता।

मनोरंजन

1. श्रव्य दृश्य सेटों/सिनेमा वेनों चल-चित्रों के प्रदर्शन की व्यवस्था।

2. बीड़ी कर्मकारों के लिए खेल-कूद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन।

3. बीड़ी कर्मकारों के लिए हॉलीडे-होम योजना।

4. बीड़ी कर्मकारों को बीड़ी सहकारी समितियों को टी.वी. सेटों की आपूर्ति।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण

6512. श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की राशि कितनी थी और सारे देश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण कितना था ;

(ख) सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जनसंख्या के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में दिए गए प्रति व्यक्ति ऋण और समग्र रूप से देश में दिए गए प्रति व्यक्ति बैंक ऋणों से संबंधित पिछले तीन वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :–

अवधि	**प्रति व्यक्ति ऋण (रुपए)**	
	उत्तर प्रदेश	**अखिल भारत**
मार्च 1991	668	1569
मार्च 1992	706	1684
मार्च 1993	756	1964

ऋण जमा अनुपात में समयबद्ध सुधार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 1992 में उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात से संबंधित समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ पाया कि कृषि को ऋण वितरण के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधायें काफी विकसित हैं और तदनुसार यह क्षेत्र अपनी पूरी सामर्थ्य तक ऋण खपाने की स्थिति में है। लेकिन यह उद्योग के लिए सत्य नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ऋण जमा अनुपात में समग्र वृद्धि धीमी है और सुचारू नहीं है। तदनुसार समिति ने सिफारिश की है कि सरकार और बैंकों को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और उन्हें आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान, विकास कार्यों तथा ऋण संवितरण में अपने प्रयासों को काफी हद तक बढ़ाना चाहिए।

एयर टैक्सी आपरेटरों के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

6513. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एयर टैक्सी आपरेटरों के नाम क्या हैं जिनके विमान 1 जनवरी, 1994 से 10 अप्रैल, 1994 तक विमान सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए ;

(ख) ऐसी प्रत्येक दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी प्रत्येक दुर्घटना से संबंधित जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

क्रम सं.	तारीख	प्रचालन	संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाई
1.	3.1.1994	दमानिया एयरवेज	3.1.1994 को कलकत्ता से बम्बई के लिए एक उड़ान के दौरान, एक यात्री उत्तेजित हो गया और उसने सहयात्रियों के साथ उस समय झगड़ना आरंभ कर दिया जब विमान नीचे की ओर आ रहा था।	दमानिया एयरवेज के विरूद्ध कार्यवाही की गयी थी।
2.	5.1.1994	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	असुरक्षित अवतरण गियर स्थित के संकेत के कारण विमान ने गलत एप्रोज किया।	घटना की जांच की जा रही है।
3.	6.1.1994	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	विमान का दरवाजा बन्द करते समय एक विमान परिचारिका एप्रन पर गिर पड़ी।	घटना की जांच की जा रही है।
4.	13.1.1994	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	नं. 2 में तेल छन्ना बाईपास रोशनी आने के कारण, विमान उड़ान नहीं भर सका।	घटना की जांच की जा रही है।
5.	17.1.1994	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	अवतरण करने पर नं. 1 थ्रस्ट रिवर्सर नहीं लगा।	घटना की जांच की जा रही है।
	25.1.1994	मोदीलुफ्थ	दिल्ली से बंबई की उड़ान के दौरान, कमांडर दिल्ली अथवा बंबई विमान यातायात नियंत्रक की अनुमति के बिना 260 से 280 तक के उड़ान स्तर पर चला गया	मोदीलुफ्थ के दोनों विमान चालकों को पांच सप्ताह की अवधि के लिए उनके लाइसेंस के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गयी थी।

7.	7.2.1994	यू.बी.एयर	केबिन ऊंचाई उतार–चढ़ाव के साथ दाव प्रोत्कर्ष उतार–चढ़ाव का अनुभव किया गया था।	घटना की जांच की जा रही है।
८.	10.2.1994	दमांनिया एयरवेज	बेलगॉम–बंगलौर के ऊपर एयर इंडिया की उड़ान के साथ सेपरेशन मिनिमा में कमी आना।	घटना की जांच की जा रही है।
९.	16.2.1994	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	उड़ान में नं. 1 जनरेटर असफल होने के बाद अनुषंगी पावर यूनिट के स्वत ही बन्द हो गया।	घटना की जांच की जा रही है।
10.	17.2.1994	सहारा इंडिया	विमान की बाई ओर के विंग टिप बंगलौर में साथ वाले पार्किंग क्षेत्र में खड़े हुए एक कोच से टकराए।	विमान चालक के पायलट इस कमांड पृष्ठांकन की घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया गया था।
11.	19.2.1994	जेट एयरवेज	उड़ान के दौरान, नं. 1 इंजिन 4 यूनिटों में थिरकन अनुभव की गयी थी।	घटना की जांच की जा रही है।
12.	8.3.1994	सहारा इंडिया	दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर छठी टच एण्ड गो कार्यवाही के दौरान, धावनपथ 28 से उड़ान भरने के बाद, विमान ने बाई ओर को तीखा मोड़ काटा और बे नं. 46 के निकट अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल एप्रन पर यह नष्ट हो गया।	दुर्घटना की जांच की जा रही है।
13.	16.61992	दमानिया	उड़ान के दौरान विमानचालक ने सं. 2 इंजन पर स्टाल की रिपोर्ट दी। 21 पंख ब्लेड क्षतिग्रस्त हुए पाए गए।	घटना की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

खाड़ी के देशों के साथ व्यापार

6514. प्रो. एम. कामसन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान खाड़ी देशों के साथ निर्यात और आयात का दायरा बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सरकार वर्ष 1994-95 के दौरान खाड़ी देशों के साथ हमारे व्यापार का विस्तार करने तथा उसके विविधीकरण हेतु प्रयास करती रहेगी। इन प्रयासों में शामिल हैं – संयुक्त आयोगों/समितियों के मंचों पर सरकारी स्तर पर इन देशों के साथ विचार–विमर्श करना, भारतीय कम्पनियों को प्रोत्साहित करना कि वे इन देशों में अपनी प्रतिपक्षी कम्पनियों के साथ सम्पर्क स्थापित करें, व्यापार मेलों तथा प्रदशर्नियों में भाग लेना, भारतीय व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए उपाय करना आदि।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं की स्थिति के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

6515. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट की तरफ आकर्षित किया गया है जिसमें भारत में मजदूरी, स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में महिलाओं के प्रति भेदभाव बरतने का जिक्र किया गया है और अनकी स्थिति में सुधार हेतु सुझाव दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत में महिला श्रमिकों की स्थिति के संबंध में क्या टिप्पणियां की हैं और कौन–कौन से सुझाव दिए गये हैं ; और

(ग) महिलाओं की स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में लिंग–भेद तथा गरीबी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट (1991) ने अपने अध्ययन क्षेत्रों की परिधि के अन्दर दुग्ध उद्योग, वानिकी तथा शहरी अनौपचारिक क्षेत्र जैसे कृषि तथा गैर–कृषि क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति तथा भूमिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणाहार तथा परिवार की देख–रेख जैसी सामाजिक सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच, महिलाओं तक पहुंचने के लिए सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों का सांस्थानिक संदर्भ जैसे विषयों को शामिल किया

है। इस रिपोर्ट में की गयी कुछ प्रमुख टिप्पणियां हैं :– कि अपनी सांख्यिकीय अदृश्यता के वावजूद महिलाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण तथा उत्पादक कर्मकार हैं, निर्धन परिवार अपने पुनरूज्जीवन के लिए महिलाओं की आय पर और भी अधिक निर्भर रहते हैं, कि भारत में महिला कर्मकारों के लिए उनके साथी पुरूष कर्मकारों की तुलना में कम निवेश किया जाता है, कि स्वास्थ्य देख–रेख, शिक्षा तथा उत्पादक परिसंपत्ति की दृष्टि से महिलाओं को सामाजिक सेवाओं का कम हिस्सा प्राप्त होता है। रिपोर्ट में यह भी टिप्पणी की गई है कि विगत में अपनाई गई इस प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है जिसमें महिलाओं के लिए लक्षित कार्यक्रमों में महिलाएं निष्क्रिय लाभानुभोगी ही थीं और पुरूषों तथा महिलाओं की कृषि संबंधी मजदूरी दरों का अंतर भी बहुत ही कम रह गया है। दिये गये सुझावों में महिलाओं को आर्थिक कलाकारों के रूप में दखल तथा आय के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि करने, व्यापक पैमाने पर शिक्षा तथा तकनीकी प्रशिक्षण तक पहुंच को बढ़ाने और स्वास्थ्य, बालकों की देख–रेख तथा परिवार नियोजन, ग्रुप बनाने तथा वकालत करने के लिए संस्थानिक ऋणों और समर्थित सेवाओं तक पहुंच भी शामिल हैं।

(ग) सरकार ने अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए हैं जिसमें महिला कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य, कल्याण, प्रसूति लाभ, जोखिमकारी नियोजनों में उनके नियोजन पर प्रतिबंध अनिवार्य विश्राम आदि जैसे तथ्यों को शामिल करके संरक्षात्मक उपबंध निर्धारित किए गए हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पुरूष एवं महिला कर्मकारों के लिए मजदूरी का समान भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है। इन कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व मूल रूप से राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार समय–समय पर राज्य सरकारों पर यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए जोर देती रही है कि महिला कर्मकारों को विद्यमान कानूनी उपबंधों के लाभ प्राप्त हों तथा उनमें से बहुत सी राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ अलग से प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित कार्यक्रमों के अतिरिक्त, कौशलों को अपग्रेड करके, शिशु सदनों की स्थापना करके तथा उन्हें संगठित करके महिला कर्मकारों को सहायता प्राप्त करने के लिए सहायता अनुदान योजना प्रचलन में है।

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने संबंधी योजना के अंतर्गत वितरित किये गये ऋणों की वसूली

6516. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने संबंधी योजना के अंतर्गत वितरित किये गये ऋणों की वसूली आशा के अनुरूप हो रही है और गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कितनी वसूली हुई ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस योजना की पुनरीक्षा की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) एस.ई.ई.यू.वाई. योजना के तहत संवितरित ऋणों की वसूली संतोषजनक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार एस.ई.ई.यू.वाई. योजना के तहत वसूली की स्थिति नीचे दी गई है :

को समाप्त वर्ष	वसूली की प्रतिशत
जून 1992	20.11 (अनंतिम)
जून 1993	15.59 (अनंतिम)

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राज्य--वार आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक बोर्ड एस.ई.ई.यू.वाई. के कार्यनिष्पाद की आवधिक रूप से समीक्षा करते हैं और सरकार भी सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ एस.ई.ई.यू.वाई के कार्य निष्पादन की अर्ध–वार्षिक पर समीक्षा करती है। एस.ई.ई.यू.वाई. योजना 1.4.1994 से प्रधान मंत्री की रोजगार योजना में शामिल हो गई है।

चाय का निर्यात

6517. डा. साक्षीजी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान चाय के उत्पादन और निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ; और

(ख) सरकार ने चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान चाय के उत्पादन और निर्यात के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

उत्पादन लक्ष्य	730 मि. किग्रा.
निर्यात लक्ष्य	210 मि. किग्रा.

(ख) चाय बोर्ड चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक विकासात्मक योजनाएं चलाता है। बोर्ड ने चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है ताकि चाय की निर्यात–योग्य अधिक बेशी मात्रा प्राप्त की जा सके। इस योजना में अनेक उपाय शामिल हैं–जैसे निविष्टयों को इष्टतम करना तथा कृषि संबंधी कार्यों को उन्नत बनाना, जैसे अल्पावधि उपाय, सिंचाई, निकासी नवीकरण, छंटाई एवं भराई जैसे मध्यावधि उपाय और साथ ही पुनर्रोपण तथा विस्तार रोपण जैसे दीर्घावधि उपाय।

[अनुवाद]

भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार समझौता

6518. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार समझौते की समय सीमा और 3 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत–बांग्लादेश व्यापार करार को दिनांक 3 अक्तूबर, 1992 से तीन वर्षों की अगली अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ख) इसकी प्रमुख बातों में शामिल हैं दोनों देशों के बीच करार जिसका उद्देश्य है :

(I) परस्पर लाभ के आधार पर व्यापार का विस्तार एवं विविधीकरण करने की सभी सम्भावनाओं का पता लगाना।

(II) विकासशील देशों के लाभ के लिए अपनी विकसित हो रही अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक नीति के अनुसार उपयुक्त उपाय करना।

(III) ऐसा व्यापार–व्यवहार प्रदान करना जो एक दूसरे को, किसी तीसरे देश के साथ वाणिज्य के लिए प्रदत्त व्यापार–व्यवहार से कम लाभदायक नहीं हो।

(IV) आपस में वाणिज्य के लिए अपने जलमार्गों, रेलमार्गों और राजमार्गों के प्रयोग हेतु परस्पर लाभदायक प्रबंध करना आदि।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में आरक्षण

6519. श्री राम बदन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक खोले गए ;

(ख) क्या इन बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कई पद रिक्त पड़े हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) उपरोक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जून 1991 से जून 1993

की पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 175 शाखायें खोली गयी थीं।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के पिछले बकाया से संबंधित राज्य–वार सूचना उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती में पिछले बकाये से संबंधित वर्ष 1993-94 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विशेष भर्ती अभियान से संबंधित सूचना एकत्र की गई थी। विशेष भर्ती अभियान के तहत रिक्त स्थानों के पिछले बकाये को भरने के संबंध में भी सूचना उपलब्ध हो गई है। इस सूचना के आधार पर और नयी कमियों के कारण उतार–चढ़ाव के अध्यधीन सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों में भर्ती में आरक्षित रिक्त स्थानों के पिछले बकाये की स्थिति नीचे दी गई हैं :

संवर्ग	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
अधिकारी	104	67
क्लर्क	347	299
अधीनस्थ कर्मचारी	170	298

यह पिछला बकाया अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने और उन बैंकों में, जहां पिछला बकाया है, वास्तविक रिक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

1. 1989, 1990, 1992 और 1993-94 के दौरान विशेष भर्ती अभियान चलाए गए और काफी पिछला बकाया पूरा किया गया।

2. प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा विस्तृत प्रोफार्मा के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और उनके प्रतिनिधित्व की समीक्षा की जा रही है और सरकार को स्थिति की सूचना भेजी जा रही है।

3. बैंकिग सेवा भर्ती बोर्डों/रोजगार कार्यालयों के पास बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मांग पत्र के संशोधित फार्मेट के बारे में बैकों को सूचित कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नयी भर्ती के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करते समय कुल पिछले बकाया को भी गणना में शामिल किया जा सके।

4. बैंकिग सेवा भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सभी बैंक भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दे रहे हैं।

5. अनुसूचित जनजाति बहुल वाले क्षेत्रों के निकट परीक्षा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ; और

6. बैंकों से कहा गया है कि वे अपने एस.सी/एस.टी. कक्षों में काम कर रहे कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करें ताकि आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में उन्हें पूरी तरह जागरूक बनाया जा सके।

[अनुवाद]

तिरूपति के निकट विमानों को आपात स्थिति में उतारा जाना

6520. श्री अन्ना जोशी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूपति के निकट जिस एयर बस को आपात स्थिति में एक खेत में उतरना पड़ा था उसे उड़ान के अयोग्य होने के कारण अप्रयोज्य घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या उक्त विमान के सही सलामत कल पुर्जों का उपयोग करने के लिए निकाल लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उनका कितना मूल्य है ; और

(ङ) विमान के बीमा से कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस के विमान–बेड़े का पूर्णतया बीमा किया हुआ है। आपात अवतरण में अंतर्ग्रस्त विमान को बीमा कर्ताओं द्वारा सम्पूर्ण रूप से नष्ट हुआ मान लिया गया था और विमान की पूर्ण बीमा राशि पर बीमा दावे को निपटा दिया गया था। इस प्रकार इस संबंध में इंडियन एयरलाइंस को कोई हानि नहीं हुई। नष्ट हुई हालत में विमान बीमाकर्ता की सम्पत्ति है।

(ङ) बीमाकर्ता से विमान की सम्पूर्ण बीमा राशि जो 45 मिलियन अमरीकी डालर बनती है, वसूल कर ली गयी है।

स्पेन को निर्यात

6521. श्री हरिन पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत से स्पेन को निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा और इनका मूल्य डालर में कितना है ;

(ख) उक्त अवधि में भारत द्वारा स्पेन से आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है भारत ने इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया ;

(ग) क्या भारत को हाल ही में स्पेन से निर्यात आदेश मिला है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने भी स्पेन को आयात आदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान स्पेन को निर्यात की गयी प्रमुख भारतीय मदें थी–समुद्री उत्पाद, चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुएं, आर.एम.जी. सूत सहित उपकरण, हस्तशिल्प, मानव निर्मित यार्न, मेड अप्स, औषधियां एवं फार्मास्यूटिकल्स/रसायन। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान निर्यात की कुल कीमत क्रमशः 197.18 मिलियन अमरीकी डालर तथा 199 मिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) स्पेन से आयात की जानेवाली हमारी प्रमुख मदों में कार्बनिक/अकार्बनिक रसायन, लोहा एवं इस्पात, परियोजना संबंधी सामान, औषधि एवं भेषज उत्पाद, व्यावसायिक उपकरण, आप्टीकल सामान, मशीनरी/विद्युत मशीनरी एवं मशीनी औजार शामिल हैं। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में इनका आयात क्रमशः 73.09 तथा 03.31 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ था।

(ग) से (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यदि कोई आदेश प्राप्त हुए हैं तथा सरकार द्वारा कोई आदेश दिए गए हैं तो उनके ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है।

(च) दोनों देशों के बीच व्यापार सुधारने के लिए किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं–व्यापार शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान, भारत–स्पेन संयुक्त व्यापार परिषद की बैठकों का आयोजन एवं व्यापार मेलों में भागीदारी।

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के छापे

6522. श्री एस.एस. लालजान बाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितने छापे मारे ;

(ख) उसमें जब्त की गयी वस्तुओं का अनुमानित मूल्य कितना है ;

(ग) क्या जब्त की गयी वस्तुओं की नीलामी की गयी थी ; और

(घ) यदि हां, तो इन नीलामियों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा मारे गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी छापों की संख्या और अभिगृहीत माल के मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है

वर्ष	छापों की संख्या	अभिगृहीत माल का अनुमानित मूल्य (लाख रुपयों में)
1991-92	133	369.27
1992-93	221	1456.11

1993-94	157	2935.56

(ग) अभिगृहीत माल की नीलामी नहीं की गयी थी।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मसालों का निर्यात

6523. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मसालों के निर्यात पर विशेष ध्यान दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन देशों को इन मसालों का निर्यात किया गया ; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जिन प्रमुख बाजारों को भारतीय मसालों का निर्यात किया जाता है वे हैं–बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड पाकिस्तान, रूस सऊदी अरब, सिंगापुर, श्री लंका, यू.ई, यू.के., उक्रेन और संयुक्त अमेरिका

(ग)

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपए)
1990-91	233.94
1991-92	372.13
1992-93	368.32
1993-94 (अप्रैल–जनवरी)	459.80

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस, कलकत्ता

[अनुवाद]

आर्थिक सुधार

6524. श्री के. प्रधानी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने केन्द्रीय सरकार को देश की अर्थव्यवस्था में द्रुत सुधार लाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

वित्त मंत्री द्वारा 1994-95 के बजट प्रस्ताव तैयार करते समय देश में सुधार प्रक्रिया की गति को प्रथम कार्य माने जाने का उल्लेख किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी मार्च, 1994 में प्रकाशित अपने "विश्व आर्थिक दृष्टिकोण" में यह माना है कि भारत में संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1993 में प्रकाशित "आर्थिक सुधार" दो वर्ष पश्चात और आगे कार्य" नामक परिचर्चा पत्र में ब्यौरा दिया गया है जिसकी प्रतिलिपियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को और अधिक शक्तियां देना

6525. श्री अंकुशराव टोपे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को और आधेक शक्तियां देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये नई शक्तियां कब से लागू हो जायेंगी ?

वित्त मंत्रालथ में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्त मंत्री ने वर्ष 1994-95 के अपने बजट भाषण में यह संकेत दिया था कि सरकार "सेबी" को अतिरिक्त शक्तियां देने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम और प्रतिभूति संविदाएं (विनिमयन) अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव कर रही है। सरकार ने "सेबी" को दी जाने वाली, अतिरिक्त शाक्तियों के सुस्पष्ट विस्तार के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है। जहां तक औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का सम्बन्ध है, सरकार ने इसकी प्रभावकारिता में सुधार के लिए परिवर्तनों को सुझाने हेतु डा. औंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जापान को लौह अयस्क की आपूर्ति

6526. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान खनिज व्यापार निगम द्वारा जापान को सप्लाई किए जाने वाले लौह अयस्क की मात्रा और मूल्य में कटौती की गई ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और गैर–सरकारी खान मालिकों से प्राप्त की जाने वाली लौह अयस्क की मात्रा और मूल्य में तदनुसार कटौती की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) वर्ष 1994-95 में जापान को एम.एम.टी. सी. द्वारा लौह अयस्क को आपूर्तियां वर्ष 1993-94 के दौरान की गई आपूर्तियों की तुलना में लगभग 2 लाख मी. टन कम होने की संभावना है। लौह अयस्क टुकड़ों और लौह अयस्क फाइन्स की कीमतें 1993-94 की कीमतों से क्रमशः 5.9% तथा 9.5% घटा दी गई हैं। निर्यात कीमतों में कमी तथा रेल के भाड़े में वृद्धि के कारण एम.एम.टी.सी. की लौह अयस्क के टुकड़ों तथा फाइन्स की खरीद कीमतों में कटौती का प्रस्ताव करना पड़ा था।

मत्स्य नौका मालिकों द्वारा बीमा दावे

6527. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कुछ मत्स्य नौका मालिकों ने इस आधार पर बीमा का दावा किया हे कि उनकी मत्स्य नौकाएं समुद्र में डूब गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने और कितनी धनराशि के दावे किए गये हैं और कितने दावे निपटाए गये हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा मत्स्य नौका मालिक संघ ने यह शिकायत की है कि नौकाएं डूबी नहीं हैं बल्कि उड़ीसा में कुछ लोगों को बेच दी गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि इसकी चारों सहायक कम्पनियों ने 1989 से लेकर अब तक आंध्र प्रदेश से जलपोतों के डूबने के कुल मिलाकर 32 दावे प्राप्त किए हैं। इनमें से 44.82 लाख रु. की कुल राशि के 7 दावों का निपटान कर दिया गया है जबकि दो दावों को अस्वीकृत कर दिया गया हैं 2.79 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के शेष 23 दावों की जांच/कार्रवाई की जा रही है।

(ग) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वायुदूत का इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय

6528. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के कर्मचारी इंडियन एयरलाइंस के साथ इसके विलय का विरोध कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात में लगी हुई कंपनियों की समीक्षा

6529. श्री लाल बाबू राय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात में लगी कंपनियों के कार्यों की समय–समय पर कोई समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी समीक्षाओं में दोषी पाई गई कंपनियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) देश के विदेश व्यापार का विदेश व्यापार (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत विनियमन किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 को अधिसूचित किया गया है। सरकार अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्यात एवं आयात नीति बनाकर उसकी घोषणा करती है। अधिनियम, नियम या निर्यात एवं आयात नीति में निर्यात में लगी कंपनियों के कार्य–संचालन की समीक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम नियम या नीति के प्रावधानों का उल्लघंन करने वाली कंपनियों के विरूद्ध उचित कार्यवाई शुरू की जाती है। पूर्ववर्ती आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके तहत तैयार किए गये आदेश तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 के तहत पिछले 3 वर्षों में जिन कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है, उनकी संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	विवर्जित फर्मों की संख्या	उन फर्मों की संख्या जिन पर अर्थदंड लगाया गया
1991-92	302	281
1992-93	130	188
1993-94	40	58

[अनुवाद]

छोटे निवेशक

6530. श्री तेल नारायण सिंह :

श्री ब्रह्मनन्द मण्डल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने छोटे निवेशकों को प्रमुख पूंजी बाजार में पूंजी निवेश करने हेतु निर्देश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) बाजार भविष्य की अवधारणा क्या है और "सेबी" द्वारा बाजार भविष्य सुनिश्चित करने की तुलना में निवेशक के लिए अनिवार्य रूप से न्यूनतम अंशदान निर्धारित करने के क्या कारण हैं और

(घ) पूंजी बाजार के छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार "सेबी" द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) म्युचुअल फण्डों, परिवादों और डिबेंचर धारक निवेशकों को उपलब्ध उपायों, स्टॉक इन्वेंस्ट योजना, प्राथमिक बाजार में निवेश पर विचार करने जैसे मामलों पर निवेशक समुदाय को स्पष्टीकरण देने, पथ् प्रदर्शन करने और शिक्षित करने के लिए समय–समय पर "निवेशक संदर्शिका सिरीज" जारी करता है और अवैध लेन–देन के विरूद्ध चेतावनी देता है।

(ग) बाजार लॉट, शेयरों की संख्या अथवा उसके बहुखण्ड को जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार होता है, को सूचित करता है। स्टॉक एक्सचेंन्जों, मर्चेन्ट बैंकरों और निवेशक एसोसिएशनों से उनके परामर्शी पेपर पर "सेबी" को प्राप्त फीड बैंक के आधार पर आवेदित किए जाने वाले शेयरों की न्यूनतम संख्या, यदि इश्यू सममूल्य पर हो, प्रति 10/- रु. के 500 शेयरों पर निर्धारित कर दी है और प्रीमियम इश्यू के मामले में ऐसी संख्या बाजार लॉट में होगी जिससे कुल भुगतान योग्य राशि आवेदन धन, आवंटन धन और अन्य कॉलों को कवर करने के लिए 5000/- रु. से कम न हो।

(घ) "सेबी" ने निवेशकों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे–

– प्रकटीकरण और निवशक संरक्षण से सम्बद्ध मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा करना।

– बाजार मध्यवर्तियों के पंजीकरण तथा विनियमन।

– अत्यभिदत्त शेयरों के आवंटन के निरीक्षण हेतु "सेबी" के प्रतिनिधि की नियुक्ति

– निवेशक की शिकायतों को निपटाने के लिए निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना करना।

शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण

6531. श्री प्रवीन डेका : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत असम के कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण मांगां ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया ;

(ग) ऋण हेतु कितने आवेदन पत्र अभी लम्बित हैं ; और

(घ) ये आवेदन पत्र कब तक निपटा दिए जायेगें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.बी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान, शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत, असम में बैंकों द्वारा 2700 के लक्ष्य के मुकाबलो 2470 ऋण आवेदन (अनन्तिम) मंजूर किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1993-94 की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत, किसी कार्यक्रम वर्ष के लिए, 31 मार्च तक प्राप्त लेकिन स्वीकृत न किए गए आवेदन उस कार्यक्रम वर्ष के लिए स्वतः व्यपगत हो जाते हैं।

केरल में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पूंजी निवेश

6532. श्री के. मुरलीधरन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारतीय पर्यटन विकास निगम ने केरल में अपने उद्यमों में कितना पूंजी निवेश किया है ;

(ख) क्या निगम ने अपने एककों के विकास के लिए केरल में नई परियोजनाएं निर्धारित की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं :–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय (लाख रुपयों में)
1.	कोवलम अशोक बीच रिजार्ट का विस्तार	309.00	220.32
2.	कोवलम अशोक बीच रिजार्ट के साथ कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	153.00	68.99

(ख) और (ग) वर्ष 1994-95 के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना में कालीकट हवाईअड्डा में एक शुल्क मुक्त दुकान स्थापित करने का विचार है, बशर्ते कि उसके लिए उपयुक्त स्थल मिले।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलांइस की उड़ानें

6533. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में छोटी–मोटी बाधाओं के कारण एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के एहतियाती उतरने और उड़ानों में विलंब की अलग–अलग कुल कितनी घटनाएं घटी ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप, वर्ष–वार कितनी धनराशि का घाटा हुआ है ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या एहतियाती कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन–पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को ऋण

6534. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

श्री फूलचंद वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है, जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने संबंधी योजना के अंतर्गत अपने स्वयं के उद्योग लगाने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था ;

(ख) उक्त बैंकों ने कितनी धनराशि के ऋण स्वीकृत और वितरित किये ;

(ग) कितने आवेदन–पत्र लम्बित पड़े हैं ; और

(घ) शेष आवेदन–पत्रों का निपटान कब तक कर दिया जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) के लिए संयोजक बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों को वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान एस.ई.ई.यू.वाई. योजना के अंतर्गत ऋणों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित शिक्षित बेराजगार युवकों से क्रमशः 2823 और 2645 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) मध्य प्रदेश में एस.ई.ई.यू.वाई. योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित शिक्षित बेरोजगार युवकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूर और संवितरित ऋण राशि निम्न प्रकार है :

(लाख रुपए)

	1991-92	1992-93
मंजूर ऋण राशि	218.71	252.00
संवितरित ऋण राशि	90.86	99.13

टिप्पणी : एस.ई.ई.यू.वाई. योजना के अन्तर्गत वित्तपोषण के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों के उपर्युक्त आंकड़े और मंजूर संवितरित राशि में उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र कवर होते हैं।

(ग) और (घ) कार्यक्रम वर्ष के लिए 31 मार्च तक प्राप्त, लेकिन मंजूर न किये गये आवेदन उस कार्यक्रम वर्षों के लिए स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सिक्किम को ऋण

6535. श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक एकक विहीन राज्यों अथवा औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों को सहायता प्रदान करता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी परिस्थितियों में कितना ऋण दिया जाता

है और इस संबंध में क्या औपचारिकताएं पूरी की जाती है ;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सिक्किम में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिये 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान ऋण प्रदान किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 2 वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को मंजूर सहायता निम्नलिखित हैं :–

(करोड़ रुपए)

	1992-93	1993-94
उद्योग रहित जिलों की संख्या	324	271
अन्य पिछड़े जिले	2309	1509
कुल	2633	1780

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रवर्तकों से प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा वित्तीय, आर्थिक, वाणिज्यिक और तकनीक दृष्टि से करता है और सभी अर्थक्षम परियोजनाओं को सहायता मंजूर की जाती हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक गैर पिछड़े क्षेत्रों की तरह ही सामान्य शर्तों पर पिछड़े क्षेत्रों के एककों को सहायता मंजूर करता है।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1992-93 और 1993-94 के दौरान सिक्किम के औद्योगिक एककों को कोई सहायता नहीं दी थी।

यूगोस्लाविया के विमान-कर्मीदल को रोजगार

6536. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या यूगोस्लाविया ने भारत से अपने विमान–चालकों और कर्मीदल के अन्य सदस्यों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) यूगोस्लाव एयरलाइंस विमानचालक संघ ने मई, 1993 में इंडियन एयरलाइंस से सम्पर्क स्थापित किया था और इंडियन एयरलाइंस को अपनी सेवाओं की पेशकश की थी। चूंकि यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं था। इसलिए इंडियन एयरलाइंस ने इस मामले पर आगे कार्यवाई नहीं की।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता

6537. श्री उद्धव बर्मन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान असम को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान दी जाने वाली सहायता में कोई कटौती की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उन विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए कटौती की गयी है ; और

(घ) सहायता में कटौती किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम राज्य योजनागत स्कीमों का एक भाग है। राज्यों को उनकी राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता योजना के लिए समग्र रूप से आंबटित की जाती है और इसका ताल्लुक किसी विशेष कार्यक्रम/स्कीम से नहीं होता। इसीलिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान असम राज्य को कोई अलग सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जनता कपड़ों का उत्पादन

6538. श्री एन.जे. राठवा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसी कपड़ा मिलें हैं जो जनता कपड़ों का उत्पादन करती हैं ;

(ख) राज्य में 1993-94 के दौरान जनता कपड़ों के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था तथा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है ; और

(ग) 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जनता कपड़ा योजना वस्त्र मिलों द्वारा नहीं अपितु राज्य हथकरघा अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। गुजरात में जो राज्य हथकरघा अभिकरण इस योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं वे हैं : गुजरात राज्य हथकरघा और औद्योगिक सहकारी संघ, गुजरात राज्य हथकरघा विकास निगम और उत्कर्ष क्षेत्रीय हथकरघा विकास सहकारी समिति।

(ख) गुजरात के लिए वर्ष 1993-94 हेतु 7.5 मिलियन वर्ग मीटर जनता कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा दिसम्बर, 1993 तक राज्य में 2.77 मिलियन वर्ग मीटर जनता कपड़े का उत्पादन किया गया।

(ग) 1994-95 के लिए 6.5 मिलियन वर्ग मीटर लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

सुन्दर वन में पर्यटन विकास

6539. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री 4 मार्च, 1994 के अतरांकित प्रश्न सं. 1522 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है ; और

(ख) प्रत्येक परियोजना हेतु अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सुन्दरवन में प्रत्येक परियोजना के लिए स्वीकृत व रिलीज की गई वित्तीय सहायता की राशि के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

		(रुपए लाखों में)	
		स्वीकृत राशि	**रिलीज की गई राशि**
(1)	सुन्दरवन के लिए भ्रमण पोत	49.50	42.49
(2)	पियाली में पर्यटक गृह	44.80	25.00
(3)	कैखाली में पर्यटक गृह	45.40	42.40
(4)	दमखली में मार्गस्थ सुविधाएं	14.41	7.90
(5)	पियाली के लिए जांच	49.84	15.00

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण

6540. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पात्र व्यक्तियों को कितनी धनराशि के ऋण दिए ;

(ख) क्या बैंक अधिकारी इन बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के उपयोग संबंधी उन कार्य–कलापों पर निगरानी रखते हैं इन ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों पर किया गया है, जिनके लिए ऋण मांगा गया था ;

(ग) यदि हां, तो बैंक अधिकारियों को उक्त अवधि के दौरान उक्त ऋणों के दुरूपयोग अथवा उपयोग न करने संबंधी कितने मामलों का पता चला है ; और

(घ) ऐसे ऋण लेने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वाणिज्यिक बैंक पता लगाए गए हिताधिकारियों को उनके आर्थिक उत्थान के लिए अर्थक्षम योजनाएं शुरू करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उपर्युक्त के अलावा, बैंक समाज के कमजोर वर्गों को उत्पादक उद्यमों के लिए उन्हें ऋण प्रदान करके उनकी सहायता करने के लिए स्वयं अपनी योजनाएं भी तैयार करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हिदायत दी है कि उनके कुल अग्रिमों का 10% समाज के कमजोर वर्गों के लिए होना चाहिए। सरकारी उपक्रमों में, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्वरोजगार उद्यम शुरू करके गरीबी की रेखा पार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्यगत समूहों के चुने हुए परिवारों की सहायता करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 (फरवरी 94 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदान की राशि क्रमशः 29830.32 लाख रु., 29000.06 लाख रु. और 36730.55 लाख रु. थी।

(ख) से (घ) बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऋणों की मंजूरी, संवितरण और बाद के मूल्याकंन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन करें। बैंकों के खातों की लेखा परीक्षा और सम्बद्ध बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के आंतिरिक जांच प्राधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान ऋण मूल्यांकन और अन्य मामलों से संबंधित बैंकों में व्याप्त विभिन्न खामियों को उजागर करती है। जिनमें जिस उद्‌देश्य के लिए ऋण दिया गया था उससे अन्यथा उद्देश्य के लिए उपयोग करने जैसे कुछ उधारकर्ताओं द्वारा ऋण का दुरूपयोग शामिल है। तथापि, बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के दुरूपयोग या उपयोग न किए जाने के कई मामलों से संबंधित सूचना आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्राप्त नहीं होती है। निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बैंकों द्वारा अधिकारियों सहित उन कर्मचारियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाई की जाती है जो बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के दुरूपयोग में उधारकर्ताओं के साथ लिप्त होने या सांठगांठ करने के दोषी पाए जाते हैं। जहां कहीं भी ऋणों का दुरूपयोग/उपयोग न किया जाना प्रमाणित हो जाता है वहां बैंकों द्वारा ऐसे ऋणों की सम्पूर्ण राशि की वसूली के लिए प्रयास भी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

नकद क्षतिपूर्ति सहायता का भुगतान

6541. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **वाणिज्य** मंत्री 17 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्र. सं 2368 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय अनुज्ञापत्र कार्यालयों द्वारा सभी अधिकृत संवर्गों के निर्यातकों को नकद क्षतिपूर्ति सहायता का भुगतान करने के लिए जारी किये गये अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) क्या मंत्रालय में स्थित निर्यातक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को गत तीन महीनों के दौरान इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या कुछ मामलों में प्रकोष्ठ ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है ;

(घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को भी ऐसी नकद क्षतिपूर्ति सहायता प्राप्त करने का अधिकार है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस संबंध में शीघ्रतापूर्वक क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी नहीं। नकद मुआवजा सहायता प्रदान करने की स्कीम दिनांक 3.7.1991 से समाप्त कर दी गई है। सी.सी.एस. को हकदार श्रेणियों के बारे में, उनके द्वारा 2.7.1991 को अर्धरात्रि तक किए गए निर्यात से संबंधित सी.सी.एस. दावों पर बन्दरगाह लाइसेन्सिंग अधिकारी नियमित रूप से विचार कर रहे हैं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश से कपास का निर्यात

6542. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश से कितनी मात्रा में कपास का निर्यात किया गया; और

(ख) कपास के निर्यात हेतु नये बाजारों की खोज के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश से निर्यात की गई कपास की मात्रा निम्न प्रकार है :-

(मात्रा : लाख गांठों में–प्रत्येक गांठ 170 किग्रा)
(मूल्य : करोड़ रु. में)

	1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सीधे	0.132	7.20	0.006	0.30
भारतीय कपास निगम द्वारा	0.50	29.17	शून्य	शून्य
जोड़ :	0.632	36.37	0.006	0.30

(ख) सरकार का प्रयास लागत जमा मदों जैसे कि यार्न, फ्रैब्रिक, मेड–अप्स तथा सिले–सिलाए परिधानों का निर्यात करने का रहा है। तथापि, निर्यात करने योग्य कपास अधिशेष को निर्यात के लिए रिलीज करते समय सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में मूल्य को स्थिर करना, कपास उपजकर्ताओं

को लाभप्रद कीमतें दिलवाना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थाई सप्लाईकर्ता के रूप में भारतीय उपस्थिति को बनाए रखना, ऐसे कोटाओं के आवंटी अर्थात भारतीय कपास निगम, राज्य परिसंघ, गैर–सरकारी, व्यापारी उनके आवंटित मात्राओं को निर्यात करने के लिए बाजारों का पता लगा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रयुक्त पूंजीगत सामान का आयात

6543. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रयुक्त पूंजीगत सामान के आयात को उदार बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) यथासंशोधित आयात–निर्यात नीति, 1992-97 के अन्तर्गत न्यूनतम पांच वर्ष के अवशिष्ट जीवन वाली पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त पर बिना लाइसेंस के आयात करने की अनुमति दी जाती है। यदि आयातित पुरानी पूंजीगत वस्तु की कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक है तो किसी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त निरीक्षण और प्रमाणित एजेन्सी से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होगा कि उक्त वस्तु की क्रय कीमत उचित है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटक

6544. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान उनके मंत्रालय के अतिथि–सत्कार कार्यक्रम के अधीन कितने विदेशी पर्यटकों ने देश की यात्रा की ;

(ख) ये पर्यटक किन–किन विभिन्न श्रेणियों के थे और उन्होंने भारत में कौन–कौन से पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया ; और

(ग) इन पर्यटकों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और उन पर कितनी धन–राशि खर्च की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पर्यटन विभाग की आतिथ्य स्कीम का इस्तेमाल यात्रा लेखकों, पत्रकारों, फोटोग्राफरों, दूरदर्शन टीमों, यात्रा प्रचालकों, राय निर्माताओं आदि को देश में आने के लिए आमंत्रित करके और प्रचार सामग्री तैयार करा कर भारत

की छवि आकर्षक गंतव्य देश के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान आतिथ्य स्कीम के अंतर्गत 32 दूरदर्शन टीमें, 574 यात्रा लेखक और फोटोग्राफर, 415 यात्रा प्रचालक और यात्रा अभिकर्त्ता भारत आए। इन अतिथियों द्वारा देखे गए स्थानों में दिल्ली, आगरा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बम्बई, गोआ, पोर्ट ब्लेयर, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, कोचीन, औरंगाबाद, पुरी, पुणे, लेह आदि शामिल हैं।

(ग) आतिथ्य स्कीम के अंतर्गत आमंत्रित अतिथियों को भारत में प्रायः अपना पैसा खर्च नहीं करना होता है। तथापि, उनके माध्यम से हुए प्रचार का मूल्य 35 करोड़ रुपए से अधिक आंका जाता है। इन अतिथिंयों के आवास, भोजन, परिवहन और दर्शनीय स्थल देखने पर हुए खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान 90 लाख रुपए आबंटित किए गए थे।

[अनुवाद]

भारतीय होटल निगम को घाटा

6545. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय होटल निगम के अधीन कितने होटल हैं ;

(ख) इस समय जो होटल चल रहे हैं और जो बंद हैं उनका विवरण क्या है ;

(ग) भारतीय होटल निगम पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की पृथक–पृथक कुल कितनी ऋण राशि बकाया है ;

(घ) क्या भारतीय होटल निगम गत कुछ वर्षों से संकट के दौर से गुजर रहा है तथापि गत तीन वर्षों में इसने कुछ लाभ अर्जित किया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या कुछ समय पहले भारतीय होटल निगम ने तीन वर्षों के लिए ऋण पर ब्याज को स्थगित रखने और माफ करने की स्वीकृति मांगी थी ;

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ज) भारतीय होटल निगम ने संकट से उबरने तथा अपने होटलों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार किया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारतीय होटल निगम के अधीन सभी चारों होटल अर्थात सेंटॅार होटल बम्बई हवाई अड्डा, सेंटॅार होटल जुहू बीच, सेंटॅार होटल दिल्ली हवाई अड्डा और सेंटॅार लेक व्यू होटल, श्रीनगर कार्य कर रहे हैं। भारतीय होटल

निगम, होक्के क्लब, जापान के सहयोग से बिहार में राजगीर में सेंटॉर होक्के होटल भी चला रहा है।

(ग) ऋण की बकाया राशि के आवश्यक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) ब्याज और मूल्यह्रास की देयताओं को पूरा न कर पाने के कारण कम्पनी को निवल हानियां हो रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय होटल निगम के वित्तीय कार्य निष्पादन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) और (छ) भारतीय होटल निगम ने अग्रणी वित्तीय संस्थान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ तीन वर्षों के लिए ऋण पर ब्याज को स्थगित रखने और माफ करने की स्वीकृति पुररूद्धार योजना के रूप में मांगी गई है। वित्तीय संस्थानों द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना है।

(ज) कम्पनी की वित्तीय स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से प्रबंधकवर्ग का प्रयास प्रचालन व्यय को कम करने और राजस्व में वृद्धि करने का विचार रखता है। जहां तक श्रीनगर के होटल और उड़ान पाकशाला के भविष्य का संबंध है, इसके लिए विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है।

विवरण - I

वित्तीय संस्थान	बकाया ऋण	ब्याज/दण्डनीय ब्याज/परिसमापन क्षति और देयता जो अदा न की गई हो	कुल बकाया (2+3)
1.	2.	3.	4.
	(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	6.13	5.58	
भारतीय औद्योगिक वित्त विकास बैंक	12.41	11.26	
भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम	6.66	5.94	
योग :	25.20	योग : 22.78	47.98

विवरण -II

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94
	(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में) (अनन्तिम)
कुल राजस्व	45.90	53.36	62.08
कुल व्यय	42.65	50.11	55.27
कुल प्रचालन लाभ	3.25	3.25	6.81
ब्याज	10.95	12.59	13.91
रोकड़ लाभ/हानि	(7.70)	(9.34)	(7.10)
मूल्यह्रास	4.08	4.09	4.35
निवल लाभ/हानि	(11.78)	(13.43)	(11.45)

कम्प्यूट्रीकृत बीमा पालिसियां

6546. श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ बीमा कम्पनियों ने कम्प्यूट्रीकृत बीमा पालिसी जारी करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन बीमा कम्पनियों के नाम क्या हैं और ऐसा निर्णय लेने की पृष्ठभूमि क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य कम्पनियों को कम्प्यूट्रीकरण शुरू करने के निर्देश जारी करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि 812 शाखाएं कम्प्यूटर पर बीमा पालिसियां जारी करती हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि इसकी दो सहायक कम्पनियों अर्थात न्यू इंडिया इंशोरेस कम्पनी लि. और आरियन्टल इंशोरेन्स कम्पनी लि. ने चुनिंदा कार्यालयों में मोटर बीमा के लिए कम्प्यूट्रीकृत पालिसियां जारी करना शुरू किया है। न्यू इंडिया ने कम्प्यूट्रीकृत चिकित्सा पालिसियां भी जारी करना शुरू किया है। भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि अन्य दो सहायक कम्पनियों अर्थात नेशनल इंशोरेंस कम्पनी लि. और यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि. भी शीघ्र ही कम्प्यूट्रीकृत पालिसियां जारी करना शुरू कर देंगी। ग्राहक सेवा में सुधार लाने और व्यापक पालिसी सेवा की गति में तेजी लाने के लिए ही बीमा कम्पनियों में कम्प्यूटर के जरिए पालिसियां जारी करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) प्रत्येक बीमा कम्पनी की कम्प्यूट्रीकरण की अपनी ही योजना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रूस के साथ व्यापार में घाटा

6547. श्री सुल्तान सलाउद्दीन आवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 31,000 करोड़ रुपये के संचित व्यापार ऋण को कम करने के लिए गैर–सरकारी क्षेत्र की रूस को अपने निर्यात मे वृद्धि करने का आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो रूस के साथ व्यापार ऋण कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर–सरकारी क्षेत्र को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने रूस की यात्रा की थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) रूस के साथ भारत का शेष ऋण 31.12.93 तक लगभग 31,500 करोड़ रुपए था। मूलधन और ब्याज का भुगतान

अनेक वर्षों की अवधि तक फैलाया गया है और चालू वित्त वर्ष में कुल लगभग 3000 करोड़ रुपए होगा। जनवरी, 1993 में अन्तः सरकारी पत्र विनिमय के माध्यम से यह समझौता किया गया था कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा प्रदान किया गया राज्य ऋणों के पुनः भुगतान में भारत पक्ष की ओर से प्राप्त रुपए निधियों को भारत से किसी माल और सेवाओं के क्रय के लिए रूस पक्ष द्वारा उपयोग में लाया जाएगा जो भारत सरकार की निर्यात और आयात नीति की अन्तर्गत निर्यात के लिए अनुमेय हैं। अधिकांश माल और सेवाएं निजी क्षेत्रों द्वारा निर्यात की जा रही है और सरकार द्वारा इस मार्ग पर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निरन्तर उपाय किए जा रहे थे। निर्यातकों को उपलब्ध अधिकांश प्रोत्साहन इस समय उन निर्यात के लिए भी उपलब्ध हैं जो कि ऋण की पुनः भुगतान निधियों के आधार पर किए जाते हैं। अन्य बातों के साथ–साथ इनमें आय कर लाभ, आयात शुल्क रियायत और शुल्क त्रुटियों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) जून, 1993 में बैंकिंग समझौते को अन्तिम रूप दिए जाने सहित भारत के ऋण के पुनः भुगतान किए जाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक अन्तः मंत्रालयों के शिष्टमंडल ने मास्को का दौरा किया।

रूई निर्यात कोटे का आवंटन

6548. प्रो. उम्मोरड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान आपके मंत्रालय ने 'नेफेड' और 'स्पिनफेड' पंजाब को रूई की 50,000 गांठों का निर्यात कोटा आवंटित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठनों को यह आवंटन करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने रूई निर्यात कोटे के आंवटन के लिए क्या मानदंड अपनाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) निर्यात कोटा रिलीज करने के लिए अनुरोध कपास उपजाने वाले राज्यों के विभिन्न परिसंघों तथा निर्यात अभिकरणों से प्रत्येक कपास मौसम के शुरूआत में प्राप्त होते हैं। विभिन्न परिसंघों अभिकरणों को निर्यात के लिए कोटा रिलीज करते समय उनकी क्षमता किस्मों के लिए उनकी मांग तथा कीमतों के उतार–चढ़ाव के अनुसार कपास की विभिन्न किस्मों के लिए खरीद सहायता देने की आवश्यकता आदि को सरकार ध्यान में रखती है।

अखबारी कागज की आयात नीति की समीक्षा

6549. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखबारी कागज उद्योग ने अखबारी कागज आयात नीति की समीक्षा करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। अखबारी कागज उद्योग ने अभ्यावेदन दिया है कि स्वदेशी मिलों से अखबारी कागज की खरीद की तुलना में इसके लिए पात्रता एंव आयात के अनुपात में परिवर्तन किया जाये। अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और अखबारी कागज की आयात नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

दूध का निर्यात

6550. श्री राम कापसे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना चालू वर्ष के दौरान दूध के निर्यात को गैर सारणीबद्ध करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) दिनांक 29 सितम्बर, 1993 से मलाई निकाले दुग्ध पाउडर, मक्खन और शुद्ध दूध से बने घी के निर्यात का सरणीयन समाप्त कर दिया गया हैं वर्ष 1994-95 के लिए, एपीडा द्वारा इच्छुक निर्यातकों को आबंटन के लिए मलाई निकाले दुग्ध–पाउडर की 25,000 मीट्रिक टन तथा शुद्ध दूध के घी और मक्खन की 7500 मीट्रिक टन अधिकतम मात्रा रिलीज की गई है। यदि सम्पूर्ण मात्रा का उपयोग कर लिया जाता है तो वर्ष 1994-95 के दौरान इन दुग्ध उत्पादों के निर्यात का अनुमानित मूल्य लगभग 180 करोड़ रुपए होगा।

बाल श्रमिक

6551. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई बाल श्रमिकों के पुनर्वास से संबंधित कितनी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) राज्य–वार और क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) बाल श्रमिकों के पुनर्वास के बारे में राज्य–सरकारों द्वारा भेजा गया कोई परियोजना प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों संबंधी समिति

6552. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों हेतु किसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पी.एस.ई), विशेषकर रुग्ण उद्यमों के कार्य निष्पादन की संवीक्षा करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सरकार ने मंत्रियों का एक दल (ग्रुप) गठित किया हैं योजना आयोग के उप–सभापति और समीक्षा के लिए चयन किए गए उद्यमों के प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री इस ग्रुप के अन्य सदस्य हैं। इसके विचारणीय विषयों में बाइफर को संदर्भित प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उद्यम के मामलों में राहत के पैकेज के बारे में स्टैण्ड लेने या वचन देने के लिए मंत्रालयों को निर्देश और मार्गनिर्देश देना शामिल हैं। ग्रुप बाइफर को न भेजे गए रुग्ण उद्यमों तथा अन्य चयनित सरकारी उद्यमों के कार्य–निष्पादन की भी समीक्षा करेगा।

रूई और सूती धागे का निर्यात

6553. श्री परशुराम गंगवार :

श्री गुमान मल लोढा :

श्री नवल किशोर :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान रूई और सूती धागे का कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया ;

(ख) यह निर्यात किन–किन देशों को दिया गया ; और

(ग) डंकल प्रस्तावों के लागू हो जाने के बाद रूई और सूती धागे के निर्यात की क्या संभावनाएं है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) कपास वर्ष 1993-94 के दौरान 158.44 करोड़ रु. मूल्य की कपास की 2.823 लाख गांठों (प्रत्येक 170 कि.ग्रा.) का निर्यात किया गया। कैलेण्डर वर्ष 1993 के दौरान 1461 करोड़ रु. की 165.94 मिलियन कि.ग्रा. सूती यार्न का निर्यात किया गया। इसमें से 100% निर्यातोन्मुख एककों द्वारा निर्यात तथा अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत निर्यात 57.60 मिलियन कि.ग्रा. के थे।

(ख) जिन देशों को निर्यात किया गया था उनके नाम निम्न प्रकार हैं :

सूती यार्न	कपास
बंगलादेश	बंगलादेश
इटली	हांगकांग
तुर्की	रूस
जापान	जापान
हांगकांग	थाईलैण्ड
इंग्लैंड	इन्डोनेशिया
जर्मन	ताईवान
मोरीशस	बेल्जियम
रा.ओ.के.	जर्मन
बेल्जियम	

(ग) कपास कृषि–वस्तु है, जबकि सूती यार्न वस्त्र मद है। वर्तमान में कोई भी देश भारत से कपास के आयात पर कोटा प्रतिबन्ध लागू नहीं कर रहा है। यह आशा की जाती है कि अन्तिम निर्णय जिसमें उरूग्वे दौर की वार्ताओं के परिणाम होने में हमारी कपास के लिए निर्यात अवसर बढ़ाने का रास्ता खोलगें। सूती यार्न के संबंध में वर्तमान में केवल यूरोपीय समुदाय तथा अमरीका ही भारत से सूती यार्न के आयात पर कोटा लागू करता है। अन्तिम निर्णय में विचारित योजना के अनुसार जब कभी गाठ में सूती यार्न शामिल होगा उस समय इस मद पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सभी सूती यार्न निर्यातक देशों को इन बाजारों में गुणवता, कीमत तथा बाजार तकनीकों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। वर्तमान मूल्यांकन यह है कि ऐसी स्थिति भारत से सूती यार्न के निर्यात को बढ़ाने के लिए सहायक होगी।

[अनुवाद]

शहतूत का उत्पादन

6554. डा० के.बी.आर. चौधरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में मुख्यतः किन–किन स्थानों पर शहतूत का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) सरकार द्वारा राज्य में शहतूत का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं ; और

(ग) 1994-95 के दौरान शहतूत के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) शहतूत का उत्पादन आंध्र प्रदेश के सभी 22 जिलों में किया जा रहा है। तथापि, रेशम उत्पादन मुख्य रूप से अनन्तपुर, चिन्तूर, कुड्डया, करनूल, प्रकासम, विराज, करीमनगर, कृष्णा, नेलोर, वारंगल, मेडक, खम्मम, पश्चिमी गोदावरी,

पूर्वी गोदावरी, गुंतूर, मेहबूबनगर और रंगा रेड्डी जिलों में किया जाता है।

(ख) राज्य में शहतूताधीन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वर्ष 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश को 2026 मीट्रिक टन सुधरी हुई शहतूती कलमों की सप्लाई की। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने राज्य को उन रेशम उत्पादन कर्ताओं को सहायता देने के लिए 35.63 लाख रु. की रशि दी है जो सूखे से प्रभावित थे। यह सहायता शहतूती इनपुट आदि की निःशुल्क सप्लाई के माध्यम से पुनः रोपाई करने के लिए दी गई।

इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश राज्य को रेशम उत्पादन के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही निम्नलिखित सहायता योजनाओं के लाभ भी दिए गए :-

1. द्विफसलीय कोसा और परिष्कृत रेशम उत्पादकों को प्रोत्साहन बोनस का भुगतान।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रेशम उत्पादकों और भूमिहीन श्रमिकों को रीरिंग उपस्करों की निशुल्क आपूर्ति।

3. व्यापाक रोगाणुनाशन कार्यक्रम के लिए सहायता।

4. मल्टी एंड रीलिंग एककों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहतूत के उत्पादन के लिए 10,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक बैंक

6555. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक ने प्रतिवर्ष कितना-कितना लाभ अर्जित किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 30 जून, 1993 (अद्यतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार देश में वाणिज्यिक बैंकों की 61248 शाखायें कार्य कर रही है। बैंक-वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है और यथा उपलब्ध सूचना संभा पटल पर रख दी जायेगी।

30 जून 1993 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या

विवरण

बैंक का नाम	शाखाओं की सं.
सरकारी क्षेत्र के बैंक	
भारतीय स्टेट बैंक	8676
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	703
स्टेट बैंक ऑफ हैदरा बाद	722
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	336
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	519
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	599
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	344
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	611
इलाहाबाद बैंक	1820
आंध्रा बैंक	959
बैंक ऑफ बड़ौदा	2336
बैंक ऑफ इंडिया	2358
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1128
केनरा बैंक	2072
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3043
कारपोरेशन बैंक	449
देना बैंक	1098
इंडियन बैंक	1366
इंडियन ओवरसीज बैंक	1312
न्यू बैंक ऑफ इंडिया	–
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	559
पंजाब एंड सिंघ बैंक	682
पंजाब एंड सिंध बैंक	682
पंजाब नेशनल बैंक	3672
सिंडीकेट बैंक	1558
यूको बैंक	1780
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1866
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	1323
विजया बैंक	752
सरकारी क्षेत्र के बैंक शाखाओं की सं.	42643
न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय	
विदेशी बैंक	
एबीएन आम्रो बैंक एन.वी.	4
आबू धबी कॉमर्शियल बैंक लि.	1
एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी	56
बैंक ऑफ अमेरिका एन टी एंड एसए	4
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	4
बैंक ऑफ बहरैन एंड कुवैत	1
बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	1
आई एल्यू.टी.एल (ओवरसीज)	1
बैंक ऑफ ओमान लि.	1
बैंक ऑफ टोकिया लि.	3
बैंक इंडी स्वेज	1

बैंक का नाम	शाखाओं की सं.
बैंक नेशनल दी पेरिस	3
बार क्लैज बैंक पी.एल.सी	1
ब्रिटिस बैंक ऑफ विडम इस्ट	1
सिटी बैंक एन.ए.	6
क्रेडिट ल्योन्नाइस	1
ड्यूस्च बैंक (एशिया)	2
हांग कांग एंड संघाई बैंकिंग कार्पोरेशन	21
ओमान इंटरनेशनल बैंक	1
सोसाइट जनरल	1
सोनाली बैंक	1
स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	24
दी सकूरा बैंक लि.	1
विदेशी बैंक शाखाओं का योग	**141**
निजी क्षेत्र के बैंक	
*बैंक ऑफ कराड लि.	48*
बैंक ऑफ मदुरा लि.	253
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	280
बरेली कोर्पोरेशन बैंक लि.	59
बनारस स्टेट बैंक लि.	95
भारत ओवरसीज बैंक लि.	49
कैथोलिस सिरियन बैंक लि.	232
सिटी यूनियन बैंक लि.	85
धनलक्ष्मी बैंक लि.	129
फेडरल बैंक लि.	338
जम्मू व कश्मीर बैंक लि.	306
कर्नाटक बैंक लि.	274
करूर वैश्य बैंक लि.	159
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	172
लार्ड कृष्णा बैंक लि.	67
नैनीताल बैंक लि.	49
नेडुंगडी बैंक लि.	140
पंजाब कापरेटीव बैंक लि.	9
रत्नाकर बैंक लि.	58
*बीओ I ने पहले ही ले लिये	
सांगली बैंक लि.	170
साउथ इंडिया बैंक लि.	307
तमिलनाडु मरकेंटाइल बैंक लि.	124
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	188
वैश्य बैंक लि.	296
बाड़ी दोआद बैंक लि.	1
गणेश बैंक ऑफ कुरुजवाद	16
काशी नाथ सेट बैंक लि.	31
निजी क्षेत्र के बैंक शाखाओं की योग	3935
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
आंध्र प्रदेश	
1. चैतन्य ग्रामीण बैंक	45
2. गोदावरी ग्रामीण बैंक	33
3. गोलकोंडा ग्रामीण बैंक	24
4. काराथिया ग्रामीण बैंक	43
5. नक्कदुर्ग ग्रामीण बैंक	27
6. मनजीरा ग्रामीण बैंक	64
7. नागाजुन ग्रामीण बैंक	148
8. पिनासिनी ग्रामीण बैंक	83
9. रायलसीना ग्रामीण बैंक	141

बैंक का नाम	शाखाओं की सं.
10. संगमेशवारा ग्रामीण बैंक	65
11. श्री सतबहना ग्रामीण बैंक	46
12. श्री वैंकटेश्वर ग्रामीण बैंक	71
13. श्री अनन्था ग्रामीाण बैंक	69
14. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	71
15. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	168
16. श्री राम ग्रामीण बैंक	25
राज्य के लिए जोड़	1123
अरूणाचल प्रदेश	
1. अरूणाचल प्रदेश आर यू	19
राज्य के लिए जोड़	19
असम	
1. काचर ग्रामीण बैंक	44
2. लक्ष्मी गांलिया बैंक	100
3. लांगपी देहांगी रूरल	43
4. प्रागज्योतिश गांलिया	172
5. सुबांसिरी गांलिया बैंक	45
राज्य के लिए जोड़	404
बिहार	
1. बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	21
2. भागलपुर बैंक क्षेत्रीय	24
3. भोजपुर रोहतक ग्रामीण बैंक	157
4. चम्पारण क्षेत्रीय	147
5. गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण	27
6. गोपालगंज क्षेत्र	59
7. हजारीबाग क्षेत्रीय	31
8. कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण	164

बैंक का नाम	शाखाओं की सं.
9. मधुबनी क्षेत्रीय	89
10. मगध ग्रामीण बैंक	164
11. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण	79
12. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण	104
13. नालांदा ग्रामीण बैंक	66
14. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण	75
15. पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक	21
16. रांची क्षेत्रीय ग्रमीण	85
17. समस्तीपुर क्षेत्रीय	73
18. संथाल परगना ग्रामीण	103
19. सारन क्षेत्रीय ग्रामीण	64
20. सिंहभूम क्षेत्रीय	77
21. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	69
22. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	189
राज्य के लिए जोड़	1888
गुजरात	
1. बनसकंठा मेहसाणा	73
2. जामनगर राजकोट ग्रामीण	53
3. जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण	41
4. कच्छ ग्रामीण बैंक	43
5. पंचमहल वडोदरा	63
6. सावरकंठा ग्रामीण	33
7. सूरत भारूच ग्रामीण	40
8. सुरेन्द्र नगर भावना	42
9. वलसाद डांग्स ग्रामीण	40
राज्य के लिए जोड़	428

हरियाणा

1.	अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण	39
2.	गुरगांव ग्रामीण बैंक	118
3.	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण	90
4.	हिसार सिरसा क्षेत्रीय	43
	राज्य के लिए जोड़	290

हिमाचल प्रदेश

1.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	102
2.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	27
	राज्य के लिए जोड़	129

जम्मू व कश्मीर

1.	इलाकी देहाती बैंक	80
2.	जम्मू रुरल बैंक	94
3.	कामराज रुरल बैंक	94
	राज्य के लिए जोड़	268

कर्नाटक

1.	बीजापुर ग्रामीण बैंक	84
2.	कावेरी ग्रामीण बैंक	114
3.	चिकमंगलूर कोडागू	44
4.	चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक	96
5.	कल्पथरू ग्रामीण बैंक	88
6.	कोलार ग्रामीण बैंक	66
7.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	112
8.	मालाप्रभा ग्रामीण बैंक	208
9.	नेत्रावती ग्रामीण बैंक	22
10.	सहयाद्री ग्रंमीण बैंक	29
11.	तुंगभद्रा ग्रमीण बैंक	163
12.	वरदा ग्रामीण बैंक	25
13.	विश्वासवरया ग्रामीण	26
	कुल राज्य	1077

केरल

1.	नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	123
2.	साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	147
	कुल राज्य	270

मध्य प्रदेश

1.	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण	61
2.	विलासपुर रायपुर क्षेत्रीय	150
3.	बुदेंलखण्ड क्षेत्रीय	83
4.	चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	50
5.	छिंदवाडा सीओनी क्षेत्रीय ग्रामीण	71
6.	दमोह पन्ना सागर क्षेत्रीय	77
7.	देवास शाजहांपुर क्षेत्रीय	59
8.	दुर्ग राजनंदगांव गांव	107
9.	ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय	32
10.	इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय	39
11.	झबुआधार क्षेत्रीय	86
12.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	92
13.	महाकौशल क्षेत्रीय	41
14.	मंडला बालाघाट क्षेत्रीय	57
15.	निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	75
16.	रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	67
17.	राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	46
18.	रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	46
19.	रिवा सीओही ग्रामीण बैंक	83

20.	शहडाल क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक	46
21.	शारदा ग्रामीण बैंक	59
22.	शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	68
23.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	83
24.	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय	23
	राज्य के लिए योग	1603

महाराष्ट्र

1.	अकोला ग्रामीण बैंक	47
2.	औरंगाबाद जाल्ना ग्रामीण	53
3.	भान्द्रा ग्रामीण बैंक	45
4.	बुलधाना ग्रामीण बैंक	26
5.	चन्द्रपुर गडचिरोली	60
6.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	233
7.	रत्नागिरी सिंधदुर्ग	39
8.	सोलापुर ग्रामीण बैंक	35
9.	ठाणे ग्रामीण बैंक	26
10.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	22
	राज्य के लिए योग	591

मणिपुर

1.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	29
	बैंक शाखाओं का योग	29

मेघालय

1.	का बैंक नाकयांडांग	51
	योग	51

मिजोरम

मिजोरम रुरल बैंक	50
योग	50

नागालैण्ड

1.	नागालैण्ड रुरल बैंक	8
	योग	8

उड़ीसा

1.	बैतरानी ग्रामीण बैंक	90
2.	बालासौर ग्रामीण बैंक	63
3.	बोलनगीर आंचलिक ग्रामीण	155
4.	कटक ग्राम्य बैंक	120
5.	धेंकनाल ग्राम्य बैंक	48
6.	कहाहान्डी आंचलिक ग्रामीण	28
7.	कोरापुट--पंचाबती ग्रामीण बैंक	90
8.	पुरी ग्राम्य बैंक	99
9.	रूशिकुल्या ग्राम्य बैंक	75
	योग	818

पंजाब

1.	फरीदकोट--भटिंडा क्षेत्रीय	22
2.	गुरदासपुर अमृतसर के एस	53
3.	कपूरथला फिरोजपुर	43
4.	मालवा ग्रामीण बैंक	41
5.	शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	41
	योग	200

राजस्थान

1.	अल्वर भरतपुर आंचलिक	90
2.	अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	64
3.	भुलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	53
4.	बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	28
5.	बुंदी चितौड़गढ़	69

6.	डुगंरपुर बांसवाड़ा क	44
7.	हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	104
8.	जयपुर नागौर आंचलिक	142
9.	मरूधर क्षेत्रीय जी	60
10.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक	136
11.	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण	61
12.	शेखावटी ग्रामीण बैंक	100
13.	श्रीगंगानगर क्षेत्रीय बैंक	44
14.	थार आंचलिक ग्रामीण बैंक	71
	योग	1071

तमिलनाडु

1.	अधियमान ग्रामीण बैंक	25
2.	पांडयान ग्राम बैंक	161
3.	वल्लालार ग्राम बैंक	22
	योग	208

त्रिपुरा

1.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	90
	योग	90

उत्तर प्रदेश

1.	अल्कनंदा ग्रामीण बैंक	51
2.	अलीगढ़ ग्रामीण बैंक	92
3.	इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	92
4.	अवध ग्रामीण बैंक	113
5.	बल्लिया क्षेत्रीय ग्रामीण	89
6.	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	89
7.	बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण	82
8.	बस्ती ग्रामीण बैंक	103
9.	भगीरथ ग्रामीण बैंक	108
10	छत्रसाल ग्रामीण बैंक	82
11.	देवी पतनम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	72
12.	एठा ग्रामीण बैंक	67
13.	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	53
14.	फैजाबाद ग्रामीण बैंक	87
15.	फरूरखा बाद ग्रामीण बैंक	84
16.	फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रार्मीण बैंक	55
17.	गंगा यमुना ग्रामीण बैंक	43
18.	गोमती ग्रामीण बैंक	81
19.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	200
20.	हिन्डन ग्रामीण बैंक	24
21.	जमुना ग्रामीण बैंक	48
22.	कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	103
23.	काशी ग्रामीण बैंक	79
24.	किसन ग्रामीण बैंक बीयू	58
25.	क्षेत्रीय किसान ग्राम	72
26.	मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय	25
27.	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय	57
28.	पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण	25
29.	प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	71
30.	प्रथमा बैंक	164
31.	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	73
32.	रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	46
33.	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	159
34.	सूर्या ग्रामीण बैंक	46
35.	शाहाजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35

36.	स्वस्थी ग्रामीण बैंक	88
37.	सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	93
38.	तुलसी ग्रामीण बैंक	83
39.	विदुर ग्रामीण बैंक	37
40.	विध्यावासिनी ग्रामीण बैंक	42
	राज्य का योग	3049
पश्चिम बंगाल		
1.	बर्द्धमान ग्रामीण बैंक	90
2.	गौड ग्रामीण बैंक	143
3.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	59
4.	मालाभूम ग्रामीण बैंक	176
5.	मयुरकाशी ग्रामीण बैंक	65
6.	मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक	40
7.	नाडिया ग्रामीण बैंक	65
8.	सागर ग्रामीण बैंक	115
9.	उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	112
	राज्य का योग	865
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं का योग		14529
वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का योग		61248

[हिन्दी]

सूत का निर्यात

6556. श्री गुमान मल लौढा :

डा० महादीपक सिंह शॉक्य :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 से 40 काउन्ट का सूत अधिकांशतः हथकरघा उद्योग में प्रयोग किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस सूत का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के सूत का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(घ) क्या हथकरघा उद्योग की इस सूत की मांग पूरी नहीं की जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग में प्रयुक्त होने वाले इस सूत के निर्यात को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान 40 काउंटों तथा उससे नीचे सूती यार्न का उत्पादन निम्न प्रकार था ;

1991-92	–	1248 मि. किग्रा
1992-93	–	1317 मि. किग्रा
1993-94	–	1398 मि. किग्रा
(अनन्तिम)		

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात किए गए कोन के 40 काउटों वाले तथा उससे नीचे के सूती यार्न निम्न प्रकार थे :

1991-92	–	108.30 मि. किग्रा
1992-93	–	110.00 मि. किग्रा
1993-94	–	156.55 मि. किग्रा

(घ) जबकि यार्न की कीमतों में उतार–चढ़ाव तथा कभी कभी कतिपय काउंटों में कमी की रिपोर्ट है। फिर भी हथकरघा क्षेत्र के लिए यार्न की कमी नही है।

(ङ) 60 काउंटों तथा उससे नीचे के हैंक के रूप में सूती यार्न के निर्यात की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी निर्यातकों द्वारा 100 मिलियन किग्रा. की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है, सिवाय शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों तथा अग्रिम लाइसेंस के प्रति निर्यातकों को छोड़कर।

[अनुवाद]

दिल्ली-मुम्बई सेक्टर में उड़ानें

6557. श्री मोहन रावले : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस दिल्ली–मुम्बई सेक्टर पर अपनी उड़ानों की समय–सारणी का पूरी तरह पालन कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) जनवरी से अप्रैल, 1994 तक की अवधि के दौरान प्रति माह इंडियन एयरलाइंस की

दिल्ली से मुम्बई और मुम्बई से दिल्ली की कितनी उड़ानें विलम्ब से चली तथा प्रत्येक मामले में कितना विलम्ब हुआ ;

(घ) विलम्ब के कारण क्या थे ; और

(ङ) समय–सारणी का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) जनवरी से मार्च, 1994 की अवधि के दौरान, इस सेक्टर में इंडियन एयरलाइंस की 70 प्रतिशत से अधिक उड़ानें समय पर चलीं। उड़ानों में विलम्ब का कारण इंजीनियरिंग खराबियां, खराब मौसम, विमान यातायात नियंत्रण प्रतिबंधों और परिणामी कारणों इत्यादि का होना था।

जनवरी, फरवरी और मार्च, 1994 के दौरान दिल्ली से बम्बई और बम्बई से दिल्ली की विलम्बित उड़ानों का महीने–वार और प्रत्येक बार देरी का समय नीचे दिया गया है :

	जनवरी, 94 बम्बई–दिल्ली	फर., 94 बम्बई–दिल्ली	मार्च, 94 बम्बई–दिल्ली	जनवरी,94 दिल्ली–बम्बई	फर. 94 दिल्ली–बम्बई	मार्च, 94 दिल्ली–बम्बई
उड़ानों की संख़्या	133	140	132	132	140	132
विलम्बित उड़ानों की संख्या	40	17	16	38	24	26
औसतन विलम्ब	2 घंटे 11 मिनट	1 घंटा 47 मिनट	1 घंटा 17 मिनट	1 घंटा 55मिनट	1 घंटा 39 मिनट	1 घंटा 2 मिनट

अप्रैल, 1994 के लिए सांख्यिकी का संकल्प अभी किया जाना है।

(ङ) विलम्ब के मामलों की मॉनिटरिंग और जांच क्षेत्रीय और मुख्यालय सतर की जाती है और उपचारी उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

रूसी ऋण

6558. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री श्रीकांत जैना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत पर रूस का कितना ऋण बकाया है ;

(ख) क्या रूस सरकार भारत पर इस ऋण का कुछ भाग रूस की एक गैर–सरकारी कम्पनी को बेचने पर विचार कर रही है।

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय ऋण की इस प्रकार की बिक्री से पैदा होने वाली अड़चनों विशेषतः रुपये की तुलना में रूबल की विनिमय दर पर बेचने संबंधी अड़चनों का अध्ययन कराया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31.12.1993 को भारत पर रूस का बकाया ऋण लगभग 31,566 करोड़ रुपए था।

(ख) सरकार ने इस आशय की कुछ रिपोर्ट का अवलोकन किया है, लेकिन रूसी सरकार से कोई सरकारी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार रूसी प्राधिकारियों से किसी निश्चित प्रस्ताव के अभाव में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

छः सीटों वाला विमान

6559. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एस.वी. सिदनाल :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के सहयोग से एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित छः सीटों के विमान को नागर विमानन के महानिदेशालय से अनुमोदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस विमान के निर्माण में कितनी लागत निहित है ;

(ग) क्या देश की हवाई सेवाओं में इस विमान के शामिल किए जाने की आशा है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इसके शामिल किए जाने की आशा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) पी 68 ओबजरबर 2 विमान की लागत लगभग 160 लाख रुपए है।

(ग) और (घ) अंतर्देशीय वायु सेवाओं के प्रचालन में इस विमान को लगाया जाना प्रचालकों के, वाणिज्यिक विवेक पर निर्भर करेगा।

म्यूचुअल फंड

6560. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फण्डों से मुद्रा बाजार प्रपत्रों में निवेश करने संबंधी दिशा–निर्देशों में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) म्यूचुअल फंडों पर संसाधनों के उपयोग से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके म्यूचुअल फण्डों के मुद्रा–बाजार संबंधी प्रचालनों के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन किया है। ये 28 मार्च, 1994 से लागू किए गए हैं।

(ख) इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन म्यूचुअल फण्डों को मुद्रा–बाजार संबंधी प्रचालनों में संसाधन लगाने हेतु अधिक लचीलापन देने के लिए किया गया है। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निम्नलिखित अधिकतम अनुमत निवेश सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिस मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निम्नलिखित अधिकतम अनुमत निवेश सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिस सीमा तक म्यूचुअल फण्ड मुद्रा–बाजार संबंधी प्रचालनों में निवेश कर सकते हैं।

क्रम सं.	मुद्रा-बाजार संबंधी प्रचालनों मुें अधिकतम अनुमत निवेश किसी योजना के अन्तर्गत जुटाए गए कुल संसाधनों के प्रतिशत के रूप में	अवधि
1.	100 प्रतिशत	किसी योजना के तहत यूनिटों के आवंटन की तारीख से पहले छह महीनों के दौरान।
2.	30 प्रतिशत	अगले छह महीनों के दौरानं
3.	25 प्रतिशत	किसी योजना के अन्तर्गत यूनिटों के आवंटन की तारीख से आरंभिक 12 महीनों के बाद।
4.	100 प्रतिशत	किसी योजना के अंतिम छह महीनों के दौरान

(ग) संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों से म्यूचुअल फण्ड को मुद्रा–बाजार संबंधी प्रचालनों में अपने निवेशों के संबंध में अधिक लचीलापन मिलेगा।

विद्युत करघों का आधुनिकीकरण

6661. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में विद्युत करघों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठते।

[हिन्दी]

वाणिज्य मंत्रालय में घोटाला

6562. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) - क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1994 के "नई दुनिया" में "वाणिज्य मंत्रालय में तीन हजार करोड़ का निर्यात घोटाला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में प्रवर्तन–सह–अधिनिर्णय (ई सी ए) प्रभाग मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस (वी.ए.वी.ए.एल) के धारकों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। सरकार द्वारा फरवरी, 1994 में गठित अतः मंत्रालयी समिति ने भी इस पूरी योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। ई.सी.ए. प्रभाग द्वारा अभी तक की गई जांच पड़ताल से निर्यात आयात नीति–में बड़े सतर पर किसी गंभीर उल्लघंन या वी.ए.वी.ए.एल. योजना के सामान्य दुरूपयोग का पता नहीं चला है। आई.एम.सी. ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इस योजना ने निर्यात संबर्धन करने के अपने उद्देश्य को पूरा किया है। इसे देखते हुए, जबकि दुरूपयोग के कुछ विशेष मामलों की जांच चल रही है कोई विशेष उच्चस्तरीय जांच कराने का कोई विचार नहीं है।

[अनुवाद]

स्टॉक एक्सचेंजों के शासी बोर्ड

6563. श्री छीतुभाई गामीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टॉक एक्सचेंजों के शासी बोर्ड की अनियमित गतिविधियों में सुधार

करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेवी) द्वारा 20 अप्रैल, 1993 को जारी आदेशों के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के शासी निकायों का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया है जिसमें स्टॉक दलाल निदेशकों तथा बाहर के लोगों का बराबर–बराबर आधार पर चयन किया जाता है।

(ग) शासी निकायों के पुनर्गठन के बाद, वे एक्सचेंजों के समग्र कार्यकलापों की ओर कारगर तरीके से करने की बेहतर स्थिति में आ गए हैं और साथ ही निवेशकों के हितों की रक्षा भी हुई है।

नागर विमानन का विकास

6564. श्री सुधीर सावन्त : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु निगम अधिनियम, 1953 को रद्द करने का नागर विमानन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा वर्तमान परिचालकों के क्या नाम हैं और क्या–क्या नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने शताब्दी के अन्त तक नागर विमानन के विकास के संबंध में कोई अध्ययन कराया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, विशेषरूप से विमान बेड़े, वित्तीय परिव्यय तथा विमानपत्तनों से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस समय मैसर्स एयर इंडिया लिमिटेड, मैसर्स इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और मैसर्स वायुदूत लिमिटेड अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित कर रहे हैं।

मौजूदा हवाई टैक्सी प्रचालकों और उन प्रचालकों जिन्होंने अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दिए जाने के लिए आवेदन पत्र दिए हैं, उनके नाम दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1985 में स्वर्गीय श्री जे.आर.डी. टाटा की अध्यक्षता में गठित नागर विमानन से संबंधित योजना–दल ने अपनी रिपोर्ट में परिकल्पना की थी कि सन् 2000 तक की अवधि के लिए वर्ष 1985-86 में वास्तविक यातायात की तुलना में अन्तर्देशीय सेक्टर पर यात्री यातायात में 11.5% और कार्गो यातायात में 11.2% की वार्षिक संवृद्धि हुई होगी। सन् 2000 तक भारत के लिए/से अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात और कार्गो यातायात में क्रमशः प्रतिवर्ष 6% और 10% की दर से संवृद्धि का अनुमान लगाया गया। सन् 2000-01 तक इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की विमान बेड़े संबंधी आवश्यकता का निम्नानुसार अनुमान लगाया गया था :

इंडियन एयरलाइंस

मौजूदा विमान बेड़े को बदलने के लिए 50 विमानों सहित कुल 193 विमान

एयर इंडिया -27 अतिरिक्त यात्री विमानों, 8 नए मालवाहक विमानों और मौजूदा विमान बेड़े को बदलने के लिए 10 यात्री विमानों सहित 45 विमान।

इसके अतिरिक्त, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास स्थित अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और उन्नयन तथा चुने हुए अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर मौजूदा सुविधाओं में सुधार करने की भी सिफारिश की गई थी।

विवरण

क्रम सं.	वाई टैक्सी प्रचालक का नाम
1.	मैसर्स इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज
2.	मैसर्स दिल्ली गल्फ एयरवेज सर्विसेज
3.	मैसर्स यू.बी. एयर प्रा. लिमिटेड
4.	मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन
5.	मैसर्स जैंगवान एयरलाइन्स
6.	मैसर्स ईस्ट वेस्ट ट्रेवल्स एण्ड ट्रेउ लिंक्स लिमिटेड
7.	मैसर्स उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट
8.	मैसर्स एरिएल सर्विस प्रा. लिमिटेड
9.	मैसर्स सराया एविएशन प्रा. लिमिटेड
10.	मैसर्स दमानिया एयरवेज प्रा. लिमिटेड
11.	जेट एयरवेज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
12.	मैसर्स एम.जी. एक्सप्रैस लिमिटेड
13.	मैसर्स अर्चना एयरवेज (प्रा.) लिमिटेड
14.	मैसर्स राज एविएशन (प्रा.) लिमिटेड
15.	मैसर्स मेगापोड एयरलाइन्स
16.	मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइंस लिमिटेड
17.	मैसर्स एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स

हवाई टैक्सी प्रचालक जिन्होंने अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के अनुमति दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

1. मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स
2. मैसर्स मोदीलुफ्थ
3. मैसर्स दमानिया एयरवेज
4. मैसर्स जेट एयरवेज
5. मैसर्स एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स
6. मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइन्स
7. मैसर्स अर्चना एयरवेज
8. मैसर्स चॉयस एयरलाइन्स लिमिटेड, कोचीन।

[हिन्दी]

राजस्थान में कपड़ा मिलें

6565. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सरकार सहकारिता क्षेत्र में कोई नई सूती वस्त्र मिल स्वतः स्थापित नहीं करती है। तथापि, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में 40 सहकारी कताई मिलों की स्थापना के अनन्तिम प्रस्ताव हैं, जिसमें से राजस्थान के लिए 2 मिलों का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों से कर वसूली

6566. श्री राजवीर सिंह :

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) चीनी मिलों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार कितना कर दिया गया ; और

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य ने कितना कर दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) उद्योगवार कर एकत्र करने के रिकार्ड को नहीं रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्रों और राज्यों से एकत्र किए गए करों का विवरण निम्न प्रकार से है :

	(आयकर निगम कर सहित)	(करोड़ रुएयों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
1991-92	14,588.06	597.99
1992-93	16,793.86	650.49
1993-94	इस समय उपलब्ध नहीं	644.46 (फरवरी, 1994 तक)

इन करों की देय में प्रत्येक राज्य का कितना अंशदान है, इसका निर्धारण कर पाना कठिन है क्योंकि किसी भी राज्य में स्रोत का ध्यान किए बिना कर जमा किए जाते हैं।

[अनुवाद]

हथकरघे से बने कपड़े की बिक्री

6567. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अंतर्गत सहकारी क्षेत्र तथा निगमों में हथकरघे से बने कपड़े की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1989-90 से कार्यान्वित विपणन विकास सहायता योजना कुछ प्लान योजनाओं जैसे शीर्ष समितियों और निगमों को अंश पूंजी सहायता योजना, प्राथमिक समितियों को अंश पूंजी और प्रबंधकीय सब्सिडी और विशेष छूट योजना के स्थान पर लागू की गई है। यह योजना हथकरघा समितियों/संगठनों के कार्यों के साथ सरकारी सहायता को जोड़ने के उद्देश्य से लागू की गई है ताकि ये हथकरघा समितियां/संगठन अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हों। राज्य स्तर के संगठनों के विषय में इस योजना के अंतर्गत दी गई सहायता को केन्द्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर वहन करती हैं। राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के विषय में समस्त सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत दी गई सहायता को निम्नलिखित में से किसी एक के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(I) गैर-जनता हथकरघा उत्पादों पर उपभोक्ता सहयोग और रिबेट/डिसकाउंट के लिए 75% से अधिक सहायता उपयोग न की जाये।

(II) शेष 25% की राशि को ब्याज सब्सिडी के लिए, शोरूम आदि की स्थापना के लिए कैपिटल/मार्जिन मनी और राज्य और/अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी कार्य के लिए प्रयोग की जाये।

निर्यातकों को रियायतें

6568. श्री काशीराम राणा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात बढ़ाने और देश में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार द्वारा घोषित रियायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) निर्यात की किन–किन वस्तुओं को ये रियायतें दी जायेंगी ; और

(ग) इन रियायतों के क्या परिणाम निकलेगें ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) देश में निर्यातों को बढ़ानें तथा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निर्यात–आयात नीति को मार्च, 1994 के संशोधित संस्करण में और अधिक उदार बनाया गया है तथा क्रिया विधि को सरल किया गया है। निर्यात की किन्हीं अलग–अलग मद के लिए ऐसी कोई निश्चित रियायतें नहीं दी गई हैं।

अमरीका द्वारा निवेश

6569. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से वित्त क्षेत्र संबंधी एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल भारत की यात्रा पर आया था और उसने भारत सरकार के साथ चर्चा की थी ;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच किन–किन विषयों पर चर्चा हुई थी और उनका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) सरकार द्वारा इन चर्चाओं के दौरान हुए समझौतों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.बी. चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) न्यूयार्क स्थित दि. एशिया सोसाइटी मार्च, 94 के प्रथम सप्ताह में एक उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र अध्ययन मिशन को भारत में लायी थी। इस अध्ययन मिशन का उद्देश्य अमरीका के वित्तीय मामलों से सम्बध नेताओं को भारत की वित्तीय विनियमन व्यवस्था का मूल्यांकन करने तथा विश्वव्यापी वित्तीय समुदाय के लिए भारतीय बाजार खोलने की भावी योजनाओं का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करना था।

(ग) यह मिशन भारत में वित्तीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए आया था, इसलिए कोई समझौता नहीं हुआ।

भारतीय अमेरिका और जापान के बीच व्यापार समझौता

6570. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, अमेरिका और जापान के बीच व्यापार संबंध सुधारने के लिए किसी व्यापार समझौते का करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो अगले वित्त वर्ष के दौरान भारत, अमेरिका और जापान के बीच किस सीमा तक व्यापार की वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय व्यापार

6571. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर के प्रधान मंत्री की हाल की दिल्ली यात्रा के दौरान व्यापार संबंधी कोई वार्ता आयोजित की गई द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए कोई समझौता किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) सिंगापुर के प्रधान मंत्री के हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान द्विपक्षीय व्यापार के बारे में अलग से कोई पृथक वार्ता नहीं हुई। तथापि, कई व्यापक विषयों पर चर्चा की गयी जिनमें ये शामिल थे–पर्यटन, नागर विमानन, दूर–संचार, यथावर सम्पदा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, वित्तीय सेवाऐं, बन्दरगाह एवं नौवहन, भण्डारगार एवं सूचना आदान–प्रदान जैसे विविध क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों को बढ़ाना।

सरकारी स्तर पर निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए :

1. दोहरे कराधान से बचने संबंधी करार :

2. भारत सरकार और सिंगापुर के बीच समुद्री यातायात संबंधी करार,

3. भारतीय सरकार और सिंगापुर के बीच समुद्री यातायात संबंधी करार।

साथ ही, दोनों देशों के संबंधित निजी क्षेत्र के व्यापार संगठनों के बीच "स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फोर बिजनेस कोआपरेशन" नाम करार पर हस्ताक्षर हुए।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन और सिंगापुर व्यापार विकास बोर्ड के बीच सूचना के आदान–प्रदान से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

[हिन्दी]

कम्पनियों को सहायता

6572. डा. साक्षीजी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान अपना निर्यात लक्ष्य न प्राप्त करने वाली कम्पनियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इन कम्पनियों का निर्यात बढ़ाने के लिए इन्हें कोई सहायता/अनुदान/प्रोत्साहन दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से, निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए तथा सीमाशुल्क की रियायती दरों पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के लिए भी सहायता दी जाती है। ऐसे आयात की अनुमति उपयुक्त निर्यात दायित्व वाले सुनिश्चित लाइसेंस के आधार पर दी जाती है। ऐसे लाइसेंसों को जारी करना तथा उनके निर्यात दायित्व को मॉनीटरिंग करना एक सतत प्रक्रिया है। निर्यात दायित्व की मानिटरिंग के साथ जारी किए गए ऐसे लाइसेंस विभिन्न लाइसेंसिंग वर्षों में फैले हुए हैं अर्थात् विभिन्न वर्षों में जारी किए गए हैं। इन दायित्व की मॉनिटरिंग मामला–दर–मामला आधार पर की जाती है तथा इसके राज्यवार अथवा वर्षवार कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र कपास (उपापान, प्रसंस्करण तथा विपणन) अधिनियम, 1971

6573. श्री अन्ना जोशी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से "महाराष्ट्र कपास (उपापान, प्रसंस्करण तथा विपणन) अधिनियम, 1971" की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

बेरोजगारी में वृद्धि

***6574. श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शैक्षिक स्तरों पर गत चालीस वर्षों में बेरोजगारी की वृद्धि दर लगातार अधिक रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1981 और 1991 के दौरान (क) मैट्रिक पास (ख) स्नातक पूर्व (ग) स्नातक और उससे ऊपर (घ) व्यावसायिक स्नातकों में बेरोजगारी कितने प्रतिशत बढ़ी है ; और

(ग) 1981 में और 1991 में कुल बेराजगारों में प्रत्येक श्रेणी में अनुमानतः कितने प्रतिशत बेरोजगार थे ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) एक विवरण सलंग्न हैं।

(क) से (ग) बेरोजगारी संबंधी नवीनतम उपलब्ध आंकड़े वर्ष 1987-88 के लिए हैं। वर्ष 1977-78 तथा 1987-88 के दौरान शैक्षिणिक स्तर के अनुसार बेरोजगारी वृद्धि (जिसके लिए तुलनात्मक आंकडे उपलब्ध हैं) निम्न प्रकार थी :-

शैक्षिणिक स्तर		बेरोजगारी (मिलियन)		1977-78 की
		1997-78	1987-88	तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1.	अशिक्षित तथा माध्यमिक स्तर से नीचे	7.44 (69)	6.99 (60)	(-) 6.1
2.	माध्यमिक	2.41 (22)	3.20 (28)	32.8
3.	स्नातक तथा उस से ऊपर	0.91 (9)	1.34 (12)	47.3
	योग	10.76(100)	11.53(100)	7.2

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत वितरण दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

विमान यात्रा की लागत

6575. श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान यात्रा की लागत कम करने के लिए कोई सकारात्मक प्रयास किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों द्वारा विमान सेवा संचालन की लागत और कम करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) विमान, कलपुर्जों, वेतन, ईंधन आदि जैसे निवेशों की लागत पर हवाई यात्रा की लागत निर्भर करती है। सुरक्षित विमान प्रचालन के लिए हवाई अड्डे पर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी भारी खर्चा होता है। अतः निकट भविष्य में हवाई यात्रा की लागत में कोई भारी कमी करने की कोई संभावना नजर नहीं आती।

(ग) एयरलाइनों द्वारा प्रचालन लागत को यथासंभव कम करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

– मांग के अनुसार समयावलियों की मानिटरिंग।

– बेड़ा समयावलियों/यात्रा स्तरों आदि के भरपूर उपयागे, हवाई मार्गों को छोटा करके विमान ईधन की खपत में किफायत।

– विमान में ले जाये जाने वाले खाद्य पदार्थों/खान–पान की मुद्दों की क्षति से बचने के लिए बार–बार उड़ान पूर्व जांच।

– जहां कहीं संभव हो, समयोपरि भत्ते में कमी।

– जहां कहीं संभव हो पूंजी गत व्यय और अन्य प्रशासनिक खर्चे में कमी अर्थात् टेलीफोन, यात्रा, मुद्रण और लेखन सामग्री आदि।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का विकास

6576. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का विकास करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें स्वीकृत की गई हैं :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	बटोट में चार कुटीरें	18.00
2.	डेरा की गली में चार कुटीरें	14.00
3.	बानी में पर्यटक बंगला	28.08
4.	अचिमथंग में पर्यटक बंगला	17.86
5.	डरबग में पर्यटक बंगला	22.06
6.	कर्शा में पर्यटक बंगला	17.11
7.	तसोमोरिरि झील में पर्यटक बंगला	20.65

1	2	3
8.	अथोली (पद्दार) में पर्यटक बंगला	19.29
9.	सोटी में पर्यटक कुटीरें	6.45
10.	लेह में पर्यटक बंगला	19.73
11.	पटनी टाप में 5 कुटीरों का निर्माण	21.96
	जोड़	205.19

प्राथमिकता क्षेत्र को वित्तीय सहायता

6577. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार योजना जैसे समाजोन्मुखी कार्यक्रमों के लिए और प्राथमिकता क्षेत्र को बैंकों द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि यह क्षेत्र बैंकों से मिलने वाली वित्तीय सहायता से वंचित न रह जायें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बैंकों को पहले की हिदायतें दे रखी हैं कि वे सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत और प्राथमिकता क्षेत्र को आवश्यकता पर आधारित पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करें। अक्तूबर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी थी कि वे प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके असफल रहने पर बैंक विशेष नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं जिनमें ये शामिल होंगे –प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं को बढ़ाना या पुनर्वित्त सुविधाओं का वापस लिया जाना और/या आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे दूसरे उपाय।

इक्विटी शेयरों का आरक्षण

6578. श्री तेल नारायण सिंह :

श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक इशुओं/राइट इशुओं और इक्विटी अनिवेशों में से आवंटन के लिए इक्विटी शेयरों और ऋण पत्रों के आरक्षण के संबंध में सरकार की नीति अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के दिशा–निर्देश क्या है ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र की कितनी कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी किए हैं और सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक कम्पनी ने कर्मचारियों को औसतन कितने प्रतिशत शेयर जारी किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) "सेबी" के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर निम्नलिखित विशेष अधिकारों अथवा फर्म आबंटनों को करने की अनुमति दी गयी है

(i)	भारतीय और बहुपक्षीय विकास वित्तीय संस्थाएं	20 प्रतिशत
(ii)	भारतीय म्युचुअल फंड	20 प्रतिशत
(iii)	विदेशी संस्थागत निवेशक/जिसमें अनिवासी भारतीयों और समुद्रपारीय निगमित निकाय शामिल हैं)	24 प्रतिशत
(iv)	स्थाई/निर्गामी कम्पनी के नियमित कर्मचारी	10 प्रतिशत

(ख) सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में न्यूनलम 200 शेयरों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की चुकता पूंजी का 5 प्रतिशत विनिवेश करने का निर्णय लिया है और आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तद्नुसार बिक्री की कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी है।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना

6579. श्री प्रबीन डेका : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत असम को कोई धनराशि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त परियोजना के अन्तर्गत असम को धनराशि देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ) चूंकि कई अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर बाल श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है और राज्य सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं अतः असम में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत कोई परियोजना शुरू करने की अभी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

एयरलाइनों द्वारा विदेशी मुद्रा/राजस्व का अर्जन

6580. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में विभिन्न एयरलाइनों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये में राजस्व का अर्जन किया गया ; और

(ख) सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के हिस्से सहित आगामी पांच वर्षों के लिए इस संबंध में क्या अनुमान लगाया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में ऋण-वसूली

6581. श्री एन.जे. राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा की गई ऋणों की वसूली का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस वर्ष ऋणों की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कम या अधिक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से किसी राज्य में पूछे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, जून, 1991 और जून 1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, अखिल भारत औसत की तुलना में गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की मांग के मुकाबले में वसूली का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत	
	जून 1991	जून 1992
गुजरात	59.1	54.3
अखिल भारत	58.1	54.1

उपर्युक्त से, यह देखा जा सकता है कि गुजरात राज्य में वसूली संबंधी कार्य में जून 1991 के मुकाबले में जून 1992 में गिरावट आई है। तथापि, यह अखिल भारत स्तर पर व्याप्त प्रवृत्ति के अनुसार है।

[अनुवाद]

रेशम का निर्यात

6582. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 1994 के "फाइनाशियल एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "सिल्क एक्सपोर्ट्स, लैकलस्टर परफार्मेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रेशमी सामान के निर्यात में भारी कमी आने के परिणामस्वरूप इसके प्रमुख

निर्यातक के रूप में देश की वर्तमान छवि खतरे में पड़ने के क्या कारण हैं ; और

(ग) विश्व बाजार में भारतीय रेशमी सामान विशेषकर हथकरघा वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान भारत से रेशम उत्पादों के निर्यात में गिरावट आने का प्रमुख कारण अमरीका तथा यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में मन्दी है।

(ग) रेशम वस्त्रों तथा हथकरघा उत्पादों सहित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाएं हैं जिनमें एक एकीकृत बाजार–निर्धारित विनिमय दर पद्धति, चालू दर पर रुपये की परिवर्तनीयता, निर्यात उत्पादन के लिए छूट प्राप्त शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा, निर्यात साख की बढ़ी हुई उपलब्धता, विदेशी मुद्रा खाते में 25% तक विदेशी विनिमय प्राप्तियां रखने की अनुमति आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद तथा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद को विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यकलाप आरंभ करने के लिए सहायता दे रही है। इनके क्रेता–विक्रेता बैठकों का प्रायोजन, प्रमुख बाजारों के मेलों में भाग लेना, विदेश व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, उत्पाद विकास आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष योजना

6583. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय कपड़ा निगम की तर्ज पर राष्ट्रीय नवीकरण कोष योजना के अन्तर्गत राज्य में अन्य कपड़ा मिलों के श्रमिकों को डेढ़ महीने के वेतन की दर से अनुगृह राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था करने हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में होटल का निर्माण

6584. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश में विदेशी सहायता से एक नए होटल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्वीकृति और वितरण

6585. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के वित्तीय वर्षों के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की त्रैमासिक स्वीकृतियों और वितरणों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने उद्योग–वार कितनी राशि स्वीकृत की और कितनी राशि का संवितरण किया और क्या इस संबंध में किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ क्षेत्रों में वितरण में कमी–बेशी हुई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं 9

(ङ) क्या 1992-93 और 1993-94 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली से भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के वितरण पर विशेषतः विदेशी मुद्रा ऋण वितरण पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड द्वारा दी गयी तिमाही मंजूरियों और संवितरणों की स्थिति दर्शाने वाले विवरणों तथा साथ ही साथ वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 से संबंधित उद्योगवार ब्यौरा तैयार करने में जो समय और परिश्रम लगेगा, उसके हिसाब से परिणाम हासिल नहीं होंगें। तथापि, उक्त अवधि के दौरान दी गयी मंजूरियों और संवितरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रकम करोड़ रुपए)

वर्ष	मंजूरियां	संवितरण
1991-92	3117.16	1867.17
1992-93	4602.66	2731.99
1993-94	7057.12	3568.81

(ग) और (घ) आई.सी.आई.सी.आई. ने सूचित किया है कि तिमाही–वार संवितरणों में उतार–चढ़ाव आयें हैं जो मंजूरियों के पश्चात् संवितरणों को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं के कारण कारोबार में अन्तर्निहित हैं। अलबत्ता, मार्च 1993-94 के अंतिम तिमाही में, फरवरी, 1994 के बाद उधार दरों में कमी होने के परिणामस्वरूप काफी तेजी आयी थी।

(ङ) और (च) आई.सी.आई.सी.आई. ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में समूजे रूप से, संवितरणों में वृद्धि हुई है। तथापि, विदेशी मुद्रा संवितरणों में काफी कमी आयी है अर्थात् 1992-93 में इनमें 727.11 करोड़ रुपए की रकम अन्तर्ग्रस्त थी जबकि वर्ष 1993-94 मे यह रकम घटकर 470.35 करोड़ रुपए रह गयी। यह मुख्यतः आयोतों में कमी और कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा देनदारियों को बनाए रखने के प्रति अनिच्छा के कारण हैं। कुछ बडी–बड़ी कंपनियों ने परिवर्तनीय बाण्डों के जरिए, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में अपनी पहुंच बना ली है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का पुर्नगठन

6586. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

श्री अंकुशराव टोपे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय कपड़ा निगम का पुर्नगठन करने के लिए त्रिपक्षीय समिति में प्रस्तुत किये गये प्रस्तावित समझौते के प्रारूप में संशोधन करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो त्रिपक्षीय समिति द्वारा की गयी सिफारिशों तथा मजदूर सघों द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मजदूर संघों द्वारा दिये गये सुझावों के संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को पुररूजीवित करने के लिए वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की गई आधुनिकीकरण/सुव्यवस्थिकरण योजना को एन.टी.सी. के लिए श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति जिसमें वस्त्र मंत्रालय श्रम मंत्रालय तथा कामगार संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने अनुमोदित कर दिया है। विशेष त्रिपक्षीय समिति ने एकमत से निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

1. वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा दी गई रिपोर्टों से पता चलता है कि एन.टी.सी. की मिलों के साथ–साथ अधिग्रहीत मिलों को आधुनिकीकरण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है।

2. इसलिए आधुनिकीकरण/सुव्यवस्थीकरण मजदूर संघों के परामर्श से लिया जाना चाहिए।

3. किसी भी प्रकार छंटनी नहीं की जानी चाहिए।

4. निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

5. अधिग्रहीत मिलों को राष्ट्रीयकृत किया जाएगा।

6. फालतू भूमि को बेचा जाए तथा उससे प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग प्रबंधकों द्वारा आधुनिकीकरण, कार्यशील पूंजी आदि के लिए किया जाना चाहिए।

7. धारक कंपनी तथा सहायक निगमों दोनों के स्तर पर व्यवसायिक प्रबंधन को मजबूत बनाया जाना चाहिए तथा एकक से लेकर धारक कंपनी के स्तर के सभी स्तरों तक के प्रबंधन में कामगारों की कारगर सहभागिता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

8. उपर्युक्त प्रस्तावों को स्वीकार करने तथा मामलों को बन्द करने के लिए बी.आई.एफ. आर. को प्रस्ताव भेजने के लिए कदम उठाए जायेंगे।

पुनर्जीवित योजनाओं को कार्यान्वित करने से पूर्व तथा सरकार द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

इन्दिरा विकास पत्र

6587. डा० के.वी.आर. चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा विकास पत्रों के द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष–वार तथा राज्य–वार कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गयी ; और

(ख) इस धनराशि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) किसी भी राज्य में लघु बचत योजनाओं, जिनमें इंदिरा विकास पत्र भी शामिल हैं, के अन्तर्गत प्राप्त किए गए निवल संग्रहणों की तीन–चौथाई धनराशि उसी राज्य को राज्य योजना के वित्तपोषण हेतु दीर्घावधिक ऋण के रूप में दे दी जाती है।

विवरण

इंदिरा विकास पत्र से संबंधित प्राप्त सकल और निवल संग्रहण

करोड़ रुपए

क्रम सं.	राज्य	1991-92		1992-93		1993-94 (दिसम्बर, 1993 तक)	
		सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आन्ध्र प्रदेश	107.80	60.34	49.66	11.44	70.11	-30.56
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.67	0.54	0.24	0.09	-0.22	-0.77
3.	असम	9.27	3.11	6.99	-0.63	9.51	-12.81
4.	बिहार	45.72	16.81	1.21	-28.70	37.97	-52.86
5.	गोआ	6.30	4.49	3.99	1.91	5.82	-1.99
6.	गुजरात	142.74	18.70	74.36	-14.50	119.61	-66.33
7.	हरियाणा	51.12	24.06	32.70	12.98	46.79	-3.50
8.	हिमाचल प्रदेश	28.63	18.67	18.72	8.96	25.12	-5.32
9.	जम्मू और कश्मीर	14.62	6.29	9.84	2.95	13.03	-4.41
10.	कर्नाटक	92.42	62.87	63.27	26.09	66.08	-32.72

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11.	केरल	75.11	46.56	50.91	25.12	59.11	4.50
12.	मध्य प्रदेश	68.33	27.11	55.27	28.42	73.05	-18.97
13.	महाराष्ट्र	150.60	31.95	114.58	24.84	148.52	-524.39
14.	मणिपुर	0.50	0.27	0.35	0.12	0.09	-0.52
15.	मेघालय	1.68	0.65	1.13	-0.04	-0.28	-3.19
16.	मिजोरम	1.11	0.98	0.77	0.48	0.11	-0.64
17.	नागालैंड	0.51	0.22	0.56	0.07	1.34	-0.84
18.	उड़ीसा	29.09	18.04	15.34	5.14	19.75	-13.42
19.	पंजाब	91.94	14.30	53.05	15.29	95.42	-14.64
20.	राजस्थान	122.13	89.74	65.03	34.05	93.13	-6.91
21.	सिक्किम	0.42	0.14	0.38	-0.14	1.07	-0.81
22.	तमिलनाडु	100.37	73.48	58.39	36.09	53.57	-6.86
23.	त्रिपुरा	1.72	0.46	1.48	0.04	0.16	-4.02
24.	उत्तर प्रदेश	180.79	84.17	99.54	32.99	151.22	-60.52
25.	पश्चिम बंगाल	145.18	67.59	56.23	2.65	106.91	-65.80

[हिन्दी]

बैंक ऋण

6588. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा खादी ग्रामोद्योग, कुटीरउद्योग और कृषि पर आधारित उद्योगों जैसे ग्रामीण रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों को तथा पम्प–सेट लगाने तथा कृषि उपकरण खरीदने के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता/ऋण उपलब्ध कराया गया है ; और

(ख) 1994-95 के दौरान इन क्षेत्रों को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये ढ़ंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, जून, 1991 और 1992 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्ष के दौरान मध्यप्रदेश में कृषि, लघु उद्योग, लघु सिंचाई और कृषि उपस्करों और मशीनरी के अधीन सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित राशि नीचे दी गई है :

(रु. करोड़ में)

	राशि	
	जून, 1991	जून, 1992
कृषि	352.90	230.93
लघु उद्योग	95.83	67.26
लघु सिंचाई	46.05	28.79
कृषि उपस्कर और मशीनरी	81.57	80.15

(ख) सभी भारतीय बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान करें जिसमें अन्यों के साथ–साथ, कृषि और लघु उद्योग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18 प्रतिशत का एक उपलक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में कोई राज्यवार/क्षेत्रवार/क्रिया–कलाप–वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। बैंकों को अखिल भारत स्तर पर उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

[अनुवाद]

उपभोग पैटर्न

6589. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मनुष्य और पर्यावरण" विश्व संसाधन 1994-95 के शीर्षक से प्रकाशित विश्व संसाधन

संस्था की अपनी रिपोर्ट के अनुसार विद्युत, पैट्रोलियम और घरेलू उपकरणों के कुल 75% उपभोग 1.5 प्रतिशत भारतीयों द्वारा किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में भारत के बारे में किन मुख्य मामलों पर प्रकाश डाला गया है ;

(ग) क्या सरकार ने भी इन मदों के उपभोग पैटर्न का मूल्यांकन किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में इस असंतुलित स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

6590. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 1982 से राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कितनी मिलें बन्द पड़ी हैं ;

(ख) सरकार ने राज्य की कितनी रुग्ण राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अधिग्रहण किया है ;

(ग) राज्य में 1982 से आज तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ऐसी कितनी रुग्ण मिलों कों पुनः चालू किया गया ; और

(घ) सरकार द्वारा अन्य बन्द मिलों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) महाराष्ट्र में 1982 से एन. टी.सी. की कोई भी मिल बन्द नहीं पड़ी है। तथापि, कार्यशील पूंजी की कमी के कारण कुछ मिलों में क्रियाकलापों की समाप्ति/संक्षेपण हुई है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में सरकार द्वारा 22 वस्त्र मिलें अधिग्रहीत और 1-4-74 से राष्ट्रीयकृत की गई थीं। सरकार ने अक्तूबर 1983 से बम्बई स्थित 13 वस्त्र मिलों के प्रबन्धन को भी अपने हाथ में लिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारत कोष

6592. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गये प्रथम विदेशी भारत कोष की कटौती

समाप्त करने और शेयरधारी के निवेश में वृद्धि करने के लिए खुली योजना में परिवर्तित किए जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की पहली अपतटीय निधि "दि इंडिया फण्ड" जुलाई 1993 से अनिश्चित अवधि की निधि बन गई है जिसमें नए शेयरों को जारी करने के साथ निवेशकों की मर्जी पर पुराने शेयरों के परिशोधन/पुराने शेयरों को नए शेयरों में परिवर्तित करने की सुविधा भी है। इस परिवर्तन से शेयर धारक पूंजीगत लाभों पर लागू किसी भारतीय कर को घटाकर निवल परिसम्पत्ति मूल्य पर आधारित मूल्य पर मौजूदा शेयरों का परिशोधन कर सकते हैं। शेयर लन्दन स्टॉक एक्सचेंज तथा डब्लिन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

गुजरात में बैंकों को घाटा

6593. डा. अमृतलाल कालिदास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में सरकारी और सहकारी क्षेत्र के कुछ बैंक घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन बैंकों द्वारा किया गया प्रशासनिक उपरिव्यय कितना है ; और

(घ) इस घाटे को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अर्जित किये गये लाभों/हानियों का राज्य–वार ब्यौरा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, गुजरात में स्थित कुछ शहरी सहकारी बैंकों ने हानियां उठायी हैं।

(ख) और (घ) गुजरात में स्थित ऐसे शहरी सहकारी बैंकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	रिपोर्ट भेजने वाले बैंकों की संख्या	हानि उठाने वाले बैंकों की संख्या
1990-91	268	13
1991-92	268	15
1992-93	71	2

हानि उठाने वाले बैंक, पुनरूद्धार के अंतर्गत कमजोर बैंक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कमजोर/गैर–अर्थक्षम बैंकों की भावी संरचना के बारे में पहले ही समुचित कार्रवाई आरंभ कर दी है। रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर प्रयासों का समन्वय कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, संबंधित राज्य सहकारी बैंकों को, पुनरूद्धार कार्यक्रम

के कार्यान्वयन में, कमजोर शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए भी कहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों मे इन बैंकों द्वारा किये गये प्रशासनिक उपरिव्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	(लाख रुपए में)
1990-91	245.72
1991-92	242.04
1992-93	29.41

[हिन्दी]

मेवों का निर्यात

6594. श्री राजबीर सिंह :

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान देशवार कितनी मेवों का निर्यात किया गया ;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) इसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) काजू की गिरी और अखरोट भारत से निर्यात होने वाले दो प्रमुख सूखे मेवे हैं। अप्रैल–नवंबर, 1993 के दौरान इन सूखे मेवों के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध हैं और नीचे दिए गए हैं :

	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
काजू की गिरी	44228	675.73
अखरोट	3703	38.37

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. ऐंड एस, कलकत्ता)

देशवार निर्यात आंकड़े वाणिज्यिक और आसूचना महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टैटिस्टिक्स ऑफ फारेन ट्रेड ऑफ इंडिया, वोल्यू. 1 के नवम्बर, 1993 अंक मे उपलब्ध हैं। इस अंक की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) एक एकीकृत विनिमय दर और कृषि वस्तुओं–जिनमें काजू गिरी और अखरोट शामिल हैं–के निर्यात के अनिवार्य लदान पूर्व निरीक्षण का सरलीकरण आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जो सूखे मेवों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए कच्चे काजू के बिना लाइसेंस आयात को अनुमति दी जाती है। सरकार ने बागवानी क्षेत्र के परिव्यय में भारी वृद्धि की है जिसके परिणामस्वरूप सूखे मेवों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस वृद्धि से निर्यात के लिए अधिक मात्रा में तथा प्रतियोगिता–क्षम माल प्राप्त होगा।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, काजू निर्यात संवर्धन परिषद और कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं तथा अन्य देशों में आयात कर्त्ताओं के साथ बातचीत और कार्रवाई के उद्देश्य से क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करते हैं।

[अनुवाद]

वित्तीय निगरानी के लिए बोर्ड

6595. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय निगरानी के लिए किसी बोर्ड की स्थापना की है अथवा करने का विचार किया है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए एक बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् बोर्ड का गठन किया जायेगा।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण

6596. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक बैंकों ने गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि के ऋण दिए ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के कारण इन बैंकों की ऋण देने की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका कितना प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 19 मार्च, 1993 और 18 मार्च, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया बैंक ऋणों की कुल राशि क्रमशः 151982 करोड़ रुपए और 163622 करोड़ रुपए थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कम्पनियों का कार्य निष्पादन

6597. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उससे सहायता प्राप्त कर रही कम्पनियों के कार्य निष्पादन की जांच करता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(ग) सरकार ने इस बैंक की निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि सहायता प्राप्त कम्पनियों के कार्यनिष्पादन पर वे कड़ी नजर रखते हैं तथा इन कम्पनियों का कार्यनिष्पादन सामान्यतया संतोषजनक रहा है। आई. डी.बी.आई. एक तंत्र के माध्यम से इन कम्पनियों की निगरानी करती है, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, आई.डी.बी.आई. के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा किए जाने वाले अनुवर्ती दौरों, तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा सहायता प्राप्त कम्पनियों की आवधिक समीक्षा, शामिल हैं।

[अनुवाद]

चाय उद्योग पर उपकर

6598. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय उद्योग पर से उपकर समाप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस पर चाय बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस उपकर को समाप्त किए जाने से विश्व में निर्यात बाजार को अत्यधिक घाटा होगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण

6599. डा. साक्षीजी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कितनी ऋण राशि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों पर बकाया है और 1993 के दौरान इन बैंकों द्वारा कितनी धनराशि माफ की गई ; और

(ख) बकाया ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास बकाया ऋणों की रकम मार्च 1993 के अन्त तक 949 करोड़ रुपए थी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उत्तर प्रदेश राज्य में 111.11 करोड़ रुपए माफ किए गए थे।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली स्थिति में सुधार करने के लिए उन्हें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है :

(I) गैर–सार्वजनिक कारोबार कार्य दिवसों का अन्य बातों के साथ–साथ विशेष रूप जिन उधार कर्ताओं से वापसी भुगतान प्राप्त नहीं हो रहे हैं उन उधारकर्ताओं के पास जाकर, उपयोग किया जाए।

(II) सभी अतिदेय अग्रिमों की समीक्षा की जाए और निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गांरटी निगम के पास दावे प्रस्तुत किए जाएं और जहां वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देय राशियों की वसूली के लिए तलवार समिति की सिफारिशों के अनुसार उपयुक्त वसूली अधिनियम पारित कर दिए गए हैं, ऐसे मामलों में साथ ही साथ वसूली मामले दर्ज किए जाएं।

(III) जानबूझकर चूक करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए ;

(IV) जहां कहीं लोक अदालतें कार्य कर रही है वहां पर उनकी सहायता ली जाए ;

(V) सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत सभी ऋण खातों की वसूली स्थित की ब्लाक स्तरीय बैंकर समिति (बी.एल.बी.सी.) जिला समन्वय समिति (डी.सी.सी) आदि फार्मों में समीक्षा की जाए और वसूली अभियान/कम्पेन में राज्य सरकार के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जाए ; और

(VI) जहां उधार की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए वहीं निधियों के अन्तिम उपयोग को सुनिश्चित करने में कोई कसर न रखी जाए और अग्रिमों के दुरूपयोग के मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

ग्राहकों की शिकायतें

6600. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ग्राहकों की शिकायतों को संबंधित अधिकारी ध्यान से सुनते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ग्राहकों की शिकायतों पर उचित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) ग्राहकों की शिकायतों को उचित ढ़ंग से दूर करने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिकायतों की जांच शीघ्र की जाए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर विभिन्न उपाय किए हैं। बैंकों द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं : प्रत्येक महीने की 15 तारीख को 'ग्राहक दिवस' के रूप में मनाना, शाखा स्तर पर शिकायत/सुझाव पेटिका का रख–रखाव, शाखाओं मे ग्राहक सेवा समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करना, शाखा, क्षेत्रीय/अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय स्तरों पर शिकायत कक्षों की स्थापना करना। राज्यों की राजधानियों और चुने हुए केन्द्रों में ग्राहक सेवा केन्द्र सृजित किए गए हैं। विभिन्न स्तरों पर बैंक कार्यपालकों और उनके ग्राहक के बीच परस्पर अधिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया गया है, ताकि पारस्परिक सद्भाव और समझ का संवर्धन किया जा सके।

बैंकों में ग्राहक सेवा को सुधारने के उद्देश्य से, इस क्षेत्र में बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के उपायों का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1990 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ग्राहक सेवा के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक सिफारिशें की। भारतीय रिजर्व बैंक ने समिति की स्वीकृत सिफारिशें के कार्यान्वयन के लिए सभी बैंकों को पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

आसाम के राष्ट्रीयकृत बैंक

6601. श्री प्रवीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को असम में उपरोक्त बैंकों की और शाखाएं खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 30.6.1993 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 809 शाखाएं असम में कार्यरत थी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-95 की शाखा विस्तार योजना के अंतर्गत, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 31.3.1995 तक असम में शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को 13 शहरी आबंटित किए गए हैं : –

	बैंक का नाम	जिला	केन्द्र का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1. जोरहट	बोरपूल
		2. कामरूप	कालीपुर भूटान्थ
2.	केनरा बैंक	3. कामरूप	खिलीपाड़ा
3.	इण्डियन बैंक	4. कामरूप	बेलटोला
4.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	5. कामरूप	अडामार
5.	युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	6. जोरहट	राजाबरी
		7. जोरहट	जेल रोड
		8. कामरूप	अम्बीकाजीरीनगर
		9. कामरूप	एम.जी.रोड (उजानबाजार)
6.	बैंक ऑफ इण्डिया	10. जोरहट	बोंगालाहूंकुरी
		11. कामरूप	हेनग्राबारी (आफ गनेशपुरी चारयाली)
7.	कार्पोरेशन बैंक	12. कामरूप	पुराने बस स्टैण्ड के पास, केदार रोड, मेकाकनोवा
8.	बैंक ऑफ बड़ौदा	13. जोरहट	गोरमुर

जहां तक अर्द्ध–शहरी केन्द्रों का संबंध है, बैंकों को अखिल भारत स्तर पर उनकी आबंटित किये गए कोटे के अन्दर अपनी पसंद के केन्द्रों पर शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है। अद्यतन सूचना के अनुसार, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार असम में 6 बैंकों ने अर्द्ध–शहरी केन्द्रों में 11 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया है :

बैंक का नाम		जिला का नाम	केन्द्र का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1. मोरीगांव	मोरीगांव
		2. नगायन	लुमडिंग
3.	इण्डियन बैंक	3. डिब्रूगढ़	दुलियाजान
4.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4. सोनितपुर	तेजपुर
		5. सोनितपुर	तेजपुर
		6. नोगांव	नोगांव
		7. कच्छार	सिलेहर
		8. सिबसागर	सिबसागर
		9. ब्रोनगईगांव	ब्रोनगईगांव
5.	पंजाब नेशनल बैंक	10. गोलाघाट	देनगेनाखोवा
6.	युनाइटेड बैंक ऑफ इडिया	11. सोनितपुर	विसवारथ चराली

वर्तमान नीति के अनुसार, प्रत्येक बैंक अपने सेवा क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण केन्द्र की पहचान कर सकता है। पहचाने गए केन्द्रों के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार के संस्थागत वित्त विभाग के माध्यम से विचार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेजना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे असम के ग्रामीण क्षेत्र में शाखा खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

लघु उद्योगों की मांगें

6602. श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : क्या **वित्त** मंत्री ययह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग महासंघ ने अपनी मांगों के संबंध में कुछ अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मार्गों पर विचार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग परिसंघ ने लघु उद्योग क्षेत्र पर बजट प्रस्तावों के प्रभाव के संबंध में एक अभिवेदन प्रस्तुत किया है। महासंघ ने अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्योग (एस.एस.आई.) एककों के कार्यप्रणाली संबंधी सरलीकरण, विभिन्न वस्तुओं जो 1994-95 के बजट में छोड़ दी गई थी, के उत्पाद शुल्क

से छूट का पुनः स्थापन, ब्रांड के नाम के पुनः स्थापन का प्रावधान तथा लघु उद्योगों (एस.एस.आई) की छूट सीमाओं में वृद्धि के लिए अभिवेदन दिया है।

(ग) और (घ) सरकार ने लघु उद्योग संघ के अनुरोधों की जांच की है। 1994-95 के बजट के बाद हवाई चप्पल 50 रुपए प्रति जोड़े तक की कीमत के जूते आबद्ध प्रयोग के लिए मिश्रित रबड़, हथकरघा क्षेत्र द्वारा निर्मित दुगुने या कई तह वाले धागे, रूमाल, शालें तथा अन्य गौण वस्त्र, तौलिए आदि, विविध जूट उत्पाद, आबद्ध रूप से प्रयुक्त मिश्रित पी.वी.सी. छाते, बिजली के प्रयोग के बिना बनाए गए साबुन आदि जैसी चीजों पर उत्पाद शुल्क में छूट पुनः स्थापित की गई कुछ विशेष वसतुएं जैसे ऊन, अन्य काता हुआ धागा, जैसे ओवेन फैब्रिक्स, रबरीकृत वस्त्र फैब्रिक्स आदि पर सामान्य लघु उद्योग (एस.एस.आई) योजना का विस्तार किया गया है।

लघु उद्योग एककों द्वारा उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन तथा भुगतान के लिए प्रक्रिया को भी बहुत अधिक सरलीकृत कर दिया गया है।

लघु उद्योग में ब्रांड के नाम के प्रावधानों में भी छूट दी गई है बजट के प्रस्तुत होने के पश्चात कोड़ नवम्बर, ड्राइंग नम्बर और डिजाइन नम्बर के प्रयोग कों ब्रांड के नाम की परिभाषा की सीमा से हटा दिया गया है लघु उद्योग एकक, जो किसी मशीन के ऐसे संघटक पुर्जों का निर्माण कर रही है, जिनका मशीन के विनिर्माण में मूल उपस्कर के रूप में प्रयोग किया जाना है, किसी जटिल प्रक्रिया का पालन किए बिना एक वर्ष मे 30 लाख रु. मूल्य की पहली स्वीकृति तक ब्रांड युक्त संघटक पुर्जों को स्वीकृति दे सकती है।

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि लघु उद्योग एककों के लिए सामान्य उत्पाद शुल्क छूट योजना के तहत दिनांक 28.2.93 की अधिसूचना संख्या 1/93- सी.ई. के अन्तर्गत किसी एकक को एक वर्ष में 30 लाख रु. की स्वीकृति के लिए उन्हें उत्पाद शुल्क अदा करना आवश्यक नहीं है। देश में लगभग 90 प्रतिशत छोटे और लघु एककों का लिखित रूप से एक वर्ष में 30 लाख रुपए से कम का उत्पादन है। अतः वर्तमान छूट सीमा देश में लघु एककों के लाभ के लिए संतोषजनक समझी गई है।

देशी और विदेशी ऋण

6603. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1993 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार पर देशीय ऋण, विदेशी सहायता, भविष्य निधि, लघु बचत और सावधि जमाराशि सहित कुल कितनी बकाया दायिता है ;

(ख) 1982-83 से इसमें कितनी दशब्दक वृद्धि हुई है ;

(ग) 1987-88 से कितनी पंचवर्षीय वृद्धि हुई है ;

(घ) 31 मार्च, 1992 से कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है ; और

(ङ.) बकाया दायिता में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1993 को विदेशी ऋण सहित संघ सरकार का बकाया ऋण और अन्य देनदारियां 4,80,334 करोड़ रूपए की थी।

(ख) वर्ष 1982-83 से दर्शाब्दिक वृद्वि 3,91,866 करोड़ रूपए की थी।

(ग) वर्ष 1987-88 की तुलना में पंचवार्षिक वृद्वि 2,71,718 करोड़ रूपए की थी।

(घ) 31 मार्च, 1992 से वार्षिक वृद्वि 53,244 करोड़ रूपए की थी।

(ङ) ऋण में वृद्वि मूल रूप से कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा लिया गया अधिक उधार है। सरकार व्यय को नियंत्रित करके और प्राप्तियां बढ़ाकर उधारों को बजट के स्तर तक सीमाबद्ध करने का प्रयास करेगी।

निर्यातोन्मुखी एकक

6604. श्री एन.जे. राठवा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करने के संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर राज्य वार क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। वर्ष 1993 और 1994 में (आज तक) निर्यातोंन्मुख एकक योजना, के अंतर्गत राज्यवार दिये गये अनुमोदनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य	1993	1994 (आज तक)
आन्ध्र प्रदेश	87	20
गुजरात	44	12
हरियाणा	31	5
हिमाचल प्रदेश	4	2
कर्नाटक	48	12
केरल	17	1
मध्य प्रदेश	13	3
महाराष्ट्र	68	24

उड़िसा	8	1
पंजाब	6	3
राजस्थान	45	6
तमिल नाडु	73	16
उत्तर प्रदेश	26	9
पश्चिम बंगाल	8	1
दादर एवं नगर हवेली	3	1
दिल्ली	14	1
गोवा	4	2
लक्ष्यद्वीप	-	-
पांडिचेरी	-	2
दमन एवं दीव	1	1
बिहार	2	-
मेघालय	1	-
त्रिपुरा	1	-
अंडमान एवं निकोबार	1	-
योग :	505	122

कलकत्ता स्टॉक एक्सचेन्ज के दलालों पर आयकर छापे

6605. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेन्ज के अनेक दलालों और आपरेटरों के यहां खोज और जब्ती का एक व्यापक अभियान चलाया था ;

(ख) यदि हां, तो मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है और ये छापे आपरेटरों द्वारा चलाए जा रहे सट्टा व्यापार का पता लगाने में कहां तक सफल रहे और व्यापार का वास्तविक स्वरूप क्या था ; और

(ग) इस संबंध में आयकर विभाग और भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) हाल ही में दिनांक 6-4-1994 को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेन्ज के केवल एक शेयर दलाल श्री बी.सी. लम्बोरिया के परिसरों की तलाशी ली गई थी। उक्त तलाशी के परिणमस्वरूप 1.73 करोड़ रू. की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण किया गया।

उक्त तलाशी की कार्यवाही के दौरान अभिगृहीत की गई सामग्री के आधार पर प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के विविध उपबंधों के अन्तर्गत आवश्यक अनुवर्ती जांच–पड़ताल की गई है, जिससे प्रथमदृष्टया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन का पता नहीं चलता है।

विदेशी पर्यटकों के आगमन का दुष्प्रभाव

6606. श्री सुशील चन्द वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)- क्या सरकार ने आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या पर वेश्यावृति, एड्स, बालकों के शोषण और जासूसी जैसी विभिन्न बुराइयों में तेजी से वृद्धि होने से पड़ने वाले संभावित प्रभाव की जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजा़द) : (क) से (ग) विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होने से वेश्यावृति, एड्स, बालकों के शोषण और जासूसी जैसी विभिन्न बुराइयों के तेजी से बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि विभिन्न अधिनियमों, नियमों तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत संबंधित एजेंसियों द्वारा उनकी जांच–पड़ताल की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की वित्तीय स्थिति

6607. श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षो के दौरान भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्र सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण जमा अनुपात, सरकार तथा गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रबंधन तथा धन निवेश और लाभप्रदता से संबंधित बैंक–वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन बैंकों के ऋण जमा अनुपात, इनके द्वारा किए गए निवेश तथा इनकी लाभप्रदता देश में बैंकिंग क्षेत्र की सुंदृढ़ वित्तीय स्थिति के परिचायक है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो वांछित आर्थिक स्थिति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का गत तीन वर्षों का ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण-I में दिया गया है। गत तीन वर्षों का सरकारी क्षेत्र के बैंकों का लाभ संलग्न विवरण -II में दिया गया है।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने मुख्यत : अनुप्रयोज्य आस्तियों के उच्च स्तर और आय की पहचान, परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए नए विवेकपूर्ण मानदण्डों के कार्यान्वयन के कारण हानि उठाई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण और लाभप्रदता को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय प्रारंभ किये हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है जो पुनपूंजीकरण निधियों के जारी करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के ज्ञापन में सम्मिलित किये गये हैं।

I संगठनात्मक ढांचे में सुधार।

II महत्वपूर्ण/चुने हुए क्षेत्रों के यंत्रीकरण और स्टाफ पर अंकुश लगाने सहित उत्पादकता स्तरों में सुधार करना।

III मानव संसाधन विकास।

IV संस्थागत व्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण में सुधार करना।

(V) ऋण मूल्यांकन, मानीटरिंग में सुधार और सामान्यतया ऋण प्रशासन में सुधार करना।

(VI) प्रभावी वसुली उपाय।

(VII) सतर्कता मशीनरी को मजबूत बनाना और चूककर्ता कर्मचारियों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही करना।

(VIII) लाभ आयोजना और लाभ स्तरों में सुधार।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा अनुपात

क्र.सं	बैंक का नाम	31.3.91	31.3.92	31.3.93
1.	इलाहाबाद बैंक	49.7	53.2	53.9
2.	आंध्रा बैंक	57.6	50.7	46.0
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	59.8	62.1	62.8
4.	बैंक ऑफ इंडिया	59.2	60.6	56.1

5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	61.1	54.7	48.3
6.	केनरा बैंक	59.2	56.0	49.3
7.	सेंट्रल बैंक	53.5	51.9	49.7
8.	कार्पोरेशन बैंक	51.6	43.9	44.2
9.	देना बैंक	58.6	50.8	49.6
10.	इंडियन बैंक	65.6	60.4	53.9
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	53.7	42.4	44.0
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	54.7	46.9	41.6
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	51.9	50.5	52.6
14.	पंजाब नेशनल बैंक	55.5	52.9	55.7
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	54.7	52.8	46.9
16.	सिंडिकेट बैंक	57.0	48.0	45.0
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	51.3	47.4	48.9
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	56.1	55.0	49.1
19.	यूको बैंक	59.5	44.3	41.5
20.	विजया बैंक	67.4	56.8	48.9
21.	भारतीय स्टेट बैंक	66.9	52.9	60.0
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	65.5	62.1	61.1
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	67.3	64.8	61.7
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	70.7	66.9	64.1
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	68.7	63.3	62.3
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	67.8	64.9	62.1
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	76.8	70.0	57.1
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	63.6	55.6	58.7

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के बैंकों को हुआ लाभ करोड़ रू.

क्र.सं.	बैंक का नाम	निवल लाभ (प्रकाशित)		
1	2	3	4	5
		31.3.91	31.3.92	31.3.93
1.	इलाहाबाद बैंक	19.84	28.11	(-)(105.89)
2.	आंध्रबैंक	8.22	. 8.42	(-)(141.09)
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	56.66	94.50	(-)8.23
4.	बैंक ऑफ इंडिया	19.49	56.63	(-)(331.11)
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3.10	4.04	(-)(196.51)
6.	केनरा बैंक	136.04	156.59	(-)26.07
7.	सेन्ट्रल बैंक	9.48	30.49	(-)(383.31)
8.	कारपोरेशन बैंक	4.65	5.20	(-)4.12
9.	देना बैंक	7.26	9.10	(-)(90.46)
10.	इंडियन बैंक	31.84	36.50	(-)6.51
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6.74	9.05	(-)(752.74)
12.	न्यू बैंक ऑफ इंडिया	-(45.00)	-(41.52)	(-)(75.79)
13.	आरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	22.84	26.78	(-)20.50
14.	पंजाब नेशनल बैंक	73.69	112.44	(-)38.01
15.	पंजाब एंड सिंघ बैंक	-(5.45)	0.68	(-)(195.19)
16.	सिंडिकेट बैंक	2.84	4.46	(-)(670.08)
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.05	29.45	11.26
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	5.78	6.68	(-)(279.36)
19.	यूको बैंक	(42.96)	-(20.99)	(-)(444.10)
20.	विजया बैंक	0.25	1.84	(-)(97.88)
	योग	325.36	558.45	(-)(3648.90)

1	2	3	4	5
21.	भारतीय स्टेट बैंक	107.01	175.05	212.04
22.	एस.बी.बी.जे	5.50	9.50	10.50
23.	एस.बी.हैदराबाद	8.51	12.75	17.02
24.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	2.94	3.23	3.23
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	2.87	3.85	4.02
26.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	14.59	29.78	20.12
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4.50	6.00	5.00
28.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	4.00	5.09	8.10
	योग	**149.92**	**245.25**	**280.03**
	कुल योग	**475.28**	**803.70**	**-(3368.87)**

[हिन्दी]

नारियल का निर्यात

6608. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में नारियल का निर्यात हुआ ; और

(ख) इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए नारियल की मात्रा निम्नानुसार है ? :–

	1991-92	1992-93	1993 (अप्रैल-नवम्बर 93)
ताजा नारियल	4023 किग्रा.	44384 किग्रा.	150530 किग्रा.
डेसिकेटेड			
सूखा			

(स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस)

(ख) नारियल उद्योग के एकीकृत विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं, दोनों के लिए सरकार ने आठवीं योजना में परिव्यय में काफी वृद्धि की है। कार्यनीति यह है कि अच्छी किस्म की रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, क्षेत्र विस्तार, पुनर्जीवित करने एवं रोग

प्रबंध, विस्तार तथा प्रकाशन कार्यकलाप के द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जाए। इससे निर्यात योग्य बेशी में वृद्धि होगी तथा हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

[अनुवाद]

शेयरों का विनिवेश

6609. श्री जार्ज फर्नाण्डीज़ :

श्री अन्ना जोशी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले उपक्रमों से संबंधित शेयरों के विनिवेश की एक चुन्निंदा योजना अपनाने का निर्देश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

टेलीविजन स्टूडियो के उपकरण

6610. श्री मोहन रावले : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी प्रसारण, टेलीविजन संगठन, विदेशी समाचार–पत्र के अधिकृत संवाददाताओं को बिना लाइसेंस के टेलीविजन स्टूडियों के उपकरणों का एक एक सेट आयात करने का अधिकार है ;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि विदेशी पत्रकार वाणिज्यिक टेलीविजन स्टूडियों को यह उपकरण बेचते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके संभावित दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चालू निर्यात तथा आयात नीति, 1992-97 के अंतर्गत किसी विदेशी प्रसारण अथवा दूरदर्शन संगठन या किसी विदेशी न्यूज एजेन्सी अथवा किसी विदेशी समाचार–पत्र के अधिकृत संवाददाता प्रेस आसूचना ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सिफारिशें पर बिना लाइसेंस के निम्नलिखित सामान के आयात के लिए पात्र हैं बशर्तें कि उक्त सामान उनके विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा मुफ्त सप्लाई किया गया हो :

(I) 3/4 यू मेटिक (हाईबैण्ड) या बेटाकैम कैमरा और रिकार्डर या अन्य व्यावसायिक 1/2 कैमरा और रिकार्डर।

(2) बेटाकैम या अन्य प्लेबैक यूनिट और मानीटर।

(3) एडिटिंग बैक।

(4) स्टूडियो एडिटिंग मशीन का पेयर

(5) मिक्सिंग उपस्कर।

(6) नॉयस–रिडक्शन इक्विपमेंट।

(7) वर्ड प्रोसेसर।

(8) कान्सटैंट पावर पैक

(ख) ऐसा कोई मामलों हमारी जानकारी में नहीं आया हे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य ह्रास संबंधी मानदंड

6611. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातोन्मुखी एककों पर लागू होने वाले पूंजीगत सामान के मूल्य ह्रास संबंधी ढांचे पर लगने वाले सीमाशुल्क के आकलन की समीक्षा करने की पहल की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मूल्य ह्रास संबंधी मानदंडों में संशोधन कब तक कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) दिनांक 15 अप्रैल, 1994 की अधिसूचना संख्या 110 सीमाशुल्क /94 द्वारा किये गये एक संशोधन के अनुसार, निर्यात–आयात नीति के अनुसरण में किसी शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम से निकासी किये गये पूंजीगत माल का शुल्क निर्धारण उसके आयात के समय पर लागू शुल्क की दर, जो पद्वति उस समय तक लागू थी, के स्थान पर उस पर शुल्क अदायगी की तारीख को लागू दर पर किया जायेगा। शुल्क की राशि का निर्धारण करने के लिए ऐसे पूंजीगत माल के लिए उसके उपयोग की अवधि पर निर्भर करते हुए मूल्यह्रास की अनुमति दी जाती है।

(ग) पूंजीगत माल को बांड रहित (डि–बांन्डिंग) करते समय ऐसे माल के निर्धारण के लिए मूल्यह्रास मानदंडों को संशोधित करने हेतु इस समय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी संस्थागत निवेशक

6612. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार से विदेशी संस्थागत निवेशकों को साम्या प्रस्ताव पर 10 प्रतिशत पूंजी लगाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"नाबार्ड" की शाखाएं

6613. श्री राजवीर सिंह :

डा. लालबहादुर रावल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1992-93 और 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की कितनी शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव था ;

(ख) इनमें से कितने बैंकों की शाखाए किन–किन स्थानों पर खोली गई ; और

(ग) इस वर्ष कितनी शाखाएं किन–किन स्थानों पर खोले जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसका देश में कोई शाखा खोलने का प्रस्ताव नहीं हे। अलबत्ता, नाबार्ड ने 1989-90 से अलग–अलग चरणों में जिला स्तर पर जिला विकास प्रबंधकों के कार्यालय खोले हैं। ये कार्यालय जिला स्तर पर ऋृण आयोजना, निगरानी और समन्वय का कार्य करते हैं।

(ख) नाबार्ड ने 1992-93 में 54 जिला कार्यालय और 1993-94 में 12 जिला कार्यालय खोले हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चालू वर्ष अर्थात 1994-95 के दौरान नाबार्ड का उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में केवल एक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष 1992-13 और 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा खोले गए जिला विकास प्रबंधकों के कार्यालयों की सूची।

1992-93

आंध्र प्रदेश

1. करीमनगर
2. मेडक
3. वारांगल
4. नलगोंडा

असम

5. सोनीतपुर
6. कर्बी अंगलोंग

बिहार

7. मुजफ्फरपुर
8. वेस्ट सिंहभूम

गुजरात

9. खेडा
10. महसाणा
11. राजकोट

हरियाणा

12. सिरसा
13. फरीदाबाद

हिमाचल प्रदेश

14. सोलन

कर्नाटक

15. चिकमंगलूर
16. कोलार
17. बेलगांम
18. बिदार

केरल

19. कोल्लम
20. मल्लापुरम
21. इडुक्की
22. वायनाद

मध्य प्रदेश

23. रतलाम
24. सरगुजा
25. राजनांदगांव
26. विदिशा
27. देवास
28. शहडोल

महाराष्ट्र

29. धुले
30. अमरावती
31. रायगढ़
32. ओस्मानाबाद
33. नासिक
34. सांगली

उड़ीसा

35. मयूरभंज

पंजाब

36. लुधियाना

राजस्थान

37. झूनझून

38. नागौर
39. बंसवारा
40. दौसा
41. सिरोही

तमिलनाडु

42. कन्याकुमारी
43. चिंगलपुत
44. पुदुकोट्टाई

उत्तर प्रदेश

45. टिहरी गढ़वाल
46. बुलंदशहर
47. अलीगढ़
48. मुजफ्फरनगर
49. अल्मोड़ा
50. राय बरेली
51. प्रतापगढ़
52. जौनपुर

पश्चिम बंगाल

53. जलपाईगुड़ी
54. मुर्शिदाबाद

1993-94

असम

1. कोहराझार
2. मोनीगांव

बिहार

3. समस्तीपुर
4. हजारीबाग

हिमाचल प्रदेश

5. कुल्लू

मध्य प्रदेश

6. बेतुल
7. रेवा

मेघालय

8. जैंतिया हिल

उत्तर प्रदेश

9. आजमगढ़
10. फर्रुखाबाद
11. बस्ती

संघ शासित राज्य

12. पांडिचेरी

कॉफी बोर्ड का पुनर्गठन

6614. **श्री बोल्ला बुल्ली रामयृया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉफी बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ; और

(घ) कॉफी बोर्ड के पुनर्गठन से उसके कार्यकरण में कितना सुधार आयेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) जी, नहीं। जनवरी 1994 में मुक्त बिक्री

कोटे की शुरूआत के पश्चात् उत्पादकों को अपने उत्पाद का 50% घरेलू तथा निर्यात बाजार दोनों में बिक्री करने की अनुमति मिल गई है, इसलिए ऐसी संभावना है कि कॉफी बोर्ड के पास अब कॉफी थोड़ी मात्रा में एकत्र होगी। मुक्त बिक्री कोटे की शुरूआत के फलस्वरूप उत्पन्न नए हालात पर इस समय नजर रखी जा रही है।

"नाबार्ड" द्वारा पुनर्वित्त पोषण

6615. श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा असम में विभिन्न वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पुनर्वित्तपोषण सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई थी ;

(ख) क्या "नाबार्ड" ने लाभभोगियों को हो रहे लाभ का मूल्यांकन कराया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत विभिन्न बैंकों को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता की राशि नीचे दी गई है :

वर्ष बैंकों की श्रेणी	वर्ष 1991-92	1992-93	(लाख रुपए) 1993-94
वाणिज्यिक बैंक	1832	1405	1649
राज्य सहकारी बैंक	69	71	388
राज्य भूमि विकास बैंक	135	77	112
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	530	647	536
	2566	2200	2685

पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में गैर-योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता की राशि नीचे दी गई है :

(लाख रुपए)

	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
1991-92	300	357
1992-93	-	337
1993-94	200	333

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाये है। :

(I) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक ऋण पर पुनर्वित्त की प्रतिशतता को 70 (बाकी देश पर लागू) से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है।

(II) अतिदेय और न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता मानदंडों को हटाकर सहकारी समितियों को एस ए ओ ऋण सीमायें मंजूर करते समय छूट दी गई हैं।

(III) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शीघ्रता से योजनायें तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी में तकनीकी कक्ष स्थापित किया गया है।

(IV) गैर–कृषि क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह की समस्याओं का पता लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र पर कारबार नीति परामर्श आयोजित करता है।

(V) नाबार्ड ने उल्फा समर्पणकारियों के पुनर्वास के लिए इस योजना के अंतर्गत पुनवित्त सहायता प्रदान की है।

(VI) नाबार्ड ने वापसी अदायगी की आचार संहिता निर्धारित करते हुए ऋण की सहायता से विकास के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए किसानों के विकास वालन्टियर वाहिनी दल गठित किए हैं।

(VII) नाबार्ड ने गरीबों के कृषि एवं गैर–कृषि भाइक्रो उद्यमों का संवर्धन करने के लिए गुवाहाटी में स्थित रजिस्टर्ड सोसाइटी; राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की कार्पस निधि में 3 करोड़ रूपए का अंशदान किया है।

(VIII) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए ई.डी.पी. कार्यक्रम चलाने के लिए एन.ई.आई.सी.ओ, गुवाहाटी को 2.1 लाख रुपए मंजूर किए गये थे।

(IX) नाबार्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में तकनीकी निगरानी एवं मूल्यांकन (टी एम ई) कक्ष स्थपित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मुद्रा प्रबन्ध नीति

6616. श्री मनोनंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा प्रबन्ध नीति में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने सरकार को ऋण देने में प्रभावी कमी की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1992-93 के शुरू से भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नियंत्रण के प्रत्यक्ष से परोखा प्रलेख से प्रस्ताव रखे जाने के जागरूक प्रयास किए हैं। न केवल सांविधिक नकदी अनुपात और नकद प्रारक्षित अनुपात दोनों को कम किया गया है, बल्कि निश्चित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिम राशियों के साथ–साथ जमा राशियों पर ब्याज की दरों का भी औचित्य स्थापन किया जा रहा है। यह प्रयास भी किए जा रहे हैं कि पर्याप्त संस्थागत संरचनात्मक कार्य का निर्माण करते हुए मुद्रा नियंत्रण के एक सक्रिय उपकरण के रूप में मुक्त बाजार परिचालनों का विकास किया जाए जो सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में एक सक्रिया गौण बाजार के लिए आवश्यक हो।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण की वृद्धि में वर्ष 1991-92 में 5168 करोड़ रुपए से वर्ष 1992-93 में 4433 करोड़ रुपए और वर्ष 1993-94 में (अनंतिम रूप में) इससे आगे केवल 103 करोड़ रुपए की पर्याप्त रूप से गिरावट आई है।

रबड़

6617. श्री एन. डेनिस :

श्री रमेश चेनित्तला :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में रबड़ का कुल उत्पादन कितना है और इसकी मांग कितनी है ;

(ख) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में विश्व में भारत की स्थिति क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया ; और

(घ) 1994-95 के दौरान रबड़ का कितना आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

वर्ष	**उत्पादन**	**मांग/खपत**
	(मात्रा टनों में)	
1993-94	4,35,000	4,48,000 (प्राक्कलन)
1994-95	4,75,000	4,85,000 (अनुमान)

(ख) भारत विश्व में प्राकृतिक रबड़ का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

(ग) ब्यौरे निम्नवित हैं

वर्ष	एस.टी.सी. द्वारा/ सरकार से जारी लाइसेंसों के अंतर्गत रबड़ के सामान विनिर्माताओं द्वारा आयातित	निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रबड़ माल विनिर्माता द्वारा निर्यात उत्पादन के लिए सीधे आयातित

(मात्रा टनों में)

1991-92	शून्य	14500
1992-93	शून्य	16498
1993-94	4131*	16395 (अप्रैल "93- फरवरी" 94)

*रबड़ माल विनिर्माताओं द्वारा आयातित

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान रबड़ का आयात करना शायद जरूरी नहीं होगा क्योंकि रबड़ के सामान के निर्यात उत्पादन के बदले रबड़ का आयात इस कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक ही होगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा के पूंजी आधार की पुनर्संरचना करना

6618. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रदत्त पूंजी कितनी है ;

(ख) क्या हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने पूंजी आधार का विस्तार करने और उसकी पुनर्संरचना करने के लिए उनके मंत्रालय की स्वीकृति मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किन उद्देश्यों को पूरा किया जायेगा ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने इस हेतु अपनी स्वीकृति दे दी है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रदत्त पूंजी 729.96 करोड़ रुपए हैं।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा को 31 मार्च 1995 को 8% के पूंजी पर्याप्तता मानदंड को प्राप्त करना है और निरंतर आधार पर इसको बनाए रखना है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए पूंजी बाजार में जाना चाहता है। तथापि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के वर्तमान उपबंध किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को पूंजी बाजार में जाने की अनुमति नहीं देते हैं। इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन के लिए एक विधेयक पहले ही संसद में पेश कर दिया गया है।

[हिन्दी]

आम और फूल

6619. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आमों और फूलों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कृषकों तथा उत्पादकों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार ने फलों और फूलों के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(I) बागवानी क्षेत्र के लिए 8वीं योजना के दौरान अधिक परिव्यय का प्रावधान ;

(II) अवस्थापना सुविधाओं का विकास–जैसे मेकैनिकल ग्रेडिंग, पैकिंग केन्द्र प्रशीतित परिवहन सुविधाएं, उन्नत पैकेजिंग सामग्री गुणवत्ता परीक्षण उपस्कर के प्रावधान तथा समुद्री पत्तनों और हवाई अड्डों पर कार्गो हैन्डलिंग सुविधाओं को उन्नत बनाना।

(III) प्रायोगिक आधार पर, निश्चित फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा उपदान स्कीम शुरू करना ;

(IV) आम, आदि अभिज्ञात ऐसे उत्पादों का संवर्धन जिनके निर्यात की अच्छा संभावना है। संवर्धन के लिए उपाय हैं उपयुक्त संवर्धन अभियान चलाना तथा अतंर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(V) संगरोधी क्रियाविधियों को सरल बनाना।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

6620. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्य–वार संख्या कितनी है ; और

(ख) 1993-94 के दौरान लाभ कमाने/घाटा उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कितनी राशि का घाटा/लाभ हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इस समय देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। राज्यवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान उठाई गई हानि या अर्जित लाभ के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए है।

विवरण

मार्च,1994 के अनुसार देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार स्तिति

राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों कि संख्या
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मु व कश्मीर	3
पंजाब	5
राजस्थान	14
अरुणचल प्रदेश	1
असम	5
मणिपुर	1
मेघालय	1
मिजोरम	1
नागालैंड	1
त्रिपुरा	1
उड़ीसा	9
बिहार	22
पश्चिम बंगाल	9
मध्य प्रदेश	24
उत्तर प्रदेश	40
गुजरात	9
महाराष्ट्र	10
आन्ध्र प्रदेश	16
कर्नाटक	13
तमिलनाडु	3
केरल	2
कुल	196

भारतीय जीवन बीमा निगम का पूंजी-निवेश

6621. श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का 75 प्रतिशत से अधिक पूंजी–निवेश इस समय सरकारी प्रतिभूतियों में फसा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम से इसकी निधियों का निवेश करने के संबंध में कोई प्रस्ताव हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं

(ख) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सरकार से समाजोन्मुख क्षेत्र में निर्दिष्ट निवेशों को कम करने का अनुरोध किया है ताकि वे बाजार क्षेत्र में निवेश करके अपनी निधियों से अधिक आय कमा सकें। सरकार को जीवन बीमा निगम के उपर्युक्त अनुरोध पर अभी निर्णय लेना है।

न्यासों को आयकर में छूट

6622. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने न्यासों को उनके द्वारा एकत्रित किए गए चन्दों पर आयकर से मुक्त रखा गया है ;

(ख) क्या सरकार को इन न्यासों को दी गई इस कर–मुक्ति की सुविधा के दुरुपयोग के संबंध में शिकोयतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कर–मुक्त चन्दों पर निगरानी रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर शीघ्र रख दी जाएगी।

गुजरात में बैंक

6623. श्री एन.जे. राठवा :

श्री रतिलाल वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1994 को गुजरात में कार्यरत सरकारी क्षेत्र तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों की जिलावार तथा बैंकवार संख्या कितनी थी ;

(ख) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक उक्त बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए गुजरात सरकार द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खोली गई इन बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसे कितने आवेदन लंबित पड़े हैं ; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान उक्त बैंकों के ऋणों व जमाराशि की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण जमा अनुपात

6624. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मार्च, 1994 तक समग्र रूप से तथा बिहार में विशेष रूप से ऋण–जमा अनुपात क्या था ; और

(ख) बिहार में ऋण जमा अनुपात की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1993 (नवीनतम उपलब्ध) के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बिहार के साथ–साथ अखिल भारत स्तर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात निम्नलिखित है :

ऋण जमा अनुपात %	
बिहार	36.06
अखिल भारत	58.0

इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि किसी राज्य/क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका को दर्शाने वाला एकमात्र सूचक ऋण जमा अनुपात नहीं होता है। राज्य या क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से जुटाई गई जमाराशियों के संबंध में ऋण का वास्तविक स्तर इस बात पर निर्भर करता हे कि राज्य/क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता क्या है। इस क्षमता का निर्धारण तथा इस पर प्रभाव आधारभूत सुविधाओं का विकास जैसे सिंचाई, बिजली, रेल, सड़क, परिवहन, मूलभूत और तकनीकी शिक्षा उद्यमवृत्ति तथा अपेक्षित निवेश की उपलब्धता और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के लिए विपणन सुविधा जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैक ने बिहार में कम ऋण जमा अनुपात के कारणों की जांच करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए उपाए सुझाने हेतु एक कृतक बल का गठन किया है। कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1992 में प्रस्तुत कर दी है। कृतक बल की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ व्यापक सिफारिशें की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल है :–जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसी निविष्टयां उपलब्ध कराना, बागवानी, अंतर्देशीय और मीठे पानी में मत्स्ययन, मिनि डेयरी स्थापना, पुनरूज्जीवन के योग्य छोटे लघु रूग्ण एककों की

पहचान और पुनर्वास पैकेज तैयार करना, उच्च तकनीकी उद्यमों के उन्नयन की योजना, बैंक ऋणों की शीघ्र वसूली और औपचारिक क्षेत्रीय कार्यकलापों को प्रोत्साहन।

बैंक खाते

6625. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार कुल कितने बैंक खाते थे और कुल मिलाकर देश में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण के संबंध में राज्यवार कुल कितनी शेष राशि बकाया है ;

(ख) धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में संगत आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) सभी बैंक खातों और बिहार में अल्पसंख्यकों के खातों के संबंध में संगत आंकड़े क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सारे देश में समग्र रूप से (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के) प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के संबंध में मार्च 1993 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कुल बैंक खातों की संख्या और कुल बकाया राशि निम्नलिखित है :-

खातों की संख्या	बकाया राशि (रु०)
361.73 लाख	48,652.77 करोड़ रूपए

31 मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है और उन्हें एकत्रित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) 31 मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए राज्यवार तदनुरूप आंकड़े उपलब्ध नहीं है और उसे एकत्रित किया जा रहा है। तथापि, मार्च 1993 को समाप्त तिमाही के लिए सारे देश में अल्पसंख्यक समुदायों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम निम्नलिखित है :-

(बकाया राशि. लाख रू.)

अल्पसंख्यक समुदाय		खातों की सं.	बकाया राशि (रू.)
1.	ईसाई	1064240	80200
2.	मुसलमान	3393848	247618
3.	नव बौध	129182	6833
4.	सिख	1105195	229886
5.	पारसी	3405	2930
	कुल	5695870	567467

निर्यात संवर्धन क्षेत्र

6626. श्री मनोनंजन भक्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र, राज्य सरकार तथा उनके संगठनों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्यात संवर्धक औद्योगिक पार्क स्थापित करने हेतु प्रस्तावित केन्द्र प्रायोजित योजना के अतिरिक्त है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) निर्यात उत्पादन के लिए अवस्थापना संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के उद्‌देश्य से सरकार ने राज्य में गैर सरकारी या संयुक्त क्षेत्र में निर्यात प्रसंस्करण जोनो (ई पी जेड) की स्थापना करने की अनुमति देने का निश्चय सिद्धान्त रूप में कर लिया है। इस समय विद्यमान निर्यात प्रसंस्करण जोनों में स्थित इकाइयों को शामिल करने वाली नीति और क्रियाविधियां इस तरह के ई पी जेड में स्थित इकाइयों पर भी लागू होगी।

बैंक आफ इंडिया की न्यूयार्क शाखा में धोखाधड़ी

6627. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री मोहन सिंह देवरिया :

श्री आनंद रत्न मौर्य :

श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इंडिया की न्यूयार्क शाखा में 28 करोड़ रू. की धोखाधड़ी के एक मामले का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसकी न्यूयार्क शाखा के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री जी.सी. कथरानी ने एक आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछेक ऋणकर्ताओं तथा बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों और निजी पार्टियों के साथ मिलकर, अपने सरकारी पद का दुरूपयोग किया तथा अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों से बढ़कर उधारकर्ताओं के वित्तीय स्तर का पता लगाए बिना और उपेक्षित मंजूरी पूर्व/मंजूरी के बाद के निरीक्षण सहित ऋण मूल्यांकन किए बिना विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान

की। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री कथरानी और अन्यों के विरूद्ध एक मुकदमा दायर किया है। इस मामले के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक आफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के आवासीय परिसर की तलाशी भी ली है तथा वहां से कुछ परिसंपत्तियां और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किया हैं। आगे की अपेक्षित कार्रवाई केन्द्रीय जांच ब्युरो के जांच के परिणामों के अनुसार किया जाएगा।

[हिन्दी]

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

6628. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार आर्थिक अपराधों के मामलें की सुनवाई के लिये विशेष अदालतों और न्यायाधिकरणें का गठन करने का भी विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि बैंक धोखाधड़ियों की जांच के लिए उनके पास एक कक्ष पहले ही विद्यमान है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और सारे देश में स्थित उसकी शाखाऐं बैंक धोखाधड़ियों की जांच करते हैं सभी महत्वपूर्ण और प्रमुख मामलों का संचालन दिल्ली और बम्बई स्थित प्रधान कार्यालयों में आर्थिक अपराध विंग और बैंक सुरक्षा कक्ष द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) आर्थिक अपराधों की सुनवाई के लिए सरकार ने पहले ही कुछ विशेष न्यायालयों की स्थापना की है।

[अनुवाद]

गेहूं, कपास और दालों को घरेलू सहायता

6629. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 और 1988-89 के बीच धान, गेहूं, कपास, दालों, मूंगफली, सूर्यमुखी और अन्य तिलहनों की फसलों को कितनी घरेलू सहायता दी गई ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान वैधातिक न्यूनतम मूल्य और राज्य सरकार द्वारा सूझाए गये औसत मूल्यों पर विचार करते समय गन्ने की पसल को कितनी घरेलू सहायता दी गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) संदर्भ–अवधि के दौरान संगत फ़सलों के लिए औसत उत्पाद विशिष्ट एकीकृत समर्थन माप निम्नलिखित था :

मूल उत्पाद	उत्पाद विशिष्ट ए०एम०एस० औसत 1986-89 (मिलियन रु०)
चावल	77235
गेहूं	–89880
कपास	14543
चना	–4945
उड़द	1394
मूंग	–1752
तूर	4550
मूंगफली	20494
रैपसीड	
तोरिया	8694
सोयाबीन (पीला)	
सोयाबीन (काला)	16
गन्ना	2405

इन मदों से संबंधित ए.एम.एस. के परिकलन संबन्धी ब्यौरे वचनबद्धताओं की अनुसूची की सहायक सारणियों में दिए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

भारत-जर्मनी निर्यात संवर्धन परियोजना

6630. श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच निर्यात बढ़ाने हेतु भारत में भारत–जर्मन निर्यात संवर्धन परियोजना स्थापित की गई है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भारत–जर्मनी निर्यात संवर्धन परियोजना (आई जी ई पी) वर्ष 1988 से चल रही है और इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ स्वर्णभूषण, चांदी के बर्तन, जूते, चमड़े के परिधान, रेशम, साफ्टवेयर, आटोमोटिव पार्ट्स, साइकिल और साइकिल के पुर्जों प्लास्टिक, कास्टिंग और फोंजिंग जैसे क्षेत्रों में एकीकृत उत्पाद और बाजार विकास परियोजनाओं के जरिए भारत से विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता/अनुदान

6631. श्री लाल बाबू राय :

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार भारत पर कितनी विदेशी ऋण राशि बकाया थी तथा इस पर कितना ब्याज देय है और यह ऋण किन–किन देशों से लिया गया था ;

(ख) 1992-93 के दौरान देश को कितनी धनराशि की ऐसी विदेशी सहायता/अनुदान प्राप्त हुआ जिसे वापस नहीं करना है ; और

(ग) यह वित्तीय सहायता किन–किन देशों से प्राप्त हुई थी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिसम्बर, 1993 के अन्त में सरकारी खाते, गैर–सरकारी खाते और अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष उधार खाते पर विदेशी ऋण की कुल बकाया राशि 144214 करोड़ रूपऐ होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, 30.9.93 की स्थिति के अनुसार विदेशी वाणिज्यिक उधार खाते पर भी 51453 करोड़ रूप की राशि बकाया है। जिन–जिन दोशों/संस्थाओं से उक्त ऋण लिया गया उनके नाम इस प्रकार हैं : आबू धाबी, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चैकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी), फ्रांस, जर्मनी, आई.एस.ओ., इटली, जापान, कुवैत निधि, नीदरलैंडस, साऊदी निधि, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, यू.के. संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.ए.ई., संयुक्त समाजवादी गणतंत्र राज्य (भूतपूर्व) ए.डी. बी. आईबी आरडी, आईडीए, आईएएडी, ओपेक (ओ पी ई सी)

(ख) वर्ष 1992-1993 के दौरान देश को प्राप्त विदेशी सहायता/अनुदान की राशि 880 करोड़ रूपए थी।

(ग) जिन देशों से यह सहायता/अनुदान प्राप्त हुआ उनके नाम इस प्रकार हैं : कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैण्डस, स्वीडन, स्विटजरलैंड, यू.के., संयुक्त राज्य अमेरिका युरोपीय आर्थिक समुदाय, नार्वे और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाए।

राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान द्वारा स्वापक औषधों का भंडार करना

6632. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1994 की पत्रिका (राजस्थान) में "पाक डंपिग नारकोटिक्स अलौंग स्टेट बौर्डर" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) सभी कानून प्रर्वत्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए है कि विभिन्न अधिनियमों में निहित कड़े प्रावधानों के अन्तर्गत प्रर्वत्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत–पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। प्रर्वत्तन एजेंसियों को वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान किए गए हैं। सभी केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रर्वत्तन एजेंसियों में प्रर्वत्तन कार्य में अन्तर–ऐजेंसी सहयोग बंढ़ाने के लिए क्षेत्र स्तरीय संपर्क स्थान स्थापित किए गए हैं। एन डी पी एस एक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रर्वत्तन एजेंसियों के अतिरिक्त बी एस एफ और तटरक्षक जो भूमि और समुद्रतट पर लगाए गए हैं, को सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान की गई है ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

मांस का निर्यात

6633. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्वास्थ्यकर स्थिति जानवरों के काटे जाने के कारण पश्चिम एशियाई देशों को मांस के निर्यात में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) इसके परिणमस्वरूप मांस के निर्यात में कमी के कारण कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है ; और

(घ) इस स्थिति से उबरने के लिये क्या कदम उठाए गए है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) मांस और मांस–निर्मित उत्पादों का 1992-93 और 1993-94 (अप्रैल–जनवरी) के दौरान पश्चिम एशियाई देशों को किए गए निर्यात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि निर्यातों में कमी नहीं हुई है :-

मूल्य : लाख रू.

	मांस और मांस-निर्मित उत्पादों को निर्यात *
1992-93	15233
1993-94 (अप्रैल–जनवरी, 94)	16716

* स्रोत : डी.जी.सी. आई एण्ड एस

भारत-ब्रिटिश उपदलों की रिपोर्ट

6634. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–ब्रिटिश उपदलों, जिन्होंने दोनों देशों में प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के क्षेत्रों

का पता लगाया था, की रिपोर्ट तैयार हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) इण्डो–ब्रिटिश पार्टनरशिप इनीशियेटिव (आई बी पी आई) की रिपोर्ट जिसमें प्रभागवार पुनरीक्षाएं शामिल थीं मार्च, 1990 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में जिन क्षेत्रों मे निवेश और व्यापारिक अवसरों का आकलन किया गया है वे हैं : बिजली, कृषि खाद्य, दूरसंचार, अवस्थापना, वित्तीय और कानूनी सेवाएं, तेल और गैस, टेलीमैटिक्स और कलपुर्जे। इसकी सिफारिशों के अनुसार आई बी पी आई के अन्तर्गत क्रियाकलाप एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिए गए हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली फर्म

6635. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकेटेश्वरलु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने तकनीकी कारणों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कई फर्मों को उनको मिलने वाली समुद्री डीजल राजसहायता से वंचित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रक्रिया में संशोंधन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) योजना सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

डालरों की तस्करी

6636. श्रीमती सरोज दुबे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार माह के दौरान कलकत्ता से दूसरे देशों को करोड़ों डालरों की तस्करी की गयी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तस्करी की कार्यप्रणाली क्या है ;

(ग) प्रत्येक देश को कितने डालरों की तस्करी की गयी ; और

(घ) इस तस्करी में लिप्त पाये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) चूंकि तस्करी एक चोरो–छिपे किये जाने वाला धन्धा है, इसलिए निश्चित तौर पर इसकी मात्रा बता पाना संभव नहीं है। तथापि, विगत चार महीनों के दौरान कलकत्ता हवाई अड्डे पर पांच यात्रियों से केवल 1300 अमरीकी डालर पकड़े गये थे। ये डालर अपने शरीर में छुपा करके, तस्करी करके थाईलैंड ले जाये जा रहे थे।

(घ) तस्करी में ग्रस्त पाये गये व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. मो. आजम, भारतीय पासपोर्ट संख्या 722101 जौनपुर, (उत्तर प्रदेश)।
2. कुतुबुद्दीन अहमद सिद्दीकी, भारतीय पासपोर्ट सं. क्यू 542806, आजमगढ़ (उ.प्र.)।
3. जियाउद्दीन, भारतीय पासपोर्ट सं. सी–365268 आजमगढ़, (उत्तर प्रदेश)
4. मो. मुज्जम, भारतीय पासपोर्ट सं. आई. 066678 जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
5. जुबेर अहमद जियाउद्दीन, भारतीय पासपोर्ट सं. आई 956139, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

विभागीय न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों में उन पर वैयक्तिक अर्थदंड लगाया गया था।

[अनुवाद]

निजी एयरलाइन्स द्वारा विदेशों को उड़ान सेवा

6637. श्री राजवीर सिंह :

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेशी एयरलाइन्स ने विदेशों को उड़ानों के लिये कुछ निजी एयरलाइन्स को लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो इन एयरलाइन्स के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विदेशी एयरलाइन्स ने इन उड़ान संचालनों की सराहना की थी ;

(घ) क्या सरकार का विचार एयरलाइन्स द्वारा ऐसे उड़ान संचालनों को प्रोत्साहित करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) मैसर्स ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी दो उड़ानों के प्रचालन के लिए ईस्ट वेस्ट एयरक्राफ्ट बोइंग 737-200 को चार्टर किया था। 11.9.1992 को ब्रिटिश एयरवेज ने ईस्ट वेस्ट विमान से उड़ान बी.ए. 748 बम्बई/ढाका प्रचालित की। वापसी उड़ान फेरी उड़ान थी। दिनांक 3-3-1994 को ब्रिटिश एयरवेज ने ईस्ट वेस्ट एवरक्राफ्ट से अपनी बी.ए.9510 उड़ान का दिल्ली–बहरीन मार्ग पर प्रचालन किया। वापसी उड़ान बहरीन–बम्बई फेरी उड़ान थी।

(ग) इन उड़ानों के संबंध में अभी तक कोई शिंकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) पट्टे पर लिये गये विमान को एयर टैक्सी प्रचालकों द्वारा वाणिज्यिक आधार पर पट्टे अथवा चार्टर आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार के कारोबार के लिए कोई सरकारी क्लीयरेंस की आवश्यक्ता नहीं है बर्शते कि विमान निर्धारित उड़नयोग्यता और अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों। चार्टर्ड विमान से ब्रिटिश एयरवेज के प्रचालन उनके यातायात अधिकारों के अनुसार किये जा रहे थे।

तम्बाकू के लिए आवर्ती कोष (रिवाल्विंग फण्ड)

6638. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू के मूल्य न्यूनतम मूल्य से कम होने पर उसकी खरीद करने हेतु तम्बाकू बोर्ड से सहयोग से कोई कोष गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार प्रति वर्ष वर्जीनिया तम्बाकू की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) निर्धारित करती है। किसी समय यदि मूल्यों में गिरावट आ जाती है और मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे गिर जाते हैं तो तम्बाकू बोर्ड सार्विधिक दायित्व का निर्वाह करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। इस प्रकार की बाजार हस्तक्षेप कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने 1984 में 1.25 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि से तम्बाकू बोर्ड के व्यापार स्कंध का सृजन किया था।

[हिन्दी]

भारत-कोरिया द्विपक्षीय व्यापार

6639. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और कोरिया गणतन्त्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर वार्ता हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री कमालद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठते।

[अनुवाद]

तम्बाकू की खेती के लिए भूमि

6640. श्री प्रकाश वी.पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू की खेती के लिए महाराष्ट्र में उपयुक्त भूमि की पहचान करने की पहल की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में तम्बाकू की खेती में गुणात्मक तथा मात्रात्मक वृद्धि करन के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां। तम्बाकू विकास निदेशालय मद्रास ने 1967-68 से 1973-74 तक एफ.सी.वी. तम्बाकू के लिए उपयुक्त भूमि का पता लगाने के लिए जैसिंगपुर 8 कोल्हापुर जिला) और तसगॉव (सांगली जिला) में अन्वेष्णात्मक परीक्षण किया। ये परीक्षण 1974-75 में बन्द कर दिए गए थे क्योंकि उत्पादित तम्बाकू अपेक्षित स्तर का नही था। पुनः 1974-75 में गोंडचिरोली जिले के सिरोन्या क्षेत्र में परीक्षण फिर से शुरू किए गए और 1978-79 तक जारी रहे। सिरोन्या क्षेत्र में उत्पादित तम्बाकू की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी। इस समय इस क्षेत्र में एफ.सी.वी. तम्बाकू उगाया जा रहा है।

(ग) एफ.सी.वी. तम्बाकू की गुणवत्ता सुधारने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है :–

(1) विकास तथा विस्तार योजना अर्थत शुद्ध बीजों, अच्छे पौधों, उर्वरकों, कीटनाशकों, चूसक कीटनाशक, सिंचाई–उपकरण इत्यादि की आपूर्ति को लागू करना।

(2) उन्नत किस्मों एवं उन्नत संस्कृति को विकसित करने में सी टी आर आई के साथ समन्वय करना और परम्पराओं की रक्षा करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए किसानों को अनुंसधान खोजों की जानकारी देना।

(3) हल्की मृद्रा वाले एफ सीवी तम्बाकू के लिए उपयुक्त नए क्षेत्र की पहचान करना जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग है।

इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भरमार की स्थिति एवं स्थिर घरेलू मांग की वजह से वर्जिनिया तम्बाकू का उत्पान बढ़ान का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्यात परियोजनाएं

6641. श्री बोल्ला बुल्ली रामयृया :

श्री एम.वी.वी.एस मूर्ति :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम कालीन और पुष्प उत्पादों के निर्यात में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है ; और

(ग) भविष्य में इसमें और गिरावट न आने देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान रेशम–उत्पादों के निर्यात में गिरावट आयी है। वर्ष 1993-94 के दौरान भारत से रेशम–उत्पादों के निर्यात में गिरावट आने का मुख्य कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप जैसे मुख्य बाजारों में मंदी।

(ग) वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए जिनमें रेशम के वस्त्र एवं हथकरघा उत्पाद शामिल हैं : सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, इन उपायों में शामिल हैं –एकीकृत बाजार निर्धारित विनिमय दर व्यवस्था की शुरूआत, चालू खाते में रूपए की परिवर्तनीयता, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूँजीगत सामान के आयात को सुविधा जनक बनाना, निर्यात ऋणों की अधिकता उपलब्धता, प्राप्त विदेशी मुद्रा का 25% भाग विदेशी मुद्रा खाते में ही रख लेने की अनुमति आदि।

इसके अलावा, सरकार विविध निर्यात संवर्धन क्रिया–कलापों को सम्पन्न करने के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् को सहायता प्रदान कर रही है। यह क्रियाकलाप हैं क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन, प्रमुख बाजारों में मेलों में भागीदारी, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, उत्पाद विकास, आदि।

शुल्क के भुगतान में विलंब

***6642. श्री एम.वी.एस. मूर्ति** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों के शुल्क आपसी दावों के निपटान में विलंब से संबंधित मुददों की जांच करने हेतु कोई "कोर ग्रुप" गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) यह गुप अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं; महोदय ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

सुपर ट्रेडिंग हाउस

6643. श्री एस० एम० लालजान बाशा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सुपर ट्रेडिंग हाउस कटेगरी स्कीम" कुछ व्यापारिक घरानों को लाभ पहुंचाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन कटेगरिओं के अधिक अफसरसाही पैदा करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) वर्तमान एकिसम नीति 1992-97 में सुपर ट्रेडिंग हाउसेज जैसा कोई वर्ग नहीं है । परंतु 1.4.1994 से सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का एक नया वर्ग बनाया गया है । ऐसा वर्ग उन लाभों का अधिकारी है जो निर्यात–आयात नीति 1992-97 के संशोधित संस्करण में एवं क्रियाविधि पुस्तिका के भाग–1 में बताए गए हैं ।

(ख) यह नया वर्ग चोटी के निर्यातकों को समुचित मान्यता एवं प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है ताकि वे अपने निर्यात निष्पादन के स्तर को और बढ़ा सकें ।

तम्बाकू का समर्थन मूल्य

6644. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकेटेस्वरलु:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि की लागत निर्धारित सर्मथन मूल्य से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उर्वरक और कीटनाशक जैसे आदानों की कीमत में वृद्धि के आधार पर तम्बाकू के सर्मथन मूल्य में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) वर्ष 1994-95 के मौसम के लिए तम्बाकू की समर्थन कीमत निर्धारित नहीं की गई है ।

(ख) से (ङ): प्रश्न नहीं उठते ।

मध्यम और लघु उद्योग एकक

6645. श्री हरिन पाठक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बंद पड़े मध्यम और लघु औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन एककों में कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) इन एककों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ट्रैक्टरों का निर्यात

6646. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का 1994-95 के दौरान अमरीका को ट्रैक्टरों का निर्यात करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान कितने ट्रैक्टरों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री(श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ख) ट्रैक्टरों के प्रमुख विनिर्माताओं ने बताया है कि वे वर्ष 1994-95 के दौरान संयुक्त अमेरिका को ट्रैक्टर निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगा रहे है।

(ग) वर्ष 1990-91 से लेकर तीन वर्षो के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए गये ट्रैक्टरों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	ट्रैक्टरों की संख्या
1990-91	43
1991-92	82
1992-93	267

12.00 बजे मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि जो सदस्य वित्त विधेयक पर कल बोलना चाहते थे, उन सबों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए है। अतः, माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाएं हैं, उसके प्रत्युत्तर में वित्त मंत्री अब अपना भाषण आरंभ कर सकते हैं। पहले हम वित्त विधेयक को लेते हैं और तत्पश्चात् हम उन अन्य विषयों को उतना ही समय देंगे जिन पर हम सामान्यतया प्रश्न–काल समाप्त होने के पश्चात् विचार करते हैं।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : आप जैसा निर्देश देंगें, हम उसी अनुसार चलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि वित्त मंत्री महोदय अपना उत्तर दें और तत्पश्चात शून्य–काल हो, तो हमारे लिए यह अच्छी बात होगी, बशर्ते कि अन्य भी सहमत हों।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अधिकांश सदस्य सदन में उपस्थित हैं और हम सभी की अन्य किसी भी चीज की अपेक्षा इस मामले में अधिक रूचि है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : हम लोग हमेशा आपकी बात मानते हैं। कभी–कभी तो हम लोगों के दु:ख को ये बैठ कर सुनें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर वाद–विवाद के लिए हमारे पास 13 घंटे का समय है।

श्री जसवंत सिंह : मैं इसकी सराहना करता हूं तथा आप जैसा निर्देश देंगे, हम उसी अनुसार चलेंगे, लेकिन वित्त मंत्री महोदय के उत्तर का केवल एक पहलू है और वह कल देश में घटी कुछ घटनाओं के बारे में है। एक आरोप लगाया गया है कि वित्त विधेयक का दुरूपयोग किया गया है। इसका संबंध सिक्किम में घटी घटनाओं से है। यदि आप मुझे इस संबंध में कहने की अनुमति दें, तो शायद मंत्री महोदय उत्तर देते समय इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : थोड़ा–थोड़ा हम लोगों को मौका दे दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इस आधे घंटे का उपयोग हम सदस्यों द्वारा उनके प्रश्न उठाने में कर लें और तत्पश्चात हम वित्त विधेयक पर विचार करेंगे।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, पिछले इस दिनों में सिक्किम मे जो कुछ घटित हुआ है, उसके कारण एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यह घटना वास्तव में परेशानी पैदा करने वाली है। सिक्किम पूर्वोत्तर का प्रवेश–द्वार है। यह सामरिक दृष्टि से एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य हैं, और इसलिए कोई भी यह नहीं चाहेगा कि उस राज्य में अस्थिरता पैदा हो। महोदय, हमने देखा है कि सिक्किम विधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक अलग प्रकार की निष्ठा घोषित की है।

जो आरोप लगाया गया है वह यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक में सिक्किम राज्य से संबंधित कतिपय उपबंधों में कुछ श्रेणियों को शामिल कर लिया गया है। सिक्किम में कराधान को लागू करने के बाद भी सिक्किम की अनुसूचित जनजातियों को छूट दी जानी थी। इसके पश्चात् वित्त मंत्री महोदय ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय यह सुझाव दिया कि सिक्किम राज्य से संबंधित इस उपबंध को रोका जा रहा है तथा सरकार इस पूरे मसले पर नए सिरे से विचार करेगी। अतः सिक्किम में कराधान को आरंभ करने के विचार के कारण सिक्किम में निवास कर रहे

नेपाली मूल के नागरिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया है। वे सोचते हैं कि उनके साथ भेद–भाव किया गया है। इसके बाद, चूंकि सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है अतः सिक्किम की जनजातियां महसूस करती हैं कि उनके साथ भेद–भाव किया गया है।

हमारी जो पहली चिन्ता है, वह तो सिक्किम में अस्थिरता को लेकर है और दूसरी वह आरोप कि केन्द्रीय वित्त विधेयक का पूर्वोत्तर के इस सामरिक दृष्टि से संवेदनशील सीमावर्ती राज्य की राजनीति से खिलवाड़ करने के लिए दुयपयोग किया जा रहा है। अतः यह अत्यावश्यक है कि इस मामले का निपटारा करके यथासंभव शीघ्र स्थिति सामान्य बनाई जाए क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस सरकार द्वारा शासन ठीक से न चलाए जाने के कारण पूर्वोत्तर में एक और राज्य में अस्थिरता पैदा हो जाए।

श्रीमती दिलकुमारी भंडारी (सिक्किम) : महोदय, पिछले दिनों इसी महीने की चार तारीख को, मैंने 15 अप्रैल, 1994 को वित्त विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के परिणामस्वरूप सिक्किम में उत्पन्न अशांत स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। सिक्किम में निवास कर रहे अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 1.1.1995 से आयकर में छूट देने के लिए उस विधेयक में एक उपबंध अन्तःस्थापित किया गया है।

सर्वप्रथम, महोदय, जहां तक सिक्किम के जनजातीय लोगों के साथ न्याय करने का संबंध है, मुझे तो सरकार की ईमानदारी में शक दिखाई देता है। जब आप यह छूट केवल 1.1.95 से देने जा रहे हैं, तो इस उपबंध को अब अन्तः स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? मैं समझती हूं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस वर्ष सिक्किम में चुनाव होने वाला है। यदि वे वास्ताव में सिक्किम के लोगों को छूट देना चाहते थे तो ऐसा वर्ष 1995 में ही किया जा सकता था।

महोदय, मैं यहां प्रत्येक कारण से सरकार के इरादों पर शक करती हूं। वे सिक्किम में साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने तथा सिक्किम में अस्थिरता लाने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि सिक्किम में साम्प्रदायिक सामंजस्य है। सिक्किम भारत का सबसे अधिक शान्ति पूर्ण राज्य है। यदि मैं ऐसा कहूं कि हमारे अनेक माननीय सदस्य सिक्किम का इतिहास नहीं जानते हैं तो मुझे माफ कीजिए। लेकिन मैं अपने सभी माननीय सहयोगियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि वे सिक्किम का इतिहास देंखे। चोगयाल के समय के दौरान असमानताओं के कारण सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हुआ। राजा के 400 वर्ष के शासन के दौरान जातीय नेपालियों का दमन किया गया और उन पर अत्याचार किए गए। इसलिए वर्ष 1973 में आन्दोलन हुआ। जब वह आन्दोलन नियंत्रण से बाहर हो गया तो भारत सरकार इस स्थिति पर लोगों के उद्धारक के रूप में सामने आई कि यदि वे भारत के साथ मिल जायेंगे तो उन्हें समानता के अधिकार दिए जायेंगे। सिक्किम की जनता बड़ी उम्मीद और आशा के साथ विश्व की सबसे बड़ी जनतंत्रात्मक प्रणाली, भारत में शामिल हो गई। वे बहुत खुशी से मुख्यधारा में शामिल हो गए और वे सिक्किम में शान्ति तथा साम्प्रदायिक समानता बनाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले बीस वर्ष से वे इस बात का प्रमाण हैं। लेकिन, अब महोदय इस प्रस्ताव के कारण सिक्किम के लोंगों को समान अधिकार देने के वादे का उल्लंघन हुआ है। 8 मई को उस समय के सम्राट चोगयाल, सिक्किम के लोगों और भारत सरकार के बीच हुए समझौते का उल्लंघन हुआ है न केवल वही बल्कि उस समझौते के बाद अनुच्छेद 371 एफ और जी के अन्तर्गत उसी भावना को भी सुरक्षित रखा गया था

ज़िसमें सिक्किम के लोंगो से उनके हितो की रक्षा करने और सभी को समान अधिकार देने और एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर अधिकार न होने की गारंटी दी गई थी।

महोदय, इस प्रस्ताव के कारण सिक्किम के लोंगों ने आन्दोलन किया है। वे लोग जो कि मुख्य धारा में सिक्किम को शामिल किए जाने के लिए जिम्मेदार थे, वे यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसलिए महोदय, सिक्किम के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि हाल ही में पिछले महीने की 18 तारीख को ही दिल्ली आए थे। वे प्रधानमंत्री से मिले। वे राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने उनसे आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया। महोदय, जो कुछ उन्होंने लिखा, मैं उसे यहां उद्धरित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ भी कहा है आप केवल उसका सार दीजिए।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : यही उन्होंने कहा है। यह सिक्किम के निर्धन लोग है। इसका कारण यह है कि सामन्तप्रथा में जब सम्राट का राज्य था कुछ लोग बहुत ही धनी थे लेकिन अन्य अनेक लोग निर्धन थे। इन अनेक लोंगों में नेपाली समुदाय और अनुसूचित जाति के लोग भी थे। ऐसी धारणा उत्पन्न की जा रही है मानो पहले कोई छूट दी गई थी और अब उसे वापस लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। यह छूट केवल 1.4.95 से दी जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने प्रारंभिक भाषण में सभी मुद्दों की जांच करने का प्रस्ताव किया था। सभी निर्वाचित सदस्यों ने यह किसी कारण से ही कहा था।

फिर भी मूल रूप से नेपालियों को शामिल करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए और अपनी मांग रखते हुए हम चाहते हैं कि वित्त विधेयक में सिक्किम की जनजातियों को छूट देने वाले वर्तमान प्रस्ताव को किसी भी तरह अस्थगित नहीं करना चाहिए। हमने यह इसीलिए कहा है क्योंकि सिक्किम में इन समुदायों की मिली–जुली संस्कृति की कुछ महत्ता है जो वहां एक परिवार की तरह रह रहे हैं। इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप, अब वहां तनाव हो गया है।

एक छोटा राज्य होते हुए भी, जहां की जनसंख्या चार लाख है उसमें से एक लाख लोग सड़कों पर आ गए । इस महीने की चार तारीख को मैंने सभा का ध्यान इस बारे में आकर्षित किया था।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस विषय की महत्ता कम नहीं करनी चाहिए।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : इस प्रस्ताव को वापस लेने का परिणाम यह है कि अन्य समुदाय भी आन्दोलन कर रहे हैं। चूंकि वित्त मंत्री जी ने विधेयक वापस लेने का विचार किया है, इसलिए यदि उनकी निष्ठा है तो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र हल निकालना चाहिए ताकि सिक्किम जो उत्तर–पूर्वी राज्यों तथा कश्मीर के रास्ते पर चलने जा रहा है–सिक्किम एक शान्तिपूर्ण राज्य है–यदि ऐसा हो गया तो वह सबसे दु:खद दिन होगा। इससे बचने के लिए मैं वित्त मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वह सभी मुद्दों की जांच करने के बाद शीघ्रातिशीघ्र हल ढूंढें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से इतना ही पूछना चाहता हूं कि इस मामले में वित्त मंत्री जी क्या जवाब देंगे, मैं नही कह सकता, क्योंकि अब टैक्स,

इनकम टैक्स रहे न रहे उसको पहले लाने की बात हो गई फिर विड्रा करने की बात हो गई, इस विवाद में मैं नहीं जाऊंगा, क्या सरकार इस मामले को लेकर सिक्किम में बनी हुई सरकार को तोड़ कर वहां भी दूसरी सरकार बनाने का विचार रखती है। इसके बारे में मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का जवाब चाहूंगा। क्योंकि सारे काम करने के ठेकेदार आप है। यह बात मैं कोई मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूं। एंटी–डिफेक्शन लॉ के होते हुए आप अनेक तौर–तरीकों का इस्तेमाल कर चुके हैं। उस ला को बाईपास करके इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन इस बार फाइनांस बिल के जरिए एक प्रदेश की सरकार को उखाड़ने की साजिश की है। हम इस कार्रवाही की ने केवल निंदा करते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि सदन इसको गंभीरता से ले और जो बात श्रीमती भंडारी न कही है कि सिक्किम में भी मोर्चा खोलने का काम किया जा रहा है, समूचा पूर्वांचल जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, यह सब आपकी राजनीति के चलते हो रहा है। आज आप सिक्किम को भी उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। इस तरह से आप देश के साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी अपने स्तर पर इस मामले को हल करें, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी निश्चित आश्वासन चाहते हैं कि ये सिक्किम में कोई तिकड़म नहीं करेंगे।

श्री मोहन रावले (मुबंई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मिले बंद हो रही है..........

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, आपने जो नोटिस दिया है, ब्रीच आफ प्रिविलेज का, मैंने उसको देखा है और मिनिस्टर साहब के पास कामेंट्स के लिए भेजा है। वहां से आने के बाद मैं इस पर निर्णय करूंगा।

श्री मोहन रावले : ठीक हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र जसवंत सिंह और जार्ज फर्नान्डीज ने जो बातें यहां पर कही है, उस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने स्वयं इनीशेटिव ले कर एंटी–डिफेक्शन ला को रिव्यू करने के बारे में कहा था। आपका विचार था कि या तो इसको प्रभावी बनाया जाए, या इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि सरकार ने इस लॉ का मजाक बनाया है। इस संबंध में आपने स्वयं मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद कुछ आश्वासन भी सरकार ने दिए थे, उसके आधार पर अमेंडमेंट आने वाले थे, लेकिन इस दिशा में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा गया है। इसके बारे में क्या स्थिति है, यह मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कुछ कहना था वह जजमेंट में कह दिया है। अब या तो सरकार अमेंडमेंट लाए या विपक्ष अमेंडमेंट लाए और सदन उस पर विचार करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने प्रिजाइडिंग आफीसर्स कान्फ्रेंस में 2-2 बार चर्चा करके कमेटियां बना कर दुनियाभर की सिफारिशें की थी, लेकिन लगता है कि सरकार इस मामले में एक इंच भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है और इस बीच में ये सिक्किम जैसे मामले आ जाते हैं। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अभी सिक्किम का सवाल उठा था........**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसको रिपिट करने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी की ओर से श्री जार्ज

फर्नान्डीज बोल चुके हैं।

श्री नीतिश कुमार : हमको हमारे इश्यु पर बोलने दीजिए। हम बहुत कम नोटिस देते हैं और बहुत कम बोलते हैं।.........**(व्याधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन वक्तव्यों का क्या होता है जिनमें तथ्य नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरे सप्ताह मे जीरो–आवर में पहली बार बोल रहा हूं। आप रिकार्ड देख लीजिए।.........**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह भी हम लोगों ने प्रयास किया है और पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने प्राईवेट मैम्बर रेजोल्युशन दिया था। लेकिन नियम के मुताबिक वह नहीं आ सका और लैप्स हो गया। तारांकित प्रश्न आया था लेकिन वह नहीं आ सका। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोयला उत्पादक राज्यों को भारी नुकसान हो रहा है और मूल्य पर आधारित रायल्टी नहीं मिल रही है। 1971 के पहले जब कोयले का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था उस समय तक मूल्य पर आधारित रायल्टी तय होती थी। लेकिन उसके बाद मूल्य पर आधारित रायल्टी तय करने की प्रथा खत्म हुई। भरपाई करने के लिए भारत सरकार ने सैंस लगाना शुरू किया। उसके लिए उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि कोयला उत्पादक राज्यों को भारी नुकसान हो रहा है खासकर बिहार को, जो लगभग तीस प्रतिशत कोयले का उत्पादन करता है। उसको प्रतिवर्ष इस मद में 769 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। हर साल प्लान साईज घटता जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्लान साईज बढ़कर 1200-1300 करोड़ प्रतिवर्ष हुआ था। वह आठवीं पंचवर्षीय योजना में 600-700 या 800 करोड़ की स्थिति में पंहुच गया है। यंह बहुत बड़ी मार बिहार जैसे गरीब राज्य पर पड़ रही है। इस सवाल को हम बार–बार उठाते रहे हैं कि कोयले की रायल्टी एड–वेलोरम निर्धारित हो। इस बात पर गंभी असंतोष पैदा हुआ है। और विकास का काम ठप्प हो रहा है क्योंकि आंतरिक संसाधन जुटाने का जरिया बिहार जैसे राज्य में रायल्टी है। इस पर जो दर निर्धारित है वह अन्यायपूर्ण है और जो अध्ययन दल इसको टालने के लिए सरकार ने गठित किया है, उस पर तत्काल कार्यवाही करे और बिहार को जो घाटा हो रहा है, उसको पूरा किया जाए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, कोयले के संबंध में बिहार और कई राज्यों का सवाल है ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नीतिश जी ने इस पर काफी बोल दिया है।

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं जवाब दूंगा। मैं केवल एक मिन्ट लूंगा।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गौड्डा) : अध्यक्ष महोदय इसमें रायल्टी का सवाल है..........**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह समझ लीजिए कि आपने उसको एन्डोर्स किया है।

श्री सूरज मंडल : कोयले की रायल्टी के बारे में बोलने दीजिए......**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बोलेंगे तो जवाब डी–रेल हो सकता है।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, संथाल परगना और छोटा नागपुर से कोयला आता है और रायल्टी दी जाती है और हर साल 600-700 करोड़ रुपए की कोयले की रायल्टी मिलती है। हाईकोर्ट में जब केस गया तो सैंस के बदले रायल्टी पर डिसाइड हो गया, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए वह नही बढ़ी है। जिस इलाके से कोयले की रायल्टी मिलती है तो उस इलाके में कोयले की रायल्टी से सरकार कोई भी विकास का काम नहीं करती है। वहां पर दो–तीन हजार ट्रक चलते हैं जिस वजह से रास्ता ब्लाक हो जाता है। इसको इक्जामिन किया जाए और देखा जाए कि डवलपमेंट का काम हुआ या नहीं......**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : यह डिफरेंट है ......**(व्यवधान)**

श्री सूरज मंडल : पैसे लेकर बिहार सरकार मिस–यूज करती है ....**(व्यवधान)**

अभी जो पैसा ट्राइब्ल सब प्लान का प्राप्त हुआ है उसे फिक्सड डिपाजिट में जमा कर दिया गया है। यह पूरे इलाके का पैसा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोयले की रायल्टी बढ़ानी है और राज्य सरकार को देनी है तो उस इलाके के लिये 50% इयरमार्क करके दें जहां से कोयला मिलता है, ताकि वह 50% वहां के इलाके के डैवलेपमेंट और रोड बनाने के लिए मिल सकता हैं इसलिए कहूंगा कि इन सब कार्यों को करने के लिए कोयले की रायल्टी का पैसा मिल सकता है।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, जहां तक कि माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि 1967 से पहले सभी खनिजों के यथामूल्य के आधार पर 'रायल्टी' निर्धारित करने की नीति थी जिसकी अब श्री नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं। यह बिहार तथा बंगाल की राज्य सरकारें थी, जिन्होंने आपत्ति की थी कि यदि यह यथा मूल्य के आधार पर है तो उससे उन्हें मुश्किल होगी। इसलिए इसे टन भार के आधार पर होना चाहिए। उस समय इन तर्कों ने इस सरकार को यथा मूल्य से टनभर के आधार पर करने के लिए तैयार कर लिया और तब से यह चल रहा है। अगस्त, 1981 में कोयले की दरों में संशोधन किया गया और एम.एम.आर.डी (खान तथा खनिज विनिय्मन-तथा विकास) अधिनियम के आधार पर इसे हर तीसरे वर्ष बढ़ाया जा सकता था, इससे पहले नहीं। इसलिए, इस वर्ष अगस्त के महीने में फिर समय आ रहा है और 'रायल्टी' में संशोधन किया जा सकता है। इस वर्ष जनवरी में, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की है और

वे उसकी गहराई में जा रहे हैं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सुनवाई की जा रही है। क्योंकि एक जगह बढ़ी हुई 'रायल्टी' उन अन्य राज्यों के उपभोक्तओं को भी प्रभावित करेगी जो कोयला उत्पादित नहीं करते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : इससे आपका क्या मतलब है ?

श्री अजित पांजा : अन्य उपभोक्ता भी हैं। बिहार के रवैये में इस समय आए परिवर्तन, कि इसे पुनः यथामूल्य आधार जारी रखना चाहिए, सहित सभी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए, जब तक कि समिति अपनी रिपोर्ट नहीं देती, तब अपना कोई सुझाव देना अथवा वचन देना कठिन है।

दूसरा मुद्दा श्री सूरज मंडल द्वारा उठाया गया था। यह सच है कि कोयले का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों, जहां अधिकतर हमारे जनजातीय और बहुत गरीब लोग रहते हैं, से 'रायल्टी' अथवा उपकर के रूप में करोड़ो रुपया लिया जा रहा है। लेकिन मैंने पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री को बहुत से पत्र लिखे और इन दो राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि वे उस क्षेत्र के विकास के लिए धन खर्च करें। लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। यह वह मुद्दा है जिस पर मैं जोर दे रहा हूं और यह सभा ....

श्री नीतीश कुमार : वित्त मंत्री जी की राजनीति की तरह यहां भी राजनीति है। हम इस राजनीति के विरूद्ध है।

(व्यवधान)

श्री अजित पांजा : इसी मुद्दे को मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। अन्याय किया जा रहा है। हमें देखना है कि इसे दूर किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : **ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरह ही पालिटिक्स की बात कर रहे हैं। राज्य का बंटवारा करना इनका काम है तो बांट दीजिये राज्य को। उसका फायदा झारखंड इलाके को मिले, हमें कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में फैसला करे कि राज्य का बंटवारा होगा, यह घोषण करे। लेकिन यह क्या है ? अब केवल बिहार का ही सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल हैं हम तो चाहते हैं कि उसका सारा पैसा ट्राइब्ल एरिया पर खर्च हो।**

***(व्यवधान)* ***

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आपको जवाब मिल गया है। अब आपकों बैठ जाना चाहिए। कृपया दूसरे मुद्दे पर आइए। श्री सैयद शाहाबुद्दीन।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी के वक्तव्य पर गंभीर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकती है। लेकिन उन्हें भी अपनी बात कहने दीजिए।

श्री श्रीकान्त जेना : यदि माननीय मंत्री जी इस तरह का वक्तव्य देते हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यदि 'रायल्टी' राज्य को दी जाती है न कि किसी विशेष क्षेत्र को तो अन्य रायल्टी भी वितरित की जानी चाहिए। माननीय मंत्रीजी, संविधान के अनुसार रायल्टी राज्य को ही दी जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बैठ जाइए। मैंने सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है और आपको जवाब भी मिल गया है। हो सकता है आप जवाब से संतुष्ट न हो लेकिन क्या आप इसी तरह से बोलते रह सकते हैं ? अन्य सदस्य भी हैं, जो बोलना चाहते हैं ..

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हम लोग कोई पॉजिटिव सवाल उठाना चाहते हैं। ये इस इश्यू को डीरेल करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रह होंगे कि मैंने कैसे उत्तर दे दिया कि बिहार और उड़ीसा के सवाल को लेकर विपक्ष में मतभेद हो गया लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने यह जो सलाह दी है बिहार और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों को यही सलाह वह देश भर में सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं ? मैं कहता हूं दिल्ली के लोग कई बार कहते हैं कि यहां से जितना रिवून्यू अर्न होते हैं उस हिसाब से हमें मिलना चाहिए। क्या इसको सिद्धांततः कोई स्वीकार कर सकता है ? इसीलिए इस प्रकार की बात मत करिये। मैं अपने

मित्रों को कहूंगा कि जब आप उनको सुझाव दे रहे हैं कि बिहार के दो हिस्से कर लीजिए, तो अगर आपकी विधान सभा वहां पर यह प्रस्ताव पास कर ले तो हम भी इस पर जरूर दबाव डालेंगे। एक तर्क देकर आप इनकी मांग को मत टालिए।

श्री नीतीश कुमार : आडवाणी जी, वह अलग सवाल है। अभी हमने पूछा है कि जिस हिस्से मे कोयला होता है उसे वह रायल्टी मिलेगी या नहीं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप हर सवाल पर कहते हैं कि संविधान के मुताबिक होगा। जो जहां कोयला है वहां रायल्टी दीजिए.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, आप बैठ जाइए। यह क्या चल रहा है हाउस के अंदर। देखिये आज हमें फाइनेंस बिल लेना है। मैंने आपको यह भी कहा था कि फाइनेंस बिल लेने के बाद इस चर्चा करेंगे। आपने इनसिस्ट किया कि आपकी बात सुन लें। आपकी बात सुनी गई और उसके बाद जवाब भी दिया गया। हो सकता है कि जवाब आपको पसंद न हो।

श्री श्रीकांत जेना : पंसद की बात नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। बहुत हो गया। अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप रीजन से किसी को कनविन्स नहीं कर सकते तो आप पुकार कर करना चाहते हैं।

*** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।**

[अनुवाद]

यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : आपको हमें भी अनुमति देनी चाहिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में अब बहुत हो गया। हर समय आप लोंगों से यह बातें सुनने को मिल रही है। कृपया बैठ जाइए..

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महादेय : क्या अब आप कृपा करके मुझे कम से कम इस सभा में बोलने देंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अब बैठ जाइए। आपको कम से कम मेरी बात तो सुननी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : ये देश को बांटना चाहते हैं, राज्य को बांटना चाहते हैं। सदन की भावना को देखते हुए इन्हें अपनी बात वापस लेनी चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। सूरज मंडल जी आप भी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब मैं यहां उठकर, खड़ा होकर कुछ बोल रहा हूं तो उसे आपको सुनना चाहिये। यदि आप नहीं सुनेंगे तो आप जो चाहते हैं, वह आपको नहीं मिल सकेगा। आडवाणी जी का अपनी बात को रखने का एक अलग तरीका था और आपका भी एक तरीका है। उसमें मैं आपको रिलीफ देने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्या आप समझते हैं कि जोर जोर से पुकार कर आपको रिलीफ मिल जायेगा ? पार्लियामेंट में यह तरीका ठीक नहीं है।

मैं कहने जा रहा था कि नीतीश कुमार जी ने जो बात यहां उठायी है, बहुत सारे तरीकों से मंत्री जी ने अपनी बात कहने की कोशिश की है कि अगस्त में जब हम मिलेंगे तो कहेंगे। उसके

* कार्यवाही-वृतानत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आगे शायद यदि वे नहीं बोलते तो इतनी गड़बड़ नहीं होती। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं और वे भी कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन इस हाउस को कंट्रोल करने का काम मेरा हो जाता है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपके पुकारने से यहां कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कह दिया है कि यदि उन्होंने कुछ नहीं कहा होता तो आपका बोलना कोई जरूरी नहीं था। आपको चुप बैठना चाहिये और हाउस की कार्यवाही को आगे चलने देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके इस प्रकार बात करने से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता। यह जगह ऐसी है जहां आप बुद्धि–कौशल से जो कुछ कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। सिर्फ बोले तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है।

[अनुवाद]

आधे घंटे का समय समाप्त हो गया है। अब वित्त मंत्री जवाब दे सकते हैं। यह चर्चा समाप्त हो जाने के बाद अन्य मदों पर चर्चा की जाएगी।

12.32 बजे म.प.

[अनुवाद]

वित्त विधेयक, 1994 - जारी

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल रात कहा था कि वित्त विधेयक पर यह चर्चा आम बजट पर हुई चर्चा की पुनरावृत्ति ही है। संभवतः ऐसा आवश्यक हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि जिस बात का मैं आम बजट पर चर्चा के दौरान उत्तर दे चुका हूं उसके लिए फिर से सभा का समय लूं।

आम मुद्दों के बारे में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं अपनी सरकार का रूख दोहराना चाहता हूं। पहला मुद्दा राजकोषीय घाटे के बारे में उठाया गया था तथा आय और व्यय के प्राक्कलन के बारे में भी प्रश्न उठाए गए थे। मैं यह मानता हूं कि अप्रत्याशित कारणों से बजट प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कालनों के बीच अन्तर रहा है। हम व्यापक ढांचागत परिवर्तन करने जा रहे हैं और यदि आप आज पूरे विश्व में रिकार्ड पर दृष्टि डालें तो मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि अधिकांश सरकारें भविष्य का पूरी तरह से अनुमान लगाने में असफल रही हैं। भविष्य बहुत अधिक अनिश्चित हो रहा है, बहुत अधिक अननुमेय हो रहा है, इसी कारण बजट भी प्रभावित होता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां तक संभव हो, हमें अन्तर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की हमारी सरकार की चिन्ता पर पहले भी जोर दिया था कि राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पादन के 6% तक कम करने के लिए हम प्रयास करेंगे, और इस संदर्भ में मुझे आज विशेष रूप से प्रसन्नता है कि आज 1990-91, 1991-92 के विपरीत सभा में सभी पक्षों की सर्वसम्मति है कि हमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना चाहिए। मैं समझाता हूं कि यह

राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए, हमारे वित्त के बेहत्तर प्रबंधन के लिए और भविष्य में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए शुभ है।

महोदय, इस वाद–विवाद में जो दूसरा मुद्दा उठाया गया था वह मुद्रा स्फीति के बारे में था। पिछले तीन या चार महीनों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में जो वृद्धि हुई है उससे माननीय सदस्यों की चिन्ता के साथ मैं भी चिन्तित हूं। इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार अनेक कारकों को मैं स्पष्ट कर चुका हूं। उनमें से कुछ मौसमी प्रकृति के हैं। उदाहरण के लिए आज कच्चे कपास की केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कमी है। थोक मूल्यों पर इसका प्रभाव पड़ा है। चीनी की भी कमी है। चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भारतीय मूल्य से बहुत अधिक है। अतः हमने 'ओपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत इन वस्तुओं की अनुमति भी दे दी है, उससे भी कीमतें किसी सीमा तक ही कम होंगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले तीन या चार महीनों के प्रारंभिक चरण के बाद मूल्य सूचकांक को नियंत्रित कर लिया जाएगा। मैं अभी भी कहता हूं कि अर्थव्यवस्था बिगड़ी नहीं है और हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे सामने मुद्रास्फीति की विकट स्थिति नहीं है खाद्यानों के रिकार्ड भण्डार और विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भण्डार दोनों ही तरह से साधन उपलब्ध हैं।

वाद–विवाद में तीसरा मुद्दा विदेशी ऋण के संबंध में उठाया गया था। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारे सरकार के सत्ता में आने के बाद से इस ऋण में वृद्धि दर तेजी से कम हुई है और हमारा प्रयास होगा कि चालू खाता घाटे के बेहतर प्रबंध से इस ऋण को कम किया जाए। 1993-94 में चालू खाता घाटा पिछले वर्ष के चालू खाता घाटे से बहुत कम है और यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास होगा कि हमारे भुगतान संतुलन की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि विदेशी ऋण के बोझ को व्यावहारिक सीमा के भीतर तक कम किया जा सके। मैंने यह भी उल्लेख किया था कि यद्यपि पिछले ढाई वर्षों में विदेशी ऋण में पहले दो वर्षों में तीन बिलियन डालर की दर से वृद्धि हुई है जो कि 1993-94 में एक बिलियन डालर से कम है, हम ने इस दौरान अपने विदेशी मुद्रा के भण्डार को एक बिलियन डालर से पन्द्रह बिलियन डालर तक बना लिया है। हमने कम अवधि के ऋण का काफी हिस्सा चुकता कर दिया है, अतः मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज देश के विदेशी खाते से पहले किसी भी समय के विदेशी खाते की अपेक्षा बहुत अधिक आशा है।

रोजगार के संबंध में हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। इस देश में तब तक कोई दीर्घकालिक विकास नीति सफल नहीं हो सकती है जब तक श्रम बल में शामिल होने वाले सभी नए लोगों के लिए काम के अवसर पैदा नहीं किए जाते और ये कार्य ऐसे होने चाहिए जिनसे कुछ उपार्जन हो और जो लाभप्रद रोजगार हों। नौकरियां आसानी से नहीं मिलती हैं। केवल राजसहायता उपलब्ध करवाने से नौकरियां उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। नौकरियां केवल अधिक उत्पादन से उपलब्ध हो सकती है। बशर्ते कि उत्पादन की पद्धति अधिक रोजगारोन्मुख हो। मैं इस सभा से निवेदन करता हूं कि हमने जो ढांचागत सुधार शुरू किया है वह स्पष्ट रूप से औद्योगीकरण की पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विकास की एक पद्धति के लिए तैयार किया गया है, जो औद्योगीकरण की पद्धति की अपेक्षा थोड़ा अधिक श्रम–प्रधान होगा जिसका हमने विगत समय में अनुसरण किया है। यह तथ्य कि उद्योग के संरक्षण स्तरों को घटाया जा रहा है, यह तथ्य कि हमने औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा जिससे बहुत अधिक नौकरियां उत्पन्न होंगी। यह तथ्य की संरक्षण स्तरों को कम किया जा रहा है का मतलब यह भी है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भेदभाव भी कम हो जाएगा।

हमारे किसानों को कृषि उपकरण उस कीमत से बहुत कम कीमतों पर मिल सकेंगे जो कि संरक्षण स्तरों को ऐसे असंगत स्तर रखने से होती जो कि केवल दो–तीन वर्ष पूर्व व्याप्त थी।

क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है। पूर्वोत्तर के सदस्यों ने औचित्यपूर्ण ढंग से उस क्षेत्र के पिछड़ेपन का उल्लेख किया है। एक राष्ट्र के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश के शेष भागों में विकास कार्यों में कमी करने के बारे में चिन्तित हैं। यही समस्या कुछ और भागों में है, विशेषरूप से बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जिनमें प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। अन्ततः उस देश में जिसमें 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 32 प्रतिशत कृषि उत्पाद हो, उसमें आंशिक असंतुलनों को कम करने की कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में जोरदार वृद्धि नहीं हो जाती। अब यह एक ऐसा काम है जो प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। जहां तक इस बजट की भूमिका का संबंध है मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाले संस्थानों को मजबूत करने के लिए ऋण साधनों का उपयोग किया है। 'नाबार्ड' को अगले वर्ष 200 करोड़ रुपए अधिक दिए जाएंगे जिससे ग्रामीण ऋण देने वाले बैंकों की क्षमता में वृद्धि हो सके। मैंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनरूद्धार का एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसी तरह से गरीबी विरोधी कार्यक्रम और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निधि में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सुधार होना चाहिए और इससे कृषि उत्पादकता बढ़ने में सहायता मिलनी चाहिए।

अब मैं लघु उद्योगां के मुद्दे पर आता हूं। जब मैंने वित्त विधेयक प्रस्तुत किया था और आज जब उस पर वाद–विवाद का उत्तर दिया था, तो दोनों अवसरों पर इस सम्मानीय सभा के समक्ष हमारे मन में जो व्यापक वित्तीय सुधार हैं उनके बारे में बताया था, मैं इस सम्मानीय सभा से विनम्र निवेदन करता हूं कि यह लघु उद्योगों संबंधी नीति विरूद्ध नहीं है। यह एक ऐसी नीति है जिसमें कर प्राधिकारियों की मनमानी कार्यवाही के अवसर को कम करने की कोशिश की गई है। यह एक ऐसी नीति है जिसमें विवादों के वर्गीकरण के अवसर को कम से कम करने की कोशिश की गई है। यह एक ऐसी नीति है जिसमें बहुत अधिक मुकदमेबाजी के अवसर को कम से कम करने की कोशिश की गई है। ढांचागत सुधार की प्रक्रिया में मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि इस हद तक कुछ ऐसे अनभिप्रेत परिणाम हैं कि इन्हें मेरे ध्यान में लाया गया है और इस प्रकार मैंने यह ठीक करने की कोशिश की है कि क्या इनका संबंध ब्रॉड नामों से है या लघु उद्योग के कुछ विशेष क्षेत्रों से संबंधित है और मैं सभा को एक बार फिर से आश्वासन दे सकता हूं कि यदि कोई अंसगतियां है तो उन पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हूं। हम लघु उद्योगों की समस्याओं पर गौर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैसा कि प्रधान मंत्री जी एक से अधिक अवसरों पर कह चुके हैं, हमारी सरकार लघु उद्योगों को विकसित होने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध है और यदि कर ढांचे में कोई विसंगतियां हैं जो इस उद्देश्य में बाधक बनती है तो उसे महसूस होने पर मैं इन सभी मुद्दों पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हूं।

मै इस अवसर पर सिक्किम के विशेष मामले का उल्लेख करता हूं। उस समय राजनीतिक विचार निश्चित रूप से बहुत कम था जब मैंने यह संशोधन करने के लिए सिक्किम के माननीय मुख्य मंत्री के सुझाव पर सहमति प्रकट की थी और मैं पूरी तरह से सच कह रहा हूं कि उस समय राजनीतिक विचार मन में नहीं था।

ऐसा मुझे तथा प्रधानमंत्री महोदय को स्पष्ट आश्वासन दिए जाने के पश्चात् किया गया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो केन्द्रीय सरकार तथा सिक्किम राज्य सरकार के बीच केन्द्रीय कानूनों तथा आय कर सम्बन्धी कानूनों को सिक्किम में लागू करने सम्बन्धी लम्बे समय से चला आ रहा विवाद सुलझ जायेगा और अगर आप यह रियायत दे देंगे तो आप आयकर की वसूली आरम्भ कर सकते हैं। जैसी कि सदन को जानकारी है, आय कर से सम्बन्धित केन्द्रीय कानून 1989 में सिक्किम में लागू किए गये विभिन्न कारणों से जो सिक्किम सरकार द्वारा आपत्तियां उठाई गई, उनके कारण उन्हें लागू करना सम्भव नहीं हो सका, तथा मैं पिछले दो वर्षों से इस समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान को ढूंढने की आशा में माननीय मुख्य मंत्री से इन मुद्दों पर चर्चा करता आ रहा हूं तथा मेरे पास उनके द्वारा दिया गया लिखित आश्वासन है कि अगर मेरे द्वारा पुरःस्थापित वित्त विधेयक में अनुसूचित जनजाति को कर छूट सम्बन्धी खण्ड को स्वीकार कर लिया जाता है तो सिक्किम सरकार को आयकर सम्बन्धी कानून लागू करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके पुरःस्थापित होने के पश्चात उसे सिक्किम के मुख्य मंत्री महोदय का पत्र प्राप्त हुआ कि पहले उनका इरादा चाहे कुछ भी हो रहा हो, उन्हें यह लग रहा है कि इसके कारण भेदभाव की भावना का सूत्रपात हुआ है। मुझे भी अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा मैं यह महसूस करता हूं कि हम किसी प्रकार के भेदभाव की भावना को पैदा नहीं करना चाहते। सिक्किम सरकार के अनुरोध पर मैंने यह महसूस किया कि क्योंकि मुख्यमंत्री इस मामले पर पुनर्विचार चाहते हैं, इसलिए हम इस पर पुनः विचार करने को तैयार हैं। मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे इस निर्णय में कोई राजनीति नहीं थी।

कराधान सम्बन्धी सामान्य योजना के सम्बन्ध में कुल मिला कर सारा सदन तथा सदस्य प्रसन्न हैं हिन्दु अविभाजित परिवार के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। मैं सदन को इस सम्बन्ध में विश्वास में लेना चाहता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गये कर प्रस्तावों के पीछे तर्काधार क्या है।

हिन्दु अविभाजित परिवार जिसे आगे एच.यू.एफ. कहा जायेगा, एक विधायी अभिव्यक्ति है, जिसे हमारे कराधान सम्बन्धी कानूनों में प्रयोग किया गया है। इसे हिन्दु संयुक्त परिवार भी कहा जाता है, तथा यह 'हिन्दु पर्सनल लॉ' से लिया गया है। एक अविभाजित हिन्दु परिवार अपने नाम पर सम्पति रख सकता है तथा उसकी अपने सदस्यों की आय तथा सम्पत्ति से अलग अपनी आय हो सकती है। आय कर अधिनियम के अन्तर्गत एक अविभाजित परिवार एक व्यक्ति से भिन्न एक अलग कर लगाने योग्य संस्था है।

उदाहरणार्थ, श्रीमान (क) अपने व्यक्तिगत वेतन तथा स्व–अर्जित आय के आधार पर व्यक्तिगत रूप में कर निर्धारण योग्य हो सकता है तथा वह अविभाजित परिवार जिसका वह सदस्य कार्यकर्ता है। उस पर पैतृक सम्पत्ति अथवा व्यापार से आय के आधार पर अलग से कर निर्धारण किया जायेगा।

क्योंकि व्यक्ति तथा अविभाजित परिवार के इस दोहरे दर्जे का उपयोग कर योजना उपकरण के तौर पर बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। वर्ष 1973 का वित्त अधिनियम ऐसे अविभाजित परिवारों के लिए भिन्न कर–दर सूची प्रदान करता है जिसके किसी सदस्य की आय मूल छूट सीमा से अधिक हो। ऐसे अविभाजित परिवारों को विनिर्दिष्ट अविभाजित परिवार कहा जाता है एक ऐसा अविभाजित परिवार जिसमें किसी भी सदस्य की स्वतंत्र आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, उसे सामान्य अविभाजित परिवार कहा जाता है तथा उस पर किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह कर लगाया जाता है। वर्ष 1973 से विनिर्दिष्ट अविभाजित परिवारों के लिए कर सूची व्यक्तियों तथा सामान्य

अविभाजित परिवारों से भिन्न है। जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया है, विनिर्दिष्ट अविभाजित परिवारों के लिए अलग कर सूची (व्यक्तियों से भिन्न निम्न छूट सीमा तथा टैक्स स्लैबस) बनाने का एक कारण यह भी है कि इन अविभाजित परिवारों के सदस्यों को यह विशिष्ट लाभ है कि वे अविभाजित परिवार से अलग अपनी कर लगाने योग्य आय का आकलन करवा सकते है। इस प्रकार इन व्यक्तियों को पहले व्यक्तियों के रूप में मूल छूट मिलती है तथा फिर विनिर्दिष्ट अविभाजित परिवारों के रूप में मूल छूट मिलती है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविभाजित परिवारों के लिए अलग कर सूची लागू करना अव्यवहारिक नहीं कहा जा सकता।

सामान्य अविभाजित परिवारों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उन पर व्यक्तियों के रूप में कर लगाया जाता है तथा उन्हें वही छूट दी जाती है जो कि व्यक्तिगत रूप में दी जाती है। वर्तमान में विनिर्दिष्ट अविभाजित परिवारों के लिए मूल छूट सीमा 18,000 रुपऐ हैं, तथा व्यक्तियों/सामान्य अविभाजित परिवारों के लिए 35,000 रुपये हैं जैसा कि वित्त विधेयक, 1994 में प्रस्ताव किया गया है इसलिए, माननीय सदस्यों से मेरा यह सादर निवेदन हैं कि इन सभी कारणों से वर्तमान प्रावधान व्यवहारिक प्रतीत होते हैं। अगर हमारा उद्देश्य कर चोरी पर काबू पाना है। तथा राजकोष की कीमत पर फैल रही कर से बचने की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण करना है, तो वर्तमान प्रावधान व्यवहारिक प्रतीत होते हैं।

छूट सीमा को बढ़ाने के सम्बन्ध में एक बार पुनः मुद्दे उठाये गये हैं। व्यक्तिगत आय–कर का 85 प्रतिशत राज्यों को जाता है। स्पष्टतया, केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री के रूप में, मैं बिना किसी परिणाम को भुगते अधिकांश आय कर छोड़ सकता हूं। परन्तु इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव राज्य सरकारों पर पड़ेगा। सदन में सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने ग्रामीण विकास पर और अधिक धन खर्च करने की बात कही हैं।

हमारे लोगों के लिए और अधिक नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए और धन खर्च करने की बात भी उन्होंने कहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण पर खर्च के लिए हमें काफी धन की आवश्यकता है। इनमें से अधिकतर मुद्दे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब अगर आप छूट की सीमा बढ़ाते हैं तो इससे किसको हानि होगी? इसकी हानि राज्य सरकारों को होगी। इसलिए, मैं सादर यह कहूंगा कि न्यायिक दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए मैं मध्यवर्ग की समस्याओं के प्रति पूर्णतया जागरूक हूं वे मुद्रा स्फीति से प्रभावित होते हैं तथा मैंने छूट सीमा न बढ़ाकर बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत में वृद्धि करके तथा अन्य ऐसे उपायों द्वारा उन्हें राहत पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इन तथ्यों को समक्ष रखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि वित्त विधेयक में दिए गये प्रस्ताव वर्तमान संदर्भ में व्यवहारिक हैं। फिर भी, अगर हमारे कर राजस्व में वृद्धि होती है जैसे कि हम इस समय आशा कर रहे हैं जबकि हम कर प्रणाली में सामान्य कर दर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कर ढांचे को और व्यापक बना रहे हैं। कर प्रणाली के अनुपालन पर कठोरता से बल दे रहे हैं, ऐसे में अगर कर राजस्व में वास्तव में वृद्धि होती है तो इस सारे मुद्दे पर पुनर्विचार किया जा सकता है। मेरा इस माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि वर्तमान में छूट सीमा 35,000 रुपये से बढ़ाने की कोई गुंजाईश नहीं है, जिसका मैंने बजट में प्रस्ताव किया है।

महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने काले धन तथा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। मेरा इस माननीय सदन के समक्ष निवेदन है कि कालेधन की समस्या से निपटने का कोई अचूक तरीका नहीं है। काले

धन को संगृहीत तथा निवेसित दोनों प्रकार से देखना होगा काला धन है। काली आय प्रत्येक वर्ष–सृजित हो रही है। हमें अब इसके स्रोतों से निपटना है। काली आय सृजन के स्रोत कौन–कौन से हैं ? इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत वह पुरानी ऐच्छिक नियन्त्रणों, लाईसैंस, मूल्य, वितरण, नियन्त्रणों वाली प्रणाली थी। हम इसे समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार हम काले धन को सृजित करने की गुजारिश पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि पुरानी लाईसैंस देने की प्रणाली के परिणाम स्वरूप सृजित हो रही थी। काला धन अर्जित करने का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत कर चोरी है। सामान्य कर दर अथवा सामान्य कराधान प्रणाली को अपनाकर हम एक ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि सभी कर चोरी करने वाले हो सकता है कि सभी रास्ते पर न आये परन्तु मैं बड़ी संख्या में उद्योग तथा व्यापार से जुड़े ऐसे नवयुवकों से मिला हूं जिनका कहना है कि वे ईमानदार बने रहना चाहते हैं परन्तु हमारी कर प्रणाली ऐसी है जिसमें ईमानदारी के कारण दण्डित होना पड़ता है। हमें एक ऐसी कर प्रणाली की आवश्यकता है जिससे कि वे अपने व्यापार में अधिक से अधिक धन पुनः लगा सकें तथा इसके साथ राजकोष में वृद्धि में भी योगदान दें। पिछले तीन वर्षों के दौरान मेरा प्रयत्न ऐसी कर प्रणाली अपनाने का रहा है जिससे सार्वजनिक जीवन तथा व्यापार में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को भी प्रोत्साहन मिले।

अन्ततः, एक ऐसी प्रणाली, जिसे हम आयात नियन्त्रण तथा विनिमय नियंत्रण युक्त बड़े भारी ढ़ंग के साथ चलाते हैं, इसमें अधिकाधिक विनिमय दर तथा काला बाजार विनिमय दर में जो अंतर है उससे काला धन सृजित करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं, इससे काले धन का आदान ही नहीं होता बल्कि उस धन को अवैध रूप से बाहर भेजने का भी अवसर मिलता है जिसकी हमें निवेश के लिए आवश्यकता होती है। हम इस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हमने एक ऐसी विनिमय दर प्रणाली बनाई है जिसमें अधिकारिक विनिमय दर तथा अनाधिकारिक विनिमय दर में अन्तर बहुत कम है। हवाला बाजार, तस्कर तथा वे सभी लोग जो हवाला बाजार के द्वारा सम्पन्न बने हैं, आज उन्हें यह लग रहा है कि यह व्यापार अब लाभदायक नहीं रहा। स्वर्ण तथा चांदी की तस्करी हमारे देश में काला धन सृजित करने का एक मुख्य स्रोत रहा है। स्वर्ण तथा चांदी के आयात को आसान बना कर हमने तस्करों, हवाला व्यापारियों तथा उनके मित्रों और संरक्षकों को गहरा धक्का पहुंचाया है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने और इसमें सुधार करने के लिए समग्र रूप से हमने जो नीति अपनाई है और जो भी हमने संरचनात्मक परिवर्तन किये हैं वे सब एक निश्चित अवधि में, एक ऐसी पद्धति एवं एक ऐसा आर्थिक नियंत्रण तंत्र तैयार करने के उद्देश्य से किये हैं, जिसमें काले धन के सृजन की कम गुजाइश होगी, और जिसमें देश के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार जैसी अन्य बुराइयों के पैदा होने के अवसर भी कम होंगे।

महोदय, श्री अन्ना जोशी जी ने परियोजना निर्यात का मुद्दा उठाया था और यह पूछा था कि हम वस्तुओं के बदले परियोजना निर्यात के लाभों के 50 प्रतिशत की हो, जो 80 एच.एच.सी. के अधीन कर लाभों के लिये लागू हैं, क्यो अनुमति देते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें इन सभी बातों को समग्र रूप से देखना पड़ता है। हम अब एक ऐसी कर पद्धति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जिसमें करों की दर अधिक नहीं है। इस वर्ष मैंने भारतीय कम्पनियों पर लागू करों की दर में भारी कमी की हैं, और इसका सबसे अधिक लाभ अपेक्षाकृत उन छोटी कम्पनियों को मिलेगा जो अभी तक 'कलोजली हैल्ड' कम्पनियां थी। पिछले वर्षों में मैंने साझे की और पंजीकृत कम्पनियों के कराधान

में भारी सुधार किये थे। इससे इन कम्पनियों को काफी कर लाभ हुआ है। इसलिए अब हम करों की दर में और अधिक कमी नहीं कर सकते और साथ ही दिये जाने वाले लाभों में और वृद्धि भी नहीं कर सकते। मैं निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता को भी मानता हूं और इसीलिये मैंने विद्यमान निर्यात प्रोत्साहनों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की है। परन्तु, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के पहले, रुपये की कीमत लगभग एक डालर के बदले 16 या 17 रुपये से भी कम थी, आज एक डालर का मूल्य 31 रुपये है और निर्यात की लाभार्जकता और भी बढ़ गई है। हम निर्यात के बदले में अपनी संरक्षण प्रणाली में विद्यमान देय प्रोत्साहनों में कमी कर रहे हैं। सीमा शुल्क में कटौती, करना इसका एक सबसे बड़ा कारक है जिसका उद्देश्य अथवा परिणाम निर्यात के बदले में दिये जाने वाले प्रोत्साहन में कमी करना है। यदि इस प्रक्रिया पर समग्ररूप से विचार किया जाये तो मेरी अपनी धारणा है कि हमने जो प्रणाली अपनाई है कुल मिलाकर निर्यात के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध करायेगी। परन्तु एक और भी कारण है कि वस्तुओं के निर्यातकों को अपने अस्तित्व तथा वर्ष–दर–वर्ष अपनी विक्रय क्षमता का औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा। परियोजनाओं के बारे में ऐसा होता है कि एक बार यदि आपको ठेका मिल जाता है तो वह ठेका दो वर्ष के समय में पूरा होता है। इसलिये मैं यह महसूस करता हूं कि फिलहाल परियोजना निर्यात और वस्तु–निर्यात में जो अन्तर विद्यमान है वह निर्यात के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करता है और साथ ही साथ, यह हमारे लिये अपेक्षित राजस्व की आवश्यकता के भी अनुरूप है।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने तैयार कपड़ों पर कराधान के इस प्रश्न को उठाया था। श्री माथुर इस मामले पर मुझे लिखते रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक तैयार कपड़ों का सम्बन्ध है, केवल एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया हुआ है जो अधिकाशंतः राज्यों को चला जाता है। परन्तु इसमें इस मायने में एक समस्या है कि हमारे द्वारा किये गये कर सुधारों से मूल्यानुसार पद्धति के लागू होने पर, कम कीमत वाले कपड़े तैयार करने वाले कारखाने यह महसूस करते हैं कि उनसे कुछ ज्यादा ही कर वसूल किया जा रहा है। मैं आगामी सप्ताहों में इस समस्या की ओर ध्यान दूंगा, और इस पेरशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है ब्रान्ड नामों के बारे में कुद माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो कुछ हमने ब्रान्ड नामों के बारे में किया है, उससे छोटे पैमाने की कम्पनियों के साथ कुछ भेदभाव सा झलकता है। दरअसल यह ठीक इसके विपरीत है। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि यदि हमने ऐसा न किया होता तो इसमें भारी मात्रा में कर चोरी होती और बहुत सी बड़ी कम्पनियां अपने ब्राडां को छोटे पैमाने के क्षेत्र में पंजीकृत करा लेती।

1.00 बजे म.प.

इससे न केवल बडे पैमाने के भारतीय उद्योगों को हानि होती बल्कि इससे भारी मात्रा में कर चोरी की स्थिति भी पैदा हो जाती। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां ऐसा हुआ है, जहां कुछ लोगों ने उदाहरण के लिये, सौन्दर्य प्रसाधन के क्षेत्र में सुविख्यात ब्रान्ड मालिकों ने, भारी मात्रा में कर–रियायतों को प्राप्त करने के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों का सहारा ले लिया है। जहां कहीं भी समुचित समस्यायें हैं, हमने ऐसे कारखानों की समस्याओं का समाधान करने के लिय 'ब्रान्ड' नाम योजना में संशोधन कर दिये हैं ताकि ब्रांड नामों को इस तरह से परिभाषित किया जाये जिससे कि वे छोटे पैमाने के वास्तविक उद्योगों के हितों पर कुठाराघात न करने पायें। कल श्री चाको ने इलैक्ट्रोनिक

सामान एसेम्बल करने में लगी केरल की एक महिला सहकारी समिति के मामले का उल्लेख किया था। जो भी हमने किया है, इसके परिणाम स्वरूप यदि कोई वास्तविक कठिनाई पैदा होती है, तो मैं यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास करूंगा कि वह कठिनाई दूर हो जाये। मुझे इस समस्या पर गहराई से ध्यान देने का समय नहीं मिला है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि जो भी मुद्दे यहां उठाये गये थे, उनमें से अधिकांश मुद्दों का उत्तर मैं दे चुका हुं। कुछ सदस्यों ने छोटे सीमेंट संयंत्रों में सीमेन्ट की राख का मुद्दा उठाया है। वित्त विधेयक पर उद्घाटन भाषण में, मैंने पहले ही कुछ रियायतों की घोषणा कर दी है। इसी तरह से मैंने अपरम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने वाली कागज–कारखानों के लिये भी कुछ रियायतों की घोषणा कर दी है।

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : उत्प्रेरकों के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री मनमोहन सिंह : जहां तक उत्प्रेरकों की समस्या का सम्बन्ध है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी जांच हम संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श करके करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं इस वित्त विधेयक को एक बार फिर इस सम्मानीय सभा में प्रस्तुत करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, कल आपने बड़ी कृपा करके मुझे चिट फंड घोटाला कांड का मुद्दा उठाने की अनुमति प्रदान की थी जिसमें समाज के निर्धन वर्गों का हजारों करोड़ रुपया फंसा हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहती हूं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अब आप कोई प्रश्न नहीं कर सकती है। कृपया बैठ जाइये।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से उद्धत पत्र के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी मैं इन चीजों की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप को मेरी अनुमति लेकर ही प्रश्न पूछना चाहिये। हमने 13 घंटे तक चर्चा कर ली है। और अन्य विषयों पर भी उसी तरह चर्चा हो चुकी है। अनेकों संशोधन अभी भी शेष हैं। उन्हें भी पारित किया जाना है। इसलिये कृपा कर के कठिनाई को समझिये तथा और कोई प्रश्न मत पूछिये।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, कृपया...

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। आप मंत्री जी से मिलकर इस पर बातचीत कर सकती हैं। मंत्री जी आप कृपया माननीय सदस्या को आमंत्रित कीजिये और इस समस्या पर उनकी बात सुनिये।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, सरकार मुम्बई की मिलों को बेचने

जा रही है। (व्यवधान)

1.05 बजे म.प.

[अनुवाद]

इस समय श्री मोहन रावले आये और सभा के पटल के पास खड़े हो गये

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से यहां से बोलने से कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाता है। आप अपने स्थान से बोलिये।

(व्यवधान) *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, भाई आप यहां से बोलेंगे तो वह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। आप अपने स्थान पर जाकर बोलिये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। यह कार्यवाही वृतांत का भाग नहीं बनेगा। यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइये।

[हिन्दी]

आप बहुत कह चुके हैं, इससे आपकी कोई मदद नहीं होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, आपको अपने स्थान पर जाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने स्थान पर जाना पड़ेगा। उसके बाद जवाब आयेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य भी कृपया अपने–अपने स्थानों पर चले जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सदस्य महोदय ने यह मुद्दा

***कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।**

उठाया है, वह उचित नहीं है।

फिर भी क्योंकि सदस्य महोदय काफी उत्तेजित हैं मेरा ख्याल है कि एक आध वाक्य में सरकार की ओर से इसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : इन्होंने कहा कि मजदूरों को फैक्ट्रियों से बाहर कर दिया गया है, यह गलत है।

1.08 बजे म.प.

इस समय श्री मोहन रावले अपने स्थान पर वापस चले गये

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भाई अब भी आप उठेंगे तो मैं आपके विरूद्ध कार्यवाही करूंगा। सरकार ने यह कह दिया है कि यह सच नहीं है। अब आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मुझे रिटन में जवाब मिला है **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पार्लियामैन्ट को इस तरह मंत चलाइये। आप जो पूछना चाहते थे वह गवर्नमैंट ने बता दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, अब मैं आपको चेतावनी देता हूं। आप सदन में गड़बड़ी नहीं फैला सकते। आपको अपने स्थान पर वापस चले जाना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह के नाटक की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

***कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।**

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों द्वारा दिये गये इस तरह के वक्तव्य बहुत अशोभनीय हैं। वे इस सदन की गरीमा के अनुरूप नहीं हैं और सदस्यगण इस तरह के वक्तव्य न देकर ही संसद की भलि–भांति सेवा कर सकते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सदन विधेयक पर खण्ड–वार विचार आरम्भ करेगा। माननीय सदस्यों ने अनेक संशोधन दिए हैं। मेरे पास लगभग 65 संशोधन हैं।

खण्ड 2 - आय कर

डा. लक्ष्मी नारायण पाडेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 17.....

"पैंतिस हजार" **के स्थान पर** "पचास हजार" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (3)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26.....

"पैंजिस हजार" **के स्थान पर** "पचास हजार" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 37....

"पैंतिस हजार" **के स्थान पर** "पचास हजार" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (5)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 17..

"पैतीस हजार" **के स्थान पर** "साठ हजार" **प्रतिस्थापित किया जाये** (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26..

"पैतीस हजार" **के स्थान पर** "साठ हजार" **प्रतिस्थापित किया जाये** (9)

पृष्ठ 3, पंक्ति 37..

"पैतीस हजार" **के स्थान पर** "साठ हजार" **प्रतिस्थापित किया जाये** (11)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 18..

"अठारह हजार" **के स्थान पर** "पचास हजार" **प्रतिस्थापित किया जाये** (15)

पृष्ठ 3, पंक्ति 28..

"अठारह हजार" **के स्थान पर** "पचास हजार" **प्रतिस्थापित किया जाये** (16)

पृष्ठ 3. पंक्ति 38..

"अठारह हजार" **के स्थान पर** "पचास हजार" **प्रतिस्थापित किया जाये** (17)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू :

पृष्ठ 3. पंक्ति 17..

"पैंतीस" के स्थान पर "पचपन" **प्रतिस्थापित किया जाये** (66)

पृष्ठ 3. पंक्ति 26..

"पैंतीस" के स्थान पर "पचपन" **प्रतिस्थापित किया जाये** (67)

पृष्ठ 3, पंक्ति 37..

"पैंतीस" के स्थान पर "पचपन" **प्रतिस्थापित किया जाये** (68)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3,4,5, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7,9,11, श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15,16,17, तथा प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 66,67,68, को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 66, 67

और 68 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 से 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खण्ड 6 - धारा 10 में संशोधन

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : मैं प्रस्ताव करती हूं *

पृष्ठ 5,

पंक्ति 30 से 35 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए** :

(3) खण्ड (26) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 1989 से सिक्किम राज्य के लिए 1 अप्रैल, 1995 से अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्यों के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(26) (i) संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में यथा–परिभाषित किसी अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य के मामले में, जो संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारिणी के भाग I या भाग II में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में या अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्यों में या उक्त पैरा 20 के उप–पैरा (3) के परन्तुक के अंतर्गत असम के राज्यपाल द्वारा जारी की गयी दिनांक 23 फरवरी, 1951 की अधिसूचना संख्या टी.ए.डी./आर/35.50.109 जैसी कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 18) के प्रवृत्त होने से तुरन्त पूर्व थी] में उल्लिखित क्षेत्रों में रहता है ;

(ii) सिक्किम राज्य में रहने वाले भूटिया मूल के, लेपचा मूल के तथा नेपाल मूल के ऐसे सिक्किमियों के मामले में जिन्होंने सिक्किम नागरिकता आदेश, 1975 के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है

कोई आय जो उसके लिए –

(क) उपरोक्त क्षेत्रों या राज्यों में किसी स्रोत्र से ; या

(ख) प्रतिभूतियों से प्राप्य लाभांस या ब्याज से, प्रोद्भूत या उद्भूत होती है "(1)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी द्वारा प्रस्तुत खण्ड 6 में संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 5, पंक्ति 32,-

"सिक्किम और त्रिपुरा" के स्थान पर "और त्रिपुरा" प्रतिस्थापित किया जाए। (39)

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड संख्या 7 से 15 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड संख्या 7 से 15 तक विधेयक में जोड़ दिए गये।

खण्ड 16 - नई धाराओं 44- क (घ) तथा 44- क (ङ) का अन्तःस्थापक किये गये संशोधन :

पृष्ठ 8, पंक्ति 18,

"दो हजार पांच सौ" **के स्थान पर** "दो हजार" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (40)

पृष्ठ 8, पंक्ति 22,-

"दो हजार" **के स्थान पर** एक हजार आठ सौ" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (41)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड संख्या 17 से 22 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड संख्या 17 से 22 विधेयक में जोड़ दिया गये।

खण्ड 23-नई धारा 18 ड. का अन्तःस्थापन उच्च शिक्षा के लिए ऋण की अदायगी के

सम्बन्ध में कटौती

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9.-

पंक्ति 38 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये :

"परन्तु यह और कि यह–

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत शामिल कम्पनियों के संप्रवर्तकों, निदेशकों ;

2. धन कर भुगतानकर्त्ताओं ;

3. एक लाख और इससे अधिक रुपये की श्रेणी के आयकर निर्धारितियों ;

4. उन किसानों जिनकी भू–धृतियां विभिन्न राज्यों के अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत अर्जित की गई थी,

के बच्चों पर लागू नहीं होगी।" (38)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 23 में संशोधन संख्या 38 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 38 को मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड संख्या 24 से 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड संख्या 24 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गये।

[अनुवाद]

खण्ड 27- धारा 80-1 क मे संशोधन

गिरधारीलाल भार्गव (जयपुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

[हिन्दी]

पृष्ठ 10, पंक्ति 37,-

"1 अक्तूबर" के स्थान पर "1 अप्रैल" प्रतिस्थापित किया जाये। (27)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं खंड 27 में संशोधन संख्या 27 को मतदान के लिए रखता हूं।

"संशोधन संख्या 27 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 28 और 29 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 28 और 29 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 30- धारा 88 - ख में संशोधन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्ति 14,-

"एक लाख रुपये" **के स्थान पर** "एक लाख पचास हजार रुपए" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (28)

पृष्ठ 11, पंक्ति 15,-

"चालीस प्रतिशत" **के स्थान पर** "पचास प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (29)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं खंड 30 में संशोधन संख्या 28 और 29 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 28 और 29 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 30 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 31 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 विधेयक मे जोड़ दिया गया।

खंड 32- धारा 116 में संशोधन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 11,

पंक्ति 35 का लोप किया जायें। (30)

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 30 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 30 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 32 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33 से 36 तक विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33 से 35 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 36- धारा 139 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 24 से 34 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए :**

धारा 139 में संशोधन

धारा 36. आय–कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण खंड (क) में, "दिसम्बर का 31वां दिन" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "नवम्बर का 30वां दिन" शब्द, अंक, और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (42)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 36, यथा संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, यथा संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 37 से 39 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37 से 39 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 40- नई धारा 194-1 का अंतःस्थापन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय , मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 13, पंक्ति 51,-

"बीस प्रतिशत" **के स्थान पर** "दस प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (62)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 62 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 62 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 40 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 40 विधेयक में जोड़ा गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 41 से 49 तक विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 41 से 49 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 50- अनुवर्ती संशोधन

संशोधन किया गया :

[हिन्दी]

पृष्ठ 16, पंक्ति 3 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए (क) धारा 44

क ख के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के,–उपखंड (क) में "31 दिसम्बर" अंक, और शब्द के स्थान पर "30 नवम्बर" अंक, और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (43)

(श्री मनमोहन सिंह)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 50 यथा संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 50, यथा संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 51 - धारा 2 में संशोधन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। :

पृष्ठ 16, पंक्ति 34.-

"पांच वर्ष" **के स्थान पर** "सात वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (63)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 63 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 63 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 51 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 51 विधेयक में जोड़ा गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 52 से 54 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 52 से 54 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 55- धारा 5 में संशोधन

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं *

पृष्ठ 16, पंक्ति 48-49 में,–

"एक लाख" के स्थान पर "दस लाख" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 2 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 55 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 55 विधेयक में जोड़ा गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 56 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

खंड 56 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 57 - धारा 4 में संशोधन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 17, पंक्ति 9,-

"दस प्रतिशत" **के स्थान पर** आठ प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (31)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं धारा 57 के संशोधन संख्या 31 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 31 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 57 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 57 विधेयक में जोड़ा गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 58 से 63 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 58 से 63 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 64- विस्तार, प्रारम्भ, उपयोग

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

[हिन्दी]

पृष्ठ 19,-

"जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय", **का लोप किया जाये।** (32)

अध्यक्ष महोदय : मैं खंड 64 में संशोधन सख्यां 32 मतदान के लिए रखता हूं।

[अनुवाद]

संशोधन संख्या 32 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 64 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 64 विधेयक में जोड़ा गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 65 से 99 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 65 से 69 विधेयक में जोड़े गए।

प्रथम अनुसूची

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 32, पंक्ति 22 से 29 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** प्रथम अनुसूची **किया जाये-**

"आय-कर की दरें"

(1)	जहां कुल आय 50,000 रु. से अधिक नही है	कुछ नहीं;
(2)	जहां कुल आय 50,000 रु. से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु. से अधिक नहीं है	उस रकम का 20% जिससे कुल आय 50,000 रु. से अधिक है;
(3)	जहां कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है किन्तु 2,00,000 रु. से अधिक नहीं है	10,000 रु. धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है ;
(4)	जहां कुल आय 2,00,000 रु. से अधिक है	40,000 रु. धन उस रकम का 40% जिससे कुल आय 2,00,000 रु. से अधिक है।" (6)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 32, पंक्ति 22 से 29 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** प्रथम अनुसूची **किया जाये** –

"आय-कर की दरें

(1)	जहां कुल आय 60,000 रु.से अधिक नहीं है	कुछ नहीं,
(2)	जहां कुल आय 60,000 रु. से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु. से अधिक नहीं है	उस रकम का 20% जिससे कुल आय 60,000 रु. से अधिक है
(3)	जहां कुल आय 1,00,00 रु. से अधिक है किन्तु 2,50,000 रु. से अधिक नहीं है	8,000 रु. धन उस रकम का 25 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है
(4)	जहां कुल आय 2,50,000 रु. से अधिक है	45,500 रु. धन उस रकम का 40% जिससे कुल आय 2,50,000 रु. से अधिक है।" (14)

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

पृष्ठ 32, पंक्ति 22 से 29 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**-

"आय-कर की दरें

(1)	जहां कुल आय 40,000 रु. से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2)	जहां कुल आय 40,000 रु. से अधिक है किन्तु 80,000 रु. से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 40,000 रु. से अधिक है;
(3)	जहां कुल आय 80,000 रु. से अधिक है किन्तु 1,50,000 रु. से अधिक नहीं है	8,000 रु. धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु. से अधिक है;
(4)	जहां कुल आय 1,50,000 रु. से अधिक है	29,000 रु. धन उस रकम का 40 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु. से अधिक है।" (18)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 32, पंक्ति 32,-

"35,000 रु." **के स्थान पर** "50,000 रु." **प्रतिस्थापित किया जाये।** (19)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 32, पंक्ति 22 से 29 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये :**

"आय-कर की दरें

(1)	जहां कुल आय 50,000 रु. से अधिक नहीं हैं	कुछ नहीं
(2)	जहां कुल आय 50,000 रु. से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु. से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु. से अधिक है
(3)	जहां कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है किन्तु 1,50,000 रु. से अधिक नहीं है	5,000 रु. धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है।"(33)

पृष्ठ 32, पंक्ति 33 से 38 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** प्रथम अनुसूची **किया जाये।**

"आय-कर की दरें

(1)	जहां कुल आय 50,000 रु. से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(2)	जहां कुल आय 50,000 रुपये से अधिक है लेकिन 1,00,000 रु. से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु. से अधिक है
(3)	जहां कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है किन्तु 1,50,000 रु. से अधिक नहीं है	5,000 रु. धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है।"

पृष्ठ 33, पंक्ति 12,-

"40 प्रतिशत" **के स्थान पर** "30प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (35)

पृष्ठ 33, पंक्ति 20,-

"40 प्रतिशत" **के स्थान पर** "30 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (36)

पृष्ठ 33,-

"पंक्ति 32 से 34" का लोप लिया जाये। (37)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 32, पंक्ति 22 से 29 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :-

"आय की दरें

(1)	जहां कुल आय 55,000 रु. से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2)	जहां कुल आय 55,000 रु. से अधिक है किन्तु 1,00,000 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 55,000 रु. से अधिक है;
(3)	जहां कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक है किन्तु 2,50,000 रु. से अधिक नहीं है	9,000 रु. धन उस रकम का 25 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु. से अविक है;
(4)	जहां कुल आय 2,50,000 रु. से अधिक है	46,500 रु. धन उस रकम का 40 प्रतिशत जिससे कुल आय 2,50,000 रु. से अधिक है।" (69)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब पहली अनुसूची में संशोधन संख्या 6 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 6 को मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब पहली अनुसूची में संशोधन संख्या 14 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 14 को मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब पहली अनुसूची में संशोधन संख्या 18 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 18 को मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब पहली अनुसूची में संशोधन संख्या 19 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 19 को मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब पहली अनुसूची में संशोधन संख्या 33,34,35,36, तथा 37 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 33,34,35,36 तथा 37 को मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब पहली अनुसूची में संशोधन संख्या 69 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 69 को मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची को स्वीकृत किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

दूसरी अनुसूची

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 39, पंक्ति 24 से 51 का तथा पृष्ठ 40, पंक्ति 1 से 10, **का लोप किया जाये।** (64)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 39, पंक्ति 24 से 51 तथा पृष्ठ 40, पंक्ति 1 से 10, **का लोप किया जाये।** (64)

1.44 बजे म.प.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या : 13 **पक्ष में**

अंजलोज, श्री थाइल जॉन

आचार्य, श्री बसुदेव

कुमार, श्री नीतीश

खां, श्री सुखेन्दु

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोपालन, श्रीमती सुशीला

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

चक्रवर्ती, श्री सुशान्त

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

जेना, श्री श्रीकान्त

जायनल, अबेदिन, श्री

डोम, डा. राम चन्द्र

तोपदार, श्री तरित वरण

दत्त, श्री अमल

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, श्री बृशिन

पाल, श्री रूपचन्द

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

बर्मन, श्री उद्धव

बसु, श्री चित्त

बसु, श्री अनिल

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मंडल, श्री सनत कुमार

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुरमु, श्री रूप चंद

मूर्ति, श्री एम.वी. वी.एस.

मोल्लाह, श्री हन्नान

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

राम, श्री प्रेम चन्द

राय, डा. सुधीर

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

राय, श्री एम. रमन्ना

राय, श्री हाराधन

रायप्रधान, श्री अमर

* राव, श्री जे. चोक्का

शिवरमन, श्री एस.

सुर, श्री मनोरंजन

सैकिया, श्री मुही राम

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर

पक्ष में : 43

विपक्ष में

अजित सिंह, श्री

अडईकलराज, श्री एल.

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्स, श्रीमती चन्द्र प्रभा

अन्बारासु, श्री आर.

आदित्यन, श्री आर. धनुषकोडी

अयूब खां, श्री

अहमद, श्री कमालुद्दीन

इन्द्रजीत, श्री

इम्चालम्बा, श्री

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उम्ब्रे, श्री लाईता

कमल नाथ, श्री

करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम

कहांडोले, श्री जेंड. एम

कामत, श्री गुरूदास

कालियापेरुमल, श्री पी. पी.

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुप्पुस्वामी, श्री सी. के.

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस.

कृष्ण स्वामी, श्री एम.

* गलती से पक्ष में मतदान किया

कैनिथी, डा. विश्वानाथम
कामसन, प्रो. एम.
कौल, श्रीमती शीला
कोंतला, श्री रामकृष्ण
खुर्शीद, श्री सलमान
खां, श्री असलम शेर
गजपति, श्री गोपी नाथ
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गहलोत, श्री अशोक
गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गुडाडिन्नी, श्री बी. के.
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोगोई, श्री तरुण
घाटोवार, श्री पबन सिंह
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.
चाक्को, श्री पी. सी.
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौरे, श्री बापू हरि

जाखड़, श्री बलराम
जंगबीर सिंह, श्री
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जीवरत्नम, श्री आर.
टाईटलर, श्री जगदीश
टिंडिवनाम, श्री के. राममूर्ति
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रबीन
डेलकर, श्री मोहन एस.
डेनिस, श्री एन.
तंग्काबालू, श्री के. वी.
तारा सिंह, श्री
थामस, प्रो. के. वी.
थुंगन, श्री पी. के.
दलबीर सिंह, श्री
दादाहूर, श्री गुरचरण सिंह
दास, श्री अनादि चरण
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी.
देशमुख, श्री अशोक आंनदराव
देवी, श्रीमती बिभू कुमारी
नंदी, श्री येल्लैया
नायक, श्री ए. वेकंटेश
नेताम, श्री अरविन्द
पटनायक, श्री शरत् चन्द्र
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजी भाई

पवार, डा वसंत
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पांजा, श्री अजित
पटेल श्री श्रवण कुमार
पाटील, श्री अन्वरी बसवराज
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पाटील, श्री विजय एन.
पोतदुखे, श्री शांताराम
पालाचोला, श्री बी. आर. नायडू
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रधानी, श्री के.
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
फारूक, श्री एम. ओ. एच.
बसंल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
ब्रह्मों चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भक्त, श्री मनोरंजन
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोंसले, श्री तेजसिंह राव
भोंसले, श्री प्रतापराव बी.
मनफूल सिंह, श्री
मलिक, श्री धर्म पाल सिंह
मरबनिआंग, श्री पीटर जी.
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, डा. आर.
माथुर, श्री शिव चरण
मिर्धा, श्री नाथू राम
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के. एच.
मुरलीधरन, श्री के.
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मौर्य, श्री आनन्द रत्न
मेघे, श्री दत्ता
यादव, श्री सूर्य नारायण
राजेश्वरन, डा. वी
राम बदन, श्री
राम सिंह, श्रीराजेश्वरी, श्रीमती वासवा
राम बाबू, श्री ए. एस.
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राय, श्री रामनिहोर
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर. सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री जी. गंगा
राव, श्री वी. कृष्णा

रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री एम. बागा
रोशन लाल, श्री
लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री
वर्मा, श्री भवानी लाल
वर्मा, कुमारी विमला
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विलियनस, मेजर जनरल आर. जी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
व्यास, डा. गिरिजा
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार
शंकरानन्द, श्री बी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शिंगडा, श्री डी. बी.
शिवप्पा, श्री के. जी.
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
संगमा, श्री पूर्णो ए.
सज्जन कुमार, श्री
सानापल्ली, श्री गंगाधरा
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह देव, श्री के.पी.
सिलवेरा, डा.सी.
सुख राम, श्री
सोड़ी, श्री मानकूराम
सावन्त, श्री सुधीर
सिंह, श्री एम.बी.
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुल्तानपुरी, श्री के,डी.
स्वामी, श्री जी. वेंकट
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत–विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 43

विपक्ष में : 163

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :–
पक्ष में : श्री अब्दुल गफूर, श्रीमती सरोज दुबे
विपक्ष में : श्री पी.एम.सईद, श्री जे. चोक्का राव, श्री सत्यपाल सिंह यादव, श्री संत राम सिंगला, डा. के.वी.आर. चौधरी तथा श्रीमती केसरबाई सोना जी क्षीरसागर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

तीसरी अनुसूची

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 43, पंक्ति 31,-

"20 रु." **के स्थान पर** "10 रु." **प्रतिस्थापित किया जाये।** (65)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत तीसरी अनुसूची में संशोधन संख्या 65 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 65 को मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

तीसरी अनुसूची को विधेयक में जोड दिया गया

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चौथी अनुसूची और पांचवी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौथी अनुसूची और पांचवी अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक यथा संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक यथा संशोधित रूप में पारित किया जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : कुछ नोक झोंक होने के साथ–साथ यह संभव हो सका कि बजट पर सफलतापूर्वक चर्चा हुई और इसे स्वीकार किया गया तथा पारित किया गया। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्कृष्ट सहयोग प्रदान किया।

अब कृपया मेरी बात दो या तीन मिनट और सुनें ताकि सभा पटल पर पत्र रखे जा सकें।

1.45 बजे म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत अधिसूचना

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 287 (अ), जो 4 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो चाय की विभिन्न किस्मों को उपकर के उद्ग्रहण से छूट देने के बारे में, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5850/94]

जूट विनिर्माता विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) जूट विनिर्माता विकास परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट विनिर्माता विकास परिषद कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्यक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गई। देखिए संख्या एल.टी. 5851/94]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) :

(एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 5852/94]

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचना

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कमालुउद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

4 (एक) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (संशोधन) नियम, 1993, जो 18 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 622 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5853/94]

(2) निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण अभिकरण (खण्ड–दो) * के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5854/94]

(4) (एक) बेसिक केमिकल, फार्मास्युटिकल्स एण्ड कास्मेटिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल, फार्मास्युटिकल्स एण्ड कोस्मेटिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5855/94]

(5) (एक) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडेक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कांइसिल, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडेक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कांइसिल, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5856/94]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 इत्यादि के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 296 (अ), जो 4 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 76/86 के.उ.शु. में संशोधन करना है ताकि उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 1,3,4 और 19 और उनके संबंधित प्रविष्ठियों को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 298 (अ), जो 9 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 7/94 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट तैयार माल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले विनिर्दिष्ट आदानों पर शुल्क की साख विहित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि 309 (अ), जो 9 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 13 मई, 1988 की अधिसूचना संख्या 180/88. के.उ.शु. और 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 41/94- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है ताकि प्रशेर कुकर और उनके हिस्सों को छोड़ कर टेबल, रसोई और अन्य घरेलू वस्तूओं का उत्पाद शुल्क से प्राप्त छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि 313 (अ), जो 11 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 46/94- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है ताकि अधिसूचना में उल्लिखित सामानों पर उत्पाद शुल्क कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(पांच) सा.का.नि. 315 (अ), जो 12 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 29 अक्तूबर, 1992 की अधिसूचना संख्या 87/92- के.उ.शु. को विखण्डित

करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 326 (अ), जो 23 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जो कार्टन यार्न तथा सेलुलोसिक यॉन को तब पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है जब इस चमकाने ताना–बाना बनाने लपेटने, कुंडलत करने और रीलिंग करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि 334 (अ), जो 28 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रति जोड़ा 50 रुपये तक के मूल्य के जूतों और हवाई चप्पलों और उनके हिस्सों को उन पर उद्धग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि 347 (अ), जो 30 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जो 19 अक्तूबर 1993 की अधिसूचना संख्या 97/93- के उ शु. की वैधता अवधि को 30 जून, 1994 तक बढ़ाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5857/94]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 297 (अ), जो 4 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जो मशीनरी, यंत्रों, उपकरणों, उपस्करों आदि को प्राप्त अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट वापस लेने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।.

(दो) सा.का.नि. 316 (अ), जो 12 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जो परिष्कृत चीनी को जब उसका भारत में आयात किया जाये उस पर संपूर्ण मूल सीमाशुल्क ओर उस उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 319 (अ), जो 16 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जो उन आधानों को कुछेक शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन मूल सीमाशुल्क तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देने के बारे में है जो टिकाऊ किस्म के हों और जब उनका भारत में आयात किया जाये तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 324 (अ), जो 21 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 57/94- के.उ.शु. और 93/94 के. उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 346 (अ), जो 30 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जो 19 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना संख्या 175/93- के.उ.शु. की वैधता की अवधि को 30 जून, 1994 तक बढ़ाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5858/94]

(3) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5859/94]

1.47 बजे म.प.

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1994 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 27 अप्रैल 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1994 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 27 अप्रैल 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

1.47½ म.पू.

सभा का कार्य

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 9 मई, 1994 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन मे निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा। :

1. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) विनिर्दिष्ट क्षेत्र (निवासियों को पहचान–पत्र जारी करना)

विधेयक, 1993

(ख) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण)

संशोधन विधेयक, 1993

(ग) रबड़ (संशोधन) विधेयक, 1992

2. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयक पर विचार और पारित करना :

(क) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1993

(ख) प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1992

(ग) कयर उद्योग (संशोधन) विधेयक, 1993

(घ) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1994

(ङ) डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1994

(च) विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991

3. प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनिमयन और दुरूपयोग निवारण)

विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना

4. मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे और जारी रखने संबंधी संकल्प पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ने का कष्ट करें ;

1. मनमाड–इन्दौर प्रस्तावित रेल मार्ग लम्बाई 320 किलोमीटर बनाने पर विचार करने के लिए रखा जाए। 1920 में सर्वे स्वीकृत हो चुका था।

2. मध्य प्रदेश में हजीरा–बिजयपुर–जगदीश पुर पाइप लाइन 550 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती है, किन्तु गैस आबंटन में मध्य प्रदेश का हिस्सा अत्यन्त कम है। इस पंचवर्षीय योजना में इस पाइप लाइन में प्रवाहित होने वाली गैस दुगुनी करने की योजना है। इसलिए मध्य प्रदेश को उसका उचित हिस्सा देने पर विचार करने हेतु रखा जाए।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न लिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करें :

1. आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का उपयुक्त लाभ मिल सके, इस हेतु आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट व परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया जाए।

2. भुर्जी (भड़भुजा) : जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक घोषणा की जाए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. प्रतिभूति घोटाले से संबंधित जो संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट दी गई थी, उस पर सरकार ने जो भी अभी तक कार्यवाही की है, उस पर बहस होनी चाहिए।

2. चीन ने अभी ऐलान किया है कि वह भूमिगत अणु प्रयोग फिर करने जा रहा है, इस पर सदन में तत्काल बहस होनी चाहिए।

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये :

मध्य प्रदेश के मंदसौर व अन्य स्थानों में सिलिकॉन स्टोन से बनने वाली स्लेट पैंसिल उद्योग में लगे हजारों बाल, महिला व युवा श्रमिक जो उसमें उठने वाली धुल से सिलिकासिस बीमारी से पीड़ित होकर असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें संरक्षण हेतु केन्द्र प्रभावी कानून बनाये।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये :

(1) मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन व सिहोर जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सहायक निकाय स्थापित किए जायें।

(2) मध्य प्रदेश में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाये :

1. पश्चिम बंगाल की निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं और लम्बित परियोजनाओं के लिए और अधिक धनराशि आंवटित करना तथा राज्य में आमान परिवर्तन कार्यक्रम शुरू करना।

2. दामोदर.नदी के किनारों का कटाव रोकना तथा इस नदी का प्रदूषण–मुक्त बनाना।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये :

1. केन्द्र सरकार के सामने स्वीकृत हेतु भेजी हुई 1645 करोड़ रु. की चार पेय योजनाओं की स्वीकृति शीघ्र दी जाये।

2. राजस्थान सरकार को महिला विकास कार्यक्रम के लिए अधिक धनराशि दी जाये।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : महोदय, आगामी सम्ताह की कार्यसूची में दिये निम्न विषय और जोड़े जाने का अनुरोध करता हूं :

1. रांची में ग्राम गाड़ी, सुगनू, खटगा गांव के लोगों की जमीन ले ली गई है, परन्तु उन ग्रामीण को रास्ता नहीं दिया गया है। अतः ग्रामीणों को रास्ता दिलाया जाये, जिन की जमीन और मकान मिलिट्री छावनी में ली गई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाये।

2. पुरूषोत्तम एक्सप्रेस जो दिल्ली से पुरी चल रही है उससे रांची से पांच बोगी जोड़ी जाएं एवं लुधियाना–धनबाद ट्रेन को रांची तक पहुंचाने की कार्यवाही की जाए।

1.52 बजे म.प.

कार्य मंत्रणा समिति
चालीसवां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने इस बारे में निर्णय लिया गया है और इस सभा के समक्ष रख दिया गया है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, इसमें उनका नाम नहीं है। यहां पर मेरा उल्लेख किया गया है। चूंकि संसदीय कार्य मंत्री अनुमति लिए बगैर अनुपस्थित है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 5 मई, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गये मंत्रणा समिति के चालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।" **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने एक संशोधन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में दिया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने इसलिए संशोधन दिया था कि गैट का जो समझौता हो गया उसके ऊपर जो बहस होनी थी............**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी चर्चा बिजनेस एडवायजरी कमेटी में हुई है और वे कह रहे हैं कि हम सब लोग मिल कर इसको कैस डिसकस करना है, कब करना है यह डिसाइड करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यानी अगले सप्ताह इस पर बहस होगी?

अध्यक्ष महोदय : यह बिजनेस एडवायजरी कमेटी में जैसा डिसाइड होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अक्ष्यक्ष जी, मंझे तो यह लग रहा है। जिस तरह से यह सारा गैट का मामला चला है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर बहस न करने का कुछ एक मानस यहां पर बन रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष माहदेय : मैं समझता हूं कि डिसक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं चाहता हूं कि इसको बिजनेस एडवायजरी कमेटी जरूर लें, हम लोगों की भावनाएं भी वहां पर ठीक से लोगों के सामने जाएं और इस पर फैसला हो जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा 5 मई, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के चालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.54½ बजे म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

5.5.1994 को दक्षिण मध्य रेलवे के एक बिना चौकीदार वाले समपार पर 7208 तुंगभद्रा एकसप्रेस की दुर्घटना

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : बड़े दुख के साथ मुझे सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि दक्षिण मध्य रेलवे के इकहरी बड़ी लाइन वाले महबूब नगर–सिकन्दराबाद खंड पर 5.5.1994 को लगभग 18.10 बजे गाड़ी नं. 7208 महबूबनगर–सिकन्दराबाद तुंगभद्रा एक्सप्रेस और एक जीप के बीच दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई, जब गाड़ी गोल्लापल्ली और बालानगर स्टेशनों के बीच ब्लाक खंड पर चल रही थी तथा कि.मी. 78/1 पर बिना चौकीदार वाले समपार सं. 39 के निकट पहुंच रही थी, तक कुछ व्यक्यिों के ग्रप को ले जा रही एक जीप गाड़ी के इंजन से टकरा गई, परिणामस्वरूप जीप में यात्रा का रहे 5 बच्चों सहित 13 व्यक्तिंयों की जाने गई और तीन अन्य व्यक्ति घायल हो गए, जीप का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और जीप में सवार अन्य घायल व्यक्तियों के साथ उसे महबूब सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जेडचारला सरकारी अस्पताल में

एक घायल बच्चे की हालत में सुधार हो रहा है। गाड़ी इंजन के कर्मीदल और यात्रियों को चोट नहीं आयी।

दुर्घटना के बारे में सूचना मिलने पर, सिकन्दराबाद से रेलवे डाक्टरों के एक दल सहित चिकित्सा राहत गाड़ी दुर्घटना स्थल के लिए चल दी। अपर महाप्रबन्धक, मुख्य संरक्षा अधिकारी, दक्षिण मध्य रेलवे वरिष्ठ अधिकारियों तथा अपर मण्डल रेल प्रबंधक, हैदराबाद के साथ दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए और बाद में घायलों को देखने अस्पताल गए।

सदन को यह भी सूचित किया जाता है कि हैदराबाद मण्डल के मण्डल संरक्षा अधिकारी अपने निरीक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में गाड़ी के इंजन में यात्रा कर रहे थे।

उनकी रिपोर्ट के अनुसार, दुर्भाग्यशाली जीप पहले धीमी हुई और फिर अचानक उसकी गति तेज हो गई परिणामस्वरूप जीप का पिछला हिस्सा गाड़ी के इंजन से टकरा गया। एक अन्य जीप, जो पहली जीप के पीछे–पीछे चल रही थी, समपार से काफी पहले रूक गई।

जिस बिना चौकीदार वाले समपार पर दुर्घटना हुई वह सीधी रेल लाइन पर है और गांव की एक कच्ची सड़क को सेवित करता है। समपार पर गाड़ियों के लिए सीटी बोर्ड, सड़क उपयोगकर्त्ताओं दोनों 1000 मीटर से अधिक की दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं।

पहचाने गए मृतकों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड के अधिकारियों की एक समिति को इस दुर्घटना की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं।

सभी रेल कर्मचारी तथा मैं उन परिवारों के प्रति, जिनके रिश्तेदारों की इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण जानें गई हैं, अपनी हार्दिक संवेदना तथा घायलों के प्रति सच्ची सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

मुझे विश्वास है कि सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : अध्यक्ष महोदय, अन–मैन लेवल क्रांसिंग पर एक सप्ताह में यह दूसरी दुर्घटना है। अन–मैन लेवल क्रासिंग पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस पर सरकार को नीति–विषयक निर्णय लेना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, तीन बड़े एकसीडेंट अन–मैन लेवल क्रासिंग पर इन दिनों में हो गए हैं। पहले पुणे के पास हुआ, जिसमें 72 लोग मारे गये और इन दो दुर्घटनाओं में भी 50 के लगभग लोग मारे गये हैं। मेरा कहना है कि रेल मंत्रालय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कोई न कोई उपाय इसके बारे में निकालना चाहिए। मैं समझता हूं कि उपाय निकालने के लिए रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय सक्षम है, लेकिन सदन की तरफ से आज मैं इस बात को कहना जरूरी महसूस करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, इन दुर्घटनाओं में जो लोग मारे गए हैं, उनके आश्रितों को मुआवजा मिलना चाहिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की दुर्घटनाएं निरंतर हो रही हैं और रेल मंत्रालय कहता है कि अन–मैन लेवल क्रासिंग हैं, इसलिए हमारा कोई वास्ता नहीं है। कभी ट्रैक्टर–ट्राली और कभी बच्चों के रिक्शे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस बारे में कोई स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, बिना चौकीदार वाले समपार पर चौकीदार नियुक्त करना चाहिए। इसके लिए धन की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, कोई न कोई आबादी आसपास अवश्य होती है तो वहां की विलेज पंचायत समिति या अन्य किसी वालेंटरी आर्गनाइजेशन की मदद ली जा सकती है, अनेक संस्थाएं हैं। इस तरह की दुर्घटनाएं बार–बार होना अच्छी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : रेलवे मिनिस्ट्री के लोग इस मामले को अच्छी तरह से देखेंगे और इस विषय में जो कुछ भी किया जा सकता है वे करेंगे। उनकी भी तकलीफें हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वे कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हमें मानवीय अंग प्रत्यारोपण विधेयक पर विचार करना है, इस संबंध में आपका क्या विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। जब यह विधेयक इस सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था और तब उन्होंने कतिपय सिफारिशें की थी। समिति की वे सिफारिशें सरकार के समक्ष हैं और मंत्रीमंडल को इस संबंध में निर्णय लेना है। मेरा सभा से अनुरोध है कि इस मुद्दे को कुछ समय बाद लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मात्र स्थगन है?

श्री बी. शंकरानन्द : जी हां महादेय, यह विधेयक मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है और मंत्रिमंडल को इस पर निर्णय लेना है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आज शुक्रवार है और हमारे पास मुश्किल से आधा घंटा बचेगा। हम इस पर किसी और दिन चर्चा कर सकते हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : हम इस पर मंगलवार को चर्चा करेंगे **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इससे अच्छा मौका मैम्बर्स को और क्या मिलेगा? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महादेय : मेरी कठिनाई यह है कि इस खाली समय के लिए हमारे पास चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे विचार से सभी माननीय सदस्यों ने सहयोग किया है और बहुत मेहनत की है तथा आज उन्हें आधे घंटे का अवकाश अधिक मिलना चाहिए।

अब सभा 3.30 बजे म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.00 बजे म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिएं 3.30 बजे म.प. तक के लिए स्थागित हुई।

3.36 बजे म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.36 बजे म.प. पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
इकतीसवां प्रतिवेदन

श्री किरिप चालिहा (गुवाहटी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 4 मई, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 4 मई, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.37 बजे म.प.

[हिन्दी]

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कल्याण विधेयक *

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शरीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं **

3.37½ बजे म.प.

भारतीय दंड संहिता (संशोधन विधेयक *
(धारा 354 में संशोधन)

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महादेय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

* दिनांक 6-5-94 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

15.38 बजे म.प

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक *

(धारा 125 में संशोधन)

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : महोदय मैं विधेयक पुरः स्थापित करती हूं।

3.38½ बजे म.प.

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक *

(विधेयक के पूरे नाम, आदि के स्थान पर विधेयक के नये पूरे नाम का प्रतिस्थापन)

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

* दिनांक 6-5-94 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

श्री आर. अन्बारासु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.39 बजे म.प.

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक *

(धारा 2, आदि में संशोधन)

श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति (विशाखापट्टनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बंधित श्रम पद्धित (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं विधयेक पुरःस्थापित करता हूं।

3.40 बजे म.प.

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन)

संशोधन विधेयक *(धारा 2 आदि में संशोधन)

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापट्टनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 6-5-94 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

3.40½ बजे म.प.

अनिवार्य शिक्षा विधेयक *

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापट्टनम) : मैं प्रस्ताव करता हुं कि समस्त देश में सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समस्त देश में सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने ओर उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.41 बजे म.प

फसल बीमा योजना विधेयक *

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापट्टनम) : "कि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसलों को हुई हानि के लिए फसलों का अनिवार्य बीमा करने तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबंध करेन वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि इस विधेयक के खण्ड 6 और 7 जिन्हें मोटे अक्षरों में मुद्रित किया जाना चाहिए था उन्हें मोटे अक्षरों में मुद्रित नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महादेय : प्रश्न यह है :

"कि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसलों को हुई हानि के लिए फसलों का अनिवार्य बीमा करने तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.41½ बजे म.प.

* दिनांक 6-5-94 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

संविधान (संशोधन) विधेयक *

(धारा 16 में संशोधन)

श्री आर. अन्बरासु (मद्रास मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर. अन्बरासु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.42 बजे म.प.

असैनिक कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक *

श्री के. राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि असैनिक कर्मचारियों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक संवीक्षा के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि असैनिक कर्मचारियों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक संवीक्षा के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के. राममूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.42 बजे म.प.

संविधान सभा विधेयक *

श्री के. राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत की संविधान सभा संयोजित करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संविधान सभा संयोजित करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

* दिनांक 6-5-94 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के. राममूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.43 बजे म.प.

संविधान (संशोधन) विधेयक *

(अनुच्छेद 16 में संशोधन)

श्री के. राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं " कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महादेय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के. राममूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.44 बजे म.प.

उधार सीमा नियतन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा उधार सीमा नियतन विधेयक पर आगे विचार करेगी।

इसके लिए दो घण्टे का समय आबंटित किया गया है। इसमें से लिया गया समय एक मिनट है। श्री जार्ज फर्नान्डीज अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, जिस विधेयक को आज हम यहां बहस के लिए ले रहे हैं, मेरी समझ से इस विधेयक को कम से कम 40-45 वर्ष पहले इस सदन में पास करना चाहिए था। एक निजी विधेयक के तौर पर वह भी जैसे लाटरी लगती है, उसमें तकदीर की इंतजारी में इस बिल को हम यहां पेश कर रहे हैं, उसे सोचते हुए मुझे परेशानी होती है। चूंकि भारत के संविधान की धारा 292 में लिखा है :

[अनुवाद]

"संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं

* दिनांक 6-5-94 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद समय–समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रतिभूति देने तक है।"

[हिन्दी]

यह धारा 292 असल में कानून के तहत, जिसको गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 करके हम पहचानते हैं और जो अंग्रेजों ने अपनी संसद में 2 अगस्त, 1935 को पारित की थी, उस पर आधारित है। मैं उस धारा को भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिस विषय पर हम आज बहस कर रहे हैं, वह उससे स्पष्ट हो जाए।

[अनुवाद]

"डोमीनियन के कार्यपालिका प्राधिकार विस्तार रिवेन्यूज ऑफ दी डोमीनियन की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें डोमीनियन का विधि अधिनियम समय–समय पर नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रतिभूति देने तक है।"

[हिन्दी]

यदि आप दोनों धाराओं को देखें तो उसमें केवल 2-3 शब्दों की ही बदल है। दोनों धाराएं समान हैं। जहां यूनियन है वहां डोमिनियन है, जहां पावर है वहां पर अथारिटी है और जहां कनसौलिडेटेड फंड है वहां रिवेन्यूज ऑफ दी डोमीनियन है। बाकि सारे शब्द वही हैं। इन तीन शब्दों में इसलिए बदल करना पड़ा क्योंकि देश आजाद हो चुका था। डोमीनियन नहीं था इसलिए यूनियन हो गया, रिवैन्यूज ऑफ दी कंट्री करके इसकी जो ओरिजनल धारा कोन्सटीटूऐट असैम्बली में पेश हुई थी, उसे कनसौलिडेटेड फंड किया और अथारिटी की जगह पर पावर ऑफ दी ऐग्जीक्यूटिव कर दिया।

मैं सबसे पहले, जब यह धारा स्वीकृत हुई और संविधान में इस सम्मिलित किया गया, उस वक्त हुई बहस की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। यदि हम उस बहस को नहीं समझेंगे तो धारा 292 का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, संसद की क्या जिम्मेदारी है और संविधान का निर्माण करने वाले लोगों ने संसद पर कर्ज के मामले में क्या जिम्मेदारी डाली थी, उसे हम नही समझेंगे तो यह बहस हमें किसी निर्णायक रास्ते पर नहीं ले जा सकेगी।

जैसा मैंने शुरू में कहा, यह धारा जब कौन्सटीटूऐंट असैम्बली में बहस के लिए ली गई तक उसका नम्बर 268 था, बाद में जब संविधान की धारा को पहले–बाद करने का काम हुआ, उस समय यह 292 हो गई।

यह जब आर्टिकल पेश हो गया तो सबसे पहले अनन्तसेनम अंयगार ने इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा–:

[अनुवाद]

इस मामले पर बोलने का मेरा आशय है कि इस समय तो सदन का ध्यान आकर्षित करना और बाद में यह सुनिश्चित करना कि संसद इस मामले पर और भी अधिक ध्यान देगी। जहां तक ऋण लेने का संबंध है वे अल्पकालीन अथवा दीर्घ कालीन हो सकते है और इनसे न केवल वर्तमान पीढ़ी पर बल्कि भावी पीढ़ियो पर भी भारी दायित्व पड़ जायेगा। इसलिए मेरा कहना है कि उन तरीकों पर उस रूप में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिनसे ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा :

"जब संसद इस विषय में कोई उपबंध करती है तो उसे आम जनता से ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिये, बिना इस बात का विचार किये कि जनता के योगदान की क्षमता कितनी है आदि इन बातों को और ऋण लिये जाने के प्रयोजन की। संसद द्वारा अनुच्छेद 268 के द्वारा विनियमित किया जायेगा।

"इस समय यह अनुच्छेद 292 है।"

[हिन्दी]

उनके भाषण के तत्काल पश्चात् प्रो. शिब्बल लाल सक्सेना ने जो कहा, मैं उनकी वह बात रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"इस अनुच्छेद में, मैं भारत के राजस्व की प्रतिभूति पर ऋण प्राप्त करने के लिए कार्यकारिणी को अधिकार प्रदान किये जाने के विरूद्ध एक बार फिर अपनी आवाज संसद द्वारा कानून बना कर ही निर्धारित की जाती हैं।"

[हिन्दी]

वह यह मानतें हैं कि पार्लियामैंट कानून बनाया जायेगा लेकिन तभी यह मानते हैं कि यह अधिकार एक्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं रहना चाहिए।

[अनुवाद]

लेकिन इससे आगे संसद कुछ नहीं करती। अर्थात् कानून बनाने के बाद संसद कुछ नहीं करती। मैं आशा करता हूं कि ऐसे मामलों में जहां राज्य की सुरक्षा का सवाल हो वहां संसद की आवाज भी कुछ हद तक सुनी जानी चाहिए। केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि संसद केवल सीमा ही निर्धारित करें, और अन्य सभी मामलों में कार्यकारिणी को सभी अधिकार प्राप्त हो। कम से कम कोई निर्णय करने के बाद तो कार्यकारिणी को संसद को विश्वास में लेना ही चाहिए। आखिरकार, सरकार का विधान मण्डल में हमेशा ही बहुमत रहेगा और जो कुछ भी वह करेगी, वह सदन से उसे

पारित भी करा लेगी। इतना होने पर भी, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हम इन चीजों को संसद के सामने लाने मे शर्माते क्यों हैं। इसलिए, मेरा ख्याल है कि इस अनुच्छेद में प्रस्तावित मनमानी शक्तियां कार्यकारिणी को नहीं दी जानी चाहिये।"

[हिन्दी]

उसके बाद श्री एच.वी. कामथ अपनी बात को रखते हैं। उनकी अति महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कहते हैं :–

[अनुवाद]

"ऋण लेना उन चट्टानों में से एक ऐसी सुगम चट्टान हे जिस से राज्य का जहाज टकरा सकता है और आधुनिक समय में तथा इस आधुनिक संसार में अर्थशास्त्र ने इसी तरह की महता प्राप्त कर ली है और जब प्रत्येक राज्य द्वारा संसार के प्रत्येक देश द्वारा अक्सर ही ऋण मांगे जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि भारतीय संघ की कार्यकारिणी को सीमाओं के भीतर ही ऋण प्राप्त करने के लिए निर्णय करने की शक्ति प्रदान नहीं करनी चाहिये, चाहे वह सीमा संसद के द्वारा ही निर्धारित क्यों न की गई हो, और चाहे ऋण प्राप्त करने का उद्देश्य कुछ भी हो। मैं चाहता हूं कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत लिये जाने वाले ऋण का प्रयोजन संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए और उस प्रयोजन के लिए संसद की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त करनी चाहिये। परन्तु अनुच्छेद 268 के अन्तर्गत संसद को केवल सीमा निर्धारित करने का ही अधिकार प्रदान किया गया है। मेरा ख्याल है कि इसका अर्थ कुछ करोड़ों तक की सीमा के भीतर ही इस मौद्रिक सीमा का निर्धारण करना है।"

इसके बाद उनका कहना है :

"इस अनुच्छेद में कहीं भी उस प्रयोजन का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके लिए ऋण लिया जायेगा अथवा राशि उधार ली जायेगी अथवा कोई गांरटी दी जायेगी।"

उन्होंने यह भी अपील की :

"मैं आशा करता हूं कि न केवल वित्तीय सीमा बल्कि प्रत्येक ऋण का प्रयोजन भी और विशेष रूप से हमारे अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों अथवा हमारी आन्तरिक नीतियों के संबंध में संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति देने की कार्यवाही का ब्यौरा भी संसद के समक्ष इसकी अनुमति के लिए रखा जायेगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और सभी लोगों के भाषण नहीं पढूंगा। क्योंकि सब की राय इस मामले में यही रही है कि एक्जूक्यूटिव के हाथ में अधिकार देना खतरनाक है, लेकिन देना है तो, संसद के सामने इसको लाने की जो बात है, वह सिर्फ सीमा बांधने तक नहीं रहनी चाहिए, बल्कि कर्ज, आप किस चीज के लिए ले रहे हो और किस काम के लिए उस कर्ज को खर्च करने वाले हो, वह भी संसद की इजाजत के बाद आपको कर्ज देने की स्वीकृति देने का इन्तजाम होना चाहिए।

मैं बाबा अम्बेडकर साहब के कुछ वाक्य यहां पर पढ़ना चाहता हूं। इस संविधान की एक–एक धारा को उस कांस्टीट्यूट एसेम्बली में पास कराने का काम करते थे। उस पर जो बहस होती थी, उसका जवाब देने का काम करते थे। इस धारा पर इतनी लम्बी बहस चली, इसलिये आज इस सदन के सामने मैं बाबा अम्बेडकर साहब का एक वाक्य रखना जरूरी समझता हूं। वे कहते हैं :

[अनुवाद]

"यह माना जाता है कि केवल कार्यकारिणी ही ऋण लेने के प्रयोजनों के लिये देश की साख की गारंटी ले सकती है, क्योंकि ऋण लेना कार्यकारिणी के अनेक कार्यों में से एक कार्य हैं परन्तु, इस अनुच्छेद में, यह प्रस्ताव नहीं किया गया कि कार्यकारिणी की ऋण लेने की शर्त, किसी कानून अर्थात संसद द्वारा असीमित बनाई जायेगी। इस अनुच्छेद में विशिष्ट रूप से यह कहा गया है कि कार्यकारिणी की ऋण लेने की शर्त ऐसी सीमाओं की अध्यधीन होगी जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करें।"

वह यह भी कहते हैं :

"यदि संसद कोई कानून नहीं बनाती है तो यह निश्चय ही संसद की गलती होगी और यह कल्पना करना भी मेरे लिये बहुत कठिन है कि कोई भी भावी संसद इस मामले पर पर्याप्त अथवा गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं देगी और कानून नहीं बनायेगी।

अनुच्छेद 268 के अधीन, मैं यहां तक मानता हूं कि संसद द्वारा एक वार्षिक वाद विवाद अधिनियम भी बनाया जा सकता है जिसमें कार्यकारिणी की शक्ति को निर्धारित अथवा सीमित किया जाय कि वह किसी वर्ष के अन्दर कितनी राशि के ऋण प्राप्त कर सकती है। इसलिए, मैं यह नहीं समझता कि उन लोगों के द्वारा और किसी बात की अपेक्षा की जाती है जिन्होंने अनुच्छेद 268 के उपबंधों से अपनी असहमति व्यक्त की है।"

यह ठीक है कि विचार के लिए यह एक अलग मामला है कि क्या हमें देश की साख की गांरटी देने के लिए संसद की शक्ति को सीमित करने का एक अलग उपबंध बनाना चाहिए या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि संसद यह कहने के लिए आजाद होगी कि देश के कुछ संसाधनों को गिरवी रखकर ऋण नहीं प्राप्त किया जायेगा।

मुझे यह नहीं लगता कि यह अनुच्छेद संसद को उन गांरटियों को देने के सम्बन्ध में स्वयं संसद द्वारा लगाई गई सीमाओं निर्धारित करने से कैसे रोकता है जो इन ऋणों अथवा उधार ली गई राशियों की सुरक्षा के लिए स्वयं संसद द्वारा दी गई हों। इसलिए मैं सोचता हूं कि सभी दृष्टीकोणों से, यह अनुच्छेद 268 जैसा कि यह इस समय है, सभी तरह की आकस्मिताओं के लिए पर्याप्त है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है जैसा कि मेरे मित्र श्री अनन्तशयनम अयंगर जी ने कहा है कि "हमें आशा है कि संसद इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी और ऐसे कानून बनाती रहेगी जिससे कि संघीय सरकार की ऋण लेने का अधिकार को सीमित किया जा सके।"

[हिन्दी]

उनका अखिरी वाक्य जवाब देते हुये है :

[अनुवाद]

"मैं इससे भी आगे यह कहता हूं कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि संसद इस अनुच्छेद के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करेगी।"

[हिन्दी]

आर्टिकल–292 और इस संविधान को जिस व्यक्ति ने बनाने में सबसे अधिक योगदान दिया, इस संविधान को बनाने वाले जो लोग रहे, जिनको हम लोगा फाउन्डिंग फादर्स ऑफ दि रिपब्लिक कहा करती हैं, उनकी यह राय रही है कि हम पहले ही एग्जीक्यूटिव के ऊपर सरकार के ऊपर पांबंदी लगाने का काम करें, तो उससें परेशानी आगे हो सकती है।

4.00 बजे म.प.

लेकिन संसद को यह अधिकार धारा देती है केवल अधिकार मात्र नहीं बल्कि एक कर्तव्य देती है और उस कर्तव्य का पालन पहले दिन से ससंद करेगी। इसके बारे में केवल विश्वास नहीं, बल्कि उनके शब्दों में,

उनका अखिरी वाक्य जवाब देते हुए है :

[अनुवाद]

"मुझे विश्वास है कि संसद इस अनुच्छेद के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करेगी"

[हिन्दी]

कि संसद अपनी जिम्मेदारी निभायेगा इस पर हमें विश्वास है और हमें बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि 44 साल के बाद हम लोगों ने आज तक इस धारा के आधार पर जो कानून बनाना जरूरी था वह कानून यहां पर नहीं बनाया है और सरकार के हाथों में आज इस प्रकार के अधिकार देने का काम हो गया कि उसमें कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि कर्ज के ऊपर कोई नियंत्रण डालना संभव है।

महोदय, अभी सदन की बैठक शुरू होने के पहले वित्त मंत्री से ऐसे ही आपस में हम लोग बात कर रहे थे और वे बोले कि अगर कोई सीमा बांधने का काम कर्ज के ऊपर हो जाये तो फिर देश की हालत बहुत ही खराब हो जायेगी। यानी कुछ एक ऐसी मान्यता बनी है कि अब हम लोगों को कर्ज के ऊपर चलना है, क्योंकि और कोई दिशा हम लोग बनायें तो बड़ा नुकसान हो जायेगा। मैं सरकार के यह मानस को समझ नहीं पा रहा हूं, चूंकि वित्त मंत्री ने अभी जो बजट पेश किया

तो उसको पेश करने के पहले उन्होंने कहा, उन्होंने अपना इकनोमिक सर्वे पेश करने का काम किया था। यह 1993-94 का है, इसमें वे कहते हैं,

[अनुवाद]

वर्षों से उधार ली गई राशि की बढ़ती हुई मात्रा केन्द्र के कुल बकाया ऋणों में लगातार वृद्धि की कारण बन गयी हैं राजस्व घाटा और पूंजी निवेश द्वारा वित्त पोषित परिसम्पतियों से होने वाली कम आय ही इसका कारण है। सामंजस्य अवधि आदि के दौरान आन्तरिक दायित्वों में लगातार कमी होती गई है।"

[हिन्दी]

फिर आगे वे अपनी परेशानी को व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को कर्ज बढ़ने के साथ ब्याज बड़ी मात्रा में देना पड़ रहा है और काफी रकम हम लोगों की कैसे इस ब्याज को देने पर जा रही हे और मामला यहां तक आकर पहुंचा है कि इस साल के बजट में 46 हजार करोड़ रु. केवल ब्याज के तौर पर देने के लिये आपने इंतजाम किया है। महोदय, आप जरा कल्पना कीजिए कि यह पिछले 10-12 सालों में किस तरह से देश को कर्ज का शिकार बनाने के काम में सरकार ने कामयाबी पाई है और मैं आशा करता हूं कि जब वित्त मंत्री इस विधेयक पर जवाब देने का काम करेगें तो इस बार यह नहीं बोलेंगे कि हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार, चूंकि उनका एक मंत्र है कि जब भी कोई बहस इस सदन में आ जाती है और जिससे वित्तीय मामलों के ऊपर चर्चा होनी है तो तत्काल उस पर उनके पास एक बहाना रहना है कि आपकी सरकार ने फलाना काम किया और हमारी सरकार ने उनको दुरस्त करने की बात की। अब हमारी सरकार कुल मिलाकर 11 महीने रही, यह आपकी सरकार का दस्तावेज है मेरा नहीं है, हमारी सरकार का भी नहीं है आपकी सरकार का दस्तावेज है। 1980-81 के उन्होंने जो आंकड़े दिए है कि कितना कर्ज था और 1993-94 के आंकड़े दिए हैं कि कहां तक वह कर्ज और करके पहुंचा है।

महोदय, देश के भीतर जो कर्ज सरकार के ऊपर रहा वह था 48,451 करोड़ रुपए 1980-81 में, 1993-94 में वह 3,93,988 करोड़ रुपए हो जाता है।

अब तो और बढ़ गया है, इस साल का जो कर्ज लेने का काम हुआ है। और यह मैं केवल देश के भीतरी कर्ज की बात कर रहा हूं, विदेशी कर्ज के बारे में इस टेबल को देखना बेकार है। स्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ दी गवर्नमेंट करके अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, उनमें उन्होंने यह बताया है कि

"ऐतिहासिक ऋण आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा बाहरी संसाधनों से ली गई ऋण राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐतिहासिक विनियम दरों पर आधारित है।"

इसलिए यहां से इसको नहीं पढ़ेगें, इसको एक्सटर्नल डैट की टेबल से पढ़ेगें जहां इनके कथन के अनुसार विदेशी कर्ज 90386 मिलियन डालर, यानी लगभग 280000 करोड़ रुपए बताया है, जबकि 1980-81 में यह 11298 करोड़ रुपये था। इसके बावजूद वित्त मंत्री जी को जब भी मौका मिलता

है, अवर गवर्नमैंट और योर गवर्नमेंट कहने लग जाते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि आंखों के सामने जो चीज हो रही है, उसको देखना नहीं चाहते, किसी प्रश्न का इलाज खोजने की कोशिश नहीं की जाती, देश भाड़ में जाए, कुछ लोग यह मानते हैं कि हम तो मर जाएंगे और हमारे बच्चे कहीं और जाकर आराम से रहेंगे। यह बात मैं गुस्से में कहता हूं और परेशानी से कहता हूं। यदि इस सदन में इन बातों को गंभीरता से सोचने का काम नहीं किया गया और कर्ज लेने की सीमा नहीं बांधी गई तो देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। आज की पीढ़ी कर्ज लेगी और उसको किसी भी तरह से खर्च करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर वह कर्ज का बोझ छोड़ कर जाएगी और आने वाली पीढ़ी को न सिर्फ कर्ज का बोझ उठाना पड़ेगा, बल्कि इसके दुष्परिणाम समूचे राष्ट्र को भुगतने होंगे। इसलिए यह जो विधेयक हमने कर्ज लेने की सीमा निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किया है, यह इसी बात पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है, ताकि कर्ज लेने के कारणों पर गंभीरता से विचार हो जाए। केवल चर्चा तक इस बात को सीमित रखने का काम नहीं होना चाहिए।

आज सुबह जब वित्त विधेयक पर वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उन्होंने इन्द्रजीत जी के काले धन के सवाल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताई कि काले धन की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में लायसेंस और परमिट प्रणाली रही है। इस परमिट राज के चलते यह सारा काला धन पैदा होने का सिलसिला शुरू हुआ। जो व्यक्ति सरकार के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहा है और जहां मौका मिलता है, बजट भाषण में या कहीं भी, वे तारीफ करते हैं, लेकिन एक वाक्य में उन्होंने इस बात को कह दिया और इन सब लोगों को एक वाक्य में रसातल में पहुंचाने का काम कर दिया। पता नही वे इस बात को समझते हैं या नहीं समझतें हैं, वैसे बहुत समझदार हैं और इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि कौन सी बात कहनी चाहिए और कौन सी नहीं कहनी चाहिए।

चूंकि जब वे कहते हैं कि काले धन का निर्माण सरकार के लाईसेंस रिजिम के चलते हिंदुस्तान में होता रहा, तो कैसे होता रहा ? तीन लोगों को आप जोड़ सकते हैं जैसे-- एक को लाईसेंस चाहिए और दूसरा कागज का काम करने वाला यानि नीचे से ऊपर तक सरकार में कागज चलता है और फिर उस पर दस्तखत करने वाला राजनीतिक मंत्री या जो भी बैठता है। उनको कहना है कि ये तीन उद्योगपति, व्यापारी या देश की नौकरशाही ने देश के राजनीतिक नेतृत्व में इन्होंने काला धन पैदा करने का काम किया। मैं मानता हूं कि उनकी बात सही होगी। यह बात हम लोगों को कहां तक पहुंचाती है। जहां कर्ज लेने की बात आती है तो उसको वे नहीं लेते हैं। इन्होंने कहा कि आप मार्गरेट थैचर से आगे बढ़े हुए हैं। आपने कहा है कि 15 फीसदी कर्ज पर सीमित हो और यहां पर प्रस्ताव कबूल कर ले तो देश में विकास का काम बिल्कुल ठप्प हो जाएगा और आगे बात नहीं बढ़ेगी और इतना भारी आर्थिक क्षेत्र में डिप्रेशन आ जाएगा तो उससे देश को निकालना संभव नहीं होगा, यह उनकी बातचीत के दौरान रखी हुई राय है। आज सुबह के भाषण में भी मानसिकता दिखाई देती है। सरकार का यह कहना है कि सरकार जिस जिम्मेदारी को लेकर सत्ता में बैठती है केवल राज चलाने के लिए, केवल लाईसेंस देने के लिए, अपने लोगों को पदों पर बैठाने के लिए और अपने देश में अय्याशी को चलाने के लिए बल्कि राष्ट्र के संविधान पर काम करने के लिए जिम्मेदारी होगी। उस जिम्मेदारी को हार्ड आप्शन कहते हैं। कोई भी सरकार चलाने के लिए उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें साफ्ट आप्शन चाहिए कि वे कर्ज लेंगे। हार्ड आप्शन क्या है कि चोरी को पकड़ लो। जिस रिजिम में यह सारा सिलसिला चलता रहा तो उसमें सभी लोगों को पकड़ लो। जो कह रहा हूं वे होना नहीं है। मैं जानता हूं कि हिंन्दुस्तान में स्थिति और बिगड़नी है। लेकिन आज

कितना जरूरी है कि इस सदन के भीतर हम लोग क्या करेंगे? इस पर बहुत कुछ निर्भर है। श्री वसंत साठे ने तीन साल पहले एक किताब लिखी थी कि हिंदुस्तान में सालाना औसतन कितना काला धन पैदा होता है? इसके बारे में ब्यौरा दिया है। उनका हिसाब है कि 50 हजार करोड़ से 70 हजार करोड़ रुपए का काला धन देश में पैदा होता है। तथाकथित लिब्रेलाईजेशन के अंदर कोई कह दे कि यह सारा काम हो गया तो हम इसको नहीं मानते। बिना सबूत के सदन के अंदर नहीं बोलना चाहिए तो हम नहीं कहेंगें। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में पहले पूंजीशाही की ओर से भ्रष्टाचार और कालेधन को पैदा करने का काम होता था। लेकिन आज हिन्दुस्तांन में बहुराष्ट्रीय पूंजीशाही बड़ी मात्रा में घुस रही है। जितना बड़ा खेल इस देश में चल रहा है तो इसकी कल्पना करते हुए दिल कांप उठता है। पूंजीशाही के हाथ में देश जाता है तो वह पैसे के बल पर लोगों को खरीदने या बेचने या खुद उनके जरिए राज करने का काम करते हैं।

एक क्षण के लिए उसको भी अपने जीवनकाल में हम नहीं देखना चाहेंगे लेकिन अगर कभी हो गया तो अपने ही लोगों के हाथों में है, महाचोरों के हाथों में हैं लेकिन अपने ही देश के चोरों के हाथों में है। लेकिन मुझे डर लगता है कि जो विदेशी पूंजी हिन्दुस्तान में जिस मात्रा में आ रही है, आपके एक रुपए के मुकाबले वह सौ रुपए लगा सकते हैं। आप एक करोड़ में खरीदेंगे तो वह सौ करोड़ में खरीद सकते हैं और विदेशी चीज के लिए इस देश के लोग कितना लालायित हैं चाहे वह व्यक्तियों के शरीर के रंग से लेकर उनके नाच–गाने से लेकर उनके खान–पान तक कुछ भी हो, तो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो हर क्षेत्र में चाहे जिस ढंग से भी उन्हें अपनी तरफ खींचने का काम कर सकती हैं। आप अगर सारे सोफ्ट औप्शन के पीछे जाते हैं तो आपके ही एक दल के नेता जो केबिनेट में मंत्री थे जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थी और शायद राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भी वे थे–वसंत साठे, उनकी राय को क्यों नहीं मानते हैं? मेरी राय की बात छोड़ दीजिए कि इस पैसे को हम देश से विदेश हवाला के माध्यम से देने जा रहे हैं। काला धन जो हिन्दुस्तान में पैदा होता है और हिन्दुस्तान से विदेश गया हुआ वह धन फिर कर्ज के तौर पर हम लोग वहां से वापस लेने का काम करते हैं जिस पर हम ब्याज भी देते हैं। इस देश की सरकार की तिजोरी में जो धन आना चाहिए वह सरकार की तिजोरी में नहीं आ रहा है और सरकार की तिजोरी में जब धन नहीं आया जो टैक्स के माध्यम से आपके हाथ में आना चाहिए, तो फिर वहां पर आप कर्ज लेकर देश को कर्ज में डुबोने का काम कर रहे हैं और कर्ज का सिलसिला कहां तक पहुंच गया इसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पृ. 42 पर देखेंगे तो टोटल लायबिलिटीज जिसमें देशी और विदेशी दोनों कर्ज हैं 5,32,753 करोड़ रुपए है। यह सरकार के ऊपर की लायबिलिटीज हैं, देशी कर्ज, सरकार के अनेक क्षेत्रों का पैसा जो सरकार ने अपनी तरफ लिया है, और जिस पर ब्याज देना है वह, और विदेशी कर्ज। इसके सामने स्टेटमेंट ऑफ असेंट्स में कैपिटल इनवेंस्टमेंट्स और लॉस बाय द सेन्ट्रल गवर्नमेंट देखें। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे देश का दीवाला इन लोगों ने निकाला है। इसका सुबूत मैं यहां रख रहा हूं इसमें लिखा है कि कैपिटल आउटले और लोन्स ऐडवान्स्ड बाय द सेन्ट्रल गवर्नमेंट 3,55,536 करोड़ रुपये हैं। इसमें केन्द्र सरकार ने कौन कौन कैपिटल आउटले किया है वह रकम 1,94,000 करोड़ रुपए हैं। इसमें राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी या पब्लिक सैक्टर ऐन्टरप्राइजेज को कितना कर्ज सरकार ने कैपिटल के तौर पर या अन्य तौर पर दिया है वह 1,61,499 करोड़ रुपए हैं। दोनों मिलाकर 3,55,536 करोड़ रुपए हैं। अब इन्होनें यह किया कि आपकी कुल लायबिलिटीज 5,32,753 करोड़ रुपए हैं और आपके

पास असेंट्स हैं आपके ही स्टेटमेंट ऑफ असेट्स पर पृ. 43 में 3,55,536 करोड़ रुपए। तो ऐक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर कैंपिटल आउटले एण्ड ऐडवान्सेज 1,77,216 करोड़ रुपए हैं। बी.आई.एफ.आर. में आपकी सिक इंडस्ट्री करके कोई कंपनी होती तो आपको घोषित किया जाता। क्या आपने अपना कैपिटल खत्म कर लिया। आपने कर्ज लिया। वह कर्ज आपका 1,77,700 करोड़ रुपए है। अगर आप कोई पब्लिक लिमिटेड ऐण्टरप्राइजेज या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कार्पोरेशन या प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेशन होते तो आपको सिक इंडस्ट्री घोषित किया गया होता।

4.20 बजे म.प.

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

यदि कोई कर्जदार आपके ऊपर मुकदमा कर दें तो आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर करके किसी कोर्ट रिसीवर के पास जाकर बैठना पड़ता। मैं पूरी गम्भीरता से कह रहा हूं, आज आपकी यही स्थिति है क्योंकि इस साल आप 46 हजार करोड़ रुपया कर्ज के ब्याज तौर पर दे रहे हैं जबकि कुल टैक्स रेवैन्यू और नॉन–टैक्स रेवैन्यू का टोटल 86 हजार करोड़ रुपया आपका बनता है जिसमें से 46 हजार करोड़ रुपया आप ब्याज पर खर्च कर रहे हैं। यह स्थिति देश को कहा पहुंचा देगी? इसमें से आप रास्ता कैसे निकालेंगे। आज जब मैं यह प्रस्ताव सदन में रख रहा हूं तो किसी को उससे थैचराइट पौलिटिक्स की याद आती है। देश को कर्ज में डुबो देना, कर्ज की बराबरी के असैट्स न बनाना, कर्ज लेकर कर्ज की राशि को रोज के खाने–पीने के कामों में खत्म कर देना, रोजमर्रा के सरकारी कामों में खर्च कर देना कहां तक ठीक है। जब इस प्रकार की बातें यहां कही जाती हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम आज कहां आकर पहुंच गये हैं। मैं इन सब बातों का स्पष्ट उत्तर इस विधेयक के संदर्भ में सरकार से चाहूंगा।

पहली बात तो यह है कि इतना कर्जा बना कैसे? इस कर्ज का मुख्य कारण जहां तक मैं समझा हूं सरकार ने 1980 के बाद जिस प्रकार विकास का नया ढांचा बनाया, 1980 के बाद जिस प्रकार फिजूलखर्ची का जमाना शुरू किया, सवा दो साल यहां जनता सरकार सत्ता में रहीं, उसके बाद 4-5 महीने एक दूसरी सरकार रही लेकिन उसके बाद जैसे ही इंदिरा गांधी एक बार फिर इस देश की प्रधानमंत्री बनी, वहीं से फिजूलखर्ची का आप लोगों का सिलसिला शुरू हो गया और वही इसके लिए सबसे बड़ा कारण बना। यदि आप देखें तो 1980 से आपको जो ट्राईलेटरल कर्ज वर्ल्ड बैंक और दूसरी संस्थाओं से कम ब्याज पर मिलता था वह आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा और आपने निजी बैंकों से कर्ज लेना शुरू किया, आपने नॉन–रेजिडेंट और कुछ दूसरे लोगों से पैसा लेना शुरू किया और आप ब्याज वाले कर्ज की ओर चलने लगे। उसका नतीजा यह हुआ है कि 1980 में जहां भारत पर जो कुल कर्ज था, उस पर औसतन 2.4 प्रतिशत ब्याज था लेकिन 1982 में आते ही फिजूलखर्ची का जो ढांचा बनाने का काम हुआ, उसके बाद 1982 में यह 2.4 से 6.1 प्रतिशत तक पहुंच गया।

दूसरी बात यह है कि बैंकों से आप जो कर्ज लेते हैं वह तीन–चार या पांच साल के लिए होता है, मल्टीनेशनल लैंडिंग आर्गेनाईजेशन्स से जो कर्ज लेते हैं वह 25-30 या 40 साल तक की अवधि का होता है। लम्बे अर्से का कर्ज लेने पर आपको ब्याज माफी है और कर्ज वापस करने में, जिस प्रोजैक्ट के लिए कर्ज लिया गया है, जब तक वह प्रोजैक्ट पूरा नहीं हो जाता, उस समय तक

आपसे पैसे की वापसी कोई नहीं मांगता। ऐसा कर्ज आपको 0.5 परसेंट की दर पर मिलता है। यदि बहुत ज्यादा हो तो दो या ढ़ाई प्रतिशत दर पर आपको विश्व बैंक या दूसरी ऐसी संस्थाओं से कर्ज मिलता है।

आप वहां से हट गए।

1981 में आपने आई.एम.एफ. का भी कर्ज लिया और वहां से अधःपतन की शुरूवात हो गई और एक तरफ वहां से ब्याज बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया और दूसरी ओर जो कर्ज की किस्त थी वह भी बढ़ने की बात शुरू हो गई। जहां 1980 में जो कुल कर्ज था मैच्युरिटी का 40.8 था 1982 में 32.6 तथा 1989 में 24.4 हो गया, तो आपकी यह फिजूलखर्ची का एक ढांचा खड़ा हो गया और उसने हमें उस दिशा में ले जाने का एक ठोस कदम उठा लिया।

सभापति जी, दूसरी बात यह हुई कि देश मे व्यापार घाटा होने लगा। वह घाटा निकलता था जो हिन्दुस्तान के लोग विदेशों मे जाकर गल्फ में या दुनियां के अन्य मुल्कों में जाकर मेहनत करते थे और अपने पैसे को भारत भेजने का काम करते थे, तो उसमें से व्यापार के घाटे को निकालने का काम होता था। तो उधर आपके व्यापार में घाटा बढ़ने लगा और दूसरी ओर विदेश से जो इनविजिबल था वह कम होने लगा। और वह कम होने के कारणों में से एक कारण यह भी हुआ कि जब काले धन की आवक–जावक बड़ी मात्रा में शुरू हुई तो विदेश में कमाए हुए रुपए को, वहां कमाए हुए धन को बड़े लोगों ने वहां लेना शुरू कर दिया और उसके बदले में रुपया यहां देने का काम शुरू कर दिया। हवाला व्यापार 1980-81 से बहुत तेजी से चलने लगा और उसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को कामर्श्यल बोरोइंग्स करनी पड़ी विदेशों में बैंकों के सामने जाकर उनसे कर्ज मांगने का काम, बड़े ब्याज पर कर्ज मांगने का काम करना पड़ा और उसका नतीजा अध्यक्ष जी, मैं फिर 1980 से 1989 तक की जानकारी दूं, तो जहां ये कामर्श्यल बोरोइंग्स हम लोगों ने ली 1980 में 18.7 बिलियन पर हम लोगों का कर्ज आ कर पहुंच गया था, 1984 में 26.5 और 1989 में 56.3 बिलियन डालर पर हम लोगों का यह कर्ज आ कर पहुंच गया, तो यह एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है।

माननीय सभापति जी, यह जो एन.आर.आईज. के डिपाजिट का सिलसिला हम लोगों ने शुरु किया और निजी कर्ज लेने की जो बात शुरू हो गई। हिन्दुस्तान की कम्पनियों को कहा कि तुम अभी विदेश से कर्ज ले लो। जो कोई भी नयी चीज बनाना चाहे, जो कम्पनी कारखाना लगाना चाहे, विदेश से मशीनरी लेना चाहे, अंडर इनवोइसिंग और ओवर इनवोइसिंग होता है, वह बात अलग है, वे छोटी बातें हैं, इस बहुत बड़े कार्यक्रम में, लेकिन जब विदेश से कर्ज लेना शुरू हो गया, तो इसका नतीजा यह हुआ अध्यक्ष जी कि 1980 में हम लोगों के ऊपर जो दायित्व आ गया, नॉन रेजीडेट इंडियन डिपौजिट और प्राइवेट क्रेडिट जो कमर्श्यल बैंकों से लिया है वह 1980 में 2.3 बिलियन डालर था, 1982 में 22.8 बिलियन डालर पर पहुंच गया।

सभापति महोदय, तीसरा कारण, विदेशियों को बड़े उद्योग लगाने के लिए हिन्दुस्तान में, हिन्दुस्तान की कंपनियों को विदेशी कर्ज लेने के लिए छूट दी गई, लेकिन अब ये मामले छूट के नहीं हैं, क्योंकि ऐसे कारखाने जिनके लिए भारी पूंजी चाहिए, अगर वे विदेश में अपने आप चीज का निर्माण कर के निर्यात करते हैं, अगर उनको आप कर्ज दो, तो आपका कर्ज वसूल हो जाएगा, लेकिन यह कर्ज ऐसे उद्योगों को देने का काम हुआ जो हिन्दुस्तान की फैक्ट्री में बनाई चीज को हिन्दुस्तान

में बेचने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जो पूंजी विदेश में जाती है यंत्र आदि को खरीदने के लिए, वह देश में लोगों की अय्याशी की चीजों को बनाने में जाने लगी और नतीजा यह हो गया कि उसमें भी हम लोगों ने मार खाई और इसका जो बहुत बड़ा कारण है वह फिजूलखर्ची का जमाना जो 1980 में शुरू हो गया वह कारण है।

सभापति जी, आपको भी याद होगा कि 1979 में एक प्रस्ताव आया था कि एशियन गेम्स 1982 में हम लोगों को करने है। हममें से कुछ लोग उस समय सरकार में थे। हमने उसका विरोध किया, यह कहकर विरोध किया कि भारत को एशियन गेम्स के लिए जो भी इंतजाम करना है, उसके लिए विदेश से कर्जे के तौर पर पैसा लेकर इस प्रकार के खेल–कूद में देश को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस फिजूलखर्ची की ओर हम देश को नहीं जाने देंगे। लेकिन नहीं माना गया। हम लोगों की सरकार गई। जब नई सरकार आई तो उसने बड़ी मजबूती से खेल–कूद के काम को भी अपने हाथ में ले लिया। अब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम देखिए, उसका क्या इस्तेमाल होता है, मुझे नहीं मालूम। माईकल जैक्सन आएगा तो उसका इस्तेमाल होगा, नाचने–गाने वाले विदेशी लोग आएंगे तो उनको मौका मिलता है, डे एंड नाइट क्रिकेट मैच चले तो उसका इस्तेमाल होगा यानि अय्यासी की चीजों के लिए उस मैदान का इस्तेमाल होता है।

हम सरकार से यह कहना चाहेंगे, यदि कोई दस्तावेज हों तो बताएं कि उस समय एशियन गेम्स के नाम पर जो इंतजाम किया था, उसमें कितने हजारों करोड़ रुपये विदेशी पूंजी के तौर पर खर्च करने पड़े। हिन्दुस्तान का जो मीडियम वर्ग है, उसके लिए अय्यासी के लिए जिन चीजों की आवश्यकता महसूस होती है, उस पर 1980 के बाद इस सरकार ने अपनी मनमानी चलाने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसने हमको बहुत भारी नुकसान में पंहुचाने की बात की है। छोटे–छोटे उदाहरण है लेकिन यह अय्याशी का द्योतक है।

हमारे प्रधानमंत्री जी को विदेश जाना है। उनके लिए एयर इंडिया का एक जहाज खड़ा रहता है। यदि उनको 15 तारीख को जाना है तो 1 तारीख से 2 जहाजों का काम बन्द हो जाता है। वे सजावट मे लग जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि जब व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर आ जाता है तो क्या उसकी शक्ल, सूरत, शरीर सब बदल जाते हैं। उसकी आवश्यकताएं इतनी बदल जाती हैं कि उसके लिए 2-2 विमान रोके जाएं। एक विमान तो उनको ले जाता हैं, दूसरा विमान यहां इंतजारी में रहता है, यदि उस विमान में कुछ परेशानी हो गई तो यह विमान वहां जाएगा। यदि 15 दिन का दौरा है तो कम से कम एक महीना दो एयर इंडिया के बोइंग जम्बों जैट खड़े रहते हैं। कोई कहेगा कि यह बहुत छोटी–छोटी बातें हैं। छोटी बातें नहीं हैं। आप पैट्रोल पम्प पर ऐवरी ड्रीप काउंटस क्यों लिखकर रखते हैं? क्या रिक्शा चलाने वालों के लिए लिखते हैं? उसके लिए ऐवरी ड्रीप काउंटस और यदि हम हवाई जहाज की बात छेड़े तो वह बहुत छोटी हो जाती है। एयर फोर्स का जहाज है, पूरी सिक्यूरिटी है, लेटने–बैठने का इंतजाम भी उसमें हो सकता है। इससे कितनी विदेशी मुद्रा बर्बाद होती है, क्या इसकी किसी को कल्पना है? हम एक–एक जहाज विदेश से खरीदते हैं, सीट,बैल्ट तक भी विदेश से खरीदते हैं और हर चीज पर आपको पैसा देना पड़ता है। अय्याशी ने हमको कहां तक पहुंचा दिया है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।

श्री विमल जालान, जो भारत के विदेश सचिव थे, ने "इंडियाज इकोनौमिक क्राईसेस" नाम से एक किताब लिखी है। अभी वे विश्व बैंक या विदेश में है। वहां जाने से पहले वे यहां पर इकोनौमिक

ऐडवाईजरी काऊंसिल के चेयरमैन थे। मैंने जो आखिरी मुद्दा रखा, उस पर कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"अन्त में, अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में औद्योगिक और व्यावसायिक उत्कर्ष का मुख्य लाभ मध्यम वर्गों को हुआ। इन वर्गों में निजी तथा सरकारी क्षेत्र के शिक्षित व्यवसायी भी शामिल हैं जो कि सरकारी नीति की योजना निर्धारित करने में काफी प्रभावी थे। उदाहरण के लिए, उनका प्रभाव आयकर में छूट की सीमा में वास्तविक तथा आवधिक वृद्धि तथा प्रत्यक्ष करों के आधार में कमी करने में प्रतिबिम्बित होता है।"

उपभोग्य टिकाऊ वस्तुओं, बिजली के उपकरणों और स्वचालित वाहनों इत्यादि पर उत्पाद कर भी कम स्तर के रखे गए थे जिससे उच्च स्तर की आयात होने वाली वस्तुओं के साथ तथा प्रभावी संरक्षण वाले नए एककों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला।"

[हिन्दी]

यह भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त सचिव तथा चेयरमैन ऑफ दी काउंसिल ऑफ इकॉनिमक एडवाइजर की किताब है। यह 1991 में लिखी गई और यह उनकी राय है।

इन लोगों ने एक ढ़ांचा हिन्दुस्तान में बनाया है। एक नया मध्यम वर्ग ऐय्याशी में घूमने वाला बनाया। मुझे नहीं मालूम आपने इस चीज को देखा या नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते 'इंडियन एक्सप्रैस' में चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखा कि जो हिन्दुस्तानी आज विदेश में पर्यटक बनकर जाते हैं, अमरीकी, यूरोपीय और जापानी पर्यटकों की जेब में जितना पैसा है, उससे कम पैसा हिन्दुस्तान के पर्यटकों के हाथों में नहीं है। कहां से आया, कैसे आया? वे पर्यटक बन कर जायें, हमें कोई एतराज नहीं हैं, लेकिन जब अमीर राष्ट्रों के अति अमीर लोगों के बराबर हिन्दुस्तान के अमीर लोग या मध्यम वर्गीय लोग विदेश मे ऐयाशी करने की स्थिति में पहुंचे है तो इसका बोझ गरीबों पर ही पड़ रहा है। चूंकि अन्ततोगत्वा कर्ज का ढांचा बना कर रख दिया, यह अमीरों को भुगतना नहीं पड़ेगा, वह हम सभी लोगों के ऊपर आ जायेगा। एक गम्भीर संकट देश के सामने है।

डा. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होने के नाते जब भी किसी मंच पर खड़े होकर बोलते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। हम इस लाचारी में नहीं है।, हम लोगों की हालत इतनी खराब नहीं है। वह बार–बार हमें आश्वासन देते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भारत सरकार का एक ऐसा व्यक्ति जो कि वित्त सचिव रहा, चीफ इकॉनमिक एडवाइजर ऑफ दी गवर्नमेंट रहा और जिन–जिन पदों पर डा. मनमोहन सिंह रहे, उनमें से दो बड़े महत्वपूर्ण पदों पर विमल जालान रहे। वह ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं।

[अनुवाद]

"कुछ स्थितियों में भारत की वर्तमान स्थिति अस्सी के दशक के आरम्भ में अनेक बुरी तरह से ऋण में फसें लैटिन अमरीकी देशों में विद्यमान स्थिति के समान है। यह संकट अर्थव्यवस्था के

व्यावसायिक स्त्रोतों से आने वाली 'न्यू मनी' पर अधिक निर्भर रहने के कारण उत्पन्न हुआ जो धनराशि अब नहीं आ रही है। अर्थव्यवस्था के आकार के संबंध में वर्तमान भारत का कुल ऋण और ऋण भार वास्तव में 1980 के दशक के आरम्भ में ऋणी लैटिन, अमरीकी देशों से कम हैं। फिर भी, निर्यात के संबंध में अनुपात बराबर है। इसके अतिरिक्त, भारत में व्यापार घाटा अधिक रहता है। दूसरी ओर "मैक्सिको, ब्राजील तथा वेनजुऐला जैसे लैटिन अमरीकी देशों में व्यापार अधिशेष है जबकि चालू खाता ब्याज के भुगतान के कारण घाटे में था। भारत में वित्तीय घाटे की प्रकृति लैटिन अमरीका में अनेक ऋणी देशों की प्रकृति से मिलती जुलती है।"

[हिन्दी]

जो व्यक्ति चन्द दिनों पहले आपका सबसे बड़ा एडवाइजर था उसने इस किताब में सबसे पहले यह लिखा कि यह मेरी अपनी राय है। कुछ इंट्रोडक्शन में कहते हैं :

[अनुवाद]

"यहां व्यक्त किए गए विचार मेरे हैं न कि सरकार अथवा आर्थिक परामर्शदात्री परिषद के जिनसे कि मैं आजकल जुड़ा हुआ हूं।"

सरकार को यह विश्वास है कि कोई संकट नहीं है। 15 मई, 1991 का दिन था जब वे भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार थे।

[हिन्दी]

जिस प्राकर की लापरवाही है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिये यह मांग कर रहे हैं कि कर्ज पर सीमा लगाने का काम करना चाहिये।

मैं अपनी बात को लम्बी नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं आज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेना चाहते हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मैं सिर्फ पांच–सात मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। चूंकि हम विदेशों से कर्ज ले रहे हैं और यह सरकार अमरीका की गुलामी कर रही है, इसके बारे में मैं दो वाक्य कहना जरूरी समझता हूं। मैं भारत सरकार के दस्तावेज को ही यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। बजट 1994-95 के एक्टर्नैल लोन्स को आप देखें, तो इस साल के बजट में, हम लोगों ने विदेशी पैसा मल्टीलैट्रल और बाईलैट्रल, दोनों को मिलाकर, जो लिया है, वह है 9,996 हजार करोड़ रुपए। हम जो विदेशों को वापिस दे रहे हैं, वह है 5,388 हजार करोड़ रुपए। इस प्रकार हमारे हाथ में जो पैसा बचता है, वह है तीन हजार कुछ करोड़ रुपए। इतना पैसा हम लोगों को विदेशी कर्ज के तौर पर मिलता है। यदि किसी राष्ट्र का जिक्र करना है, तो हम लोगों को जापान से 3075 करोड़ रुपया मिल रहा है और हम जापान को ब्याज मिलाकर रिपेमेंट कर रहे हैं, वह है, 518 करोड़ रुपया। अमरीका से हम को एक पाई नहीं मिल रही है। इस साल हम लोग अमरीका से एक पाई

नहीं ले रहे हैं। पिछले साल हमने अमरीका से एक पाई कर्ज नहीं लिया है। उसके पिछले साल 1992-93 के हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन 1993-94 और 1994-95 में हमने अमरीका से एक पाई नहीं ली हैं। मगर इस साल हम लोग अमरीका को 392 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने 392 करोड़ रुपए दिए हैं।

[अनुवाद]

हम अमरीका को दे रहे हैं परन्तु अमरीका से धनराशि ले नहीं रहे।

[हिन्दी]

यही हालत वर्ल्ड बैंक की है। इस साल हमें वर्ल्ड बैंक से 2413 करोड़ रुपए मिल रहा है, लेकिन हम वर्ल्ड बैंक को दे रहे हैं। 2444 करोड़ रुपए। जितना हम उससे ले रहे हैं, उससे ज्यादा हम वर्ल्ड बैंक को दे रहे हैं। आई.डी.ए. और ए.डी.बी. दोनों इन्टरनेशनल एजेंसीज हैं, दोनों से हमें कुछ पैसा मिल रहा है। राष्ट्र के स्तर पर जापान को छोड़कर किसी और राष्ट्र से हम लोगों को कर्ज के तौर पर पैसा मिलने वाला नहीं है। हल्का–फुल्का 5-10-12 करोड़ की बात छोड़िये, किसी और से पैसा नहीं मिल रहा है, उल्टे हम सबको वापिस दे रहे हैं। इसलिए यह जो अमरीका की गुलामी करने का सिलसिला चला है, अमरीका हमारा भाग्यविधाता है, उसके बगैर हम लोगों का जीना संभव नहीं है, मैं यही बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अमरीका के प्रति हम लोगों की गुलामी की प्रवृत्ति बन रही है और हम लोगों के भविष्य को एक तरह से बेचने का सिलसिला यहां चल रहा है।

सभापति महोदय, जैसा आपने कहा है कि समय कम है, इसलिए मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। कर्ज से इस देश को मुक्त करना है, तो कारणों को लेकर कर्ज लेने के जो कारण हैं, उनकी खोज करने की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर सरकार की अनेक रिपोर्ट्स हैं और उनके ऊपर कार्यवाही होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पहला– भविष्य में कर्ज लेने की लाचारी हम लोगों की न हो। दूसरा– जो पैसा हिन्दुस्तान से विदेश को जाता है, उसके लिए सख्ती करके उसको रोकने का काम करना है और उसको लाने के लिए काम करके कदम उठाना चाहिए। तीसरा– इस देश को अपने राष्ट्रीय जीवन में कुछ उन आदतों की ओर जाना है, जो अय्याशी से दूर हों। यह अय्याशी और लालचपन, केवल रुपए के पीछे दौड़ इस देश में शुरू हुई है। चाहे जिस रास्ते से हो, रुपया मिले और फिर थोड़ी फिजूलखर्ची और यह जो अजीब किस्म है, विदेशी सभ्यता का अनुकरण हो रहा है।

मैं फिर वह चित्रा सुब्रामण्यम वाली बात यहां पर दोहराता हूं कि देश और दुनियां में आज हिन्दुस्तान का मध्यम वर्ग अपनी अय्याशी को और अपने नाजायज ढंग से पाए हुए उस पैसे को दिखाने का जो काम कर रहा है उससे इस देश को हट कर, आस्टीरिटी, अपने जीवन में कुछ वे मान्यताएं जो समूचे राष्ट्र की समस्याओं को ख्याल में रखेंगे, उस दिशा में जाना हैं इसलिये मेरी सदन से प्रार्थना है कि जो विधेयक को हमने यहां दिया है इसमें 15 प्रतिशत हमारा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट का, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 15 प्रतिशत से अधिक कर्ज सरकार कभी न ले और मैं फिर दोहराता हूं कि भारत के संविधान ने जो दायित्व इस संसद के ऊपर दिया है उसको निभाने के लिये लाया हुआ

यह विधेयक हैं मुझे विश्वास है कि इसमें कोई संशोधन करना हो तो वित्त मंत्री या यह सरकार इसमें संशोधन पेश करने का काम करें। हमें उसे स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इस विधेयक को लाना होगा। इसके आधार पर अगर उन्हें आपत्ति होगी कि हमारी तरफ से लाया हुआ विधेयक कैसे स्वीकार किया जाये तो फिर उनको अपनी तरफ से कि ये कौन सी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिये कदम उठायेंगे यह बताने का काम करना होगा।

महोदय, मैं अपने इस विधेयक को इस प्रार्थना के साथ संसद के सामने रखता हूं कि सदन इसको स्वीकार करे और अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करे।

4.47 बजे म.प.

[अनुवाद]

परिवार नियोजन विधेयक *

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : महोदय, मैं जनसंख्या नियंत्रण करने और लघु परिवार को संकल्पना का संप्रवर्तन करने के उपाय करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"जनसंख्या नियंत्रण करने और लघु परिवार की संकल्पना का संप्रवर्तन करने के उपाय करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अंकुशराव टोपे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

4.48 बजे म.प.

उधार सीमा नियतन विधेयक-जारी

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, जार्ज फर्नान्डीज जी जो बिल लाए हैं उसका एक बात पर मैं जरूर समर्थन करती हूं कि एक आस्टीरिटी मेजर्स गवर्नमेंट को लाना चाहिये, जिससे कर्जा नहीं लेने के लिये हम लोगों को तय करना चाहिये मैं इसके लिये जरूर समर्थन करती हूं। लेकिन साथ–साथ मैं इसका विरोध भी करती हूं कि जो स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्टिवस एंड रिजंस दिया गया है,

---

* दिनांक 6.5.1994 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

"कार्यपालिका द्वारा लिए जाने वाले अंधाधुंध ऋण पर रोक लगाने के लिए संसद द्वारा विधान बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 292 का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत प्रयोज्य शक्तियों के अधीन भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले घरेलू तथा विदेशी ऋणों पर प्रतिबंध लगाता है।"

[हिन्दी]

मैं इसका इसलिए विरोध करती हूं कि हर चीज में गवर्नमेंट में रहना कए तरीका है और गवर्नमेंट में नहीं रहना यह भी एक तरीका है। जो गवर्नमेंट में रहता है उसको प्रेक्टीकल प्रोबल्म ज्यादा महसूस करनी पड़ती है लेकिन जो लोग गवर्नमेंट में नहीं रहता है उसके पास बहुत कुछ कहने के लिए हो जाता है। लेकिन एक बात पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा वह यह है कि आज एक पार्टी का गवर्नमेंट है कल उस पार्टी का गवर्नमेंट नहीं रह जाता है, लेकिन एक पार्टी का जो गवर्नमेंट होता है वह गवर्नमेंट कभी गवर्नमेंट की पालिसी चेंज नहीं कर सकता है जो स्कीम है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है लेकिन पूरी पॉलिसी को चेंज नही कर सकता है। तो इसी के लिये मैं यह कहना चाहती हूं आज हमारे देश की जो परिस्थिति हैं ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि कर्ज मत लेना, अगर यह बिल हाउस में पास हो जाये तो उसके बाद हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति क्या होगी, हमारे देश की परिस्थिति आने वाले दिनों में क्या होने वाली है और हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें इसका क्या असर पड़ेगा इसको भी देखना जरूरी है।

यह बात भी सच है कि कोई भी कर्ज लेना नहीं चाहता, जब बहुत आवश्यक होता है तभी कर्ज लिया जाता है। इसके साथ—साथ कर्ज देने वाला भी क्रेडिबिलिटी देखता है, तभी कर्ज देता है। बैंक से भी जब कोई छोटा बड़ा लोन लेता है तो उसके लिए भी मेनूप्लेशन करनी पड़ती है तो यह तो दूसरे देश से लोन लेने का मामला है, इसलिए क्रेडिटबिलिटी के बिना लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए मैं इस बात को नहीं मानती कि देश को कर्ज लेना बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ऑस्टेरिटी मेजर्स लेना भी आवश्यक समझती हूं, ताकि आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ न पड़े।

सभापति महोदय, यह बात भी सही है कि वित्त मंत्री जी ने देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को मैंनेज किया है, स्ट्रक्चरल डिवाइस किया है, इकनामिक रेफार्म्स किए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 1 बिलियन डालर था, उसको 15 बिलियन डालर तक पहुंचाया है, लेकिन यह बात भी ठीक है, जैसा कि जार्ज साहब ने कहा कि 85 से 90 बिलियन डालर का कर्ज लेने का काम भी इन दिनों में हुआ है। इसलिए आज यह देखना भी बहुत आवश्यक है कि देश को कैसे कांस्ट्रक्टिव रास्ते पर ले जाना है, कैसे देश की इकानमी को मजबूत करने वाली पालिसी बनानी है, इसका कोई न कोई तरीका अवश्य निकालना पडेगा, ताकि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान अपने पैरो पर खड़ा हो सके।

आज देश पर बहुत बड़ा कर्ज है, यह बात सच है।

[अनुवाद]

"भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रबधंकों को अल्पावधि ऋण प्रबंध की समस्या से सफलता पूर्वक निपटने के लिए तथा मध्यावधि में भुगतान संतुलन के प्रबंध की समस्याओं को उस हद तक आसान बनाने के लिए श्रेय दिया जा सकता है। अल्पावधि ऋण को मार्च, 1991 के अन्त में लगभग 8.54 बिलियन डालर से, मार्च, 1993 के अन्त में 6.25 बिलियन डालर से कुछ कम पर लाया गया है। कुल ऋण स्टॉक का प्रतिशत अंश 10.4 प्रतिशत से कम होकर 7.3 प्रतिशत हो गया है। अल्पावधि ऋण के दोनों मुख्य तत्वों नामतः बैंक जमा–दोंनों आनवासी भारतीय और एफ सी (बी एण्ड ओ)– तथा अन्य व्यापार संबंधी अल्पावधि ऋणों में कमी आई है।"

[हिन्दी]

इसके साथ–साथ यह बात भी सच है कि हमारे साथ–साथ और देशों ने भी कर्ज लिया है, जिसमें इंडोनेशिया, ब्राजील और मैक्सिको मुख्य है, लेकिन हमारा कर्ज थोड़ा ज्यादा है।

[अनुवाद]

"ऐसे देश भी हैं, जिनकी स्थिति भारत से भी अधिक खराब है, यह कोई तसल्ली वाली बात नहीं है। भारत ने 1991 में 7.4 बिलियन डालर मैक्सिको ने 14 बिलियन डालर, ब्राजील और इण्डोनेशिया ने लगभग 10.8 बिलियन डॉलर ऋण के भुगतान के रूप में खर्च किया। भारत के लिए निम्न पुर्नअदायगी का दायित्व इंडोनेशिया के 28 प्रतिशत, थाईलैंड के 13 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया के 12 प्रतिशत, ब्राजील के 3 प्रतिशत से कम और मैक्सिको केवल 1 प्रतिशत रियायती भाग के कारण आंशिक था। चूंकि रियायती ऋणों में तेजी से कमी आ रही है इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वे शीघ्रातिशीघ्र ऋणों का भुगतान करें। नीति निर्धारकों को अल्पावधि ऋण विशेषकर कि संरक्षित आरक्षणों के लिए ऋण लेते समय सावधान रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऋण का केवल उत्पादक के उद्देश्यों से ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत, जिस समस्या का सामना कर रहा है, उसका समाधान केवल ऋणों का सही ढ़ंग से इस्तेमाल ही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

यह बात सच है, इसको मैं मानती हूं, लेकिन इसके साथ–साथ यह भी सच है कि हमारे देश में सिर्फ कांग्रेस सरकार ही नहीं रही। यह सच है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के लिए बहुत काम किया है, लेकिन हमारे देश में 2 शार्ट–टर्म सरकारें और भी रही है। एक जनता पार्टी की, जनसंघ, सी.पी.एम., लोकदल की मिलीजुली सरकार और दूसरी बीजेपी, जनता दल और सीपीएम की मिलीजुली सरकार यहां पर रही, तो क्या इन सरकारों का असर देश पर नहीं पड़ा

हम जानते हैं कि यह चीज राजनीति की तरफ से नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या है उसको देखना जरूरी है। पहले जो सरकारें आई थी तो वे देश की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकती थी। अगर वे ऐसा करती तो उनको बधाई दी जा सकती थी चाहे वे सरकार मोरारजी भाई या वी पी सिंह के टाईम की हो। जब अपोजिशन पार्टी की सरकार थी तो उनको कहना चाहिए था कि

कर्ज लेना बंद कर देना चाहिए। अब नहीं कह सकते चूंकि सरकार में रहना है या नहीं रहना है। बहुत सारी बातें कहना आसान है। प्रैक्टीकल प्राबलम्स से मैं सहमत हूं जैसा कि फर्नान्डीज साहब ने कहा है। यह भी कहा गया था कि जब प्राईम मिनिस्टर विदेश यात्रा पर जाते हैं तो एक एकस्ट्रा फ्लाईट खड़ी रहती है और सिक्योरिटी की भी बात है। यह सारी चीज सरकार की नीति पर हैं हरेक चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी की प्राबलम नहीं है लेकिन उनके साथ 8-10 गाड़ी सिक्योरिटी की चलती है। हमारे स्टेट चीफ मिनिस्टर के पास एक कार थी। लेकिन आज उनके पास चार गाड़ी सिक्योरिटी की हैं। जिसमें एक गाड़ी महिला पुलिस की भी है। और एक गाड़ी में कुत्ता होता है। कई जगह पर देखा जाता है। कि 8-10 गाड़ी लेकर चलते हैं। 'चैरिटी बिगिन्स एट होम' तो क्या यह आस्टेरिटी मैंजर हैं। आस्टेरिटी की बात पर राजीव गांधी को सिक्योरिटी नहीं मिली इसलिए राजीव गांधी को कुर्बानी देनी पड़ी। लोग कहते थे कि राजीव गांधी देश को बेच देगा लेकिन उनको कुर्बानी देकर बताना पड़ा, 'प्यासी जमी थी लहु में उसको मिला दिया, मुझ पर वतन का कर्ज था, वह मैंने चुका दिया'। लोगों ने नारा दिया था कि राजीव गांधी देश को बेच देगा लेकिन उनको देश की मिट्टी में मिला दिया गया। अगर आस्टेरिटी मंजूर करना है तो हरेक आदमी के लिए करना है। मैंने बहुत से सदस्यों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा है इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि पहले खुद करना चाहिए। हम उसको खुद नहीं करेगें तो कौन करेगा?

(व्यवधान)

मैं चाहती हूं कि देश में इलैक्टोरल रिफार्म होना चाहिए। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कलकत्ता और दिल्ली में पैलेस खरीद लिया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय (श्री नीतीश कुमार) : जो आदमी यहां पर डिफेंड करने के लिए मौजूद नही है तो उन पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : जार्ज साहब ने प्राईम मिनिस्टर के लिए एक बात कही है लेकिन वे भी प्रेजेन्ट नहीं है इसलिए मुझे जरूरी कहना पड़ा।

सभापति महोदय : उन्होंने प्रधान मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है।

कुमारी ममता बनर्जी : जार्ज साहब ने भ्रष्टाचार और कालेधन के बारे में जो बात कही है उससे मैं सहमत हूं। जो ब्लैक लिस्टेड आदमी है उनको इंडस्ट्री के लिए लोन नहीं देना चाहिए।

5.00 बजे म.प.

आज सुबह एक प्रश्न आया था कि बहुत सारे उद्योगपति हैं जो एक कंपनी के नाम से लोन लेते हैं और उसके बाद वहीं लोग कंपनी का नाम बदलकर दूसरी कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और उनको लोन भी मिलता है। इससे हमारे देश का बहुत सा रुपया बरबाद होता है। मेरा सरकार को एक सुझाव है कि जो उद्योगपति बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद कंपनी बंद करके भाग जाते हैं और दूसरा धंधा शुरू करते हैं उन लोगों को आप ब्लैक लिस्ट करें। कोई आदमी पी.एफ का रुपया न दें, ई.एस.आई. का रुपया या ग्रेचुटी का रुपया न दें और बैंक का कर्ज न चुकाए तो उसको फिर लोन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऐसी पाबंदी लगा देंगे तो बहुत सारे

उद्योगपतियों को बैंक से लोन मिलता है वे उसका सही उपयोग करेंगे, अभी वह ऐसा नहीं करते हैं। बैंक के अधिकारियों के साथ उनकी मिली–भगत रहती है। मैं सब अधिकारियों की बात नहीं कर रही हूं मगर कुछ अधिकारी ऐसे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है। उद्योग इसी कारण बीमार हो रहे हैं। रिजर्व बैंक ने एक सर्वे किया था जिसमें कहा गया था कि बीमार उद्योगों के जिम्मेदार 2% कर्मचारी हैं और बाकी मैंनेजमेंट और सरकारी नीतियां हैं।

लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि उद्योगपति रुपया लेकर धोखा न करें।

आज हमारे देश में बहुत सारे चिट फंड हैं। कितना रुपया कमाकर वह कहां जाते हैं यह पता नहीं है। हमारे यहां नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि यह रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स को नहीं मानतें हैं। एक चीज सरकार को देखनी चाहिए कि कोई चिट फंड कंपनी अगर अपना विज्ञापन दे कि हम यहां पर इनवेंस्टमेंट कम्पनी खोलने जा रहे हैं, तो लोगों को सावधान करना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। लेकिन सही बंदोबस्त नहीं होने के कारण मेरे ही राज्य में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा चिट फंड कंपनियों ने रिक्शा चालकों तथा 30 लाख गरीब किसानों से जमा किया है। 15 साल बाद राज्य सरकार ने एक–दो आदमियों को गिरफ्तार करना शुरू किया है। इससे दस साल केस चलेगा लेकिन जिसका रुपया वहां जमा है वह रुपया उसको नहीं मिलता है। अगर कोई भी पब्लिक मनी के साथ चीटिंग करे तो उस आदमी को सरकार ब्लैक लिस्ट करे और आर.बी.आई. को इंस्ट्रक्शन दे कि जल्दी से जल्दी इनवेंस्टिगेट करे कि हर स्टेट में कितने ऐसे चिट फंड हैं और उनमें से कितनों ने चीट किया है और आप उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं और पब्लिक को पैसा वापस दिलाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कुछ हल निकालिए नहीं तो हालत बिगड़ती जाएगी।

खेती पर जो सब्सिडी सरकार दे रही है यह किसान के लिए आवश्यक है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमें कर्जा लेना पड़ेगा लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कितने कर्ज हम चुका सकते हैं और कितना हमारे देश के लिए जरूरी है जो इल्लिट्रेसी प्रोग्राम, ऐनवॉयरमेंट प्रोटेक्शन आदि के लिए हमें खर्च करना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकार को भी खर्च करना पड़ता है। अभी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत सा पैसा कर्मचारियों को तनख्वाह देने में ही खत्म हो जाता है।

जैसे कि मुझे अपने स्टेट के बारे में मालूम है। यदि पीयरलैस कम्पनी रुपया न दे तो स्टेट गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रौविडेंट फण्ड के मामले में डिफाल्टर है और लगभग 192 करोड़ रुपए वह डिफाल्ट में है जिसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट खुद और कुछ सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स शामिल हैं, जो प्रौविडेंट फण्ड के डिफाल्टर हैं। मैं समझती हूं कि यदि पहले से सरकार का ध्यान इस ओर होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। यदि किसी को कैंसर या दूसरी भयानक बीमारी लग जाये और वह शुरू से ही उसका सही इलाज करना शुरू कर दे तो बीमारी की रोकथाम की जा सकती है, भले ही वह बीमारी कितनी ही खतरनाक क्यों न हो। यदि समय रहते उसका ठीक से इलाज नहीं किया गया तो मर्ज बढ़ जाने पर कोई दवाई काम नहीं करती। यदि सरकार का ध्यान पहले से इस समस्या की ओर होता, उसने पहले से कोई पौलिसी बनाई होती तो आज जैसी स्थिति न होती। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं।

हमें राजनीति से ऊपर उठकर देश की प्रौब्लम्स को देखना चाहिए और उनका मिलकर कोई कंस्ट्रक्टिव हल खोजना चाहिये। जार्ज फर्नान्डीज साहब ने सदन में यह विधेयक लाकर हमारी अवेयरनैस बढ़ायी है, जिसे हम एप्रीशियेट करते हैं। उसके साथ साथ मैं चाहती हूं कि सरकार कोई रास्ता जरूर निकाले। लेकिन आज सरकार की पौलिसी के मुताबिक विभिन्न परियोजनाओं पर जिस गति से काम हो रहा है, हमारे डैवलपमेंटल प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं यदि इस विधेयक के अनुसार सरकार कुछ पग उठाये तो वे डैवलपमेंट के काम ठप्प हो सकते हैं और हमारे पास फिर कोई आल्टरनेटिव नहीं रहेगा। अभी हमारी सरकार ने नई इकॉनौमिक पौलिसी शुरू की है। डंकेल प्रस्तावों के बाद हमारे एक्सपोर्ट फौरेन मार्केट में बढ़ने की पूरी संभावना है। हमारी जो नई जैनरेशन आयेगी, उसके लिये हम एक मुक्त बाजार, खुला बाजार उपलब्ध कराना चाहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये, मैं चाहती हूं कि जार्ज साहब अपने विधेयक पर फिर से विचार करें। मैं आपके विधेयक की भावना से सहमत हूं कि हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए, कर्ज भी ज्यादा नहीं लेना चाहिये। लेकिन इसके साथ–साथ देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को भी हमें नहीं भुलाना चाहिये। हम देश को बचा सकते हैं लेकिन देश का सोना बाहर गिरवी रखकर यदि हमें कर्ज लेना पड़े, देश को बेच देना पड़े तो उसे कोई सहन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिये। वह हमारे देश के लिये, हमारी आर्थिक परिस्थितियों के लिये, आर्थिक नीति के लिये खराब हो सकता है। इन शब्दों के साथ, सभापति जी, मैं आपको बधाई देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

5.08 बजे म.प.

(श्री पी.सी. चाक्को पीठासीन हुए)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : सभापति जी, माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज सदन में जो उधार सीमा नियतन विधेयक लाये हैं मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि इस विधेयक के द्वारा भारत सरकार को उधार लेने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा रहा है परन्तु ऐसा विधेयक में कुछ नहीं हैं संभवतः ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है परन्तु जार्ज फर्नान्डीज साहब ने बहुत ही क्रियात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक तरीके से उधार की सीमा बांधने की बात कही है। वह सीमा यह है कि वर्षानुवर्ष अवधारित 15 प्रतिशत से अधिक सकल घरेलू उत्पाद नहीं होना चाहिए, जिसे हम जी डी पी कहते हैं। यही इसमें सीमा है, मर्यादा है या लक्ष्मण रेखा है और इस लक्ष्मण रेखा से आगे, असंतुलित तरीके से हम अपने देश पर कर्ज लादने का काम न करें। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पूरे सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर देना चाहिये।

श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस समय जो स्थिति है हमारे वर्तमान वित्त मंत्री जी की, वह ठीक उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जैसा कि मुझे याद है, मैं जब विद्यार्थी था, तो मैंने एक नावल पढ़ा था, चार्ल्स डिकान्स ने उसको लिखा था। उसका नाम था डेविड कापर फील्ड। उसमें एक पात्र था जिसका नाम था मायकवार। उसका काम यह था कि वह बहुत कर्जा लेता था और कर्जा लेकर खूब शराब पीता था तथा फिजूलखर्ची करता था। जब वह कर्जा नहीं चुका पाया, तो कर्जा देने वालों ने उसके ऊपर मुकदमा किया और उसको कोर्ट ने सजा दे दी। जब सजा भोगने

जेल में गया, तो जेलर और अन्य कैदियों के सामने हाथ फैलाता और उनसे कहता कि मेरी तो जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे कर्जा दो। इस पर जेलर ने पूछा कि तुम कर्ज पटा नहीं सके इसलिए तो तम्हें सजा हुई है और अब तुम यहां भी कर्ज ले रहे हो, तो पटाओगे कैसे? मायकवार ने कहा

[अनुवाद]

कुछ परिवर्तन होगा।

[हिन्दी]

कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे मैं कर्ज दे दूंगा। हमारे वित्त मंत्री जी भी मायकवार की तरह हैं। कर्जे पर कर्जा लेते जा रहे हैं और इतना कर्ज कि उसका ब्याज भी देना मुश्किल हो रहा है।

सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री बिलकुल उसी प्रकार कार्य कर रहे हैं, जैसे चारवाक किया करता था–कर्जा लो और घी पिओ। दूध नहीं पीना, पानी नहीं पीना क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं हैं कर्ज लेकर घी पीने का काम चारवाक करता था। कर्जा लेते जाओ और घी पीते जाओ। इसी प्रकार से हमारे अंग्रेजी के लिट्रेचर में एक फिलौस्फर थे श्री कोरियन। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर बंधन लगाने के लिए, सीमा लगाने के लिए जार्ज साहब ने यह जो विधेयक रखा है, यह कर्ज लेने से रोकने के लिए नहीं रखा है। उन्होंने बहुत से आंकड़े दिए हैं, लेकिन मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, परन्तु मैं बताना चाहूंगा कि आज की स्थिति क्या है। हमारे राष्ट्र पर अभी कितना कर्जा है।

उपाध्यक्ष महोदय, 49 टन सोना कर्ज लेकर दे दिया और उन्होंने कहा कि हम 40-45 साल तक राज करते रहे थे, हमने ही कर्ज नहीं लिया, दूसरों ने भी लिया और कर्ज लेने की स्थिति यहां तक आ गई कि अब बिना कर्ज के काम नहीं चलेगा। कुछ समय के लिए बीच में चन्द्र शेखर जी की भी सरकार आ गई थी। उनकी सरकार ने भी कर्ज लिया, लेकिन मैं उनको इसके लिए दोषी नहीं मानता हूं। यह कर्ज कोई थोड़े समय का नहीं है। यह कर्ज तो 30-35 साल की फिजूलखर्ची का परिणाम है। उस समय के राज्य करने वाले मंत्रिमंडल के द्वारा इस देश की गलत आर्थिक नीतियों का बनाना था। यह उसका विस्फोट था। Last straw on the Camel's back, चन्द्र शेखर जी को वह कर्जा लेना पड़ा। इसलिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन मौलिक तरीके से फंडामेंटल तरीके से हम यदि इस पर चिन्तन करें, तो हमें यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हमने अपने देश के अंदर जितना कर्ज लिया है, यदि इस वर्ष की बात कर ली जाए, तो सभापति महोदय, अभी बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें यह बताया गया है कि अगले वर्ष के अंदर, हमारे ऊपर जितना कर्ज है उस कर्जे का ब्याज देने के लिए हमें 46 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और हम कितना कर्जा लेंगे, वह है 48;950 करोड़ रुपए। तो श्रीमन् हमें 3 हजार करोड़ ही कर्ज के रूप में मिलेंगें। बाकी 46 हजार करोड़ रुपए हमें कर्ज का ब्याज देना पड़ेगा। तो इस देश की प्रगति, इस देश के प्रोडक्शन, इस देश की इंडस्ट्री में किस प्रकार से इसका उपयोग होगा, इस पर सोचना आवश्यक है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से 3 वर्ष पहले जब डा. मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय का

भार संभाला था, तो उस समय कर्जा 3 लाख 30 हजार करोड़ रुपए था और आज 3 साल बाद उन्होंने उस कर्जे को बढ़ा कर 6 लाख 62 हजार करोड़ रुपए के ऊपर ले आए हैं। हर वर्ष 70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने का प्रावधान रखा जाता है और उसका रिलज्ट यह है कि हम ब्याज में 50 हजार करोड़ रुपए हर वर्ष दे देते हैं।

आज के भारत में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही हमारे फाईनैंस मिनिस्टर कर्जे का एक तोहफा उसके यहां भेज देते हैं और वह कर्जे का तोहफा 6,620 करोड़ रुपये होता है। फाईनैंस मिनिस्टर कर्जे का एक प्रोनोट लिखते हैं कि आपको यह कर्जा देना पड़ेगा। हर वर्ष वह कर्जा बढ़ता जाता है। हमें इस पर विचार करना चाहिए।

संविधान की धारा 292 इसलिए बनाई गई थी कि संविधान को बनाने वाले भारत के महान मुनीश्री, जिन्होंने त्याग करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई, जानते थे कि कभी इस देश में ऐसा भी हो सकता है जब कर्जा लेकर देश को बेचा जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रावधान रखा कि संसद ऐसा कानून बना सकती है और कानून बनाकर वित्त मंत्री पर, सरकार पर लिमिटेशन डाल सकती है। इसलिए यह लिमिटेशन डाली जा रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां किस प्रकार की स्थिति चल रही है। 1980-81 में केवल 23.50 मिलियन डालर कर्जा था, 1992-93 में 85.40 मिलियन डालर हो गया। इस तरह वह लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें इस बारे में चिन्ता करनी चाहिए। सरकार की लायबिलिटी जो भारत के बाहर के कर्जे की है, वह 1990-91 में 61,495 करोड़ रुपये थी जो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरह भारत सरकार पर जो आन्तरिक कर्जा है, वह 1990-91 में 2,82,791 करोड़ रुपये था, 1991-92 में 3,17,414 करोड़ रुपये और 1992-93 में 3,54,964 करोड़ रुपए हो गया। इसका विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर इतना कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है।

अभी श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इसका एक कारण फिजूलखर्ची बताया। मैं दूसरा कारण बताना चाहता हूं। जितनी रकम होती है उसका हम एकदम उपयोग नहीं कर पाते। इस कारण भी कर्जा बढ़ता जा रहा है। साथ ही हमारे देश की जो आमदनी है, वह हम नहीं करते।

आज प्रातः मैंने वित्त मंत्री जी से प्रश्न पूछना था कि आप स्वयं बता रहे हैं कि फाईनैंशल इंस्टीट्यूशन्स और बैंक के 54 प्रतिशत बैड डैटस हो गए। हमने पूछा कि आप पहले पांच ऐसे उद्योगपतियों के नाम बताइये जिन्होंने 8 हजार करोड़ रुपये लेकर भारत के गरीब किसानों पर इतना बड़ा कर्जा डाल दिया। आज उस कर्जे से वे प्राईवेट बैंक खोलना चाहते हैं और उनको इजाजत दी जा रही है। उस पर चिन्तन करना पड़ेगा।

दूसरा कारण यह है कि हमारे यहां पर टैक्स रियलाईजेशन नहीं हो सकता। जो फिगर्स पार्लियामैंट में दी गई, वह मैं देना चाहूंगा। 1989-90 में टैक्स के 4,356 करोड़ रुपये बकाया है जिसे वित्त मंत्री और उनका मंत्रालय वसूल करने में असमर्थ रहा है। 1990-91 में 3,936.42 करोड़ रुपये टैक्स के बकाया रह गए, 1991-92 में 4,219 करोड़ रुपये बकाया रह गए, 1992-93 में 5,149 करोड़ रुपये टैक्स के बकाया रह गए जिसे वसूल करने में आप असमर्थ हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक ओर टैक्स की वसूली नहीं की जा रही है और सरकार की

आमदनी के जितने भी साधन हैं, उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है और दूसरी ओर हम एक्सटर्नल डैटस को बढ़ाते जा रहे हैं।

हमारा केवल कर्जा चुकाने में ही सारी आमदनी लग जायेगी। इसलिये इस पर चिन्ता करनी चाहिए। इस चिंतन में प्रथम विशेष मौलिक बिन्दु यह है कि हम कितना कर्ज ले सकते हैं? हम देश की प्रगति के लिये कर्जा आवश्य लें। कृषि और उद्योगों के विकास के लिये कर्जा अवश्य लें। उसमें कोई कर्जा अवश्य लें। उसके कोई रूकावट नहीं है लेकिन फिजूलखर्ची के लिये कर्जा नहीं लेना चाहिये। आप बैड डैट के लिये बड़े–बड़े धन्ना सेठों, पूंजीपतियों को कर्जा देते हैं और उन्हें वसूल नहीं करते हैं। उसे इररिकवर डैट बना कर रख देंगे तो वह देश के साथ खिलवाड़ होगा।

देश के अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनको दो जून की रोटी भी नहीं मिलती है। यह उनके साथ खिलवाड़ है। आपने एक मजदूर की मीनिमम वेज 8 और 12 रुपये तय की है। इनसे वह अपने परिवार का पालन–पोषण नहीं कर पाता है। आपका ब्याज में अरबों–खरबों रुपया चला जाता है। यह अति चिन्ता का विषय है। इस साल 30.3 परसैंट राशि इंटरस्ट में देनी पड़ी।

[अनुवाद]

"हाल ही के वर्षों में यह अनुपात बहुत धीमी गति से ऊपर जा रहा है जैसा कि वर्ष 1985-86 के 14.26 प्रतिशत से वर्ष 1988-89 में 18.05 प्रतिशत, वर्ष 1990-91 में 20.42 प्रतिशत से वर्ष 1991-92 में 23.87 प्रतिशत, वर्ष 1992-93 में 25.31 प्रतिशत और अन्त में वर्ष 1993-94 में 26.06 प्रतिशत और वर्ष 1994-95 में 30.32 प्रतिशत।

साधारण अनुमान यह दर्शाते हैं कि यद्यपि ब्याज आदयगियां और सम्पूर्ण व्यय इसी तरह से बढ़ते रहे जैसा कि 1985-86 में और 1994-95 में 20.1 प्रतिशत और 11.7 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक दरों पर, तो ब्याज अदायगी का अंश 1999-2000 तक 46.1 प्रतिशत तक पंहुच जाएगा। दूसरे शब्दों में, इस शताब्दी के अन्त तक केन्द्र द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर पिछले ऋणों के ऊपर ब्याज के भुगतान के रूप में 46 पैसे लगाए जायेंगे। सही शब्दों में इसका अर्थ है 1994-95 के 46,000 करोड़ रु. के ब्याज की धनराशि बढ़कर 1999-2000 में 1,25,887 करोड़ रु. हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्रीमन् यह ह्दय विदारक स्थिति है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। यदि आपने इस पर विचार नहीं किया और कर्जा लेकर कर्जा बढ़ाते रहे तो देश का दिवाला निकल जायेगा। भारत के नागरिक इस संसद की ओर देखते हैं। संसद अपने अधिकारों की रक्षा करें। इसलिये हमारा दायित्व है कि हम इस ओर ध्यान दें।

जार्ज साहब ने संविधान की कई धाराओं का उल्लेख किया। गृह मंत्री ओर मुख्यमंत्री आदि के लिये सुरक्षा का इंतजाम होना ही चाहिये। प्रधानमंत्री के लिये सिक्योरिटी का इंतजाम हो, कोई चिंता की बात नहीं है, वह होना चाहिये। जब वर्मा कमीशन की रिपोर्ट आई तो मैंने सदन में उसका उल्लेख किया था। सिक्योरिटी अरेंजमैंट की कमी के कारण श्री राजीव गांधी की हत्या हुई। यह बहुत

दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्मा कमीशन की रिपोर्ट में यह लिखा था कि राज्य के नेता यह चाहते थे कि राजीव गांधी जी की सभा में अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हो, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने यह कहा था कि इससे उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है, अधिक भीड़ इकट्ठी नहीं की जाये, लेकिन वहां के राज्य नेताओं ने उनकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और भीड़ इकट्ठी कर दी जिस के कारण श्री राजीव गांधी को खोना पड़ां इस प्रसंग में मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सासंदों और भारत के हर नागरिक की सुरक्षा होनी चाहिये। सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिये।

सिक इंडस्ट्रीज के नाम पर आप उद्योगों को बंद करते जा रहे हैं। जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में यह बात याद रखना चाहिये कि देश में बेरोजगारों की फौज इतनी जबर्दस्त हो जायेगी,

राष्ट्र के लिए ऐसा हो जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी और कहेगी कि हमारे पुरखे इतने बुद्धिहीन थे कि वे कर्जा लेते गए और कर्जा ले–ले कर देश को दिवालिया बना दिया। मैं निवदेन करना चाहता हूं कि इस पर चिन्तन होना चाहिए और जितने भी साधन हमारे पास हैं, हमें उनको जुटाना चाहिए। हम देश के अन्दर प्रोडक्शन जुटायें, उद्योगों को जुटायें, कृषि को जुटायें। हम कृषि को नहीं जुटाते हैं और हम एक सौ करोड़ टन गोबर को इम्पोर्ट करना चाहते हैं। देश के अन्दर जिन पशुओं से गोबर होता है, जिस गोबर के कारण यहां पर फर्टिलाइजर मिल सकता है, लेकिन उनका यहां पर कत्ल किया जाता है। एक हैदराबाद में ही नहीं, ऐसे यान्त्रिक कत्ल–खाने, मीट प्रोसैसिंग के नाम पर खोलने के लिए हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पचासियों को इजाजत दे रहा है। इस कारण मीट का एक्सपोर्ट होगा और हमारे गौ–धन का ह्रास होगा और इसके बाद फिर हम 100 करोड़ टन हॉलैन्ड से इम्पोर्ट करेंगे गाय का गोबर। उस गोबर को इम्पोर्ट करके यहां पर योजना बनी है, पहले उसको सुखाया जाएगा **(व्यवधान)** और भी कई इम्पोर्ट करने वालों से जानना चाहता हूं, क्या हमारा मस्तिष्क गोबर–सा हो गया है, हम इतना भी विचार नहीं कर सकते है ....

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उस उद्देश्य के लिए उसका आयात किया जा रहा है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : हमारे दिमागों को विचारार्थ मुद्दा प्रदान करने के लिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की नीति के बारे में चिन्ता करें। मैं समझता हूं कि यह बिल बिल्कुल नॉन–कन्ट्रोवर्शियल बिल है। इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका विरोध किया जाए। विरोध करने के लिए विरोध करें, हमारे सामने वाले ट्रैजरी बैंचेज के लोग, लेकिन वे तो आप को बचा रहे हैं। आगे आने वाली कोई भी सरकार होगी, उस सरकार के लिए यह अंसगत होगा, संविधान की पालना कर रहे हैं, संविधान की वह धारा जो अब तक मृत थी, उसको जीवित कर रहे हैं। डा. अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की वह धारा 356 मृत रहेगी, लेकिन उसको सौ बार आपने जीवत कर दिया। केरल की सरकार को आपने गिराने का काम किया और आजै जैसा बता रहे हैं, सिक्किम के लिए षडयन्त्र चल रहा है। आज सुबह ही जसवन्त सिंह जी और जार्ज फर्नान्डीस जी बता रहे थे। यह मृत–धारा उपयोगी है, राष्ट्र के लिए जीवनधारा है और यह राष्ट्र के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, लाभकारी है। इन हालात में यह जो बिल आया है, मैं समझता

हूं कि राष्ट्र के जीवन में कभी ऐसे समय भी आते हैं, जब ट्रैजरी बेंचेज को खड़े होकर कहना चाहिए कि यह देश को दिवालिएपन से बचाने का कानून है। यह कानून राष्ट्र के लिए, भविष्य के लिए, राष्ट्र की उपयोगिता के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए है। मेरा दुर्भाग्य यह है, जैसा मैंने कल भी कहा था, अभी वित्त मंत्री जी सदन में नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब हम प्रगति की बात करते हैं, तो उनको दुर्गति लगती है; जब हम देश के लिए रकम जमा करने की बात करते हैं, तो उनको उधार लगता है और जब हम उधार को रोकने की बात कहते हैं, तो वे समझते हैं कि हम प्रगति को रोकने की बात कह रहे हैं। इसलिए मैंने उनको कहा था,

[हिन्दी]

उनको दृष्टिभ्रम हो गया है। उनको दृष्टि–दोष हो गया है। इस बारे में जो शायर ने कहा था, मैं उसको कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। शायर ने कहा है –

हसरत में हर चीज उल्टी नजर आती है,

लैला नजर आता है, मंजनूं नजर आती है।

इसलिए मैं मनमोहन सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी समय है, राष्ट्र को बचाने के लिए आप अन्धाधुन्ध, अन्धविश्वास लिब्रलाइजेशन के नाम पर देश को बचाने का काम करें। गैट के द्वारा इस देश को बेचने का काम मत कीजिए। उधार से बचिए, माइकाबार मत बनिए। उधार को रोककर देश की प्रगति के अन्दर हम सब मिलकर आगे बढ़ें और इसके लिए आवश्यकता है कि हम जार्ज साहब के बिल को पारित करें। धन्यवाद,

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, इस बिल का समय दो घन्टे और बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसका समय 5.43 म.प. तक है। उसके पश्चात् हम इसे बढ़ायेंगे।

5.30 बजे म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार, 28 अप्रैल, 1994 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति के 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए उक्त समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट

करने को लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से सात सदस्य इस प्रकार से चुने, जिस प्रकार सभापति निर्देश दें"

(दो) मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार, उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिनुसार निर्वाचित किये गये हैं –

1. श्री एस.एस. अहलूवालिया
2. श्री सोमप्पा आर. बोम्मई
3. श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी
4. कुमारी सरोज खापर्डे
5. श्री मुरासोली मारन
6. श्रीमती जयन्ती नटराजन
7. श्री जी.जी. स्वैल

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार, 28 अप्रैल, 1994 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उद्यमों सम्बन्धी समिति में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा लोक सभा की सरकारी उद्यमों संबंधी समिति के 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए उक्त समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हैं और उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से सात सदस्य इस प्रकार से चुने जिस प्रकार सभापति निदेश दें।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार, उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सात सदस्य विधिनुसार निर्वाचित किय गये हैं :

1. श्री जगेश देसाई
2. श्री आर.के. धवन
3. डा. मुरली मनोहर जोशी
4. श्री दीपांकर मुखर्जी
5. श्री सुरेश पचौरी
6. श्री प्रभात कुमार सामन्तराय
7. श्री जी. स्वामीनाथन

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार, 28 अप्रैल, 1994 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण

सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए समिति में सम्मिलित होती है तथा उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से दस सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने।"

2. मैं लोक सभा को यह भी सूचित करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार, उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिनुसार निर्वाचित किये गये हैं :

1. श्री राज बब्बर
2. श्री राम देव भंडारी
3. श्री गया सिंह
4. श्री हिफेई
5. श्री सत्य प्रकाश मालवीय
6. कुमारी मायावती
7. श्री वी. नारायण स्वामी
8. श्री कामेश्वर पासवान
9. श्री राम रतनराम
10. श्री एस.एस. सुरजेवाला

5.32 बजे म.प

उधार सीमा नियतन विधेयक-जारी

श्री के.टी. वान्डायार (थंजावूर) : सभापति महोदय, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा पेश किए गए उधार सीमा नियतन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का सम्बन्ध उन बाह्य केन्द्रीय सरकार धन देने वाली विदेशी एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक इत्यादि से बाह्य ऋण तथा आंतरिक ऋण, जिसे प्राप्त करने के लिए सरकार ऋण–पत्र, सरकारी प्राप्तियां इत्यादि जारी करने का सहारा लेती है, से हैं।

महोदय, मैं विधेयक की भावना से सहमत हूं कि ऋण सीमा के भीतर लिये जाने चाहिये। लेकिन सरकार पर किसी कानून द्वारा यह प्रतिबंध लगाना कि वह एक विशेष सीमा से अधिक ऋण नहीं ले सकती मुश्किल होगा। अतः यह बात कार्यकारिणी पर छोड़ देनी चाहिये क्योंकि राज्यों के कार्यों का प्रबंध करने तथा विवेकपूर्ण ढ़ंग से वित्त की व्यवस्था करना यह देखना सरकार की जिम्मेदारी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और विकसित हों।

देश में श्री नरसिंह राव जी द्वारा सत्ता संभालने से तीन–चार वर्ष पहले बैंकिग क्षेत्र में एक समस्या थी और ऋण की वापसी नहीं हो रही थी। यह धारणा भी थी कि चूंकि ऋणों को माफ कर दिया जायेगा अथवा बट्टे खाते डाल दिया जाएगा अतः उनका पुनर्भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि बैंक विभिन्न क्षेत्रों से उधार दी गई धनराशि को भली प्रकार वसूली नहीं कर पा रहे थे। स्थिति तब और भी बिगड़ गई जब जनता दल की सरकार ने जनता द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों को माफ करने की घोषण की जिसके परिणामस्वरूप बैंक उद्योग तंत्र को धक्का लगा। इससे गलत परम्परा बन गई है। लेकिन हमारी सरकार के सत्ता में आने के पश्चात. वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने बैंक उद्योग में एक नये आत्मविश्वास का संचार किया और आज हमारे बैंक बहुत सा अच्छा काम कर रहे हैं तथा अधिक परेशानी उठाये बगैर कर्ज की धनराशि वापस प्राप्त करने में समर्थ हैं क्योंकि सभी लोगों को यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि एक बार ब्याज पर ऋण लेने पर इसे वापिस करना ही पड़ेगा और चूककर्ताओं को कोई अधिमूल्य नहीं दिया जायेगा। आखिरकार बैंकों के पास धनराशि कहां से आती है। यह धन ऋणों, जमाराशि तथा पूंजीगत धनराशि से ही आता है। इस धनराशि को ही परिक्रमित–अथवा परिचालित किया जाता है। जब ऋण स्वीकृत किया जाता है तो वह स्वाभाविक ही है कि उधार दी गई धनराशि का निश्चित अवधि में पुर्नभुगतान प्राप्त हो जाना चाहिये। केवल तभी परिचालन जारी रहेगा। अगर कहीं कोई रूकावट आती है तो सारा तंत्र बेकार हो जायेगा। अतः बैंकों द्वारा कर्जदारों से पूरी राशि बसूल न कर पाने का एक कारण यह भी था। एक बार पैसा फंस जाने पर सरकार के लिए विभिन्न क्षेत्रों को आगे अग्रिम धन देने अथवा स्वीकृत करने में कठिनाई होती है। एक बार यह प्रणाली सरल हो जाये तो कुछ हद तक आंतरिक ऋणों पर भार कम हो जायेगा।

श्री जार्ज फर्नानडीज द्वारा पुरःस्थापित विधेयक में केन्द्र द्वारा ऋण लिये जाने पर 15 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की सीमा लगाने का प्रस्ताव है। वह भली प्रकार जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने निर्धारित तिथि से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया ऋण का कुछ भाग अदा कर दिया है। हमारी सरकार ऋण–इक्विटी अनुपात को भली–प्रकार बनाये हुए हैं। ऋण–वृद्धि की दर में वर्ष 1993-94 में काफी कमी आई है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और भी कम होने का अनुमान है। जैसा कि उन्होंने वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान उत्तर में बताया है जबकि वर्ष 1991-92 तथा 1992. 93 में बाह्य ऋण में लगभग तीन बिलियन डालर की दर से वृद्धि हुई थी, 1993-94 में यह एक बिलियन डालर से भी कम है। हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार पहले से ही एक बिलियन डालर से बढ़कर पंद्रह मिलियन डालर हो चुका है। अतः इसका श्रेय वित्त मंत्री जी को जाता है, जिन्होंने विवेकपूर्ण ढ़ंग से सारी व्यवस्था की।

अब अंतराष्ट्रीय बैंकिग प्रणाली में हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक बिना किसी परेशानी के हमें ऋण देने के लिए तैयार हैं इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमारी सरकार बिना सोचे समझे ऋण लेकर उसे व्यर्थ के कार्यों में लगायेगी। हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार है। हमने पिछले तीन वर्षों की संपूर्ण प्राप्तियों को समेकित किया है। हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार काफी अच्छी स्थिति में है। निर्यात बढ़ रहे हैं। हमारे देश में और अधिक विदेशी निवेश किया जा रहा है। एक अदने से दुकानदार से लेकर बड़े–बड़े व्यापारियों को ऋण लेने की जरूरत पड़ती है। सरकार को भी ऋण की आवश्यकता है और वह ऋण लेने के लिए मजबूर है। सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिये कि अगर हम विवेकपूर्ण ढ़ंग से काम लें तो ऋण लेने से हमारा दिवाला नहीं

निकल जायेगा।

अतः श्री जार्ज फर्नान्डीज की यह शंका कि हमारा दिवाला निकल जायेगा, हमारी स्थिति बहुत खराब हो जायेगी तथा हम ऋण वापिस कर सकने की स्थिति में नहीं रहेंगे निर्मूल है। अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को वापिस किया जाय निःसंदेह इस विधेयक के पीछे जो भावना है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बता पर विचार करना होगा कि ऋण लेने से हम कंगाल न हो जाय।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए जो समय दिया गया था वह पूरा हो गया है।

मैं सभा की इच्छा जानना चाहता हूं छह अन्य वक्ता इस पर बोलना चाहते है। अगर सभा सहमत हो तो हम इसका समय एक घण्टा और बढ़ा देंगे।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, ठीक है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा हमारे सम्मुख पेश किया गया विधेयक उन नगण्य विधेयकों में से एक है, जिन पर राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए क्योंकि वह हमें संविधान के तहत अपने उन दायित्वों के प्रति जागरूक बना रहे हैं, जो पिछले पैंतालीस वर्षों से पूरे नहीं हुए हैं।

महादेय, उत्तरवर्ती सरकारों के विरूद्ध आरोप की मुख्य बात यह है, कि हम अंधाधुंध उधार ले रहे हैं और उसे–कम से कम एक भाग–कपटपूर्ण परियोजनाओं तथा व्यर्थ की मदों पर खर्च कर रहे हैं। मैं नहीं सोचता कि कोई भी यह कहेगा कि इस पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए; कि वर्तमान सरकार को असीमित ऋण लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

मेरे विचार में, हम में से हर एक सदस्य को, जिसे इतिहास की समझ है यह मालूम है कि उपनिवेशावाद के दिन लद चुके हैं लेकिन वे वापिस भी आ सकते हैं। हमें मिस्र की दुर्दशा याद होनी चाहिये जब ब्रिटेन ने मिस्र पर उसके द्वारा लिये गये ऋण के कारण आधिपत्य कर लिया था। हमें अपनी इतिहास भी याद करना चाहिये जब थोड़ा–थोड़ा करके ऋण की वसूली के बहाने, हमारी धरती पर चल रही एक विदेशी कंपनी की सेना ने, ब्रिटेन द्वारा हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।

अब हमने आपसी व्यापार के अपने सभी पांरपरिक उपायों के साथ गैट 1994 के रथ रूपी पहियों के साथ अपने हाथ, शरीर और आत्मा को बांध लिया है और इससे भी अधिक यह कि मैं देख सकता हूं कि देश की दुर्दशा होने जा रही है। हमारा देश ही नहीं बल्कि तीसरी दुनियां का कोई भी देश ऋण के चंगुल में एक बार फंस गया तो उस देश के लिए आसानी से उस चंगुल से बाहर आना असंभव हो जायेगा। इसकी सारी अर्थव्यवस्था गिरवी रख दी जायेगी। इसकी संपूर्ण संप्रभुता के साथ समझौता किया जायेगा। एक बार यह उधार की उस सीमा को पार कर जाये जिसे वापिस करना इसके लिए संभव नहीं है, इसका संपूर्ण भविष्य दांव पर लग लायेगा।

हमारी स्थिति आज क्या है? जहां तक मुझे जानकारी है, यहां मौजूद माननीय वित्त राज्य मंत्री

उसमें संशोधन कर सकते हैं, आज हमारे देश पर कुल ऋण का बोझ हमारे सकल घरेलू उत्पाद के लगभग बराबर ही है। इस वर्ष हमारा सकल घरेलू उत्पादन का स्तर 700,000 करोड़ रुपये से 8,000,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है और हमारी कुल ऋण 5,000,000 करोड़ रुपये के लगभग है। यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यह वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो–तिहाई है। यह बहुत भंयकर स्थिति है। कई वर्षों पहले हम सेवा–प्रभार की सुरक्षित सीमाओं को पार कर गये थे। मुझे वह समय की याद है जब मैं विदेश सेवा में था जब हम यह कह रहे थे कि हमारा कुल निर्यात अर्जन अभी भी 20 प्रतिशत से नीचे है। मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसे विश्व व्यापी स्तर पर और यहां तक कि विश्व बैंक द्वारा भी बाह्य ऋण के लिए एक सुरक्षित मानदंड माना जाता है। और इस समय हमारे यहां की स्थिति 35 प्रतिशत से लेकर 38 प्रतिशत तक पहुंच गयी है।

अतः, मेरे विचार से अब समय आ गया है जब देश को समवेत रूप से सोचना चाहिये। हमें यह भूल जाना चाहिये कि सत्ता में कौन है और कौन नहीं है तथा किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया बल्कि मिलकर देश को इस स्थिति से बचाना चाहिये। आज हमें अवश्य ही मिल कर देश को इस स्थिति से बचाने और आने वाली पीढ़ियों को उस स्थिति से बचाने का मिलकर प्रयास करना चाहिये जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है।

अतः मैं समझता हूं कि यह विधेयक उन नगण्य विधेयकों में से एक है जिस पर सैद्धान्तिक रूप से कोई मत विभाजन नहीं होना चाहिये और हम सभी को इस बात से सहमत होना चाहिये कि अब समय आ गया है कि जब संवैधानिक जनादेश को पूरा किया जाये और ऋण की सीमा निध ारित की जाये।

एक बात है, जहां मैं कुछ अलग कहना चाहता हूं। एक आंतरिक ऋण होता है और एक बाह्य ऋण । मेरी अपनी राय है कि इस बारे में दो अलग सीमायें होनी चाहिये। आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप रखा जा सकता है। यह आंतरिक स्थिति है। राष्ट्रीय कर्जा अथवा राष्ट्रीय ऋण के लिए सीमा सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत तक हो सकती है लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण बात विदेशी ऋण पर लगाई जाने वाली सीमा है जहां हमें पुराने चिरसामन्त मानदंड को अपनाना चाहिये और विदेशी ऋण के बारे में यह सीमा होनी चाहिये कि कुल विदेशी ऋण पर देय ब्याज वर्तमान निर्यात अर्जन के 20 प्रतिशत से ज्यादा न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ऋण दो वर्ष के निर्यात–अर्जन, जो लगभग इतना ही बैठेगा, से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह एक लगभग सुरक्षात्मक अन्तर है जिस पर हम विचार कर सकते हैं। जब मैं अर्जन के बारे में बात करता हूं तो इससे मेरा तात्पर्य केवल वस्तुओं के निर्यात से ही नहीं बल्कि सेवाओं के निर्यात से होने वाली अदृश्य आय से भी है। हमारे विदेशी ऋणों के लिए सीमा वस्तुओं और सेवाओं के दो वर्षों के निर्यात के कुल मूल्य जितनी होनी चाहिये। और जब हम सेवा प्रभारों की बात करते हैं, तो हम मूल, जिसका भुगतान देय है, तथा ब्याज, जो हमें उस शेष ऋण पर देना है, जो हमने लिया है, दोनों की बात करते हैं, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इस स्थिति को थोड़े अच्छे रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है।

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि इस विधेयक में यह प्रावधान भी अनिवार्य होना चाहिये कि सरकार कम से कम एक वर्ष में इस सभा को विश्वास में अवश्य ले और वर्ष के अन्त में एक वर्ष के दौरान लिये गये कर्ज का केवल एक विवरण ही हमारे सामने प्रस्तुत न करे बल्कि उस वर्ष के

दौरान कोई विशेष ऋण लेना क्यों आवश्यक हो गया था, इसका औचित्य भी स्पष्ट करे। वर्ष के दौरान लिये गये प्रत्येक नये ऋण लेने के कारण स्पष्ट करने वाला एक संक्षिप्त विवरण भी सभा को पेश किया जाना चाहिये। उसे इस विधेयक का एक भाग होना चाहिये। मेरा प्रस्ताव है कि माननीय प्रस्तावक इसे विधेयक में शामिल करे क्योंकि यही हमें संसद के रूप में, राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने वाले एक संप्रभु निकाय के रूप में, हमारे ऋणों के विकास की समीक्षा करने की पारिस्थितिक संभाव्यता प्रदान करेगा और इसे सत्तारूढ़ सरकार की मनमर्जी पर ही नहीं छोड़ा जायेगा।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि बहुत से ऋण कुछ विशेष राज्यों के लिए लिए जा रहे हैं। यह ऋण यदि स्वयं केन्द्र सरकार द्वारा नहीं तो केन्द्र सरकार की गारंटियों पर लिये जाते हैं और फिर भी उन्हें विशेष रूप से वे ऋण जो हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लेते हैं – देश के किसी भाग में किसी विशेष परियोजना के लिए निर्धारित कर दिया जाता है इससे कटुता की भावना उत्पन्न हो रही है; इसी कारण हमारे देश के विभिन्न राज्यों में एक समान विकास नहीं हो र⁻⁻ है। अतः मेरा विचार है कि वास्तव में चाहे यह शिक्षा के क्षेत्र के लिए हो, सड़कों के लिए हो, पर्यावरण, आधारभूत संरचना के लिए हो, परिवहन के आधुनिकीकरण के लिए हो, या चाहे किसी और क्षेत्र के लिए हो, जो कुछ हम बचा सकते हैं, उसके अलावा हमें बाहर से जो कुछ मिलता है वह एक सामान्य पुल में जाना चाहिये और किसी एक एक समान आधार पर सारे देश के लिए उपलब्ध होना चाहिए। यह इस प्रकार से नहीं होना चाहिऐ कि हमारे देश के सीमान्त क्षेत्र, दूरदराज के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाये। मेरे विचार में अगर सारे देश के नाम पर विदेशी ऋण लिया जा रहा है, लेकिन उसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों, कुछ विशेष राज्यों के लिए खर्च किया जा रहा है, तो यह व्यवस्था सम्बन्धी मामला है जो वर्तमान सरकार के लिए लोगों को यह स्पष्ट करने में मददगार सिद्ध हो सकता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए विदेशी ऋण लेना आवश्यक हो गया है और जिसके फायदे सारे देश को होंगे।

मैं सैद्धान्तिक रूप से ऋण लेने के विरूद्ध नहीं हूं। इसमें कोई आदर्श की बात नहीं है। अगर हमारे पास साख है, तो हमें अपनी साख को अपने देश के विकास के लिए उसे जिस सीमा तक सुरक्षित रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, अवश्य प्रयुक्त करना चाहिये। लेकिन यह समुचित ढंग से किया जाना चाहिये, सारे देश को विश्वास में लिया जाना चाहिये और लोगों को योजना के बारे में, उससे होने वाले फायदों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिये। किसी विशेष राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, जिसमें सारा देश शामिल हो, हमारे अपने आदान होने चाहिए, उसमें कौन सी चीजों की आवश्यकता है तथा क्या बाहर से मंगाने की जरूरत है, का अनुमान लगाया जाये, वह सभी किसी सामान्य पूल में हो और किन्हीं विशेष राज्यों के लिए नहीं बल्कि सारे देश में एक समान प्रयोग के लिए कोई योजना होनी चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्रियों के राष्ट्रमंडल सम्मेलन के समय मैं बैंकाव्वूर में था। मैं प्रतिनिधिमंडल का सदस्य नहीं था। मैं सयोंग से वहां मौजूद था। उस दोपहर को वहां दो प्रधान मंत्री पहुचें। भारत के प्रधान मंत्री विशेष रूप से नियोजित एयर इंडया के विमान में पहुंचे। मुझे बताया गया था कि वह एक विमान में नहीं पहुंचे बल्कि वहां दो विमान थे और एक विमान को किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर रखा गया था। सभापति महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक वाणिज्यिक उड़ान से वहां पहुंचे।

यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है। ऐसा क्यों है कि हम यह सोचते हैं कि विदेशी राष्ट्रों की भांति, जो हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, अधिक समृद्ध हैं, ऐशपूर्ण तरीके से रहकर, उनके आराम ओर रहन–सहन के मानदंडों को होड़ करना हमारे लिए शान का विषय है? सारा विश्व हमें परख रहा है। सारे विश्व का हमें हमारी गरीबी, अपर्याप्त आधारसंरचना, हमारे पिछड़ेपन, हमारी अशिक्षा और आप किसी भी बीमारी का नाम ले सकते हैं, जिसके हमारे देश में सबसे अधिक रोगी हों, चाहे वह कैंसर हो या टी.वी, अंधापन हो या कुछ और, से परखना जारी है।

अगर हम आडम्बर के साथ अलग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, अगर हम शान शौक्त से रहते हैं, फैशन के अनुसार आवभगत करते हैं तो हम कुल मिलाकर काफी अच्छी छवि प्रस्तुत करते हैं। मैं नहीं जानता कि हाल ही के उस तमाशे के आयोजन पर हमने कितने करोड़ रुपए खर्च किए जिसे जी–15 शिखर सम्मेलन कहा गया जिसमें शिष्टमंडल के अधिकांश सदस्यों ने भाग नहीं लिया परन्तु ऐसा हुआ। पिछले वर्षों के दौरान मैंने फिजूलखर्ची की जीवन शैली को सोचे–समझे ढ़ंग से पनमते देखा है। इसी दिल्ली शहर में एक विद्यार्थी के रूप में मैंने पंडित जी को अपनी अम्बैसडर कार में बिना किसी परिचारकगण के घूमते देश है, कार में एक व्यक्ति चालक के साथ बैठा होता था, वे अकेले पिछली सीट पर समाचार पत्र पढ़ रहे होते थे। यही बात हमें प्रभावित करती थी, तथा यही बात भारतीय परिवेश में भारतीय स्थिति का आकलन करने वाले किसी विदेशी को प्रभावित करेगी, कोई भी केवल दिखावे के लिए फिजूलखर्ची तथा तड़क–फड़क दिखाने की नहीं सोचेगा।

जो बचत हम करेंगे, जितना पैसा हम लोगों के लिए खर्च करेंगे, लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए खर्च करेंगे, उसमें से जितना धन नीचे स्तर पर आम आदमी तक पहुंचेगा उसी के आधार पर हमें आंका जायेगा। मेरे विचार में इसी के अनुसार हमें अपना थोड़ा सा मानसिक सामंजस्य तथा मनोवैज्ञानिक सामंजस्य पैदा करना होगा तथा मैं यह कहूंगा कि हमने एक अति संभ्रांत संस्कृति को विकसित कर लिया है। मैं यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि विश्व के संभ्रांत लोगों की कोई राष्ट्रीयता नहीं है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि किसी भी देश के संभ्रांत वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना का लगभग अभाव होता है। उनका अपना ही एक वर्ग और राष्ट्रीयता होती है। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह हम अपनी अर्थ–व्यवस्था को चला रहे हैं उससे हम केवल उन 15 करोड़ लोगों की बात कह रहे हैं, जो कि एक ऐसा बाजार है जिसकी ओर सारा विश्व ललचाई हुई आंखों से देश रहा है। इस अन्तर्राष्ट्रीयकरण, इस विदेशी निवेश के पीछे मात्र यही उद्देश्य है, 15 करोड़ लोगों का ये बाजार। अब देखिए लोहिया जी ने कितना ठीक कहा था। उन्होंने 15 बनाम 85 की बात कही थी और ये 15 करोड़ अथवा 15% भारत के लोग हैं। भारत के यही 15% लोग आज हमारे देश में विकसित हो रही राजनैतिक, संस्कृति, प्रशासनिक संस्कृति तथा वित्तीय संस्कृति से लाभान्वित हो रहे हैं जिससे बाकी लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और वो और गरीब हो रहे हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से कम पर सन्तुष्ट नहीं है। भारत में भी उनका जीवन स्तर लंदन अथवा वाशिंगटन अथवा पैरिस में रह रहे लोगों से कम नहीं है। उनकी जीवन शैली बिल्कुल वैसी ही है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रवृति पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए जिनके लाभ के लिए हम देश के सारे भविष्य को गिरवी रख रहे हैं। उनकी लालसाओं, आशाओं, आकांक्षाओं जिन्हें मैं राष्ट्र प्रेम विरोधी, जनविरोधी तथा राष्ट्रीय विरोधी मानता हूं। उनकी पूर्ति नहीं की जानी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में काफी बातें की जा रही हैं। हम अपने ढ़ंग से इसमें योगदान दे रहे हैं। हम नये पैगम्बरों का स्वागत कर रहे हैं तथा नये शासन, विश्व शासन का स्तुतिगान कर रहे हैं। हमें विश्व के उपेक्षित तथा अति निर्धन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि उस विश्व अर्थ–व्यवस्था मे ऐसा प्रत्येक देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय विश्व में औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक हो, वह विश्व कोष, जो कि एक विश्व विकास कोष होगा के लिए कर प्रदान करें। यह कोई नया विचार नहीं है। इस पर चर्चा आरम्भ की गई है परन्तु इसको कार्यरूप देना समग्र अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिकता तथा विश्व के लोगों की समग्र अन्तर्राष्ट्रीय इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, अगर यह विश्व वास्तव में अविभाज्य है। अगर शान्ति अविभाज्य है, अगर सम्पन्नता अविभाज्य है, अगर अर्थ व्यवस्था अविभाज्य है, अगर मनुष्य मात्र की आम विरासत के रूप में विश्व के संसाधन अविभाज्य हैं, अगर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए कोई सीमायें नहीं हैं, अगर पूंजी, प्रौद्योगिकी तथा कारीगरी का आदान प्रदान विश्व में ज़रूरी है, अगर हम एक ऐसे निडर विश्व की कल्पना करते हैं जिसमें सभी लोग उसी प्रकार एक समान होंगे जैसे कि नगर समाज में, एक राष्ट्रीय समाज में कुछ सम्पन्न लोगों को अपनी आय का कुछ भाग समाज के बाकी वर्ग के विकास के लिए देने को कहा जाता है। उसी प्रकार वे राष्ट्र जो कि आज सम्पन्न हैं तथा हमसे अनेक चीजों की मांग कर रहे हैं उनसे भी विश्व विकास कोष के लिए विश्व कर लिया जाना चाहिए, अगर अधिक नहीं तो यह समग्र घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत तो होना ही चाहिए।

मैं एक और बात का सुझाव देना चाहता हूं। इन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भी समझ बननी चाहिए। आज मुझे यह जानकर बडा हर्ष हुआ जब वित्त मंत्री महोदय ने चर्चा के दौरान हमें यह सूचना दी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि किसी ऋण पर दिए गये ब्याज की राशि मूलधन के बराबर हो जायेगी तो उसके पश्चात कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मेरी यह इच्छा थी कि वे यह कहें कि उसके पश्चात ऋण माफ कर दिया जायेगा। परन्तु जो भी जो, दक्षिण अमेरिका जहां कि मैं भारत का प्रतिनिधि रहा हूं वहां की घटनाओं के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं जहां एन्डियन देश, एन्डिनो ग्रुप ने यह मांग की कि जैसे ही किसी विदेशी ऋण पर किसी देश द्वारा दिए गये ब्याज की राशि मूलधन के बराबर हो जाती है, तो उसके बाद वह बात समाप्त हो जानी चाहिए।

मेरे विचार में अगर हम यह चाहते हैं कि ये विदेशी ऋण हमें निगल न लें तो भारत सरकार को इसके लिए 77 देशों के ग्रुप (जी–77) में, तीसरी दुनिया के देशों में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तथा गुट–निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से पहल करने की आवश्यकता हैं इसलिए महोदय, इन सुझावों को मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने तथा अपने द्वारा सुझाए गये सुधारों के साथ मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गये इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति जी, मैं सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री फर्नान्डीज के विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वैसे उन्होंने इस संदर्भ में बहुत बातें कह दी हैं, परन्तु मैं भी मानता हूं कि आज देश की जो हालत है वह कुछ समय में हुई है, ऐसी बात नहीं है।

अगर हम प्रारंभ से देखें तो जो नियोजन की प्रक्रिया है वह 1950 के दशक से शुरू हुई है। उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस देश का जो मॉडल देश वासियों के सामने प्रस्तुत किया, उसके पीछे निश्चित रूप से निहितार्थ था कि वास्तव में हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं।

अब मैं यहां पर यह कहना उचित ही समझता हूं कि हमारे देश के शासक आजादी के तत्काल बाद, उस बात को भूल गए कि किन बातों को लेकर हमारा देश गुलाम हुआ था। हमने अंग्रेजों की गुलामी किस कारण से इतने वर्ष तक सही थी। दौर था आर्थिक गुलामी का और एक कम्पनी के आने से हमारा देश गुलाम हुआ और उस गुलामी का परिणाम हमने भुगता और आज की हालत हम सबके सामने है। अगर हम किसी गांव में जाएं और हम बताएं कि हमारे ऊपर इतना कर्ज है, तो वह बात वहां समझ में नहीं आएगी। हमें तो ऐसा लगता है कि 40 वर्षों में हमने जो रास्ता बनाया है, उससे हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे शासक रहे, उन्होंने चारवाक के सिद्धान्त को ही सबसे अच्छा माना कि उधार ले लीजिए, खा लीजिए। कर्ज कर लीजिए, हम तो दुनियां छोड़कर चले जाएंगे। यह बात बिल्कुल साफ लगती है। वे बिल्कुल यही बात सोचते रहे।

सभापति महोदय, देश का जो कुछ ग्लाबलाइजेशन हो रहे हैं, यह सही है कि माननीय सदस्य जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था कि यह तत्काल की बात नहीं है। हमें उसी रास्ते पर जाना चाहिए था और उसके हिसाब से फैसला करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि डा. लोहिया, पं. दीन दयाल और महात्मा गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात रखी थी, उसके पीछे लक्ष्य स्पष्ट था, चिन्तन साफ था, हमने अपने देश के जो मंदिर बनाने की बात कही थी और उसका स्वरूप जो हमारे सामने बड़े–बड़े उद्योगों के रूप में आया वह था, लेकिन ये मंदिर पूर्णतः सफलीभूत नहीं हुए सरकार की दोषी आर्थिक नीतियों के कारण। बड़ी–बड़ी परियोजनाएं शुय की गई, लेकिन वे पूरी नहीं हुई। आज टिहरी बांध की स्थिति को हम देखें, उसके लक्ष्यों को देखें और कब तक उसको बनाना था, इसको देखें तो आज वह योजना बेकार हो रही है। अब तक उस पर जितना धन खर्च हुआ है वह सब डूब गया है। उसकी स्थिति कुछ समझ में नहीं आती और उसके बावजूद भी जो देश को चलाने वाले लोग थे, उन्होंने इस दिशा में चिन्तन नहीं किया।

पं. दीन दयाल उपाध्याय जी ने दो बातें साफ कही थी कि जब तक हम हर खेत को पानी नहीं देंगे और हर हाथ को काम नहीं देंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि आज जो आय की सीमा है वह भी सीमित होनी चाहिए। यानी अधिक आय और कम से कम आय में एक निश्चित सीमा तक का अन्तर होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गंगवार, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब सभा 9 मई, 1994 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 बजे म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 9 मई, 1994/ वैशाख 19, 1916 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।